Wednesday, 2 May, 1984

लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 47, बुधवार, 2 मई, 1984/12 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—22
*तारांकित प्रश्न संख्या : 886 से 888, 891, 894 और 895	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	22—207
तारांकित प्रश्न संख्या : 884, 885, 889, 890, 892, 893, 896 898 से 900 और 902 से 904	22—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9416 से 9450, 9452 से 9548 और 9550 से 9595	35—203
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	207—212
राज्य सभा से संदेश	212
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक	213
राज्य-सभा द्वारा यथापारित	
सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति	213
(एक) 17वां, 18वां और 19वां प्रतिवेदन	213
(दो) बैठकों के कार्यवाही सारांश	213
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	213—248
देश के विभिन्न भागों में चेचक, काला ज्वर, आंत्रशोथ, मलेरिया, विषाणु पीलिया और अन्य महामारियों से रोग-ग्रस्तता में वृद्धि का समाचार	
श्री बृजमोहन महन्ती	213
श्री बी० शंकरानन्द	226
श्री राजेश कुमार सिंह	228
श्री जी० एम० बनातवाला	231
श्री रामगोपाल रेड्डी	237
श्री रामविलास पासवान	240

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति	248—249
62वां प्रतिवेदन	
औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	249—255
श्री बूटा सिंह	249
श्री हरिकेश बहादुर	249
प्रो० अजित कुमार मेहता	250
प्रो० मधु दण्डवते	250
श्री वीरेन्द्र पाटिल	253
नियम 337 के अधीन मामले	256—261
(एक) नई दिल्ली की सड़कों पर साइकिल-रिक्शा चलाने पर रोक लगाने तथा आटोरिक्शा खरीदने के लिए रिक्शा चालकों को बैंकों से ऋण दिलाने की आवश्यकता	256
श्री विष्णु प्रसाद	
(दो) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला को भुवनेश्वर के समीप खंडगिरि से गोहाटी में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की आवश्यकता	256—257
श्री चिन्तामणि जेना	
(तीन) पुरानी वृद्धावस्था पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए बिहार सरकार को निदेश देने की आवश्यकता	257
श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव	
(चार) भारतीय रेलों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की आवश्यकता	258
श्री अजित कुमार साहा	
(पांच) चावल की भूसी और बिनौलों को तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किए जाने के कारण पशुओं के लिए चारे की वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता	258—259
श्री ए० सेनापति गौंडर	
(छः) हथकरघा निगम में व्याप्त अनियमितताएं तथा अकुशलता और बुनकरों की दशा सुधारने की आवश्यकता	259
श्री बी० डी० सिंह	

(सात) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में किए गए कथित पूंजी निवेशों और जम्मू तथा कश्मीर में उनके परिचालन की छानबीन करने की आवश्यकता 259—260

प्रो० फैफुद्दीन सोज

(आठ) कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं, आवास तथा नौकरियां इत्यादि देने की आवश्यकता 260

श्री रामविलास पासवान

(नौ) सिकन्दराबाद छावनी में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दिए गए वित्तीय अनुदान की धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता 261

श्री नन्दी येल्लैया

दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक 261—296

पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक 261—296

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक 261—296

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक 261—296

विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 262

श्री मल्लिकार्जुन 265

श्री सुशील भट्टाचार्य 268

श्री गिरधारी लाल व्यास 270

श्री जगपाल सिंह 274

श्री टी० आर० शमन्ना 276

श्री विजय कुमार यादव 280

श्री चित्त बसु 281

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 285

श्री टी० एस० नेगी 287

श्री मनीराम बागड़ी 288

श्री रामावतार शास्त्री 289

विषय	पृष्ठ
दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक	297—300
खंड 2 से 13 और 1	
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	
पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक	300—302
खंड 2 से 15 और 1	
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक	302—305
खंड 2 से 11 और 1	
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक	305—307
खंड 2 से 10 और 1	
यथासंशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री मल्लिकार्जुन	
कर्मकार प्रतिकर (संशोधित) विधेयक	307—315
राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार करने का प्रस्ताव	
श्री वीरेन्द्र पाटिल	307
श्री अजित बाग	309
श्री विष्णु प्रसाद	313
श्री राजेश कुमार सिंह	315
आधे घंटे की चर्चा	315—331
भारतीय निर्माण कंपनियों को वित्तीय सहायता	
श्री धर्मदास शास्त्री	315
श्री वीरेन्द्र पाटिल	318
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	327
श्री के० लकप्पा	327
श्री हरिकेश बहादुर	328

लोक सभा

बुधवार, 2 मई, 1984/12 वैशाख, 1906 (शक)

.लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव शरण वर्मा—अनुपस्थित; श्री विरदाराम फुलवारिया—अनुपस्थित; श्री ए० सी० दास ।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, सदन से अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों के बारे में कुछ किया जाना चाहिए । उनके नाम काली सूची में शामिल किये जाने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : आपका सुझाव प्रशंसनीय है ।

प्रो० मधु दण्डवते : सदस्यों को सदन से अनुपस्थित नहीं रहना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह भेदभाव क्यों ?

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान का कार्यान्वयन

*886. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में "स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान" के लिए आबंटित की गई धनराशि को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है और इस कार्यक्रम को पृथक रूप से कार्यान्वित करने की कोई संभावना नहीं है; और

(ख) क्या "स्पेशल कम्पोनेंट प्लान" को अनुसूचित जातियों के लिए कार्यान्वित करने के लिए सरकार एक पृथक एजेंसी स्थापित करने पर विचार करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय क्षेत्र का एक कार्यक्रम है। मार्गदर्शी

निदेशों के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 30 प्रतिशत लाभ प्राप्तकर्ता अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के होने चाहिए। कुछ राज्य अनुसूचित जातियों को आर्थिक सहायता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई विशेष केन्द्रीय सहायता के भाग का प्रयोग कर रहे हैं। इस सीमित अभिप्राय को छोड़कर विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के अधीन धनराशि को समेकित ग्रामीण विकास की धनराशि के साथ नहीं मिलाया जा रहा है।

इसके विपरीत, समेकित ग्रामीण विकास के अधीन अनुसूचित जाति परिवारों की सहायता के लिये प्रयोग किये गये परिव्यय का भाग किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र की विशेष कम्पोनेंट योजना के भाग के रूप में दिखाया जा रहा है।

(ख) सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, हम सब जानते हैं कि यह विशेष संघटक योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये प्रधानमंत्री का विशेष कार्यक्रम है।

केन्द्रीय मंत्रालय/राज्य सरकारों के विभाग अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना और जनजातीय उपयोजना कार्यक्रम के लिये निधि की मात्रा निर्धारित कर रहे हैं ताकि समेकित संसाधनों की संकल्पना पर बल दिया जा सके। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता को एकीकृत ग्रामीण विकास, अन्त्योदय तथा इस प्रकार के अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलाने के क्या कारण हैं? क्या यह सच नहीं है कि कार्यक्रमों को इस प्रकार मिलाने से अनुसूचित जाति संघटक योजना और जनजातीय उप-योजना कार्यक्रमों का महत्व कम हो जाता है?

जनजातीय उप-योजना एवं अनुसूचित जाति संघटक योजना में परिकल्पित संकल्पना के अनुसार कार्यक्रम में संशोधन करने के लिए गृह मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं?

क्या यह सच नहीं है कि राज्य सरकारों द्वारा अपनी निधियों में से और धनराशि निर्धारित करके राज्य सरकारों के प्रयासों में वृद्धि की जानी चाहिये और विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा अनुपूरक सहायता दी जानी चाहिये?

व्यवहार में, राज्य सरकारें कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपने राज्य के योजना संसाधनों में से समुचित राशि नहीं दे रही हैं और दूसरी ओर अनुसूचित जाति संघटक योजना एवं जनजातीय उप-योजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता में से अधिक निधियों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

इस मामले में गृह मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं और क्या सरकार का विचार विशेष संघटक योजना को एकीकृत विकास कार्यक्रम के साथ मिलाये जाने सम्बन्धी मेरी शिकायत की जांच कराने का है?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : विशेष केन्द्रीय सहायता किसी योजना विशेष के लिए नहीं है बल्कि अनुसूचित जातियों की आय बढ़ाने वाले किसी भी कार्यक्रम के लिये इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक और उड़ीसा में विशेष केन्द्रीय सहायता का इस्तेमाल अनुसूचित जातियों के मामले में एकीकृत ग्रामीण विकास राज-सहायता को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने में किया जा रहा है ताकि उनकी आय-सर्जक क्षमता को बढ़ाया जा सके। माननीय सदस्य के कहने के परिणामस्वरूप, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिये इस योजना के विस्तार हेतु, सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक विशेष संघटक योजना तैयार की गई है। विशेष संघटक योजना हेतु, अधिक परिव्यय निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की खातिर विशेष केन्द्रीय सहायता की एक विशेष योजना भी कार्यान्वित की जा रही है। केन्द्र सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वियन पर कड़ी नजर रख रही है।

श्री अनादि चरण दास : हमें ज्ञात हुआ है कि इस योजना अवधि के दौरान 600 करोड़ रुपए आबंटित किये गये हैं और राज्य स्तर पर इस योजना को ईमानदारी से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के सभापति के रूप में मेरी यह टिप्पणी है। मैंने कई राज्यों का दौरा किया है और मैंने देखा है कि किसी को भी यह मालूम नहीं है कि विशेष संघटक योजना से क्या तात्पर्य है। इसीलिए इसे अन्य कार्यक्रमों के साथ मिला दिया जाता है।

इस समय, राज्य सरकार खण्ड-अभिकरण के माध्यम से ही राज्य में सभी कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है। राज्य सरकार विशेष संघटक योजना का कार्यान्वियन भी खण्ड-अभिकरण के माध्यम से कर रही है। अतः खण्ड अभिकरण के लिये विशेष संघटक योजना का पूर्णतया कार्यान्वियन सम्भव नहीं है।

क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या विशेष संघटक योजना के प्रभावी कार्यान्वियन हेतु राज्यों में पृथक अधिशासी अभिकरण स्थापित करना केन्द्र सरकार के लिए सम्भव है, जैसाकि जनजातीय उप-योजना के मामले में किया जाता है ?

यदि केन्द्र सरकार के लिए फिलहाल ऐसा करना सम्भव नहीं है तो केन्द्र सरकार को कम से कम सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा करने के बारे में सोचना चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : पिछले महीने की 23 तारीख को राज्यों के प्रतिनिधियों, गृह मन्त्रालय तथा अनुसूचित जातियों के उत्थान सम्बन्धी कार्यों को देखने वाले अभिकरणों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय बैठक में हम इन सभी मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर चुके हैं। बैठक में यह निर्णय किया गया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए।

श्री राजेश पायलट : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि वे मुख्य आधार क्या हैं जिन पर आप विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के लिये सहायता देने का निर्णय करते हैं ?

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : हाल ही में, मैंने इस सदन में इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर दिया था। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहूंगा कि छठी योजना के दौरान परिवार स्तर पर लाभ पहुंचाने के विशेष कार्यक्रम द्वारा अनुसूचित जातियों के परिवारों का आर्थिक स्तर उठाने पर मुख्य बल दिया गया है ताकि अन्ततः उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके। इस कार्यक्रम के अधीन सहायता प्रदान करने के लिये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाये गये मानदण्डों को ही अपनाया गया है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 3,500 रुपए या इससे कम है उन्हें सहयता प्रदान की गई है जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा रंगीन टी० वी० सेटों का निर्माण

*887. **श्री मोहन लाल पटेल** :
श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या किसी बहुराष्ट्रीय कम्मनी ने देश में रंगीन टेलीवीजन सेट का निर्माण करने के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन-पत्र दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारतीय कंपनियों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रंगीन टेलीवीजन सेटों के निर्माण के लिए लाइसेंस देने पर विरोध प्रकट किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

इलेक्ट्रोनिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (घ) एक विवरण पत्र सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) मैसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड एलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मार्च, 1983 में औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। सरकार ने उस आवेदन-पत्र को अगस्त, 1983 में अस्वीकार कर दिया क्योंकि पार्टी के पास विदेशी-साम्या पूंजी (इक्विटी) है और रंगीन

दूरदर्शन रिसीवर सैटों के लिए औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत इसकी अनुमति नहीं है। इस निर्णय के विरुद्ध कम्पनी द्वारा एक अभ्यावेदन दिया गया था; लेकिन उन्हें यह दुबारा बता दिया गया था कि चूंकि उनके पास विदेशी-साम्या पूंजी (इक्विटी) है, अतः औद्योगिक लाइसेंस के लिए उनके आवेदन को स्वीकार करना संभव नहीं है।

तत्पश्चात्, पार्टी द्वारा एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार प्रक्रिया (एम० आर० टी० पी०) के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस देने तथा अनुमति प्रदान करने के लिए फरवरी, 1984 में एक और आवेदन-पत्र दिया गया था। मैसर्स पीको द्वारा उनके दूसरे आवेदन-पत्र के सम्बन्ध में जारी की गई नोटिस (जो कि एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों द्वारा सामान्य कार्याविधि के अनुसार अपनाया जाना जरूरी है) के संदर्भ में, भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ ने कम्पनी-कार्य विभाग को दिनांक 31 मार्च, 1984 को मेसर्स पीको के आवेदन-पत्र को अनुमोदित करने के विरोध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इस दूसरे आवेदन-पत्र पर लाइसेंसिंग-एवं-एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति समिति द्वारा विचार किया गया है तथा इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि पार्टी के पास विदेशी-साम्या पूंजी (इक्विटी) है।

श्री मोहन लाल पटेल : माननीय मन्त्री जी के उत्तर से आप देख सकते हैं कि बड़े घराने रंगीन टी० वी० निर्माण उद्योग में आने का प्रयास कर रहे हैं। यह देखना आवश्यक है कि इस उद्योग में बड़े घरानों के प्रवेश के कारण वर्तमान छोटे कारखानों को हानि न हो। इसको देखते हुए, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि बड़े घराने इस उद्योग में प्रवेश न करें और क्या सरकार ऐसा निर्णय लेने पर विचार करेगी कि यह क्षेत्र केवल छोटे कारखानों के लिए ही आरक्षित रहे ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : सरकार ने स्पष्ट उत्तर दिया है कि रंगीन टी० वी०, ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० और इलैक्ट्रोनिक घड़ियों के निर्माण की विदेशी साम्य पूंजी वाली कंपनियों को अनुमति नहीं है। इसलिए मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य को रंगीन टी० वी० उद्योग में बड़े घरानों के प्रवेश की चिंता क्यों है।

श्री मोहन लाल पटेल : आज हम टी० वी० सुविधाओं के प्राथमिक चरण में हैं जबकि सरकार ने आगामी दो वर्षों में देश की 70 प्रतिशत जनता को टी० वी० सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अतः आगामी वर्षों में टी० वी० सेटों की मांग में भारी वृद्धि की सम्भावना है। इसलिए बड़े घराने इस क्षेत्र में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जनता को उचित मूल्य पर अच्छा टी० वी० मिले। इसे देखते हुये, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि आगामी पांच वर्षों में टी० वी० सेटों की मांग कितनी होगी; उस मांग को पूरा करने की क्या योजना है और क्या सरकार सरकारी क्षेत्र में टी० वी० सेटों या इसके मुख्य पुर्जों का निर्माण करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैं इस सम्माननीय सदन को कई बार सूचित कर चुका हूं

कि सरकार की यह नीति है कि रंगीन टी० वी० तथा ब्लैक एण्ड व्हाइट टी० वी० जनसाधारण तक पहुंचे। हम नहीं चाहते कि टी० वी० केवल शहरी धनी लोगों के ही पास हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने देश के कोने-कोने में 113 कम शक्ति के टी० वी० ट्रांसमीटर और लगभग 26 दस-कि० वा० क्षमता के ट्रांसमीटर लगाने का निर्णय किया है। हमें आशा है कि ये 139 ट्रांसमीटर इस वर्ष के अन्त तक कार्य करना शुरू कर देंगे। हम यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय कर रहे हैं कि टी० वी० रिसीवर सैट, ब्लैक एण्ड व्हाइट और रंगीन टी० वी० दोनों ही, जनसाधारण तक पहुंचे। इस सिलसिले में हमारे उद्योग मन्त्री, श्री तिवारी ने हाल ही में टी० वी० उद्योगपतियों के साथ बैठक कर एक कार्यक्रम तैयार किया है। हमने इलैक्ट्रोनिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया है जिसकी बैठक कल हुई थी। देश में विनिर्माताओं की प्रगति की प्रति सप्ताह पुनरीक्षा की जाती है।

श्री मोहन लाल पटेल : मेरा सुस्पष्ट प्रश्न यह था : क्या सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में निर्माण करने पर विचार कर रही है। यह मैं जानना चाहता हूं।

डा० एम० एस० संजीवी राव : इस महान सदन को यह बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि रंगीन टेलीवीजन बनाने वाली पहली कम्पनियां सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां ही थीं। मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि लखनऊ स्थित अपट्रान' फैक्ट्री ने निर्माण कार्य शुरू कर दिया है और उस फैक्ट्री का उद्घाटन करने का भी मुझे गौरव प्राप्त है और उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वे इस वर्ष कम से कम एक लाख सैटों का निर्माण करेंगे। यह संख्या हैदराबाद स्थित ई० सी० आई० एल० के उत्पादन के अलावा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : कोई स्वास्थ्य नहीं, कोई शिक्षा नहीं और रंगीन टी० वी० समाजवाद।

डा० एम० एस० संजीवी राव : मैं अपने मार्क्सवादी दोस्त को बताना चाहता हूं कि हमारे लाभप्रद कार्यक्रम केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं हैं। हम शिक्षा और परिवार नियोजन शुरू करना चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रचार सहित।

श्री एम० एस० संजीवी राव : वह आप रूस में करते हैं।

श्री विक्रम महाजन : वह पश्चिम बंगाल का समाजवाद है।

श्री माधव राव सिंधिया : सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रशंसनीय प्रयासों से देश में दूरदर्शन का काफी व्यापक प्रसार हो रहा है और दूरदर्शन सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा…

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : और आने वाले चुनावों में भी। नई संस्कृति का विकास···

श्री माधव राव सिंधिया : ···और शैक्षिक कार्यक्रमों में भी तथा समाज के पददलित लोगों में जागरूकता लाने के प्रयास में तथा स्थितियों को उत्तम बनाने की महत्वपूर्ण जरूरतों में भी दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उपभोक्ताओं को उपलब्ध किये जाने वाले रंगीन टी० वी० सैटों की गुणवत्ता में सुधार करने और उनकी सप्लाई के लिए सतत् प्रयास करते रहें तथा इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उपभोक्ताओं को, विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं को, काफी कम कीमतों पर सुधरे हुए सैट उपलब्ध करायें। इसलिए, हमें चाहिए कि रंगीन टी० वी० सैट बनाने वाली पूर्णरूपेण स्वदेशी भारतीय कम्पनियों के हितों की सुरक्षा इस बात के बीच संतुलन कायम करें कि ऐसी कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं विशेषकर ग्रामीण उपभोक्ताओं का शोषण न हो सके। मैं इन दोनों के बीच सन्तुलन का सुझाव दूंगा। हम सम्भवत: रंगीन टी० वी० उत्पादन हेतु अधिकतम 39 प्रतिशत विदेशी इक्विटी धारक कम्पनियों को ही अनुमति देने पर विचार कर सकते हैं किन्तु वह भी संयुक्त क्षेत्र में। इससे सरकार का इस उपक्रम में काफी नियन्त्रण भी रहेगा साथ ही, चूंकि प्रवर्तक कम्पनी के इस प्रकार की संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी में अधिकतम 49 प्रतिशत शेयर ही होंगे, इससे विदेशी इक्विटी धारिता घटकर 19 अथवा 20 प्रतिशत रह जायेगी ताकि इन कम्पनियों को भी निर्यात के लिए उत्पाद का कुछ अनुपात आरक्षित रखने को भी कहा जा सकता है और यह निर्यात विदेशी इक्विटी धारक के विश्व-भर में बिछे तंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। इससे देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा की भी आय होगी। मैं माननीय प्रधान मंत्री से और माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार है तो क्या आप निकट भविष्य में कोई निर्णय लेंगे ?

डा० एम० एस० संजीवी राव : सरकार ने अपनी ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन सम्बन्धी नीति 1971 में बनायी थी। हमने सोचा था कि विदेशी इक्विटी कम्पनियों को नजरअंदाज करना ही उचित है ! इसके परणामस्वरूप, 14 वर्षों के बाद हमने पाया कि देश में 22 इकाइयां संगठित क्षेत्र में और 63 इकाइयां लघु क्षेत्र में पूर्णतः स्वदेशी प्रौद्योगिकी से सादा टी० वी० सैट बना रही हैं। इसी प्रकार रंगीन टी० वी० के लिए हमने 86 संगठित कम्पनियों और 365 लघु क्षेत्र की इकाइयों को लाइसेंस दिए हैं जिनकी क्षमता 112 लाख सैट है और वस्तुतः 12 संगठित क्षेत्र की और 26 लघु क्षेत्र की इकाइयों ने लगभग 3 लाख सैट तक के आयात लाइसेंस भी प्राप्त किये हैं। अतः इस पृष्ठभूमि में हम रंगीन टी० वी० सैटों के बारे में भी आश्वासित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 'अप्ट्रान' और ई० सी० आई० एल० ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास कर लिया है। अतः हम नहीं चाहते कि लाभांश के रूप में विदेशी मुद्रा बाहर जाये। इस बात को जानते हुए कि देश में 70 प्रतिशत तक क्षेत्र दूरदर्शन प्रसारण के अन्तर्गत आने वाला है, हमने यह पता करने के लिए एक निगरानी दल का गठन किया है कि क्या ये विदेशी कम्पनियां मांग को पूरा करने में समर्थ होंगी।

अत: मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता, किन्तु निगरानी दल निश्चय ही इस पर भी विचार कर सकता है।

टायरों की मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए निदेश

*888. **श्री सुनील मैत्रा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1984 से टायर निर्माताओं द्वारा की गई मूल्य वृद्धि को वापस लेने के लिए उनको 25 फरवरी, 1984 को कोई निदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो कितने निर्माताओं ने निदेश का पालन किया है;

(ग) उन निर्माताओं का क्या नाम है जिन्होंने सरकार के निदेश का पालन नहीं किया है; और

(घ) क्या सरकार का विचार टायर निर्माताओं को सरकार के इस आशय के निदेश का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य करने का है कि वे मनमाने ढंग से तथा बार-बार मूल्य वृद्धि न करें ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) टायरों की कीमतों पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। फिर भी, सरकार कीमतों पर निकट से निगरानी रखती है और निर्माताओं के साथ-साथ प्रयोगकर्ताओं/प्रयोगकर्ता संगठनों से निरन्तर विचार-विमर्श करती रहती है ताकि टायरों की कीमतों में मनमाने ढंग से वृद्धि न की जा सके। इसी संदर्भ में 25 फरवरी, 1984 को टायर कम्पनियों को यह सलाह दी गई थी कि उनके द्वारा जनवरी, 1984 में घोषित की गई कीमतों में वृद्धि न की जाए। कुल मिलाकर, टायर कम्पनियों ने टायरों की उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाने तथा अक्तूबर, 1983 में सरकार द्वारा टायरों पर उत्पादन शुल्क में दी जाने वाली राहत को वापस ले लिये जाने के कारण संशोधन पूर्व के मूल्य कायम रखने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

श्री सुनील मैत्रा : महोदय, अक्तूबर, 1983 में, सरकार ने टायर उद्योग को 6.6 प्रतिशत तक की उत्पाद शुल्क में राहत की घोषणा की थी। जब सरकार ने टायर उद्योग को इस राहत की घोषणा की थी, मैं यह मानता हूं कि सरकार ने उत्पादन के सभी कारकों पर विचार करके यह निश्चय किया होगा कि टायर उद्योग को उत्पाद शुल्क में 6.6 प्रतिशत की राहत दी जा सकती है।

क्या यह सच है कि जब इस निर्णय की घोषणा की गई थी, तो क्या सरकार ने टायर उद्योग को यह बता दिया था कि यह उत्पाद शुल्क राहत उपभोक्ता को दी जायेगी ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हां महोदय, सरकार ने 1 अक्तूबर, 1983 की अधिसूचना द्वारा टायर और ट्यूबों पर 6.5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क कम किया था और उद्योग मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के परामर्श से, टायर निर्माताओं को यह कहा था कि वे यह राहत उपभोक्ताओं को दें और ऐसा किया गया तथा मूल्य में कटौती हुई। जनवरी, 1984 में ही उन्होंने कच्चे माल के मूल्यों में तथा कथित वृद्धि के कारण फिर से कीमतें बढ़ा दीं।

श्री सुनील मैत्रा : अक्तूबर, 1983 में 6.6 प्रतिशत की उत्पाद शुल्क राहत दी गई तथा 11 जनवरी, 1984 को मोदीस्टोन ने 9.5 प्रतिशत मूल्य बढ़ा दिया। इस प्रकार 6.6 प्रतिशत की जो राहत उन्हें मिली वह कम करके 6.5 प्रतिशत की गई, अगले दो महीनों में, यानी 60 दिनों में ही उन्होंने 9.5 प्रतिशत तक मूल्य बढ़ा दिए। आल इण्डिया टायर डीलर्ज फैडरेशन के वक्तव्य के अनुसार, उद्योग का कर देने के बाद लाभ निवल आय के प्रतिशत के रूप में 1981-82 में 4% से बढ़कर 21.8 प्रतिशत हो गया अर्थात्—44.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। टायर उद्योग द्वारा कमाये जा रहे इतने भारी लाभ को देखते हुए क्या सरकार टायर उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं को राहत देने के अपने अनुदेश लागू कराने में असहाय महसूस करती है? टायर उद्योग द्वारा मूल्य वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि टायर उद्योग सरकार के निर्णय की इस ढंग से अवहेलना न करे?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, सरकार इन वर्षों में टायर निर्माताओं पर मूल्य की सीमा बनाये रख सकी है। पिछले 2½ वर्षों से कुछ भी नहीं हुआ। फिर भी हम टायर निर्माताओं के साथ निरंतर वार्ता करते आ रहे हैं ताकि वे मूल्य स्थिर रखें और जैसा कि मैंने पहले कहा है, कि उन्हें मूल्य कम करने को कहा और उन्होंने मूल्य कम कर दिए। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होगी। जब हमने 28 मई, 1983 को सदन में इस मामले पर बहस की थी तो टायर निर्माता मूल्यों को संशोधन पूर्व मूल्य पर लाने को सहमत हो गए थे। इसलिए, हम हस्तक्षेप करते रहे और बिना कोई नियंत्रण लागू किए, हमने उन्हें मूल्यों को कम करने के लिए राजी कर लिया। अब उन्होंने यह तर्क दिया है, कि कच्चे माल जैसे नाइलोन टायर कौर्ड, प्राकृतिक रबड़ आदि के मूल्य बढ़ गए हैं। मैं उनकी ओर से दलील नहीं दे रहा हूं केवल उनके मामले का हवाला दे रहा है। प्राकृतिक रबड़ के मूल्यों में 30-35 प्रतिशत तक वृद्धि हो गई है; कार्बन ब्लैक के मूल्यों में 10 प्रतिशत और रबड़ रसायनों के मूल्यों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। इसलिए, उन्होंने कहा है कि वे मूल्य स्थिर रखने में असमर्थ हैं। हम फिर मामले पर गौर कर रहे हैं, और मैं औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को इस मामले की जांच करके शीघ्र समीक्षा करने के लिए कह रहा हूं। यदि वह ब्यूरो कहता है कि संशोधन जरूरी नहीं है तो उन्हें मूल्य फिर से कम करने होंगे और हम यह भी विचार करेंगे कि मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

श्री के० लकप्पा : महोदय, मुद्दा यह है कि सरकार सभी प्रयास कर रही है किन्तु टायर निर्माताओं का शक्तिशाली वर्ग उपभोक्ताओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। 1983 से उत्पा

शुल्क में राहत दी गई थी किन्तु अब उन्होंने एकपक्षीय मूल्यों में वृद्धि कर दी और भारत सरकार के निदेशों को भी नहीं माना । इस लागत ढांचे के कारण उपभोक्ताओं का शोषण किया जा रहा है । उपभोक्ता स्थिति से निपटने की स्थिति में नहीं हैं । महोदय, टायर निर्माता कम्पनियों को सरकार पर अपनी शर्तें नहीं थोपनी चाहिए । अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार कोई जांच आयोग नियुक्त करने जा रही है ताकि वे इस सम्बन्ध में एक व्यवहारिक रास्ता अखित्यार करें तथा मूल्य वृद्धि भारत सरकार का परामर्श लिए बिना एकपक्षीय नहीं होनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए कि उपभोक्ता मूल्य उपभोक्ताओं के हितों में तर्कसंगत हो न कि टायर निर्माताओं के हितों में हो ।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, पूर्ण विनम्रता के साथ मैं यह कह सकता हूं कि मैंने पहले ही टायर निर्माताओं और टायर विक्रेताओं के मामले की औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से जांच कराने की घोषणा की है तथा लागत के बारे में शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है । जहां तक अन्य शिकायतों का सम्बन्ध है, कदाचारों के बारे में एक शिकायत एम० आर० टी० पी० के पास दर्ज करा दी है और आयोग कदाचारों की उन शिकायतों पर विचार करेगा । जहां तक गैर एम० आर० टी० पी० शिकायतों का सम्बन्ध है, मैंने श्री सत्य पाल, सेवानिवृत्त तकनीकी विकास महा-निदेशक की अध्यक्षता में, उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण, तकनीकी ग्रेडेशन और इस सम्बन्ध में टायर विक्रेताओं द्वारा की गई अन्य शिकायतों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रहा हूं ।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या यह प्रथा नहीं है कि सीमा शुल्क कानून और उत्पाद-शुल्क कानून के अधीन वित्त मंत्रालय द्वारा छूट देने से पहले प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सिफारिश की जाती है ? क्या यह सच है कि उद्योग मंत्रालय ने इस उद्योग की कुल लागत तथा ऐसी राहत की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अक्तूबर, 1983 में वित्त मंत्रालय से उत्पाद-शुल्क रियायत प्रदान करने की सिफारिश की थी तथा दूसरे यह कि क्या यह भी सच नहीं है कि 29 फरवरी, 1984 को प्रस्तुत बजट में वित्त मंत्री ने यह रियायतें टायर उद्योग से वापस ले लीं क्योंकि उसने सरकार के निदेशों का अनुपालन नहीं किया था तथा क्या यह सच नहीं है कि मंत्रालय द्वारा अप्रैल के महीने में ये रियायतें फिर से प्रदान की गई हैं । यदि हां, तो क्या यह आपकी सिफारिश से किया गया या वित्त मंत्रालय द्वारा स्वेच्छा से ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जी हां यह एक परम्परा, एक प्रथा बनी हुई है तथा मैं समझता हूं कि भूतपूर्व वित्त राज्य मंत्री इस बात से भली भांति अवगत हैं कि इन मामलों में प्रशासनिक मंत्रालयों से परामर्श किया जाता है । हम एक नहीं कई मामलों पर एक साथ कई प्रस्ताव भेजते हैं । उन पर विशद चर्चा होती है । प्रस्तावों को अंतिम रूप से निर्धारित करने का विशेषाधिकार वित्त मंत्रालय तथा वित्त मंत्री को प्राप्त है ।

जहां तक इस मामले का प्रश्न है वित्त मंत्री ने फरवरी के बजट में उल्लिखित उत्पाद-शुल्क रियायत को वापस ले लिया था परन्तु तदन्तर इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ है । घटाई गई

रियायत को वापस ले लिया गया है और यही स्थिति इस समय विद्यमान है । टायर विनिर्माताओं का यह तर्क है कि चूंकि घटाई गई रियायत वापस ले ली गई है अतः उन्हें कीमत कम करने को नहीं कहा जाना चाहिए ।

मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर हेतु खोज कार्य

*891. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में 1983-84 के दौरान चूना-पत्थर के लिए खोज-कार्य किया गया था;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां चूना-पत्थर पाया गया है;

(ग) मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर के निक्षेपों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मध्य प्रदेश में पाए गए चना-पत्थर के उचित उपयोग के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ) 1983-84 के दौरान चूना-पत्थर के लिए मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में खोज की गई । मध्य प्रदेश शासन के भूतत्व और खनन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 1983-84 में राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में चूना-पत्थर का पता चला :—

1. सोनाडीह और चंडी	जिला रायपुर
2. सरायटोला क्षेत्र	जिला बालाघाट
3. सारंगगढ़	जिला रायपुर
4. कुक्षी और मनोवर तहसील	जिला धार
5. नरकुईनाला	जिला सीधी
6. कुटान क्षेत्र	जिला पन्ना
7. बेहरी बैंड क्षेत्र	जिला जबलपुर

चूंकि खोज अभी जारी है, इसलिए अभी निक्षेपों का व्यौरा सुलभ नहीं है। परन्तु 1982-83 के फील्ड सीजन में रायपुर के चन्डी क्षेत्र में 550 लाख टन सीमेंट ग्रेड चूना-पत्थर तथा बालाघाट जिले के सरायटोला क्षेत्र में 38 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है।

खनिज गवेषण निगम लि० ने भी सतना जिले के बदनपुर में भारतीय इस्पात प्राधिकरण के लिए चूना-पत्थर हेतु अन्वेषण कार्य किया है, जिससे वहां धमन भट्टी/इस्पात प्रदावण शाप ग्रेड चूना-पत्थर के 8.88 मि० भंडारों की पुष्टि हुई है।

भारतीय सीमेंट निगम ने मध्य प्रदेश के मन्दसौर जिले के नयागांव के आसपास खोज की है।

अब तक प्रमाणित चूना-पत्थर भंडारों के आधार पर मध्य प्रदेश में 11 सीमेंट कारखाने स्थापित किए गए हैं जिनकी कुल क्षमता 75.35 लाख टन वार्षिक है। राज्य में 62.27 लाख टन वार्षिक क्षमता के बड़े, मझोले और छोटे सीमेंट कारखानों की स्थापना हेतु, 1982 के अन्त तक 21 स्कीमें मंजूर की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश में अनेक चूना-पत्थर भट्टे भी काम कर रही हैं। पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण हेतु खनिज अनुदान के कुछ आवेदन पत्रों पर राज्य सरकार विचार कर रही है। भारतीय सीमेंट निगम ने भी बस्तर जिले में टोकापाल में 12 लाख क्षमता वाले क्लिकर यूनिट की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

राज्य में अनेक नये बड़े सीमेंट कारखाने भी स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर चूने के पत्थर के लिए खोज-कार्य किये गये हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि इन खोज कार्यों का कितने वर्षों में पूरा होने की आशा है और खोज कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए उठाए गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमें आशा है कि उन सात स्थानों, जिनका जिक्र मैंने अपने उत्तर में किया है, में खोज कार्य दो या तीन वर्षों में पूरा हो जाएगा।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : मध्य प्रदेश में बड़े, मझौले तथा छोटे सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए भारत सरकार के पास कितने आवेदन पत्र विचाराधीन पड़े हैं। इन विचाराधीन आवेदन पत्रों को कब तक निबटा लिये जाने की प्रत्याशा है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मेरे पास उपलब्ध जानकारी उन आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंसों के बारे में है जो कि मध्य प्रदेश में अतिरिक्त सीमेंट क्षमता स्थापित करने के लिए जारी

किए गए हैं। यह 12 जिलों से संबंधित है। यदि आप चाहें तो मैं उन कंपनियों के नाम पढ़ कर सुना देता हूं जिन्हें आशय पत्र दिये गये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप उन्हें सभापटल पर रख सकते हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : ठीक है। यह उपलब्ध जानकारी के अनुसार छोटे सीमेंट कारखानों के लिए आवेदन पत्र राज्य सरकारों के समक्ष विचाराधीन पड़े हैं और मझोले तथा बड़े सीमेंट कारखानों के लिए आवेदन-पत्र उद्योग मंत्रालय द्वारा निबटाए जा रहे हैं। जहां तक अन्य ब्यौरों का प्रश्न है उनके संबंध में इस समय मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। परन्तु यदि सदस्य इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं यह जानकारी प्रस्तुत कर सकता हूं।

डा० कृपासिंधु भोई : उद्योग मन्त्री ने दो दिन पूर्व सदन में बताया था कि देश में चूने के पत्थर के प्रचुर भंड़ार हैं और आत्मनिर्भर होने के लिए देश में बहुत अच्छी स्थिति पैदा करने के लिए वह सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सीमेंट उत्पादन की अधिष्ठापित क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं।

क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह सुनिश्चित करेंगे कि क्या आवश्यक सीमेंट उत्पादन हेतु मध्य प्रदेश के 'उद्योग-रहित जिलों' अर्थात् रायगढ़ तथा सारंनगढ़ में चूने के पत्थर के भंडारों का उपयोग किया जाएगा।

इन दोनों जिलों में स्ट्रोमेटिक लाइमस्टोन के भंडार की कुल यात्रा का विस्तृत रूप से पता लगा लिया गया है।

क्या इन दोनों जिलों में विस्तृत भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिए गए हैं और विस्तृत सर्वेक्षण का निष्कर्ष क्या है? इन दो जिलों में किए गए क्षेत्रीय अन्वेषण का निष्कर्ष क्या है ताकि भारत सरकार इन दो 'उद्योग-रहित जिलों' में उद्योग कायम करने के लिए कोई पक्का निर्णय ले सके ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : महोदय, रायगढ़ में 267.3 लाख चूने के पत्थर के भंडार की खोज की जा चुकी है तथा हमारा संभावित अनुमान 361.6 लाख टन है तथा संभाव्य श्रेणी 593.3 लाख टन है।

डा० बसन्त कुमार पंडित : महोदय, चूने के पत्थर के भंडारों का पता लगाने के लिए कई सर्वेक्षण किए गए हैं तथा सभी सर्वेक्षण उस ग्रेड के लिए हैं जो कि बड़े, मझौले तथा छोटे सीमेंट कारखानों में इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में खादी तथा उद्योग आयोग ने निम्न ग्रेड चूने से बना एक नया यौगिक विकसित किया है और वह सीमेंट भी कम लागत के निर्माण कार्य सहित कई अन्य प्रयोजनार्थ भी इस्तेमाल किया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सर्वेक्षणों द्वारा निम्न ग्रेड चूने का पता लगा है जो कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जा सकता है तथा क्या ये सर्वेक्षण पिछड़े क्षेत्रों—विदिशा तथा गुना जिलों में किए गए हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : विदिशा के बारे में मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन्होंने निम्न ग्रेड चूने के इस्तेमाल के बारे में पूछा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह प्रश्न सीमेंट कारखानों में चूने के इस्तेमाल के बारे में पूछा गया है। सीमेंट कारखानों का संबंध उद्योग मंत्रालय से है, जहां तक हमारे मन्त्रालय का सम्बन्ध है, हमने विदिशा जिले में कोई खोज-कार्य नहीं किया है। मैंने इसीलिए कहा है कि मेरे पास इससे संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डा० वसंत कुमार पंडित : मैंने उस निम्न ग्रेड चूने के बारे में पूछा है जो कि निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ इस्तेमाल किया जा सकता है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं फिर यही कहूंगा कि विदिशा जिले में उच्च ग्रेड या निम्न ग्रेड चूने से सम्बन्धित कोई खोज कार्य नहीं किया गया है।

"फोटो वोलटेइक डिवाइस" का वाणिज्यिक उत्पादन

*894. **श्री प्रताप भानू शर्मा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हमारे देश में "फोटो वोलटेइक डिवाइस" के वाणिज्यिक उत्पादन की तकनीक का विकास कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इस प्रणाली का उत्पादन कितनी कम्पिनयां कर रही हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासानर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) विभिन्न औद्योगिक एकक, सी० एस० आई० आर० और रक्षा और परमाणु ऊर्जा विभागों की प्रयोगशालाएं तथा आई० आई० टी० जैसी शैक्षणिक संस्थाएं, मूलभूत सिलिकान सामग्री को तैयार करने सहित प्रकाश वोल्टीयता के सुधारों में लगी हुई हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (सी० ई० एल०), सौर प्रकाश वोल्टीय सैलों, मोड्यूलों और प्रणालियों के अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी विकास और विनिर्माण में लगा हुआ है। आयातित उच्च विशुद्धतापूर्ण सिलिकान सामग्री का उपयोग करते हुए सी० ई० एल० ने पहले से ही दूरस्थ, मानव रहित और बिना बिजली वाले क्षेत्रों और समुद्र के बीच स्थित के शीर्ष प्लेटफार्मों में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए सौर सैलों, मोड्यूलों और प्रणालियों की आपूर्ति कर दी है। प्रतिवर्ष 600 किलोवाट क्षमता के एक प्रायोगिक संयंत्र को स्थापित किया गया है। इसे, आने वाले वर्षों में 3 मेगावाट प्रति वर्ष की क्षमता तक बढ़ाया जा रहा है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड ने भी सौर सैलों, मोड्यूलों और प्रणालियों के उत्पादन को विभिन्न स्थलीय अनुप्रयोगों के लिए प्रारंभ किया है। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्ज लिमिटेड और भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड दोनों ने हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त अंतरिक्ष सौर सैलों का निर्माण किया है।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि पिछले दो तीन वर्षों में हमारी सरकार ने ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिए जो कार्य किए हैं, निश्चित रूप से उसके लिए हमारी प्रधान मन्त्री बधाई की पात्र है। जहां पहले ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों के विकास के लिए एक करोड़ भी खर्च नहीं होता था, अब हमारी सरकार इस साल 37-38 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। अतः वे निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं। मैं सेन्ट्रल एलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स और भेल के इंजीनियर्स को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऊर्जा के वैकल्पिक साधन सौर ऊर्जा के विकास के सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जहां तक सौर ऊर्जा को विद्युतीय प्रयोग का सवाल है, फोटो वालटेइक सेल्स से, तो उसका उत्पादन करने की टेक्नालाजी हासिल कर ली है पर उसको कैसे कम से कम लागत में बनाया जा सकता है, कार्मशियल प्रोडक्शन के विकास के लिए, हमारी सरकार किस तरीके से आगे कार्यवाही करने का प्रावधान रखती है ?

मैं यह भी जानना चाहता हूं जिस तरह से हम जापान से या अन्य देशों से, जहां पर सोलर टेक्नालाजी विकसित हो चुकी है, एडवांस्ड टेक्नालाजी हासिल कर रहे हैं, क्या इस विषय में भी फोटो वालटेइक डिवाइस का आगे विकास करने के लिए टेक्नालाजी हासिल करने को हमारी सरकार ने कोई पहल की है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पहले यह बता दिया जाए कि फोटो वालटेइक डिवाइस क्या है, क्योंकि हम उन अज्ञानी सदस्यों में से हैं जो न सवाल समझ पा रहे हैं और न जवाब समझ पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मेरी भी वही हालत है।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी, मैं आपका साथ दे रहा हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : चूंकि आप अपना सिर हिला रहे थे तो हमने यह सोचा कि आप इसे समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हीं की बात पर हां कर रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय : जवाब लाजवाब है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, फोटो वालटेइक डिवाइस वह सिस्टम है; जिसमें सूरज के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। सूरज का प्रकाश एक ऐसा साधन है, जो हजारों सालों तक जीवित रहेगा। फोटो वालटेइक सिस्टम में सूरज की किरणों से ताप नहीं विद्युत बनाई जाती है। इसमें कुछ ऐसी सिलिकान प्लेट्स लगाई जाती हैं, जिन पर सूरज की किरणें पड़ने से वह विद्युत ऊर्जा में रूपान्तरित हो जाती हैं। फिर उस विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। इतना वोलटाइक सिस्टम के बारे में बताने के बाद सम्माननीय सभासद की मालूमात के लिए यह बताना चाहूंगा कि इसमें सबसे अहम चीज कीमत कम करने की ही है। कीमत को कम करने का प्रयास शासन की ओर से हो रहा है। बड़े पैमाने पर इस डिवाइस को बनाकर इसकी कीमत को हम कम कर सकते हैं या इसके लिए बेसिक मैटेरियल यहां बनाकर उसकी कीमत को कम किया जा सकता है। ये सब चीजें यहां पर बन रही हैं, मगर कम कीमत करने के लिए पांच मेगावट की एक दूसरी फैक्ट्री बनाना चाह रहे हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर इसको बनाया जाएगा। नेशनल सिलिकान फैसिलिटी हम देश में इस्टैबलिश करने जा रहे हैं। सिलिकान प्लेट लगाने के बाद हम उसका उपयोग करेंगे। दूसरा सवाल माननीय सदस्य का नयी टैक्नालाजी को लेने का है। हम देश में उस टैक्नालोजी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर हमें वह कहीं से मिलती है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भानु प्रताप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से अनुसंधान और विकास परिषद् टैक्नालोजी को डेवलप कर रही हैं, इसके कामर्शियल प्रोडक्शन के लिए एन० आर० डी० सी० संस्था द्वारा प्राप्त रिपोर्ट की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह रिपोर्ट जुलाई, 1983 की है, इसके पृष्ठ-73 पर "अर्थ-अगर", जो कि जमीन में छेद करने के लिए बनाया जाता है, के बारे में लिखा है कि उसकी लागत प्रति यूनिट 3 रु० है। मेरे विचार में यह कीमत कभी 15 साल पहले रही होगी, लेकिन आज के जमाने में किसी भी हालत में उसकी कीमत 100 रु० से कम नहीं होगी। इसका वजन भी ढाई या तीन किलो होता है। इसी प्रकार पृष्ठ 115 पर लिखा है—

"सोलर स्टिल सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से अच्छे किस्म का पानी प्राप्त करने के लिए

संस्थान द्वारा विकसित की गई प्रणाली है। यह प्रणाली सुदूर स्थानों पर स्थित पेट्रोल पंपों तथा प्रयोगशालाओं के लिए बहुत लाभप्रद है।"

एक 10×10 का मकान बनाकर और उसके ऊपर "रिफलैक्टर मिरर" रख कर सौर ऊर्जा के तापीय प्रयोग से इवेपोरेट करके डिस्टिल वाटर प्राप्त करते हैं। उसकी लागत भी आज के जमाने में किसी भी हालत में 5,000 रु० प्रति यूनिट से कम नहीं आती है, लेकिन उसमें लिखा है, 350 रु०। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी टैक्नालोजी हमारे विभिन्न रिसर्च इन्स्टीचूट डवेलप कर रहे हैं, उनको आधुनिक और आज के वर्तमान दामो के हिसाब से बनाया जाए, जिससे जो भी इन्डस्ट्रियल इन्टरप्रिन्योर्स लेना चाहे, उसको सही जानकारी हो तथा सही इस्तेमाल हो। इसके बारे में माननीय मन्त्री जी क्या कर रहे हैं या सरकार का क्या करने का इरादा है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जो बात सम्माननीय सभासद द्वारा बताई गई; है, उसमें कोई दो मत नहीं हैं। लेकिन जिसकी चर्चा वह कर रहे हैं, वह फोटो वालटेइक से अलग है। सूरज की किरणों का उपयोग हम तापीय ऊर्जा बनाने के लिए कर सकते हैं और विद्युत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। जो चर्चा उन्होंने की है वह ताप के सम्बन्ध में है, थर्मल एनर्जी के सम्बन्ध में है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी के सम्बन्ध में नहीं है।

एन० आर० डी० सी० ने अपनी किताब में लिखा है, उसकी जांच पड़ताल करके ही बतला सकता हूं। लेकिन जैसा वह उल्लेख कर रहे थे, वह फोटो-वोल्टेक कैटेगरी में नहीं आता है, दूसरी कैटेगरी में आता है।

वह चाहते थे कि कीमतें कम हों, यह सही बात है। हमारा प्रयास है कि कीमतें कम करें और इसके लिये बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन बढ़ाने जा रहे हैं, इसमें जो वस्तुयें उपयोग में आती हैं उनको बनाने के लिये यहां पर इण्डस्ट्री बना कर, उसमें जो कैमिकल्ज लगते हैं उनको बनाकर, सारी चीजों का उपयोग करके, इनकी कीमतें कम करके लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : यदि सौर ऊर्जा से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन संभव है तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी तथा भारत जैसे देश के लिए यह ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति साबित होगी। मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में समुचित अध्ययन किया गया है तथा क्या किसी देश ने भारी पैमाने पर सौर ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता हासिल की है; यदि हां तो तत्संबंधी लागत कितनी है? इसके अतिरिक्त, भारत में इसकी क्या संभावनाएं हैं? क्या भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे संबद्ध अध्ययन कार्य किया गया है तथा क्या इस स्रोत से ऊर्जा का भारी पैमाने पर उत्पादन करना संभव है, और यदि हां तो इसकी लागत क्या होगी तथा सरकार की क्या योजनाएं हैं और इस संबंध में क्या करने का प्रस्ताव है?

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं इस पर विस्तार से चर्चा

करूंगा। जहां तक इस प्रौद्योगिकी का सवाल है, विश्व में सभी देशों में इसका विकास नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में केवल दो देशों में बड़े प्रयास हुए हैं—एक अमेरिका में व दूसरा जापान में। ऐसे अन्य देश भी हैं जो इस क्षेत्र में कुछ प्रौद्योगिकीय विकास कर रहे हैं। परन्तु भारत में या विश्व के उन भागों में जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, सौर ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि विकसित विश्व तथा अन्य देशों के पास ऊर्जा के अन्य स्रोत हैं, उनका ध्यान इस ऊर्जा की ओर आकर्षित नहीं हुआ है, इसलिए विश्व के उन भागों में, जहां सूर्य का प्रकाश प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, समुचित प्रौद्योगिकी के विकास के प्रयास किए जाने हैं। भारत भी ऐसा ही देश है तथा हम इस तरह की प्रौद्योगिकी का विकास करने की ओर ध्यान दे रहे हैं।

निसंदेह आज, लागतवार सौर ऊर्जा की तुलना अन्य ऊर्जाओं से नहीं की जा सकती। लेकिन, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा है हमारी यह कोशिश है कि लागत कम की जाये। हम ऐसा कैसे करें? हम यह लक्ष्य एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी का विकास करके कर सकते हैं जो लागत कम करने में हमारी मदद करेगी, उपयुक्त सामग्री का विकास करके जिसका कम लागत पर उत्पादन किया जा सकता है, अन्य औजारों का विकास करके जो लागत कम करने में भी हमारी सहायता करेंगे। इन सभी चीजों को मिलाकर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्रौद्योगिकी की लागत उपकरणों आदि की लागत और कम की जाए।

अब हम इस दिशा में इस ढंग से कार्य करना चाहते हैं जिससे अन्य देशों पर निर्भर न रह कर स्वयं अपने आप पर निर्भर रहें, दूसरे देशों में जो कुछ हो रहा है उसका अनुकरण न करें बल्कि यदि संभव हुआ तो यह प्रौद्योगिकी विश्व के अन्य देशों को दें।

इसके अतिरिक्त, इस प्रौद्योगिकी का उपयोग हमारे देश के उन भागों में किया जाना है जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती। पहाड़ी इलाकों में घाटियों में, महासागर में जहां बिजली के तार आसानी से नहीं बिछाये जा सकते, वहां ऊर्जा के अन्य स्रोत प्रदान किए जाने हैं तथा ऐसे मामलों में लागत को प्रमुख कारण नहीं माना जा सकता। ऐसे इलाकों में इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है। हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं तथा हम इस प्रौद्योगिकी का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० कर्ण सिंह : यह संतोष की बात है कि सौर ऊर्जा की ओर कुछ ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसके अलावा हमारे देश में धूप बहुत अधिक सुलभ है, यह ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जो कि प्रदूषण से पूर्णतया मुक्त है जबकि ताप ऊर्जा प्रदूषण फैलाती है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह सौर प्रौद्योगिकी हेतु इन विशेष क्षेत्रों का कब विकास कर रहे हैं, तथा क्या लद्दाख जैसे स्थानों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां साल में केवल 3 इंच वर्षा होती है। वहां सारा साल धूप रहती है, और क्योंकि वहां हवा बहुत कम है इसलिए वहां बहुत तेज धूप पड़ती है। मुझे यह स्थान बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के विकास का आदर्श स्थान लगता है।

इस तरह अन्य इलाके भी होंगे। जैसलमेर मरुस्थल का इलाका भी ऐसा हो सकता है।

क्या इन विशेष शुष्क इलाकों, विशेषकर लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों की ओर सौर ऊर्जा के विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

श्री शिवराज पी० पाटिल : हमने पहले कुछ उपकरण लद्दाख क्षेत्र, बाड़मेर तथा राजस्थान के मरुस्थल इलाके में पहले ही भेज दिये हैं । वहां इन उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है । हम उपकरण कर लेने पर इन क्षेत्रों में इन उपकरणों को अधिक मात्रा में सुलभ करवा सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : फोटो वाल्टीय उपकरण···माननीय मंत्री जी, क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? यदि आप बुरा न मानें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं । क्या आप मेरी ओर ध्यान देंगे ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन फोटो वाल्टीय उपकरणों में जिनका वाणिज्यिक तौर पर उत्पादन किया जाना है, इनसे फोटो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाएगा, इसलिए, ऊर्जा का उपयोग उस वाल्टेज पर निर्भर करेगा जो कि इन उपकरणों में पैदा की जायेगी। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इस प्रकार के उपकरणों से, जिनका वाणिज्यिक आधार पर निर्माण किया जाना है, फोटो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने से कितनी वाल्टेज पैदा की जायेगी ? यदि वाल्टेज का पहले पता है, तो इसका किस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जायेगा ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यह बहुत ही तकनीकी सवाल है, मैं इस संबंध में जानकारी प्राप्त करके ही सूचना देना चाहूंगा । परन्तु माननीय सदस्य, जो कि भौतिकी के प्रोफैसर हैं, की सूचना के लिए, मैं यह बताना चाहूंगा कि फोटो वाल्टीय ऊर्जा का इस्तेमाल घर को गर्म करने के लिए, प्रशीतन उद्देश्यों के लिए, नलकूपों से पानी निकालने के लिए तथा छोटी मिलें चलाने के लिए भी किया जा सकता है ।

मुझे यह सूचना देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे वैज्ञानिकों ने एक ऐसी गाड़ी, एक रिक्शा विकसित किया है जिसे फोटो वाल्टीय ऊर्जा से चलाया जा सकता है । उन्होंने इसकी छत पर एक पैनल लगाया है तथा वह छत फोटो वाल्टीय ऊर्जा को मकेनिकल ऊर्जा में बदल देती है, जिसका रिक्शा चलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है । जहां तक वाल्टेज पैदा करने का संबंध है, मैं इस संबंध में माननीय सदस्य को बाद में जानकारी दूंगा ।

प्रो० मधु दण्डवते : इस वालटेज को सभा के पटल पर रखा जाए ।

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं इसे सभापटल तथा माननीय सदस्य के हाथ में रखूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : इन्हें बिजली से मत मारिये ।

श्री सी० पी० एन० सिंह : मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सभा को यह सूचित करें कि क्या सी० ई० एल० में प्रौद्योगिकी को अद्यतन कर लिया गया है। 1982 में, उन फोटो वाल्टीय सिलिकोन सैल्ज का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ था जिन्हें क्रम विन्यास में बनाया जाता है तथा तब इसकी मात्रा 50 कि० वा० था और 1984-85 में इसे 1 मेगावाट तक बढ़ाया जाना है। उस स्थिति में सी० ई० एल० में विकसित की गई प्रौद्योगिकी ऐसी प्रौद्योगिकी थी जो कि नयी थी। लेकिन आज जापान में इन सैलों को बदलने तथा बिजली उत्पन्न करने संबंधी अक्रिस्टलीय प्रौद्योगिकी अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक है तथा इस ऊर्जा का उत्पादन भी अधिक है। क्या माननीय मन्त्री इस सभा को तथा मुझे यह बतायेंगे कि क्या यह क्रिस्टलीय प्रौद्योगिकी, जिसका जापान सरकार इस्तेमाल करने के लिए राजी हो गई है, के बारे में सी० ई० एल० द्वारा बातचीत की जा रही है।

दूसरी बात, 1980 में एक कार्यक्रम था, एक ऐसा कार्यक्रम जिसके द्वारा भारत में, जिसमें लद्दाख भी शामिल है, बहुत से प्रशासनिक एकक स्थापित किए जाने थे। लेकिन लद्दाख के लिए सौर ऊर्जा ही नहीं थी। मैं कहूंगा कि वायु ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक प्रभावकारी होगी। लेकिन यह सब संबंधित मन्त्रालय पर निर्भर है। दिसम्बर, 1982 के बाद 1983 से मार्च, 1484 तक देश में कितने उपकरण लगाए गए हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारा उद्देश्य ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों, फोटो वाल्टीय ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायो गैस ऊर्जा का उपयोग करना है और देश में बिजली की मांग को पूरा करना हैं। यह सच है कि फोटो वाल्टीय प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। विश्व के कुछ देशों में मोनो क्राइस्टिल प्रौद्योगिकी, पोली क्राइस्टिल प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। जापान में एमोरफोउस प्रौद्योगिकी और रिबन प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जा रहा है। मुझे बताया गया कि क्राइस्टिल प्रौद्योगिकी तथा एमोरफोउस प्रौद्योगिकी अंतिम चरण में नहीं पहुंची है, इसका अभी विकास हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमारा यह प्रयास है कि क्राइस्टिल प्रौद्योगिकी, एमोरफोडस प्रौद्योगिकी और रिबन प्रौद्योगिकी का देश में विकास किया जाए। यदि यह दूसरे देशों से उपलब्ध हो तो हम इसे लेने में हिचकिचाहट नहीं दिखाएंगे। यह बात इसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है, यदि यह उपलब्ध नहीं है, तो हम इसका विदेशों से आने का इंतजाम नहीं करेंगे, हम इसे स्वयं विकसित करेंगे। जहां तक उपकरणों के निर्माण तथा उन्हें लद्दाख तथा अन्य क्षेत्रों में भेजने का संबंध है, मैं इस संबंध में आंकड़े माननीय सदस्य को दे दूंगा।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा कोस्टल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई

*895. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, विशाखापत्तनम, फिटकरी बनाने के

लिए कोस्टल कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सीधी पाइपलाइन के माध्यम से अपने उप-उत्पाद (सल्फ्यूरिक एसिड) की सप्लाई करता रहा;

(ख) यदि हां, तो ऐसी सप्लाई की शर्तें क्या हैं;

(ग) ऐसी सप्लाई की निर्धारित मात्रा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि कोस्टल कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड उप-उत्पाद को करार का उल्लंघन करके प्रगति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा अन्य को दे रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

खान विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण की सरकारी कंपनी हिन्दुस्तान जिंक लि० ने अपने विजाग जिंक स्मैल्टर से पाइपलाइन द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड की सप्लाई हेतु मै० कोस्टल कैमिकल्स प्राइवेट लि० के साथ अगस्त, 74 में एक दस वर्षीय करार किया है। करार की शर्तों के अनुसार भारतीय उर्वरक एसोसिएशन के मानक मूल्य निर्धारण सूत्र के आधार पर प्रतिवर्ष 10,000 मी० टन सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई करना है, परन्तु वास्तविक सप्लाई हिन्दुस्तान जिंक लि० के पास सल्फ्यूरिक एसिड की उपलब्धि से जुड़ी हुई है ।

2. सरकार को यह जानकारी नहीं है कि हिन्दुस्तान जिंक लि० और मै० कोस्टल कैमिकल्स प्राइवेट लि० के बीच हुए करार के उल्लंघन में सल्फ्यूरिक एसिड मैसर्स प्रगति फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, विजाग एवं अन्य को बेचा जा रहा है । किन्तु यह भी गौर करने योग्य है कि मै० कोस्टल कैमिकल्स प्राइवेट लि० और मै० प्रगति फर्टिलाइजर्स लि० एक ही ग्रुप से सम्बन्धित हैं । फिर, मै० प्रगति फर्टिलाइजर्स लि० सालाना करार पर हिन्दुस्तान जिं० लिक से सीधे ही सल्फ्यूरिक एसिड खरीद रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड की पूर्ति हेतु इस समय हिन्दुस्तान जिंक लि० का इस कम्पनी के साथ कोई दीर्घकालीन करार नहीं है ।

श्री के० ए० स्वामी : इसे सप्लाई करने की शर्तें क्या हैं तथा पाइपलाइन द्वारा उन्होंने वर्ष-वार कितनी मात्रा ली है ? क्या उनके पास इसके द्वारा जिंक फैक्टरी, अन्य एकक फैक्टरी तथा अन्य सहयोगी उर्वरक कारखाने तक सीधी पाइपलाइन बिछाने का लाइसेंस है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : कोस्टल कैमिकल्ज प्रा० लि० को सप्लाई किये गए सल्फ्यूरिक

ऐसिड की मात्रा इस प्रकार है। 1981 में, हमने 8745 मीट्रिक टन एसिड सप्लाई किया; 1982-83 में, हमने 8508 मीट्रिक टन सप्लाई किया, 1983-84 में, हमने 8028 मीट्रिक टन तथा एक अन्य एलम संयंत्र के लिए खुली निविदा के अन्तर्गत 1,108 मीट्रिक टन सल्फ्यूरिक एसिड सप्लाई किया। उनको एसिड सप्लाई करने संबंधी शर्तों का संबंध है। सल्फ्यूरिक एसिड एक उप-उत्पाद है और प्रारम्भ में हिंदुस्तान जिंक लि० इस उप-उत्पाद को बेचने में कठिनाई महसूस कर रहा था। इसलिए, हिंदुस्तान जिंक लि० ने कोस्टल कैमिकल्ज के साथ एक करार किया। इस करार के अंतर्गत, हमें कोस्टल कैमिकल्ज प्रा० लि० को 10,000 मीट्रिक टन की सप्लाई करनी थी।

जहां तक देने का लाइसेंस का संबंध है, इसे किसी अन्य पार्टी को सप्लाई करने के लिए वस्तुतः लाइसेंस देना जरूरी नहीं है। परन्तु, करार के अन्तर्गत, कोस्टल प्रा० लि० को हिन्दुस्तान जिंक लि० द्वारा सप्लाई किए गए सल्फ्यूरिक एसिड को किसी अन्य कम्पनी को देने की अनुमति नहीं है। यदि माननीय सदस्य के पास सल्फ्यूरिक एसिड को किसी अन्य फर्म को देने या हस्तांतरण करने संबंधी कोई विशिष्ट शिकायत या उनके पास कोई सूचना है, और वे इसे हमारे ध्यान में लायें तो हम अवश्य इस मामले की जांच करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए समन्वय

*881. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए नये उद्योग लगाने हेतु लाइसेंस देने के सम्बन्ध में केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार तथा रेल और परिवहन मंत्रालयों के बीच किस प्रकार समन्वय रखा जाता है?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : उद्योगों के लिए लाइसेंस सम्बन्धी आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में प्राप्त होते हैं। इन आवेदनों की प्रतियां अलग-अलग स्वीकृति समिति द्वारा इन पर विचार किए जाने से पूर्व संबंधित केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों में परिचालित की जाती हैं। इन समितियों द्वारा लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए की गई सिफारिशों पर केन्द्र सरकार द्वारा बाद में विचार किया जाता है।

राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता है और वे ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण लाइसेंस समिति द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए कह सकती हैं, जिनमें सभी राज्य सरकारों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

सम्पूर्ण लाइसेंस समिति सहित स्वीकृति समितियां औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने सम्बन्धी मामले में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के विचारों का समन्वय करती है और उनका संकलन करती हैं।

लाइसेंस स्वीकृत करने में पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

विदेशी कम्पनियों द्वारा इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना

*885. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **प्रधान मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विदेशी कंपनयों ने वर्ष 1983-84 के दौरान इलेक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन कंपनियों और उन उद्योगों के नाम क्या हैं; जिनके लिए लाइसेंस जारी कर दिए गये हैं; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये उद्योग स्थापित किए जाएंगे और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग) वर्ष 1983-84 के दौरान इलेक्ट्रानिकी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए किसी भी विदेशी कंपनी ने लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। तथापि, विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) सहभागिता वाली जिन पार्टियों ने वर्ष 1983-84 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, उनके नाम संलग्न विवरण I में दिए गए हैं। विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) सहभागिता वाली जिन पार्टियों को वर्ष 1983-84 दौरान आशय-पत्र जारी किए गए हैं, उनके ब्यौरे संलग्न विवरण II में दिए गए हैं।

विवरण-I

उन विदेशी साम्यापूंजी (इक्विटी) सहभागिता वाली कंपनियों की सूची जिन्होंने 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1984 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन दिया

क्रम सं०	कंपनियों के नाम
1	2
1.	मै० अम्फेट्रॉनिक्स लि० पूणे।
2.	मै० बौरोसिल ग्लास वर्क्स, नई दिल्ली

1	2
	3. मैं० इलप्रो इन्टरनेशनल लि०, पूणे
	4. मैं० ओ०/ई०/एन० इण्डिया लि०, कोचिन
	5. मैं० यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक लि०, कलकत्ता
	6. मैं० आई० सी० आई० एम० लि०, पूणे
	7. मैं० ओ० ई० एन० माइक्रो सिस्टम्स लि०, कोचिन
	8. मैं० गैस्ट कीन विलियम्स लि०, कलकत्ता
	9. मैं० ग्रामोफोन कं० आफ इण्डिया, कलकत्ता
	10. मैं० लार्सेन एण्ड टूबरो लि०, बंबई
	11. मैं० मशीनरी मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन, कलकत्ता
	12. मैं० टेक्नोलेबोरेट्रीज, कलकत्ता
	13. मैं० अडवाणी ओरलिकोन लि०, पूणे
	14. श्री सी० पी० कृष्णामूर्ति, सिकन्द्राबाद
	15. मैं० डेल्टा हेमलीन लि०, नई दिल्ली
	16. मैं० जनरल इलेक्ट्रिक कं० लि०, कलकत्ता
	17. मैं० जे० के० इलेक्ट्रोनिक्स, कानपुर
	18. मैं० सदर्न पेट्रोकेमिकल इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन, मद्रास
	19. मैं० पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बंबई
	20. श्री ए० एल० प्रसाद, हैदराबाद
	21. मैं० गुजरात इन्स्ट्रूमेंट्स, अहमदाबाद
	22. मैं० क्राम्प्टन ग्रीव्ज लि०, बंबई

1	2
23.	मै० जेनसन एण्ड निकलसन (इण्डिया) लि०, कलकत्ता
24.	मै० मर्फी इंडिया लि०, बंबई
25.	मै० मोरिस इलेक्ट्रानिक्स लि०, पूना
26.	मै० नेल्को, बंबई
27.	मै० रेरोला बर्न लि०, हावड़ा
28.	मै० स्टोसी स्क्रीन्स इण्डिया लि०, बंबई
29.	मै० सेमटेल इण्डिया लि०, गाजियाबाद
30.	मै० वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स कंपोनेंट्स प्रा० लि०, नई दिल्ली
31.	मै० मैकमिलन इण्डिया लि०, मद्रास

विवरण-II

विदेशी साम्यापूंजी सहभागिता वाली कम्पनियों की सूची, जिन्हें 1-4-1983 से 31-3-1984 के दौरान आशय-पत्र जारी किए

क्रम सं०	पार्टी का नाम	वस्तु का नाम	विदेशी साम्यापूंजी	स्थान	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	मैसर्स बोरोसिल ग्लास वर्क्स नई दिल्ली	श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबें	39.54%	महाराष्ट्र के श्रेणी "ग" या "ख" क्षेत्र में	आ० प० : 184 (84) दिनांक 9-3-84
2.	मै० एल्प्रो इन्टरनेशनल लि० पूना।	ओरिएन्टेड सिरेमिक चुम्बकें	40%	हवेली जिला पुणे	आ० प० : 180 (84) दिनांक 9-3-84
3.	मै० ओ०/ई०/एन० इण्डिया लि०, कोचिन	सर्मेट विभवमापी (पोटेन्शियोमीटर)	45%	कोचिन	आ० प० : 126 (83) दिनांक 21-2-83
4.	मै० यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक्स लि०, कलकत्ता	इकहरी तथा दुतरफा मुद्रित परिपथ बोर्ड	29%	फरीदाबाद	आ० प० : 931 (83) दिनांक 27-12-83
5.	मै० आई० सी० आई० एम० लि०, पुणे	लघु कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां	40%	पुणे	आ० प० : 1037 (83) दिनांक 31-12-83

1	2	3	4	5	6
6.	मै० ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया, कलकत्ता	श्रव्य चुम्बकीय टेपें	40%	24, परगना पश्चिम बंगाल	आ० प० : 848 (83) दिनांक 29-12-83
7.	मै० लार्सन एण्ड टूबरो लि०, बंबई	विंचेस्टर डिस्क प्रणोद (ड्राइवें)	10%	मैसूर कर्नाटक	आ० प० : 804 (83) दिनांक 1-12-83
8.	मै० पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लि०, बम्बई	कम्प्यूटर उपान्त-उपस्कर	39.7%	बंगलौर	आ० प० : 221 (84) दिनांक 23-3-84
9.	मै० मोरिस इलेक्ट्रानिक्स लि०, पूना	1. हार्ड फेराइट 2. साफ्ट फेराइट	40%	तहसील होसुरी जिला पूना	आ० प० : 715 (83) दिनांक 1-11-83
10	मै० स्टोर्सी स्क्रीन्स इण्डिया लि०, बम्बई	मुद्रित परिपथ बोर्ड	40%	गांधी नगर	आ० प० : 639 (83) दिनांक 27-9-83
11.	मै० सेमटेल इण्डिया लि०, गाजियाबाद	श्याम तथा श्वेत पिक्चर ट्यूबें	10%	अलवर	आ० प० : 873 (83) दिनांक 20-12-83
12.	मै० वेस्टन इलेक्ट्रानिक्स कम्पोनेंट्स (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	वीडियो चुम्बकीय टेप	10.75%	रिवाड़ी	आ० प० : 1000 (83) दिनांक 31-12-83

दिल्ली में जाली चिन्हों (मार्किंग्स) वाली वस्तुओं की बिक्री

*889. **श्री ईरा मोहन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के उन व्यवसायियों और व्यापारियों को दंड देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो प्रतिष्ठित भारतीय कम्पनियों के नामों का दुरुपयोग करने के अतिरिक्त वस्तुओं पर "मेड इन यू एस ए", "मेड इन जर्मनी", "मेड इन जापान" चिट लगा कर जनता को ठगते हैं;

(ख) क्या दिल्ली पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर इस प्रकार की धोखाधड़ी के संबंध में युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गई है क्योंकि ये वस्तुएं दिल्ली विकास प्राधिकरण के बाजारों की वातानुकूलित दुकानों के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों और पटरियों पर भी बेची जाती हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) व्यापार और विपणन चिन्ह अधिनियम, 1958 के अधीन जाली ट्रेड मार्क प्रयोग करना गैर-संज्ञेय अपराध है। ट्रेड मार्क के स्वामी को न्यायालय में शिकायत दर्ज करानी होगी और न्यायालय दंड प्रक्रिया की धारा 93 के अधीन परिसरों की तलाशी लेने और जाली वस्तुओं को बरामद करने का आदेश दे सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 93 के अधीन न्यायालय द्वारा जारी किए गए वारन्टों के निष्पादन हेतु दिल्ली पुलिस के अब तक 1981 में 8 परिसरों, 1982 में 11 परिसरों, 1983 में 43 परिसरों और 1984 में 5 परिसरों पर छापे मारे।

करोल बाग में डकैती के मामले में सम्पादक को नोटिस दिया जाना

*890. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करोल बाग क्षेत्र में हुई डकैती के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस की ओर से पंजाब केसरी के सम्पादक को नोटिस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उपरोक्त सम्पादक को नोटिस दिए जाने के बाद सरकार द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या) : (क) और (ख) 26 नवम्बर, 1983 को करोल बाग में जेवरात की एक दुकान में डकैती डाली गई थी और अपराधी बचकर भाग गए थे। हिन्दी दैनिक, पंजाब केसरी के 16 और 17 दिसम्बर, 1983 के अंक में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि दिल्ली पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके और लूटी गई सम्पत्ति को बरामद करके डकैती के मामले को सुलझा लिया है और यह सूचना रोक ली गई थी क्योंकि अभियुक्त दिल्ली सशस्त्र पुलिस के सेवारत कार्मिक थे। चूंकि यह सूचना पुलिस अधिकारियों को ज्ञात तथ्यों पर आधारित नहीं थी इसलिए इस मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की सहायता करने और अन्तर्ग्रस्त पुलिस कार्मिकों के नाम बताने के लिए सम्पादक की दं० प्र० सं० की धारा 160 के अधीन आवश्यकता थी।

(ग) और (घ) दिल्ली पुलिस ने समाचार पत्र की रिपोर्ट का खंडन किया और यह खंडन समाचार पत्र के 18 दिसम्बर, 1983 के अंक में प्रकाशित हुआ। समाचार पत्र के 10 जनवरी, 1984 के अंक में 16 और 17 दिसम्बर, 1983 के अंकों में प्रकाशित समाचार के लिए एक क्षमा-याचना भी प्रकाशित हुई। इस बीच 2 जनवरी, 1984 को एक अभियुक्त व्यक्ति पकड़ा गया और इसलिए समाचार पत्र के सम्पादक के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

जेलों में अपराधियों की श्रेणी के वर्गीकरण के लिए अपनाए जाने वाले मानदंड

*892. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेलों में बलात्कारों, तस्करों, खतरनाक अपराधियों, डकैतों, राजनीतिक बंदियों आदि के संबंध में विचाराधीन अवधि में उनको श्रेणी के नियत किये जाने के बारे में क्या मानदंड नियम और विनियम प्रक्रिया परिपाटियां अपनाई जाती हैं;

(ख) क्या सभी स्नातकों को, भले ही उन पर किसी भी अपराध का आरोप हो, जेल में "ख" श्रेणी दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामदुलारी सिन्हा) : (क) "जेल" राज्य का विषय होने के कारण कैदियों के भिन्न-भिन्न श्रेणियों के वर्गीकरण के लिए विभिन्न राज्यों के अपने-अपने नियम हैं, जैसा कि उनके अपने जेल मैनुअलों में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, श्रीमान्। सामान्यतः कैदियों के वर्गीकरण के लिए शिक्षा एक मानदंड है।

नमक का उत्पादन और निर्यात

*893. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में नमक का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में नमक की कुल आवश्यकता कितनी है;

(ग) 1980-81 से 1982-83 की अवधि के दौरान नमक का यदि कोई निर्यात किया गया, तो कितना;

(घ) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल में "कन्टाई समुद्री पट्टी" में नमक के उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1980-81 से वर्ष 1983-84 के दौरान देश में नमक का कुल उत्पादन निम्न प्रकार हुआ था :

1980-81	—	84.09 लाख मी० टन
1981-82	—	83.41 लाख मी० टन
1982-83	—	78.23 लाख मी० टन
1983-84 (फरवरी, 1984 तक)	—	61.62 लाख मी० टन

(ख) वर्ष 1984 के लिए लगभग 85 लाख मी० टन ।

(ग) वर्ष 1980-81 से वर्ष 1982-83 में निर्यात किए गए नमक की मात्रा निम्नलिखित है :

1980-81	—	1,05,232 मी० टन
1981-82	—	2,36,843 मी० टन
1982-83	—	3,27,328 मी० टन

(घ) और (ङ) सरकार ने वर्ष 1978 में मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर से मिदनापुर जिले में कोन्तई समुद्री तट पर एक बड़ी नमक निर्माणशाला स्थापित करने के लिए कहा था और इस प्रयोजन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि दी जानी थी । चूंकि, मैसर्स कालिन्दी डेरा यूनाइटेड साल्ट कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड तथा अन्य द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह याचना करते हुए एक रिट याचिका दायर कर दी गई थी कि इस भूमि को

याचिका देने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को न देने का निदेश दे दिया जाए, अत: इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने यथा-पूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए फरवरी, 1979 में अन्तरिम आदेश दे दिए थे और 7-3-1979 को याचिका पर सुनवाई हो जाने के बाद, अन्तरिम आदेश की अवधि प्रादेश याचिका के निबटा दिये जाने तक बढ़ा दी थी। उच्च न्यायालय में रिट याचिका अभी लम्बित है।

रिफ्रैक्टरी यूनिट, बर्न स्टैंडर्ड का भारत रिफ्रैक्टरीस लि० के साथ विलय

*896. **श्री अजित बाग** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने रिफ्रैक्टरी यूनिट, बर्न स्टैंडर्ड एण्ड कम्पनी का भारत रिफ्रैक्टरी के साथ विलय करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त सिफारिशों को कार्यान्वित करने में विलम्ब होनें के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि सिफारिशें स्वीकार नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकारी उद्यमों संबंधी विशेषज्ञ समिति ने एक पृथक सहायक कम्पनी के बनाये जाने की थी जिसमें बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड रिफ्रैक्ट्री एकक होंगे या इस्पात विभाग के अधीन एक सरकारी उद्यम, भारत रिफ्रैक्ट्रीज के साथ उनका विलय कर दिया जाये।

(ख) से (घ) इन सिफारिशों पर निर्णय लेने के विचार से समय-समय पर अन्तर मन्त्रालय विचार-विमर्श होते रहे हैं और विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया गया है। इन रिफैक्ट्री एककों के हस्तांतरण के प्रश्न तथा इन्हें किस उद्यम के साथ मिलाया जाये एवं कौन से उपाय किये जायें जिससे इनके कार्य में सुधार हो सके, का अध्ययन इस उद्देश्य के लिए इस्पात विभाग द्वारा गठित एक विशेष दल कर रहा है।

छपाई वाले सफेद कागज की मांग और उत्पादन

*898. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कितनी मात्रा में छपाई वाले सफेद कागज का उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या उत्पादन मांग की तुलना में कम है; और

(ग) रानीगंज, पश्चिम बंगाल में बल्लभगढ़ कागज मिलों के बन्द होने से छपाई वाले सफेद कागज के उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 30 लाख मी० टन लिखाई व छपाई के कागज का उत्पादन होने का अनुभव है। छठी योजना के लिए योजना आयोग के प्राक्कलनों के अनुसार उत्पादन तकरीबन मांग के बराबर ही होगा।

(ग) बंगाल पेपर मिल्स, रानीगंज, पश्चिम बंगाल के बन्द हो जाने के कारण लिखाई और छपाई के कागज का उत्पादन प्रतिवर्ष 15,000 मी० टन से 20,000 मी० टन तक प्रभावित हुआ है।

स्थानीय स्तर पर योजना तैयार करना

*899. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने राज्यों को यह सलाह दी है कि आगे से योजनाओं को मूल रूप से स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक इस संबंध में कार्यवाही की है और इस मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जून, 1982 में, योजना आयोग ने सभी राज्य सरकारों को एक पत्र लिखा था जिसमें योजना के विकेन्द्रीकरण और निर्णय करने की प्रक्रिया के रूप में जिला योजना के महत्व और संभाव्यताओं तथा स्थानीय स्तर की आवश्यकताओं पर आधारित वास्तविक कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में जिला योजना के संबंध में प्रयोग चल रहे हैं। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने भी 1984-85 से इस प्रकार के प्रयत्न आरम्भ किए हैं। अधिकांश राज्यों ने पहले ही अनेक जिला स्तरीय निकाय स्थापित किए हैं जिन्हें जिला योजना बोर्ड/समितियां, जिला योजना तथा विकास परिषदें, जिला विकास बोर्ड/समितियां/परिषदें आदि कहा जाता है। फिर भी अनेक राज्यों में जिला स्तर पर योजना को अभी कार्यरूप दिया जाना है।

रानीगंज ग्रुप के रिफ्रैक्टरी और सिरामिक एककों का आधुनिकीकरण

*900. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में, पश्चिम बंगाल में रानीगंज ग्रुप के रिफ्रैक्टरी और सिरामिक एककों को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित कर लिया जाएगा; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) बर्न स्टैंडर्ड कं० लि० के स्वामित्व में रानीगंज समूह के लालकोटी सिलिका वर्क्स और दुर्गापुर रिफैक्टरीज संयंत्र का आधुनिकीकरण करने की एक योजना अक्तूबर, 1982 में स्वीकृत की गई थी।

(ख) और (ग) कंपनी के अनुमानों के अनुसार लालकोटी वर्क्स की आधुनिकीकरण योजना अक्तूबर, 1984 तक पूरी हो जाने की आशा है; जबकि उन्होंने दुर्गापुर रिफ्रैक्टरीज संयंत्र का आधुनिकीकरण कर सकना संभव नहीं समझा है। कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण उपकरणों के मिलने में अधिक समय लग जाने के कारण कार्यान्वयन में विलम्ब हो गया है।

आदिम जातियों के लिए पृथक राज्य/संघ शासित क्षेत्र

*902. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी आदिम जाति संगठन से आदिम जातियों के लिए एक पृथक राज्य अथवा एक पृथक संघ शासित क्षेत्र बनाने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) कुछ राज्यों की आदिवासी जनसंख्या और अन्य पिछड़े समुदायों की ओर से उनके द्वारा आबाद क्षेत्रों को अलग राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र बनाने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ऐसी मांगें यह मानकर की जाती हैं कि संबंधित राज्य सरकारें उनकी विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही हैं।

सरकार का विचार है कि नियोजन द्वारा ही आर्थिक विकास संबंधी अन्तर्राज्यीय क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सकता है और अलग राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र बनाने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

रंगीन टी० वी० के लिए स्वदेशी जानकारी

*903. **श्री मूल चन्द डागा** :
श्री छीतू भाई गामित :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने रंगीन टी० वी० के लिए स्वदेशी जानकारी का विकास किया था जिसका वाणिज्यिक उपयोग हो सकता था, यदि हां, तो उसका वाणिज्यिक उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या रंगीन टी० वी० के आयात को मंजूरी दी गई थी;

(ग) रंगीन टी० वी० के लिए स्वदेशी जानकारी के विकास पर कितना समय लगाया गया था और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी; और

(घ) हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के हित में इस बारे में भविष्य में क्या नीति अपनायी जायेगी ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् ने रंगीन दूरदर्शन के लिए स्वदेशी तकनीकी जानकारी का विकास किया है। इस तकनीकी जानकारी को मैसर्स केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड के एक प्रदर्शन-संयंत्र के माध्यम से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन में परिवर्तित किया जा रहा है।

(ख) रंगीन दूरदर्शन के सामान्य वाणिज्यिक आयात की अनुमति दे दी गई है। तथापि, एशियाड 1982 के दौरान रंगीन दूरदर्शन सेटों की मांग को पूरा करने के लिए एक विशेष उपहार योजना लागू की गई थी। व्यक्तिगत आसबाब योजना के अन्तर्गत भी रंगीन दूरदर्शन के आयात की अनुमति दी जाती है।

(ग) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान ने लगभग 3½ वर्षों में रंगीन दूरदर्शन का विकास करने के लिए लगभग 20 लाख रु० व्यय किया है।

(घ) रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए औद्योगिक एवं लाइसेंसिंग नीति के अनुसार, विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं दी जाती है। अपवादस्वरूप प्रत्येक मामले की गुण दोष के आधार पर ही इसकी अनुमति दी जाती है।

टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिक वाहनों के मूल्य में वृद्धि

*904. **श्री भीम सिंह :**
श्री मनोहरलाल सैनी :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाटा इंजीनिरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड ने अपने द्वारा बनाये जाने वाले वाणिज्यिक वाहनों के मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड ने 5 अप्रैल, 1984 से ट्रक चेसिस का मूल्य बढ़ाकर 1,45,900 रु० कर दिया है जो 10 अप्रैल, 1981 को 1,33,437 रुपये था। इस मूल्य वृद्धि में टायरों, बैटरियों आदि की कीमत में वृद्धि शामिल है।

निर्माताओं के साथ नियमित रूप से बातचीत करके पिछले तीन वर्षों से मोटरगाड़ियों के मूल्यों को स्थिर रखना सम्भव हुआ है। टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड ने बताया है कि उत्पादकता आदि में सुधार होने के बावजूद निवेश की लागत में वृद्धि होने के कारण गाड़ियों के मूल्यों में कुछ वृद्धि करना जरूरी हो गया है। मोटरगाड़ियों के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार का प्रयास जारी रहेगा।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के समाज कल्याण द्वारा किया गया व्यय

9416. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स द्वारा गठित समाज कल्याण बोर्ड ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितना व्यय किया;

(ख) क्या दिल्ली में 'कला मिलन' के नाम से एक सांस्कृतिक संस्था के आयोजन पर 'भल' द्वारा प्रति वर्ष लाखों रुपये खर्च कर दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आयोजित किये गये ऐसे प्रत्येक समारोह पर कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के समाज कल्याण बोर्ड का गठन अक्तूबर, 1982 में हुआ था। 1982-83 में बोर्ड द्वारा किये गये खर्चे 5600 रुपये के थे। 1983-84 में कोई भी खर्चा नहीं हुआ।

(ख) और (ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विभिन्न यूनिटों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

दिल्ली में एक सांविधिक यातायात सलाहकार समिति का गठन

9417. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजधानी में अव्यवस्थित नगर परिवहन की जानकारी है, जैसा कि राजधानी में घातक सड़क दुर्घटनाओं से पता चलता है;

(ख) क्या यह सच है कि यातायात पुलिस ने पूर्ववर्ती योजनाओं में अवरोध उत्पन्न करके अव्यवस्था फैला दी है, जैसाकि कनाट प्लेस के मामले में है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि यातायात पुलिस यहां के निवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान दिये बिना ही ईंट, रोड़ी, सीमेंट के मसाले और पाइपों के ढांचे बनाकर और सड़क का विभाजन कर नगर की समस्याओं में वृद्धि कर रही है; और

(घ) क्या सरकार दिल्ली के प्रत्येक पुलिस जिले के लिए और एक केन्द्रीय सांविधिक यातायात सलाहकार समिति का गठन करेगी जिसमें दिल्ली के नागरिकों को प्रभावशाली और उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगी कि इनकी महीने में एक बैठक हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) दिल्ली में वर्ष 1983 में 1091 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई जबकि 1982 में 1171 घातक सड़क दुर्घटनाएं हुई।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि यातायात पुलिस ने अवरोध उत्पन्न किया है। कनाट प्लेस के लिए यातातात परिक्रमा योजना का डिजाइन केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था द्वारा 1972 में तैयार की गई थी। इसे कार्यान्वित किया गया है और यह संतोषजनक ढंग से चल रही है।

(ग) सड़क विभाजकों की व्यवस्था की गई है ताकि सुचारू यातायात तथा सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(घ) दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यातायात परिवहन समिति पहले से है और इसकी समय-समय पर बैठक होती है। इस समिति में स्थानीय निकायों, लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, टाउन तथा कंटरी प्लानिंग, कन्टोनमेंट बोर्ड, दिल्ली विद्युत आपूर्ति उपक्रम, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, दिल्ली परिवहन निगम, टेलीफोन्स, रेलवे, पुलिस और आम लोगों का प्रतिनिधित्व होता है।

दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विभाग की मोटर गाड़ियों की मरम्मत

9418. **श्री छांगुर राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन वर्कशापों की संख्या कितनी है जहां दिल्ली पुलिस के सुरक्षा विभाग की मोटर गाड़ियों की मरम्मत की जाती है;

(क) उन वर्कशापों का ब्यौरा क्या है जिनके बिल फरवरी, 1984 तक अदायगी के लिए लंबित पड़े थे और ये किस महीने और कितनी धनराशि के हैं; और

(ग) उनकी अदायगी अब तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) मोटर गाड़ियों की मरम्मत लगभग 65 विभिन्न वर्कशापों में की जाती है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं के कारण कभी-कभी विलम्ब हो जाता है। बिलों के जल्दी निपटान किए जाने की संभावना है।

विवरण

लम्बित बिलों की सूची

फर्म का नाम	लम्बित बिलों की संख्या	बिलों की संख्या माह-वार		धनराशि रु० पैसे
1	2	3	4	5
मनमोहन सर्विस स्टेशन कनॉट प्लेस नई दिल्ली	16	जनवरी-84	9	240-00
		फरवरी-84	7	
कृष्णा आटो इंडस्ट्रीज कश्मीरी गेट, दिल्ली	4	जनवरी-84	3	730-00
		फरवरी-84	1	
आटो होम कश्मीरी गेट दिल्ली	26	जनवरी-84	12	1568-80
		फरवरी-84	14	
रघु आटो एक्सेसरीज कोटला मुबारकपुर दिल्ली	19	जनवरी-84	9	3397-25
		फरवरी-84	10	

1	2	3	4	5
प्रेमनाथ मोटर्स दिल्ली	2	फरवरी-84	2	37-50
भुटानी आटो टायर ट्रेडर्स कश्मीरी गेट दिल्ली	1	फरवरी-84	1	12-00
एबीसी आटो बिजनिस सेन्टर दिल्ली	9	जनवरी-84 फरवरी-84	4 5	539-65
स्वरूप मोटर्स, करोलबाग, दिल्ली	5	जनवरी-84 फरवरी-84	3 2	1822-00
एवरेस्ट मोटर्स कश्मीरी गेट दिल्ली	18	जनवरी-84 फरवरी-94	9 9	1026-85
हेमला आटो वर्क्स, कश्मीरी गेट दिल्ली	2	फरवरी-84	2	55-00
पुष्प मोटर्स कश्मीरी गेट दिल्ली	1	फरवरी-84	1	22-00
सफदरजंग सर्विस स्टेशन नई दिल्ली	2	फरवरी-84	2	105-00
केवल आटो इलैक्ट्रिक कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली	6	जनवरी-84 फरवरी-84	3 3	934-00
अशोक आटो लाइन्स कश्मीरी गेट दिल्ली	14	जनवरी-84 फरवरी-84	8 6	3539-01
कैपीटल गेराज मीर दर्द रोड नई दिल्ली	4	फरवरी-84	4	1307-25
पंजाब टायर सेन्टर दिल्ली	1	फरवरी-84	1	225-00
भाटिया बन्धु कृष्णा नगर दिल्ली	1	फरवरी-84	1	25-00

1	2	3	4	5
वर्मा इलैक्ट्रिकल करौल बाग	1	फरवरी-84	1	25-00
गंभीर आटो ट्रेडर्स कश्मीरी गेट दिल्ली	1	फरवरी-84	1	137-50
		जोड़ रुपये		15,748-11

दिल्ली पुलिस द्वारा दहेज के शिकार हुए व्यक्तियों के मामले दर्ज करना

9419. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "दिल्ली रिकार्डर" (फरवरी, 1984 पृष्ठ 36) पर "अबेटिंग जस्टिस" शीर्षक से प्रकाशित श्री ए० मित्रा के लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें दिल्ली में दहेज के 7 मामलों का उल्लेख किया गया है;

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने पुलिस से चार सप्ताह के अन्दर यह कारण बताने के लिए कहा है कि इन मामलों को दर्ज न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या पुलिस अधिकारियों ने तत्संगत सूचना/स्पष्टीकरण दे दिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) दिल्ली के पुलिस आयुक्त द्वारा भारत के उच्चतम न्यायालय में 9 फरवरी, 1984 को एक प्रतिशपथपत्र दायर किया गया है ।

दिल्ली पुलिस के ई० डी० पी० सैल में की पंच आपरेटरों की पदोन्नति

9420. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस के ई० डी० पी० सैल में कानसोल आपरेटर और प्रोग्रामर्स को क्रमशः निरीक्षक और सहायक आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसी सैल में लम्बे अर्से से कार्यरत "की पंच आपरेटरों" को अब तक ऐसी कोई पदोन्नति नहीं दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सैल में जिनकी पंच आपरेटरों की पदोन्नति रुकी हुई है उन्हें पदोन्नति देने के लिए सरकार का विचार क्या उपचारात्मक उपाय करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) एक ई० डी० पी० कार्यक्रम सहायक/कांसोल ओपरेटर को सहायक पुलिस आयुक्त (प्रोग्रामर) के रूप में पदोन्नत किया गया है। उसकी पदोन्नति के बाद ई० डी० पी० कार्यक्रम सहायक/कान्सोल आपरेटर के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया है।

(ख) चार की पंचिंग/वेरीफाइंग आपरेटर जो ई० डी० पी० सैल में कार्य कर रहे हैं, वे भर्ती नियमों के अनुसार प्रोग्रामर अथवा कार्यक्रम सहायक/कान्सोल ओपरेटर के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र नहीं हैं।

(ग) उप निरीक्षक (कार्यकारी) के दो पदों को मशीन रूप प्रोग्रामर के पदों में परिवर्तित किया गया है। इन पदों के लिए भर्ती नियम बनाते समय यह विचार किया जाएगा कि क्या की पंचिंग और वेरीफाइंग आपरेटर पदोन्नति के लिए पात्र हो सकते हैं।

खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 में संशोधन

9421. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "ईकोलोजिकल-चेंजड्यूटू माइनिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खान विभाग ने खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन करने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के संशोधन की सिफारिश की गई है और प्रस्तावित संशोधन के लिए क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम 1957 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने के अनेक प्रस्ताव विचाराधीन हैं ताकि पर्यावरण और परिवेश पर खान

कार्यों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाव के लिए सरकार आगे रोकथाम और सुधार के उपाय करने में समर्थ हो सके और पर्यावरण व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाते हुए खनन कार्यों का विकास कर सके। इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 बन जाने से वनों की रक्षा करने में सहायता मिली है।

आदिवासी संस्कृति का संरक्षण

9422. **श्री पीयूष तिरकी : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान हैदराबाद से प्रकाशित 16 फरवरी, 1984 के दैनिक "न्यूजटाइम" में "ट्राइबल कल्चर नाट प्रोटेक्टेड" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के आदिवासी क्षेत्रों के तेजी से औद्योगिकीकरण से आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन पद्धति नष्ट होती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो आदिवासी संस्कृति की तेजी से हो रहे औद्योगिकीकरण से उत्पन्न खतरे से रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) औद्योगिकीकरण सहित आधुनिकीकरण के संदर्भ में सरकार की नीति आदिवासी संस्कृति और आदिवासी जीवन पद्धति का परिरक्षण करने की है।

महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में ज्ञापन

9423. **श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदर्भ विकास मंडल संघर्ष समिति द्वारा 15 मार्च, 1984 को प्रस्तुत किए गए एक विज्ञापन के अनुसार महाराष्ट्र के उस क्षेत्र में उद्योगों के विकास की गति बहुत धीमी है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल कितने मामलों में डी० जी० टी० डी० द्वारा विदर्भ क्षेत्र में एककों के लिए आशय पत्र सहित औद्योगिक लाइसेंस का पंजीकरण मंजूर किया गया; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में ठीक-ठीक स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) वर्ष 1979 से 1983 की अवधि में, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में, जिसमें अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाना, चन्दरपुर, घाडचोरोली, नागपुर, यवतमाल तथा वर्धा जिले शामिल हैं। एककों की स्थापना करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में कुल 116 योजनाएं पंजीकृत की गई थीं और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन 62 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे।

आशयपत्र एक वर्ष की आरम्भिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और इसके लिए बाद में सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा न्यायसंगत आधार पर छह-छह महीने की दो बार समय बढ़ाने की भी अनुमति दी जा सकती है।

वर्ष 1979 से 1983 की अवधि में स्वीकृत किए गए 62 आशयपत्रों में से, 18 आशय पत्र अब औद्योगिक लाइसेंसों में बदल दिए गए हैं और 7 आशयपत्रों को व्ययगत मान लिया गया है। शेष आशयपत्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

'भेल' में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पदों के लिए आरक्षण

9424. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० के क्षेत्रीय कार्यालय मद्रास और इसी के पी० पी० एस० आर० डिवीजन, मद्रास में गत 5 वर्षों के दौरान नियुक्त श्रेणी 'घ' के कर्मचारियों (विशेषतया लिपिक संवर्ग में) की संख्या कितनी है और इनका संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन पदों पर गत 5 वर्षों के दौरान नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या तथा उनका संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी कितने पदों के हकदार हैं; और

(घ) श्रेणी 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के लिए पद-वार क्या न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गई हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) मद्रास में बी० एच० ई० एल०/आर० ओ० डी० और पी० पी० एस० आर० डिवीजनों में पिछले 5 वर्षों में ग्रुप 'डी' संवर्ग (जिसमें अकुशल/अर्ध-कुशल और समकक्ष पद आते हैं) नियुक्त व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

आर० ओ० डी० 23　　　　　　　　　　पी०.पी० एस० आर० 3

लिपिक-संवर्ग ग्रुप 'सी' के अन्तर्गत आता है। उस अवधि में ग्रुप 'सी' में लिपिक-संवर्ग में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या नीचे दी जाती है :—

आर० ओ० डी०	—	11
पी० पी० एस० आर०	—	1

संवर्ग वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

ग्रुप 'डी' (अकुशल/अर्ध-कुश और समकक्ष पद)

	1979	1980	1981	1982	1983
आर० ओ० डी०	14	4	—	5	—
पी० पी० एस० आर०	3	—	—	—	—

ग्रुप 'सी' (केवल लिपिक संवर्ग)

	1979	1980	1981	1982	1983
आर० ओ० डी०	8	3	—	—	—
पी० पी० एस० आर०	1	—	—	—	—

(ख) ग्रुप 'डी' (अकुशल/अर्ध-कुशल और समकक्ष पद)

	1979	1980	1981	1982	1398
आर० ओ० डी०	3	1	—	1	—
पी० पी० एस० आर०	—	—	—	—	—

ग्रुप 'सी' (केवल लिपिक-संवर्ग)

	1979	1980	1981	1982	1983
आर० ओ० डी०	1	2	—	—	—
पी० पी० एस० आर०	—	—	—	—	—

(ग) आरक्षण संबंधी आदेशों के अनुसार आर० ओ० डी०, मद्रास में ग्रुप 'डी' में आरक्षित पदों की संख्या 5 थी जिस पर 5 एस० सी०/एस० टी० लिए गए थे। लिपिक-संवर्ग में ग्रुप 'सी' के एस० सी०/एस० टी० के लिए 3 पद आरक्षित थे जिन पर 3 एस० सी०/एस० टी० लिए गए थे।

पी० पी० एस० आर०, मद्रास में, रोस्टर के अनुसार अनारक्षित पदों पर भर्ती की गई थी।

(घ) उपर्युक्त संवर्गों में ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' के अन्तर्गत भर्ती स्तर के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता निम्नलिखित है :—

ग्रुप 'सी' (लिपिक)

मैट्रिक/एस० एस० एल० सी०

या

किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से डिग्री और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइप करने की गति

बी० एच० ई० एल० में प्रशिक्षण के बाद क्लर्क (जनरल) ट्रेड में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाण-पत्र उत्तीर्ण।

ग्रुप 'डी'—अकुशल श्रमिक/परिचर ग्रेड-II

(समकक्ष 44)

8वीं कक्षा

सिगरेटों के लिए गाड्फ्रे फिलिप्स का सहयोग

9425. **श्री आर० मुथुकुमारन : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिगरेट उद्योग में तकनीकी जानकारी/विदेशी सहयोग का आयात करने संबंधी सरकार की नीति क्या है और क्या दिनांक 25 मई, 1981 की सरकारी प्रैस नोट संख्या 9(19)/80-एफ० सी० (1) में उल्लिखित नीति सिगरेटों के लिए विदेशी सहयोग/तकनीकी जानकारी और आदानों की आयात की अनुमति देती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या तकनीकी विकास निधि समिति ने तकनीकी जानकारी के आयात संबंधी गाडफ्रे फिलिप्स के आवेदन को मंजूरी दे दी है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी कंपनी के विशेषज्ञों और तकनीशियनों के लिए भुगतान की एकमुस्त धनराशि तथा किए जाने वाले अन्य खर्च का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गैर-प्राथमिक उद्योग के लिए इस प्रकार विदेशी मुद्रा के खर्च करने की वास्तव में अत्यधिक जरूरत है जो देशों में 70 वर्ष पुराना है; और

(ङ) क्या वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत हो गया है, यदि नहीं तो उनकी क्या राय है, और क्या कुछ कम्पनियों में विदेशी शेयर पारित के कारण तकनीकी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है?

उद्योग मंत्रालय में **राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव)** : (क) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं के संबंध में आम तौर पर कोई विदेशी सहयोग, वित्तीय या तकनीकी आवश्यक नहीं समझा जाता। सिगरेट को भी एक उपभोक्ता वस्तु माना जाता है। भारत सरकार का दिनांक 25 मई, 1981 का संदर्भित प्रैस टिप्पण विदेशी सहयोग के प्रस्ताव मंजूर करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों को शक्तियों के प्रत्यायोजन करने के संबंध में है।

(ख) और (ग) तकनीकी विकास पूंजी समिति ने विषय संबंधी जानकारी के निर्यात से संबंधित मेसर्स गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड का आवेदन-पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया है :

1. रेखा चित्रों और डिजाइनों का आयात स्वीकृति पत्र के जारी होने की तारीख से छ: महीने के अन्दर पूरा किया जाएगा।

2. विद्यमान संयंत्र और मशीनों में परिवर्तन और निर्माण कार्य रेखाचित्रों और डिजाइनों के मिलने की तारीख से 18 महीने के अन्दर पूरा किया जाएगा।

इसमें निहित भुगतानों का ब्यौरा बताना वांछनीय नहीं समझा जाता क्योंकि यह वाणिज्यिक लेन-देन का एक भाग होते हैं।

(घ) स्वीकृति देने से पहले तकनीकी विकास पूंजी समिति द्वारा तकनीकी जानकारी के आयात की अनुमति देने की आवश्यकता पर विचार किया गया है।

(ङ) तकनीकी विकास पूंजी समिति में वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व भी होता है।

टाटा ट्रक और बस चेसिस के लिए दी गई अग्रिम धनराशि वापस देना

9426. **श्री रेणु पद दास** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 31 मई, 1981 के 'फाइनेंसियल एक्सप्रैस' बम्बई में टाटा ट्रक और बस के लिए चेसिस के निर्माता टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी लि० के संयुक्त प्रबंध निदेशक के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या उक्त संयुक्त प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट और बिना शर्त के आश्वासन दिया था कि उनके डीलरों द्वारा ली गई अग्रिम धनराशि के लिए टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कम्पनी पूरी तरह जिम्मेदार है और उनकी जमा धनराशि पूरी तरह सुरक्षित है;

(ग) क्या उक्त आश्वासन को प्रबंध निदेशक (संयुक्त) ने पूरा नहीं किया है और सूचना मिली है कि वह दो वर्ष पहले उपभोक्ताओं से ली गई धनराशि को वापस नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार जमाकर्त्ताओं की अग्रिम अदायगी वापस दिलाने के लिए कदम उठा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) टैल्को के संयुक्त प्रवन्ध निदेशक द्वारा फाइनेंसियल एक्सप्रेस, बम्बई के सम्पादक को संबोधित 21 मई, 1981 के पत्र की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखी गई/देखिए संख्या एल० टी० 9317/84]

(ग) और (घ) टैल्को ने कहा है कि कंपनी द्वारा प्राप्त जमा राशियों की वापसी मांग करन पर शीघ्र की जा रही है।

बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा मिश्रित कोक की बिक्री

9427. **श्री ए० के० राय** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो स्टील लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में मिश्रित कोक की बिक्री है तथा इसके वर्ष वार आंकड़ों का क्या ब्यौरा है;

(ख) विभिन्न वर्षों के दौरान मिश्रित कोक की दरें क्या-क्या रहीं और गत तीन वर्षों के दौरान इसकी बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा तत्संबंधी वर्षवार और ग्रेड-वार आंकड़ों का क्या ब्यौरा है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष में इसके प्रमुख दस खरीददारों का क्या ब्यौरा है;

(घ) क्या उनका ध्यान पटना से प्रकाशित एक हिन्दी दैनिक "जनशक्ति" के 5 फरवरी, 1984 के अंक में "बोकारो स्टील प्लांट में मिक्स कोक की बिक्री में घोटाला ही घोटाला" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गत तीन वर्षों में बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा बेचे गए मिश्रित कोक की मात्रा का वर्ष-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

वर्ष	रेल मार्ग से	सड़क मार्ग से	कुल टन
1981-82	62,738	1,41,630	2,04,368
1982-83	67,275	1,32,618	1,99,893
1983-84	44,266	53,487	97,753

(ख) गत तीन वर्षों में रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग से बेचे गए मिश्रित कोक की दरें नीचे दी गई हैं—

(रेल मार्ग से)

(मिश्रित कोक 0-25 मि० मी०)

वर्ष	बोकारो इस्पात कारखाने से रेल तक निष्प्रभार प्रति टन दरें नीचे दी गई हैं, इन दरों में उत्पादन शुल्क तथा बिक्री कर शामिल नहीं है।
1	2
1981-82	350 रुपए अप्रैल, 81 से 1-9-81 300 रुपए 2-9-81 से 30-11-81 325 रुपए 3-12-81 से 31-3-82

1	2
1982-83	325 रुपए 1-4-82 से 31-3-83
1983-84	325 रुपए 1-4-83 से 10-9-83 262 रुपये 11-9-83 से 31-3-1984

(सड़क मार्ग से)

(मिश्रित कोक 0-40 मि० मी०)

क्रम संख्या	किस स्थान से सामग्री उठाई गई	मूल्य रुपयों में प्रति टन के हिसाब से है। इसमें शुल्क और कर शामिल नहीं हैं। ये मूल्य एक्स-वर्क्स हैं।	वैद्यता की अवधि
1	2	3	4
1981-82			
1.	लाइन संख्या 69-ए के समीप ढेर	बिक्री नहीं हुई	अप्रैल से जून, 1981
		281.81	जुलाई, 81 से मार्च, 1982
2.	लाइन संख्या 101	बिक्री नहीं हुई।	अप्रैल, 1981
		461.10	मई, 81 से सितम्बर, 81
3.	सिन्टरिंग संयंत्र का ईंधन स्टोरेज़ शेड	बिक्री नहीं हुई।	अक्तूबर, 81 से मार्च, 1982
		388.64	अप्रैल, 81 से मई, 81
		बिक्री नहीं हुई	जून, 1981
		390.00	जुलाई, 1981 से मार्च, 1982
1982-83			
1.	लाइन संख्या 69-ए के समीप ढेर	281.81	अप्रैल, 82 से 26-5-1982
		313.01	27-5-82 से जुलाई, 1982
		282.00	जुलाई, 82 से मार्च, 83
		281.81	जनवरी, 83 से मार्च, 1983.

1 2	3	4
लाइन संख्या 101	कोई बिक्री नहीं हुई	अप्रैल, से दिसम्बर, 1982 तक
	282.82	जनवरी से मार्च, 1983
3. सिन्टरिंग संयंत्र का ईंधन स्टोरेज	390.00	अप्रैल, 1982
	कोई बिक्री नहीं हुई	मई से अक्तूबर, 1982
	396.45	नवम्बर, 82 से मार्च, 1983
4. सड़क संख्या 29	कोई बिक्री नहीं हुई	अप्रैल, 82 से सितम्बर, 82
	288.00	अक्तूबर, 82 से मार्च, 83
1983-84		
1. लाइन संख्या 69-ए के समीप ढेर	281.81	अप्रैल-नवम्बर, 83
	205.45	सितम्बर, 83 से जनवरी, 84
	286.05	8-1-84 से 31-1-84 (फरवरी 84 से आज तक कोई बिक्री नहीं हुई)
2. लाइन संख्या 101	282.82	अप्रैल-जुलाई, 1983 (अगस्त, 83 से आगे बिक्री नहीं हुई)
3. सिन्टरिंग संयंत्र का ईंधन जमा करने का शेड	396.45	अप्रैल-सितम्बर, 83
	71.45	सितम्बर, 83 से 21-10-83 (22-10-83 के पश्चात् बिक्री नहीं हुई)
4. लाइन संख्या 100-बी	बिक्री नहीं हुई	अप्रैल-मई, 83
	290	जून-अक्तूबर, 83 (अक्तूबर, 83 के पश्चात् बिक्री नहीं हुई)

टिप्पणी—जहां तक सड़क मार्ग से मिश्रित कोक (0-40 मि० मि०) के बिक्री मूल्यों का संबंध है, सामग्री विभिन्न स्थानों से बेची गई थी और अधिकांशत: सामग्री निमिदाएं मंगवाकर बेची गई

थी। कुछ मामलों में जहां बोकारो इस्पात कारखाने द्वारा बिक्री मूल्य स्वयं निर्धारित किए गए थे, ये मूल्य प्राप्त हुई निविदाओं के समतुल्य थे। इस बात को देखते हुए बिक्री मूल्य ग्रेड के अनुसार नहीं बल्कि स्थान विशेष के अनुसार दिए गए हैं। यद्यपि सम्बन्धित अवधि में मिश्रित कोक के लिए जो करार किए गए थे वे सामान्यत: 0.40 मि०मि० साइज के लिए थे तथापि कोक की क्वालिटी अलग-अलग स्थान पर भिन्न-भिन्न थी।

गत तीन वर्षों में वसूल की गई राशि का वर्ष-वार तथा स्थान-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है—

क्रम संख्या	किस स्थान से सामग्री उठाई गई	वसूल की गई राशि (लाख रुपये में)		
		1981-82	1982-83	1983-84
1.	सिन्टरिंग संयंत्र का ईंधन जमा करने का शेड	89.42	49.44	39.89
2.	लाइन संख्या 101	8.41	15.55	9.89
3.	लाइन संख्या 100-बी	—	—	18.83
4.	लाइन संख्या 69-ए (मुख्य ढेर)	329.33	308.20	81.66
5.	सड़क संख्या 29	—	18.71	—
6.	रेल मार्ग से	198.26	207.29	135.35
	कुल	625.42	599.19	285.62

(ग) प्रत्येक वर्ष के उसी अवधि के दस बड़े-बड़े खरीददारों (बिक्री मूल्य के आधार पर) के नाम इस प्रकार हैं—

क्रम संख्या	खरीददारों का नाम और पता	उठाई/प्रेषित की गई मात्रा (टनों में)	कुल विक्रय मूल्य (लाख रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1981-82				
1.	मैसर्स ब्लैक डाइमंड कोक सप्लायर्स पुरानी कचहरी, एन० डब्ल्यू० आफिस जी० टी० रोड, दुर्गापुर	38,834.05	109.44	सड़क मार्ग से

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कार-पोरेशन लिमिटेड, अहमदाबाद	25,538.00	82.22	रेल मार्ग से
3.	मैसर्स जयमैक (इंडिया) प्रा० लि०, एम०-50, चौरंगी रोड, कलकत्ता	18,058.45	70.43	सड़क मार्ग से
4.	मैसर्स जमुना सिंह एंड सन्स, मेन रोड, फुसरो, जिला गिरिडीह, बिहार	17,894.41	53.70	सड़क मार्ग से
5.	मैसर्स स्वास्तिक इन्टरप्राइजिज, बरुआ ऐड, धनबाद	14,798.48	41.70	सड़क मार्ग से
6.	मैसर्स राउरकेला पिगमेंट एंड कैमीकल प्रा० लि० 9-पारसी चर्च स्ट्रीट, कलकत्ता	13,306.32	37.50	सड़क मार्ग से
7.	मैसर्स पेरामाऊंट इन्टरप्राइजिज, कटरास रोड, धनबाद	9,999.90	28.18	सड़क मार्ग से
8.	मैसर्स यूनीफेरो इन्टरनेशनल लि० लिबर्टी बिल्डिंग, सर बिट्ठल दास ताकेश्वरी मार्ग, बम्बई	7,418.00	24.13	रेल मार्ग से
9.	मैसर्स पेरामाउंट कोल ट्रेडर, पो० आ० सारेधीला, धनबाद	6,473.98	18.14	सड़क मार्ग से
10.	मैसर्स संडूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लि०, लोहाधरी भवन, यशवन्त नगर, जिला बैलारी, कर्नाटक	6,392.00	20.25	रेल मार्ग से
	1982-83			
1.	मैसर्स गुजरात स्माल एंड कार० लि०	25,257.00	82.08	रेल मार्ग से

1	2	3	4	5
2.	मैसर्स सी० पी० सिंह एंड कं० बरुआ ऐड, जी० टी० रोड, पो० आ० कल्याणपुर, धनबाद	24,976.33	71.12	रेल मार्ग से
3.	मैसर्स जमुना सिंह एंड सन्स	23,928.90	67.79	सड़क मार्ग से
4.	मैसर्स पेरामाऊंट कोल ट्रेडर	23,554.21	67.08	सड़क मार्ग से
5.	मैसर्स बिहार इन्टरप्राइजिज	19,208.32	54.63	सड़क मार्ग से
6.	मैसर्स राउरकेला पिगमेंट एंड कैमीकल्स	11,953.68	33.73	सड़क मार्ग से
7.	मैसर्स आयरन एंड कोक हैंडलिंग कंपनी 134-कोआपरेटिव कालोनी, बोकारो स्टील सिटी	11,166.33	44.27	सड़क मार्ग से
8.	मैसर्स कैलाश कोल एंड कोक कंपनी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश	3,656.00	11.88	रेल मार्ग से
9.	मैसर्स स्वास्तिक इन्टरप्राइजिज	5,195.50	15.57	सड़क मार्ग से
10.	मैसर्स नवजीवन ट्रेडर, लाल बाजार झरिया-82	3,646.61	10.59	सड़क मार्ग से
1983-84				
1.	मैसर्स स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड 134, कोआपरेटिव कालोनी, बोकारो स्टील सिटी	25,383.43	59.36	सड़क मार्ग से
2.	मैसर्स राउरकेला पिगमेंट्स एण्ड केमिकल्स प्रा० लि०	11,410.42	32.19	सड़क मार्ग से
3.	मैसर्स आयरन एण्ड कोक हैंडलिंग कम्पनी	10,201.08	39.88	सड़क मार्ग से
4.	मैसर्स स्वास्तिक इन्टरप्राइजेज	6,492.00	18.83	सड़क मार्ग से

1	2	3	4	5
5.	मैसर्स टाटा केमिकल्स लिमिटेड मीठापुर	6,237.00	28.27	रेल मार्ग से
6.	मैसर्स राजकोट इंजीनियरिंग एसोसिएशन, राजकोट	4,587.00	14.91	रेल मार्ग से
7.	मैसर्स जयश्री ट्रेडर्स, राजकोट	3,747.00	9.82	रेल मार्ग से
8.	मैसर्स गुजरात स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	3,123.00	10.15	रेल मार्ग से
9.	मैसर्स कैलाश कोल एण्ड कोक कंपनी	1,883.00	6.12	रेल मार्ग से
10.	मैसर्स भारत कोल एण्ड कम्पनी, धानीपुर	1,040.00	5.98	रेल मार्ग से

(घ) जी, हां।

(ड) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योग की स्थापना

9428. **श्री विजय कुमार यादव** : तथा **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सहित अधिकांश राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़े हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के सास प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि रामराव) : (क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले/क्षेत्र दिनांक 7 सितंबर, 1983 के प्रेस नोट संख्या 4/1/81/ बी० ए० डी० खण्ड-3 के साथ पठित दिनांक 27-4-1983 के प्रैस नोट संख्या 4/1/81/ बी० ए० डी० खण्ड-3 (प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध) में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय पूंजी निवेश मुख्य रूप से मूल प्रकार की बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं में किया गया है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं के स्थापना-स्थल का निर्णय विशद तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जाता है। सरकार की नीति तकनीकी-आर्थिक आधार के अधीन केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना करने में अपेक्षाकृत पिछड़े क्षेत्रों को तरजीह देने की रही है।

संसद सदस्यों के निजी सचिवों के लिए "रेडपास"

9429. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य अपने निजी सचिवों के लिए रेड पास प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि वे किसी भी मंत्रालय या कार्यालय में जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो ये "रेड पास" किस प्रकार प्राप्त किए जा सकते हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सांसदों के निजी सचिवों सहित गैर-सरकारी व्यक्तियों को खुले पास (रेड पास) जारी करने की प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि प्रायोजक प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि गैर सरकारी व्यक्ति केवल सरकारी कार्य के लिए जायेगा और जिस व्यक्ति के संबंध में फोटो पास प्रायोजित किया गया है उसके सुरक्षा संबंधी खतरा नहीं है। इन पासों के मांग पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिन्न-भिन्न भवनों में बैठने वाले चार संयुक्त सचिवों की सिफारिश के बाद गृह मंत्रालय के पास कक्ष में प्रस्तुत करने होते हैं। ये पास जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष तक वैध होते हैं।

विदेशों में दूतावासों में हिन्दी का प्रयोग

9430. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** राजभाषा समिति के प्रतिनिधिमंडल की विदेश यात्रा के बारे में 17 दिसम्बर, 1980 के अतारांकित प्रश्न सख्या 4172 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा समिति की तीनों उप-समितियों के सदस्य विदेश में विभिन्न भारतीय दूतावासों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न उपबंधों के क्रियान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए 1980 में लगभग 22 दिन के दौरे पर गये थे;

(ख) क्या उक्त दौरे के बाद दूतावासों में हिन्दी में काम करने के प्रति जागरूकता पैदा हुई;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उनमें हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) 1980 में संसदीय राजभाषा समिति के दौरे के बाद विदेशों में जहां भारतीय मूल के लोग अधिक हैं, हिन्दी के प्रचार-प्रसार के विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सभी भारतीय मिशनों में सूचना पट्ट, नामपट्ट, रबड़ की मोहरें इत्यादि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की गई हैं । स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसरों पर राष्ट्रपति का संदेश भारतीय मिशनों में हिन्दी में भेजे जा रहे हैं तथा भारतीय मिशनों के कुछ अध्यक्ष उन्हें हिन्दी में पढ़ते हैं और औपचारिक रूप से अपने भाषण हिन्दी में देते हैं ।

भारतीय मिशनों में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए छोटे सात मिशनों को छोड़कर सभी मिशनों में एक-एक देवनागरी टाइपराइटर उपलब्ध कराए गए हैं । विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार के लिए फिजी, त्रिनिदाद औप मारिशस में तीन हिन्दी अधिकारियों के पदों के अलावा जार्ज टाऊन पारामरिबो तथा लंदन, में तीन और हिन्दी अधिकारियों के पद सृजित किए गए हैं ।

अल्युमीनियम का आयात

9431. **श्री के० लकप्पा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्युमीनियम के कुछ प्रमुख निर्माता बिजली उपलब्ध होने के बावजूद अवांछित फायदा उठाने के लिए जानबूझकर अल्यूमीनियम के उत्पादन में कटौती कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी 5,000 रुपये प्रति यूनिट अधिमूल्य (प्रीमियम) मिल रहा है;

(ख) क्या उनके औद्योगिक एककों के लिए अल्यूमीनियम की मूल आवश्यकता होने के बावजूद सरकार ने मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अल्यूमीनियम का आयात नहीं किया है और क्या सरकार के पास शीघ्र आयात करने के लिए मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव लम्बित है; और

(ग) क्या कम उत्पादन, अत्यधिक कमी, चोरी छिपे व्यापार, विदेशी मुद्रा की मांग आदि जैसी सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए सरकार के पास सभी उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अल्यूमीनियम के प्रमुख निर्माताओं को उनके सम्पादों के मूल्यों में वृद्धि करने की मंजूरी देकर जिसके कि वे वास्तविक हकदार हैं, प्रोत्साहित करने की कोई योजना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं। प्रमुख उत्पादकों के विरुद्ध ऐसी कोई रिपोर्ट सरकार के पास नहीं है।

(ख) एल्यूमीनियम के उत्पादन तथा मांग के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए आयातक एजेन्सी खनिज व धातु व्यापार निगम को 1983-84 के दौरान 30,000 टन तथा 1984-85 की प्रथम तिमाही में 15,000 टन एल्यूमीनियम के आयात के लिए प्राधिकृत किया गया था। परवर्ती आयात का प्रबन्ध देश में उत्पादन और मांग के बाद के स्तर को ध्यान में रख कर किया जाएगा।

(ग) एल्यूमीनियम के नियन्त्रित मूल्यों में संशोधन हेतु औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर सरकार तत्परता से विचार कर रही है।

खादी उत्पादन और बिक्री केन्द्र

9432. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी और दरभंगा जिलों में खादी भंडार के कुल कितने उत्पादन केन्द्र और बिक्री केन्द्र हैं;

(ख) क्या मधुबनी खादी भंडार स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय से देश में एक महत्वपूर्ण खादी और हस्तशिल्प केन्द्र रहा है जहां पर कपड़े के अतिरिक्त साबुन, रंग, कागज आदि का उत्पादन होता था;

(ग) यदि हां, तो इसके सभी भवनों में पुनः उत्पादन शुरू करने के मार्ग में क्या बाधायें हैं और इन बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(घ) क्या भारत नेपाल सीमा पर मधुबनी जिले में स्थित जानकी नगर में खादी का उत्पादन सुचारू रूप से हो रहा है और यदि हां, तो इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा धर्म परिवर्तन

9433. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपना धर्म परिवर्तन करता है तो क्या उसे सरकारी सेवा से निकाला जा सकता है;

(ख) क्या विभिन्न राज्यों से इस प्रकार के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्र और राज्यों में पालन किये जा रहे नियमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने लगाना

9434. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोरापुट जिले में सुनकी और मल्कानगिरि में सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है तथा निजी क्षेत्र द्वारा भी इस आशय का कोई आवेदन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा सरकार या निजी क्षेत्र द्वारा सीमेंट के कारखाने लगाये जाने के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या इन दो कारखानों के लिए आशय-पत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) उड़ीसा में कोरापुट जिले के विभिन्न स्थलों पर सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए 4 आवेदन प्राप्त हुए थे अर्थात् (1) इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (राज्य सतकार का एक उपक्रम) से जयपोर/कोरापुट/पालिबा में 20 लाख मी० टन० की क्षमता के लिए; (2) इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, (राज्य सरकार का एक उपक्रम) से सुनकी में मिनी सीमेंट संयंत्र के लिए और (3) तथा (4) दो गैर-सरकारी पार्टियों से सुनकी और तलूर में मिनी सीमेंट संयंत्र के लिए। उपर्युक्त (2) पर उल्लिखित आवेदन के अलावा शेष सभी आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये क्योंकि क्षेत्र में चूना-पत्थर के भण्डारों के सर्वेक्षण अभी किये जा रहे थे, निकट भविष्य में रेल सम्पर्क स्थापित होने के कोई आसार नहीं थे और मिनी सीमेंट संयंत्र के लिए प्रस्ताव मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं थे। सुनकी में मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के

लिए इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० को एक आशय-पत्र दिया गया था। इस समय कोरापुट जिले में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई आवेदन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) से (ङ) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में विस्तार/नये सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए मंजूर किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों/तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

क्रमांक	एकक का नाम और स्थापना-स्थल (जिला)	वार्षिक क्षमता (लाख मी० टन में)	औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्र/पंजीकरण
1.	इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (सम्बलपुर)	1.65 (बिस्तार)	औद्योगिक लाइसेंस
2.	—वही— (सम्बलपुर)	4.35 (वस्तार)	आशय-पत्र
3.	—वही— (सुन्दरगढ़)	0.66	आशय-पत्र
4.	इण्डस्ट्रियल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि० (कोरापुट)	0.66	आशय-पत्र
5.	—वही— (सुन्दरगढ़)	0.66	आशय-पत्र
6.	कालिंग सीमेंट लि०, (सुन्दरगढ़)	0.297	पंजीकरण
7.	श्री हरूदा नंदा बिस्वाल (कोरापुट)	0.30	पंजीकरण

रुग्ण एककों की संख्या में तेजी से वृद्धि होना

9435. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता में वर्ष दर वर्ष तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) कितने रुग्ण यूनिट बड़े गृहों से सम्बद्ध हैं और दिसंबर, 1983 के अंत तक सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और बैंकों आदि की कितनी राशि इनमें निविष्ट थी;

(घ) बिड़ला, टाटा, सिंघानिया, मफतलाल, गोयनका और अन्य शीर्षस्थ 75 बड़े गृहों से सम्बद्ध यूनिटों के नाम क्या हैं; और

(ङ) रुग्णता की इस बढ़ती हुई प्रवृति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किये गये आंकड़ों के अनुसार दिसम्बर, 1979 से जून, 1982 तक बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या और इनके बकाया ऋण इस प्रकार हैं :—

के अन्त में	रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या	बकाया राशि (करोड़ रुपये में)
दिसम्बर, 1979	22,366	1,623
दिसम्बर, 1980	24,550	1,809
दिसम्बर, 1981	26,758	2,026
जून, 1982	28,428	2,299

1979 से रुग्ण औद्योगिक एककों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी अवधि में औद्योगिक एककों की कुल संख्या में भी वृद्धि हुई है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि औद्योगिक रुग्णता भी उसी अनुपात में बढ़ी है।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गये आंकड़ों के अनुसार जून, 1982 के अन्त तक एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार (एन० आर० टी० पी०) अधिनियम 1969 के अधीन पंजीकृत 60 रुग्ण एकक पर बैंक का 593 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था।

(घ) साहूकारों में प्रचलित प्रथा और व्यवहार के अनुसार तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबन्ध व्यवस्था करने वाले कानून के उपबन्धों के अनुरूप बैंकों के घटकों के अलग-अलग नाम बता सकना सम्भव नहीं होगा।

(ङ) सरकार ने औद्योगिक रुग्णता से निपटने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के मार्गदर्शन के लिए नीति संबंधी उपायों की घोषणा की है। इन मार्ग दर्शी सिद्धान्तों की मुख्य-मुख्य बातें दिनांक 24 मार्च, 1982 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4974 के उत्तर में दी गई हैं।

उद्योगों में 5 दिन का सप्ताह

9436. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकता संबंधी राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समिति ने यह विचार व्यक्त किया है कि यदि कामगारों तथा प्रबन्धकों के बीच कोई समझौता हो जाता है तो औद्योगिक एककों में संयंत्र स्तर पर 24 घंटे और 5 दिन का सप्ताह लागू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो इस विषय पर उनके मंत्रालय की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त समिति द्वारा संयंत्र स्तर पर 24 घंटे-5 दिन के सप्ताह के बारे में की गई सिफारिश को उनके मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कम-से-कम कुछ उपक्रमों में परीक्षण किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) इस संदर्भ में सरकार द्वारा जो भी मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए जाएं यह मंत्रालय उन्हीं का पालन करेगा।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वर्दियों के लिए राशि मंजूर किया जाना

9437. **श्री के० मालन्ना** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय को भारत सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (संदेश-वाहकों) को वर्दियों के लिए राशि मंजूर करने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस श्रेणी को वर्दियां, जूते आदि के लिये कितनी राशि मंजूर की जाती है;

(ग) क्या होमगार्डों सहित और भारत सरकार के अन्य विभागों में जहां उच्च रैंक के कर्मचारियों को वर्दियां सप्लाई की जाती हैं इस श्रेणी के कर्मचारियों को धुलाई भत्ता भी मंजूर किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस समय ऐसी श्रेणियों को क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) संदेशवाहकों सहित समूह "ग" तथा समूह "घ" के कतिपय विशिष्ट वर्गों को इस विषय से सम्बन्धित सरकारी आदेशों के अनुसार वर्दियां दी जाती हैं। अलग-अलग कर्मचारियों की इस प्रयोजन के लिए कोई राशि मंजूर

नहीं की जाती है, बल्कि सरकार द्वारा वर्दियों की निर्धारित मदें प्राप्त की जाती हैं और पात्र कर्मचारियों को जारी कर दी जाती हैं।

(ग) तथा (घ) कर्मचारियों के उन पात्र वर्गों को धुलाई भत्ता अनुज्ञेय है, जिन्हें वर्दियां दी जाती हैं।

होमगार्ड एक ऐसा स्वैच्छिक बल है, जो राज्य होमगार्ड अधिनियम/नियमों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा बनाया जाता है और प्रशासित किया जाता है। होमगार्ड के स्वयंसेवकों को जब कभी ड्यूटी पर बुलाया जाता है, उन्हें भी निर्धारित धुलाई भत्ता मंजूर किया जाता है।

प्रतिबन्धित क्षेत्र में असैनिकों के प्रवेश पर रोक

9438. **श्री दिगम्बर सिंह :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 अप्रैल, 1984 के "स्टेट्समैन" में "व्हैन फ्रैंचमैन वाज कश्मीरी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच के कि सितम्बर, 1982 में पाकिस्तान के साथ लगे सामरिक महत्व के सीमावर्ती क्षेत्र में निषिद्ध सुरक्षा क्षेत्र में फ्रांसिसी नेतृत्व शास्त्री ने किस प्रकार प्रवेश किया, क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस प्रतिबंधित क्षेत्र में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभिन्न अनुसंधान संगठनों में बेकार पड़े वैज्ञानिक उपकरण

9439. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र की है कि देश के विभिन्न अनुसंधान संगठनों और विश्वविद्यालयों में मरम्मत होने योग्य कितने मूल्य के वैज्ञानिक उपकरण बेकार पड़े हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बहुत से वैज्ञानिक उपकरण अप्रचलित हो गये हैं अथवा उनके स्थान पर आधुनिक उपकरण मंगवा लिये गए हैं लेकिन पुराने उपकरण अभी भी बेकार पड़े हैं;

(ग) क्या इलैक्ट्रानिक आयोग का विचार उनकी मरम्मत करने के लिए कार्यदल स्थापित करने अथवा उन्हें बेकार घोषित करने का है; और

(घ) क्या इलैक्ट्रानिक आयोग भी इस संबंध में कोई उपचारात्मक उपाए ढूंढेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कुछ वैज्ञानिक संस्थाओं में मरम्मत के अभाव में, बेकार पड़े वैज्ञानिक यंत्रों की कीमत के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है ।

(ख) विनिर्माताओं ने कुछ वैज्ञानिक यंत्रों का उत्पादन बन्द कर दिया है और कुछ मामलों में उनके कलपुर्जे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इलैक्ट्रानिक आयोग का वैज्ञानिक यंत्रों की मरम्मत की जिम्मेवारी उठाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । अधिकतर संस्थाओं का अपने-अपने यंत्रों के रख-रखाव व मरम्मत का अपना सुविधाएं/प्रबन्ध हैं । आई० सी० एम० आर० ने कुछ क्षेत्रीय यंत्रीकरण यूनिटों को स्थापित किया है जो अन्य कार्यों के अलावा उपस्करों के रख-रखाव और मरम्मत के कार्य को जिम्मेवारी भी लेता है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय के विभागों, संबद्ध महाविद्यालयों और यंत्रीकरण में प्रशिक्षण कर्यक्रमों को उपलब्ध कराने और यंत्रों की उपयुक्त मरम्मत और रखरखाव सेवाओं के उद्देश्य से 5 विश्वविद्यालय सेवा यंत्रीकरण केन्द्रों और 2 क्षेत्रीकरण केन्द्रों को स्थापित किया । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपस्कर अनुदान भी देता है जो विश्वविद्यालयों और संबद्ध महाविद्यालयों को कलपुर्जे और सप्लायर्स के साथ रखरखाव अनुबन्ध करने योग्य बनाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग के यूनिटों के पास अपने यंत्रों के रखरखाव की पूर्ण क्षमता है। भारतीय मानक संस्था ने अपनी प्रयोगशालाओं में यंत्रों के सप्लायर्सों से मरम्मत के लिए अनुबन्ध किए हैं । डी० आर० डी० ओ० अपने यंत्रों को स्थानीय फर्मों से मरम्मत कराते हैं और क्रांतिक कलपुर्जों का जहां आवश्यक हो, आयात किया जाता है। खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत वैज्ञानिक यंत्रों को अनुसंधान एककों द्वारा आयात किया जा सकता है । इन उपायों से वैज्ञानिक यंत्रों के उपयोग को सुधारने में मदद मिली है ।

इन्जीनियरिंग उत्पादों में अनुसंधान और विकास

9440. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इंजीनियरिंग उत्पादों में अनुसंधान और विकास करने से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता मांगी गयी है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) इंजीनियरी उत्पादों में अनुसंधान तथा विकास के बारे में सरकार की स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रस्तावों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है

विवरण

क्रमांक	प्रस्ताव	विदेशी सहायता (अगर कोई है)
1	2	3
1.	मोटरगाड़ियों की गतिशील विशेषताओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन।	कुछ नहीं
2.	अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आधुनिक ब्रेक प्रणालियों का डिजाइन व मूल्यांकन	कुछ नहीं
3.	प्रतिस्थापन सामग्री जैसे प्लास्टिक, अल्युमिनियम व मिश्रधातु इत्यादि तथा इनके लिए पर्यावरण सुविधाओं के उपयोग द्वारा मोटरगाड़ियों के हिस्से-पुर्जों का डिजाइन व विकास	कुछ नहीं
4.	इंजन तथा अन्य प्रणालियों की विशेषताओं तथा कम्पन का अध्ययन	कुछ नहीं
5.	ए० आर० ए० आई०, पुणे में उत्सर्जन प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना	यून० एन० डी० पी/ युनिडो यूएनडीपी का योगदान-0.8 मिलियन अमरीकी डालर भारतीय योगदान-40 लाख रुपये

1	2	3
6.	हल्की श्रेणी के वाहनों के इष्टतम कार्यनिष्पादन के लिए बिजली के एककों का विकास तथा असेम्बली	यूनिडो यू० एन० डी० पी० का योगदान 0.149 मिलियन अमरीकी डालर। भारतीय योगदान-4 लाख रुपये
7.	आधुनिक इन्टरनल कम्बशन इंजन प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना	कुछ नहीं
8.	तीन चरणों में सुरक्षा प्रयोगशाला का स्थापित किया जाना	कुछ नहीं
9.	परीक्षण पथ का निर्माण	कुछ नहीं
10.	सेन्ट्रल बियरिंग टेक्नालोजी इन्स्टीट्यूट का स्थापित किया जाना	यूएनडीपी/यूनिडो यूएनडीपी का योगदान-2.4 मिलियन अमरीकी डालर भारतीय योगदान 241 लाख रुपये
11.	सैन्ट्रल मेटल फार्मिंग इन्स्टीट्यूट में सुविधाओं का सशक्त किया जाना	यूएनडीपी/यूनिडो यूएनडीपी का योगदान-4.374 मिलियन अमरीकी डालर भारतीय योगदान 473.93 लाख रुपये
	प्रदर्शन परियोजनायें—	
1.	100 एम० वी० ए० आर० शंट कम्पेन्सेशन सिस्टम	कुछ नहीं
2.	400 के० वी० सीरीज कम्पेंसेशन सिस्टम	कुछ नहीं

1	2	3
3.	सब-स्टेशन आटोमेशन	कुछ नही
4.	बैटरी-चालित वाहन	कुछ नहीं
5.	100 के० डब्ल्यू० फोटो-वोल्टेयिक पावर प्लांट	कुछ नहीं
6.	चीनी तथा अन्य उद्योगों के लिए को-जेनरेशन संयंत्र	कुछ नहीं
7.	30 मेगावाट क्षमता का फल्यूडाइज्ड बैड बायलर	कुछ नहीं
8.	घटिया किस्म के कोयले की उपयोगिता के लिये कोल मिलिंग क्षमता का बढ़ाया जाना	कुछ नहीं

ग्रामीण रोजगार के लिए परिवारों की सहायता

9441. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए क्या उपाय किए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य में इससे कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1984-85 हेतु क्या प्रावधान किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम जिसमें अब बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और दिल्ली के चार महानगरों और लक्षद्वीप के संघशासित क्षेत्र को छोड़ पूरा देश शामिल है, का मुख्य बल विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित छोटे, बहुत छोटे (टाइनी), ग्रामीण और कुटीर उद्योगों पर है, जिससे रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होते हैं।

(ख) दो विवरण, एक 1982-83 और 1983-84 के दौरान जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्य/संघशासित सरकारों को दी गई केन्द्रीय सहायता बताने वाला और दूसरा वर्ष 1982-83 के दौरान रोजगार उत्पन्न करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कारीगरों पर आधारित एककों सहित लघु एककों की संख्या बताने वाला संलग्न है। जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या से संबंधित सूचना इकट्ठी नहीं की जाती। वर्ष 1983-84 के दौरान हुई प्रगति के संबंध में जानकारी राज्य सरकारों से केन्द्रीय सरकार को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ग) जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 के लिए 22 राज्यों में स्थित 383 जिला उद्योग केन्द्रों के लिए केन्द्रीय बजट में 18.35 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है, जो विभिन्न राज्य सरकारों को दिए जाने वाला केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा संघ शासित क्षेत्रों में स्थित 12 जिला उद्योग केन्द्रों के लिए 100 प्रतिशत के आधार पर 61.00 लाख रुपये की व्यवस्था भी की गई है। राज्य/संघ शासिस क्षेत्र सरकारों को यह राशि प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जिला उद्योग केन्द्रों में विद्यमान कर्मचारियों की संख्या, शुरू की जाने वाली संवर्धनात्मक योजनाओं और इनके लिए अपेक्षित मूल/सीमांत धनराशि के आधार पर दी जाएगी। राज्यों में प्रत्येक जिला उद्योग केन्द्र आवर्ती स्थापना व्यय के लिए 3.00 लाख रुपये तक केन्द्रीय सहायता, अनावर्ती स्थापना व्यय के लिए एक बार में 3 लाख रुपये की सहायता और संवर्धनात्मक योजनाओं के लिए अनुदान के साथ-साथ 50 प्रतिशत के हिस्से के आधार पर धनराशि की उपलब्धता और आवश्यकता के अनुसार मूल और सीमांत धनराशि के लिए ऋण पाने का हकदार है।

विवरण

वर्ष 1982-83 और 1983-84 के लिए जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता

लाख रुपये

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1982-83	1983-84
1.	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	83.25	85.50
2.	असम	30.60	26.40
3.	बिहार	100.59	57.75
4.	गुजरात	67.18	65.50
5.	हिमाचल प्रदेश	40.04	33.00
6.	हरियाणा	33.78	40.61
7.	जम्मू और कश्मीर	69.65	61.18
8.	कर्नाटक	85.61	63.29

1	2	3	4
9.	केरल	48.55	43.93
10.	मध्य प्रदेश	134.91	94.34
11.	महाराष्ट्र	92.00	73.00
12.	मणिपुर	26.48	28.42
13.	मेघालय	11.25	2.00
14.	नागालैंड	25.19	21.00
15.	उड़ीसा	65.00	70.00
16.	पंजाब	27.00	19.72
17.	राजस्थान	94.55	71.88
18.	सिक्किम	2.25	2.25
19.	तमिलनाडु	66.23	71.50
20.	त्रिपुरा	6.75	3.75
21.	उत्तर प्रदेश	201.65	198.67
22.	पश्चिम बंगाल	46.50	37.66
	कुल राज्य	1359.01	1200.85
	विधान सभा वाले संघशासित क्षेत्र		
1.	अरुणाचल प्रदेश	14.50	12.25
2.	गोवा, दमन और दिव	—	—
3.	मिजोरम	14.00	12.00
4.	पाण्डिचेरी	8.50	7.00
	कुल संघशासित क्षेत्र (विधान सभा वाले)	37.00	31.25

1	2	3	4
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	7.05	6.27
2.	दादरा और नगर हवेली	3.45	2.36
3.	चंडीगढ़	3.62	1.62
	कुल संघशासित क्षेत्र (बिना विधानसभा वाले)	14.12	10.25
	कुल योग	1410.13	1242.35

विवरण-2

जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 1982-83 के दौरान स्थापित किए गए लघु उद्योगों और कारीगरों पर आधारित एककों की संख्या और उत्पन्न किया गया अतिरिक्त रोजगार दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योगों और कारीगरों पर आधारित एककों की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न किया गया अतिरिक्त रोजगार (व्यक्तियों की संख्या)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	30206	86081
2.	असम	2948	10110
3.	बिहार	18223	59969
4.	गुजरात	12167	39916

1	2	3	4
5.	हरियाणा	4570	18450
6.	हिमाचल प्रदेश	5589	17295
7.	जम्मू और कश्मीर	7779	6148
8.	कर्नाटक	5537	22761
9.	केरल	11731	36299
10.	मध्य प्रदेश	15919	45124
11.	महाराष्ट्र	19660	58669
12.	मणिपुर	620	2356
13.	मेघालय	159	550
14.	नागालैंड	477	2335
15.	उड़ीसा	84760	159193
16.	पंजाब	5129	14995
17.	राजस्थान	6428	23229
18.	सिक्किम	65	208
19.	तमिलनाडु	12681	35237
20.	त्रिपुरा	465	8352
21.	पश्चिम बंगाल	4333	14721
22.	उत्तर प्रदेश	53346	139658
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	12	99
24.	अरुणाचल प्रदेश	94	637
25.	चण्डीगढ़	10	47

1	2	3	4
26.	दादरा और नगर हवेली	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
27.	गोवा, दमन और दिव	प्राप्त नहीं	प्राप्त नहीं
28.	मिजोरम	104	303
29.	पाण्डिचेरी	113	755
	योग	296125	803497

टिप्पण : ग्रामीण क्षेत्रों में 1971 की जनगणना के अनुसार 25,000 तक की जनसंख्या वाले सभी गांव और कस्बे शामिल हैं ।

राउरकेला में भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्लैग सीमेंट परियोजना

9442. **श्री लक्ष्मण मल्लिक :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा उड़ीसा में भारतीय इस्पात प्राधिकरण की प्रस्तावित स्लैग सीमेंट परियोजना को मंजूरी दिए जाने में कोई असाधारण विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो राउरकेला में उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अधीन चिलहटी (म० प्र०) राउरकेला (उड़ीसा) में अलग-अलग स्थलों पर ब्लास्ट फर्नेश स्लैग सीमेंट संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर इस्पात विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही थी । इस सम्बन्ध में तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों पर अन्तर-मंत्रालयीय बैठकों में विचार किया गया था और उसके बाद सार्वजनिक निवेश बोर्ड की अनापत्ति प्राप्त करने के लिए इन्हें संशोधित एवं अद्यतन बना दिया गया था किन्तु, अक्तूबर, 1983 में यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना का कार्यान्वयन सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा । इस परियोजना के लिए सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा तैयार की गई एक संशोधित संभाव्यता रिपोर्ट पर 20.3.1984 को हुई एक अन्तर-मंत्रालयीय बैठक में विचार किया गया था । स्लैग के मूल्य और चूना पत्थर के निक्षेपों की उपलब्धता सम्बन्धी मामलों पर अन्तिम निर्णय ले लिए जाने के बाद ही रिपोर्ट पर निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए आगे कार्रवाई की जायेगी ।

आसनसोल-रानीगंज में उद्योगों की स्थापना

9443. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्ट बंगाल कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन लि०(वेद्यकोन) द्वारा हाल ही में किए गए एक नमूना सर्वेक्षण से पता चलता है कि आसनसोल-रानीगंज औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 10 नए यूनिटों की स्थापना की गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस क्षेत्र में कोई यूनिट स्थापित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र में नए यूनिटों की स्थापना के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार का क्या सहायता देने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वेस्ट बंगाल कंसल्टेंसी आर्गनाइजेशन लि० ने सितम्बर, 1982 में आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर आसनसोल-रानीगंज के औद्योगिक विकास के लिए 10 वर्षीय भावी योजना तैयार की थी । उपर्युक्त अध्ययन में निम्नलिखित 10 वस्तुओं के निर्माण के लिए उद्योगों की स्थापना करने का सुझाव दिया गया था :—

1. लिथोफोन
2. लिथियम-नमक
3. गंधक का तेजाब
4. बेसिक रिफ्रैक्टरी
5. एल० पी० जी० सिलेंडर
6. क्वायल्ड स्प्रिन्गें
7. प्रेसिपिटेटेड केल्शियम कार्बोनेट
8. एल० टी० डी०
9. ग्राइन्डिन्ग व्हील और कोटेड अब्रेसिव
10. माल्क्यिुलर स्लीव

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के किसी भी उपक्रम को लगाने के लिए स्थापना-स्थल का निर्णय तकनीकी-आर्थिक आधार पर किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार को उसकी योजनाओं के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता किसी परियोजना अथवा योजना से बंधी नहीं है । यह इकट्ठे अनुदान और इकट्ठे ऋण के रूप में दिया जाता है ।

देश में सोने की खानों की खोज

9444. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सोने की कुछ खानों की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनमें से कुछ में काम आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गत पांच वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में स्वर्ण के सर्वेक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में चिगारगुंटा और मालप्पाकोंडा में तथा अनन्तपुर जिले के कोटापल्ली खण्ड में स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। कर्नाटक में हट्टी तथा गदाग स्वर्ण क्षेत्रों के विस्तार खण्डों में भी स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल में तथा उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पट्टी में जहां-जहां स्वर्ण खनिजीकरण की सूचना मिली है, वहां स्वर्ण के लिए खोज शुरू कर दी गई है।

(ग) से (ङ) आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में रामगिरि के येप्पामामाना में हाल ही में 577 लाख रु० की अनुमानित लागत से एक स्वर्ण खान परियोजना पूरी हो गई है और उसमें शीघ्र उत्पादन शुरू हो जाएगा। हट्टी गोल्ड माइन्स कम्पनी लि० हट्टी खान के विस्तार तथा गुलबर्गा जिले के मंगलूर में हाल में खोली गई पुरानी स्वर्ण खानों की आर्थिक उपादेयता का अध्ययन कराने पर विचार कर रही है। देश के विभिन्न भागों में स्वर्ण की खोज अभी भी जारी है।

वेस्पा पी० एल०-170 स्कूटरों की सुपुर्दगी

9445. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश स्कूटर्स लिमिटेड ने वेस्पा पी० एल०-170 स्कूटरों, जिनके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, की सुपुर्दगी आरम्भ कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स लि० ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है और स्कूटरों के नये डिजाजन की डिलीवरी भी 2 अप्रैल, 1984 से शुरू कर दी है।

एक राष्ट्रीय पुलिस बल का गठन

9446. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार सभी राज्यों के सभी पुलिस बलों का विलय करके एक राष्ट्रीय पुलिस बल गठित करने का था ताकि पुलिस कर्मियों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में भी स्थानान्तरित किया जा सके ?

गृह मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : एक राष्ट्रीय पुलिस का गठन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

नौकरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में विवरणिका (ब्रोशर) का प्रकाशन

9447. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेबाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षग पदोन्नति नीतियों सम्बन्धी विवरणिका (ब्रोशर) का प्रकाशन अप्राप्य है/स्टाक में नहीं है :

(ख) क्या सरकार का विचार विवरणिका को पुनः मुद्रित करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों, सरकारी उपक्रमों, निगमों और बोर्डों के पास उसकी प्रतिलिपियां उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त संस्थानों/मंत्रालयों और लाभार्थियों दोनों के लाभ के लिए विवरणिका की कितनी प्रतिलिपियां मुद्रित करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क), से (ख), तथा (घ) विवरणिका का छठा संस्करण अभी प्राप्य है/स्टाक में है। इसलिए इस स्थिति में इसे पुनः मुद्रित किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) "सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका" एक समूल्य प्रकाशन है और कोई भी विभाग, सरकारी उपक्रम, निगम और बोर्ड भारत सरकार के प्रकाशन नियंत्रक के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से अपनी आवश्यकतानुसार उसकी प्रतियां सीधे ही मंगा सकता है।

बड़े औद्योगिक गृहों में अनुसंधान और विकास

9448. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान और विकास पर अधिक बल देने के लिए बड़े औद्योगिक गृहों को मार्ग निर्देश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में पर्याप्त अनुसंधान और विकास कार्य करने के लिए औद्योगिक गृहों और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एककों द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) यद्यपि बड़े औद्योगिक घरानों को अलग से कोई विशिष्ट मार्ग-दर्शी सिद्धान्त नहीं भेजे गये हैं, तथापि जनवरी, 1983 के प्रौद्योगिकी नीत विवरण में कारखाने के भीतर अनुसंधान और विकास एकक स्थापित किये जाने पर विशेष बल दिया गया है। वक्तव्य का पैरा 4.11 यहां उद्धृत किया गया है :—

4.11 कारखाने के भीतर अनुसंधान और विकास एकक :

उद्योग में आन्तरिक अनुसंधान और विकास इकाइयां राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक क्षेत्र के प्रयासों में वांछित और आवश्यक ताल-मेल प्रदान करने के साथ ही उद्योग के उत्पादन में भी सहायता प्रदान करती है । उद्योग, जिसमें सहकारिता पर आधारित उद्योग भी सम्मिलित हैं, में अनुसंधान और विकास इकाइयां स्थापित करने के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन दिये जायेंगे । प्रमुख प्रौद्योगिकीय कार्यों को पूरा करने के लिए उद्यमकर्ताओं को अनुसंधान और विकास इकाइयों की स्थापना के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ।

(ख) और (ग) इस मंत्रालय में इस प्रकार की सूचना केन्द्रीय रूप में नहीं रखी जाती है ।

केन्द्रीय भण्डार और सुपर बाजार द्वारा अर्जित लाभ

9449. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भण्डार ने गत तीन वर्षों के दौरान लाभ कमाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा सुपर बाजार द्वारा उसी अवधि के दौरान अर्जित किए गए लाभ की तुलना में यह कितना है;

(ख) क्या केन्द्रीय भण्डार की मौजूदा दरें सुपर बाजार की मौजूदा दरों से काफी सस्ती हैं और यदि हां, तो किन-किन मदों की दरों में अन्तर है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके मंत्रालय का दिल्ली दूरदर्शन से यह कहने का कोई प्रस्ताव है कि सुपर बाजार की तरह केन्द्रीय भंडार की मौजूदा दरों को भी प्रसारित किया जाये ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार दोनों के माध्यम से बेची जाने वाली विभिन्न वस्तुओं का मूल्य लगभग एक समान है। तथापि दोनों सहकारी समितियों द्वारा वस्तुओं की खरीद कब की गई और उनकी बिक्री कब की गई, इस कारण मूल्यों में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है।

(ग) जी, नहीं।

केन्द्रीय भंडार तथा सुपर बाजार द्वारा पिछले तीन वर्षों में की गई बिक्री तथा लाभ को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	केन्द्रीय भण्डार		सुपर बाजार	
	(लाख रुपयों में)		(लाख रुपयों में)	
	बिक्री	लाभ (शुद्ध)	बिक्री	लाभ (शुद्ध)
1980-81	266	(—) 1.23 (संपरीक्षित)	1994	4.46 (संपरीक्षित)
1981-82	442	6.21 (संपरीक्षित)	2392	19.19 (संपरीक्षित)
1982-83	617	19.27 (संपरीक्षित)	2901	34.50 (अनन्तिम रूप से पूर्व संपरीक्षित)

नई दिल्ली में कल्याण संस्थाओं (वैलेफेयर एसोसिएशनों) को सहायता अनुदान

9450. **श्री ए० के० बालन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में कितनी कल्याण संस्थाओं (वैलफेयर एसोसिएशनों) को वर्ष 1983-84 के दौरान सहायता अनुदान दिया गया था ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों में केन्द्रीय निवेश

9452. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल केन्द्रीय निवेश में केरल का कितना हिस्सा है;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय निवेश के स्तर के बारे में कोई मार्गनिर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय निवेश के, करोड़ों रुपयों में, राज्यवार आंकड़े क्या हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) ये आंकड़े नहीं रखे जाते हैं और इसलिए इन्हें प्रस्तुत करना संभव नहीं है। किसी भी स्थिति में, केन्द्र द्वारा योजना निवेश में आधार संरचनात्मक तथा समाज कल्याण दोनों ही की व्यापक सेवाएं और सरकारी क्षेत्रक की परियोजनाओं तथा इकाइयों में निवेश शामिल होता है। पहले के संबंध में निर्णय, राष्ट्रीय आवश्यकताओं पर किया जाता है जबकि बाद वाली के संबंध में निर्णय तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य विचारों से किया जाता है। केन्द्रीय निवेशों के लिए आधार और मानदण्ड भिन्न होते हैं इसलिए इन आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करना संभव नहीं है।

जम्मू और काश्मीर विधान सभा में रिक्त स्थान

9453. **श्री अब्दुल रशीद काबूली** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य में 100 सदस्यों की राज्य विधान सभा में 24 रिक्त स्थान अधिकृत कश्मीर के लोगों के लिए आरक्षित हैं; और

(ख) इस संबंध में कोई अनुवर्ती कार्यवाही करने अथवा यथावत स्थिति बनाये रखने के लिए मंत्रालय द्वारा बातचीत की गई अथवा राज्य सरकार के साथ क्या बातचीत की गई है अथवा क्या अभ्यावेदन किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) न तो राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच कोई बातचीत हुई है और न ही इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति

9454. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान चन्द वर्मा और अन्यों द्वारा दायर की गई रिट याचिका सं० 1213/80 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 26-3-80 की अधिसूचना को रद्द करके सहायक पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में गृह मंत्री के आदेशों को मंसूख कर दिया है और विधि तथा उच्च न्यायालय के निर्णय में की गई टिप्पणी के अनुसार इस संबंध में नए सिरे से कार्यवाही करने हेतु दिनांक 7 अप्रैल, 1982 को निर्देश दिए थे तथा इस संबंध में निर्णय चार महीने के अन्दर लिया जाना था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा 2 वर्षों में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार का विचार उनके निर्णय को, यदि अब तक ले लिया गया हो तो कब तक क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां; श्रीमान् । किन्तु न्यायालय ने अपने दिनांक 7-4-82 के निर्णय के अनुसरण में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की थी । श्री खानचन्द तथा अन्य द्वारा बाद में दिए गए एक आवेदन पत्र माननीय न्यायालय ने 26-7-82 को आशा व्यक्त की थी कि मामला लगभग 4 महीने की अवधि में निपटा दिया जाएगा ।

(ख) से (घ) जब मामले पर आगे कार्यवाही की गई तो यह मालूम हुआ कि 1979-80 में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किए गए चयन स्थाई और स्थानापन्न दोनों प्रकार की रिक्तियों के लिए अलग-अलग विचार क्षेत्रों पर आधारित नहीं थे जैसा कि नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित था । इसलिए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से यह निर्णय किया गया कि पहले किए गए चयनों की समीक्षा की जानी चाहिए । 13-2-84 को चयन समिति की बैठक आयोजित की गई । चयन समिति की सिफारिशें संघ लोक सेवा आयोग से 28-2-84 को प्राप्त हुईं और इन पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

वैशाली (बिहार) में उद्योगों की स्थापना

9455. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के वैशाली जिले में कितने लघु उद्योग स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और उनमें से अब तक कितने उद्योग स्थापित किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : जिला उद्योग केन्द्रों की योजना के अन्तर्गत बिहार के वैशाली जिले में प्रस्तावित तथा वास्तव में स्थापित कामगार एककों सहित लघु उद्योगों की संख्या नीचे दी गई है—

	1980-81		1981-82		1982-83	
	प्रस्तावित	स्थापित	प्रस्तावित	स्थापित	प्रस्तावित	स्थापित
कामगार एककों सहित लघु उद्योग	1975	1675	1725	1655	1840	2023

समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवें वित्त आयोग द्वारा मध्य प्रदेश को आबंटन

9456. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार को समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सातवें वित्त आयोग द्वारा 10.56 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त राशि में से 10.09 करोड़ रुपए की राशि को कुछ अन्य कार्यों के लिए उपयोग कर लिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा करना नियमों के अनुकूल है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश सरकार को इस धनराशि को केन्द्र द्वारा पहले से निर्धारित तारीख अर्थात् 1981 से बकाया के रूप में अपने कर्मचारियों को देने के लिए सहमत करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारीसिन्हा) : (क) से (घ) सातवें वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश राज्य को प्रतिपूरक भत्ते का भुगतान करने और जनजाति क्षेत्रों में नियोजित कर्मचारियों के रिहायशी मकान बनाने के लिए 13.92 करोड़ रुपए दिए हैं। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को प्रतिपूरक भत्ते के लिए 3.61 करोड़ रु० देने और जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में 4124 रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए 10.31 करोड़ रु० देने का निर्णय किया है। राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रों में नियोजित कर्मचारियों को स्वीकृत मानदंड के अनुसार प्रतिपूरक भत्ता दिया है।

लाटरी पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव

9457. **श्री बी० के० नायर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों सहित केन्द्रीय सरकार के विभागों के तत्वावधान के अन्तर्गत आयोजित की जाने वाली लाटरियों के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है;

(ख) टिकटों की बिक्री से कितनी राशि वसूल की गई और पिछले तीन वर्षों के दौरान उसमें से कितनी राशि लाभार्थियों को अदा की गई;

(ग) क्या लाखों गरीब परिवारों को अपनी आय का एक प्रमुख भाग लाटरियों पर व्यय करने के लिए बहकाया जाता है; और

(घ) क्या देश में चलाई जा रही सभी लाटरियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) इस समय सभी राज्य (बिहार और जम्मू और कशमीर के अलावा) और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली राज्य लाटरियां चला रहे हैं।

गृह मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशालय सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत महा-निदेशालय स्वर्ण जयन्ती समारोह, वायु सेना (एक गैर-सरकारी समिति) और भारतीय नौसेना ने हाल ही में रेफले आयोजित की हैं। संचार मंत्रालय के अन्तर्गत डाक एवं तार विभाग डाकघर बचत बैंक पुरस्कार प्रोत्साहन योजना चला रहा है जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किया जाता है और धन दिया जाता है।

(ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन लाटरियां चलाते हैं और लाटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि उनको मिलती हैं। लाभ प्राप्तकर्ताओं को धनराशियां भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी जाती हैं। इन मामलों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं चूंकि इन्हें अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र नहीं किया जाता है। तथापि राज्यों और संघ शासित क्षेत्र दिल्ली द्वारा पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान अर्जित शुद्ध लाभ के विषय में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। भारत सरकार के विभागों के तत्वावधान में आयोजित लाटरी टिकटों की बिक्री से प्राप्त धनराशि से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) सरकार के पास इस संबंध में कोई विशेष सूचना नहीं है।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शुद्ध लाभ 1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	32.85 लाख	58.23 लाख	38.91 लाख
2. असम	—	—	16,38,000
3. बिहार	फिलहाल कोई राज्य राटरी नहीं चलाई जा रही है।		
4. गुजरात	—	32,21,298	1,07,65,327
5. हरियाणा	2.80 लाख	23.91 लाख	103.94 लाख
6. हिमाचल प्रदेश	9.90 लाख	1.64 लाख	45.33 लाख
7. जम्मू और कश्मीर	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
8. कर्नाटक	186.00 लाख	206.00 लाख	238.00 लाख
9. केरल	1026,41,829	1,47,48,054	1,90,79,230
10. मध्य प्रदेश	82.00 लाख	96.00 लाख	72.82 लाख
11. महाराष्ट्र	435.71 लाख	587.55 लाख	599.77 लाख
12. मणिपुर	41,667	5.00 लाख	5,56,667
13. मेघालय	राज्य लाटरी 31-7-82 से शुरू की गई थी		15,16,000
14. नागालैंड	12 लाख	12 लाख	20 लाख
15. उड़ीसा	राज्य राज्य लाटरीज निलम्बित कर दी गई थी, लेकिन हाल ही में पुनः चालू की गई है।		
16. पंजाब	0.02 लाख (हानि)	19.62 लाख	103.96 लाख

1	2	3	4
17. राजस्थान	70.56 लाख	115.54 लाख	74.30 लाख
18. सिक्किम	6.30 लाख	8.00 लाख	14.12 लाख
19. तमिलनाडु	242 लाख	315 लाख	205 लाख
20. त्रिपुरा	—	65 लाख (लगभग)	—
21. उत्तर प्रदेश	10,00,000	161,50,000	302,00,680.59
22. पश्चिम बंगाल	192.15 लाख	138.87 लाख	59.65 लाख
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
24. अरुणाचल प्रदेश	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
25. चंडीगढ़	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
26. दादरा और नगर हवेली	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
27. दिल्ली	91.30 लाख	120.75 लाख	149.41 लाख
28. गोवा दमण और दीव	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
29. लक्षद्वीप	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
30. मिजोरम	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		
31. पांडिचेरी	कोई राज्य लाटरी नहीं चलाई जा रही है।		

रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण

9458. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रुग्ण इकाइयों का अधिग्रहण करने सम्बन्धी सरकार के मानदंड क्या हैं; और

(ख) इन मानदण्डों के अनुसार अब तक अधिग्रहीत की गई रुग्ण इकाइयों का व्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) एक औद्योगिक उपक्रम के प्रबन्ध को सरकार द्वारा अभिग्रहीत किया जा सकता है यदि वह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों 18 ए, 18-ए० ए० अथवा 18 एफ० ए० की शर्तों को पूरा करता है।

(ख) इस समय जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन सरकार के मनोनीत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है उनकी सूची संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	उपक्रम का लाभ
1	2
1.	मै० इण्डिया मशीनरी कम्पनी लि०, दासनगर, हावड़ा-5
2.	मै० श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कं०, डोइवाला, जिला देहरादून, उत्तर प्रदेश।
3.	मै० कृष्णा सिलेकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लि०, 17, राधा बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता-1
4.	मै० एशोसिएटेड इण्डस्ट्रीज (असम) लि०, (केमिकल यूनिट), डाकघर चन्द्रपुर, जिला कामरूप (असम)।
5.	मै० इण्डिया बेल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लि०, सतीश चन्द्र घोष लेन, सेरमपुर, जिला हुगली।
6.	मै० मोटर एण्ड मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स लि०, 10, जावपुर रोड, कलकत्ता-30
7.	मै० ग्लूकोनेट लि०, 2, दुर्गा चन्द्र डाक्टर लेन, कलकत्ता-14
8.	मै० एंजेल इण्डिया मशीन एण्ड टूल्स लि०, तारतल्ला रोड, कलकत्ता-53
9.	प्लाइनबोर्ड इण्डस्ट्रीज लि०, पामपुर, श्रीनगर (जम्मू तथा कश्मीर)।
10.	मै० ब्रिटनिया इंजी० कं० (टीटागढ़ यूनिट) कलकत्ता।

1	2
11.	मै० बंगाल पॉटरीज लि०, थापर हाउस, 25, ब्रैबोर्न रोड, कलकत्ता-1
12.	मै० कावेरी स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, पुड्डोकोट्टै, जिला कावेरी नगर-622501.
13.	मै० प्रिय लक्ष्मी मिल्स लि०, बड़ौदा।
14.	मै० श्री शुभलक्ष्मी मिल्स लि०, कैम्बे।
15.	मै० इन्दौर टैक्सटाइल्स लि०, उज्जैन (म० प्र०)।
16.	मै० सोमसुन्दरम् सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानेण्डल, जिला-रामनाथपुरम (तमिलनाडु)।
17.	मै० श्रीराम शुगर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बोबिल्ली (आंध्र प्रदेश)।
18.	मै० कोट्टायम टेक्सटाइल्स लि०, एट्टुमानूर (केरल)।
19.	मै० प्रभुराम मिल्स लि०, चेंगन्नूर (केरल)।
20.	मै० मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कालीकट।
21.	मै० आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाइवुड लि०, कलकत्ता।
22.	मै० स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।
23.	मै० श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कलकत्ता।
24.	मै० अल्युमिनियम कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०, कलकत्ता।
25.	मै० बंगाल इम्युनिटी कं० लि०, कलकत्ता।
26.	डा० पाल लोहनैन (इ) लि०, कलकत्ता।
27.	मै० श्रीराम शुगर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, (सीतानगरम एकक)।
28.	मै० ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इ) लि०, कलकत्ता।
29.	मै० लिली बिस्किट प्रा० लि०, कलकत्ता।
30.	मै० लिली बार्ले मिल्स लि०, कलकत्ता।
31.	मै० महादेव टेक्सटाइल्स मिल्स, हुबली।

1	2
32.	मै० अपोलो जिपर कं० प्रा० लि०, कलकत्ता ।
33.	मै० इण्डियन हेल्थ इन्स्टीट्यूट एण्ड लैबोरेटरी लि०, कलकत्ता ।
34.	मै० नेशनल आयरन एण्ड स्टील कं० लि०, कलकत्ता ।
35.	मै० श्री सरस्वती प्रेस लि०, कलकत्ता ।
36.	मै० शिवराज फाइन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर ।
37.	मै० मोतीपुर शुगर फैक्टरी लि०, मोतीपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार ।
38.	मै० मोहिनी मिल्स लि०, बेतघाडिया, पश्चिम बंगाल ।
39.	मै० कान्ति काटन मिल्स, सुरेन्द्र नगर, गुजरात ।

आंकड़े एकत्र करने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित स्थायी समिति

9459. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने हस्तशिल्प सहित विकेन्द्रीकृत क्षेत्रों में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक स्थायी समिति बनाई थी; और

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं । विकेन्द्रीकृत क्षेत्रकों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई स्थायी समिति नहीं है । तथापि, इस प्रयोजन के लिए विद्यमान व्यवस्था की पुनरीक्षा करने के लिए और उसमें सुधार के उपाय सुझाने के लिए एक स्थायी समिति है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस्पात की सभी मदों का भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा आयात

9460. **श्री के० ए० राजन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण को इस्पात की सभी मदों का एक मात्र आयातकर्त्ता बनाने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1982 में आयोजित क्लर्क ग्रेड परीक्षा

9461. **श्री अनवार अहमद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982 में आयोजित बड़ी संख्या में क्लर्क ग्रेड परीक्षा देने वाले उन उम्मीदवारों की विभिन्न कार्यालयों में नियुक्ति की सिफारिश की गई थी जिनके नाम मार्च, 1983 में सफल उम्मीदवारों की प्रथम सूची प्रकाशित नहीं किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे उम्मीदवारों की संख्या कितनी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) प्रयोक्ता कार्यालयों से बाद में प्राप्त होने वाली अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग एक रिजर्व सूची रखता है। लिपिक ग्रेड परीक्षा, 1982 से संबंधित रिजर्व सूची में से 2,686 उम्मीदवारों की समूह "एक्स" पदों (सभी मंत्रालय तथा इनके सम्बद्ध कार्यालयों) पर तथा समूह "जैड" पदों (दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान) पर नामित किया गया था। समूह "वाई" पदों (केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों) के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा इसे लोक सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति

9462. **श्री निहाल सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों को उनके स्कूल जाने वाले बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है परंतु उन्हें हाई स्कूल इन्टर के बोर्ड परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति नहीं करती है;

(ख) क्या सरकार के पास उपर्युक्त परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करने संबंधी कोई प्रस्ताव है जो कर्मचारी अपने बच्चों के बोर्ड फार्मों के साथ जमा करते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) जी नहीं। विद्यमान योजना केवल शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति तक ही सीमित है, इसलिए परीक्षा शुल्क सहित किसी अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

इलाहाबाद में स्व-नियोजन योजना

9463. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिला उद्योग केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा स्व-नियोजन योजना के अन्तर्गत अब तक कितने शिक्षित बेरोजगार लोगों को आर्थिक सहायता दी गई है; और

(ख) कितने नवयुवकों को आर्थिक सहायता दी गयी है और कितनी धनराशि की आर्थिक सहायता दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) 31-3-1984 तक जिला उद्योग केन्द्र, इलाहाबाद द्वारा 1381 शिक्षित बेरोजगार युवकों की सहायता की गई थी। उन्हें स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 315.30 लाख रुपये की राशि के बैंक ऋण मंजूर किए गए थे।

राष्ट्रीय समुद्री-विज्ञान सूचना प्रणाली के गठन का प्रस्ताव

9464. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास विभाग का किसी राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान सूचना प्रणाली का गठन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली के गठन का क्या प्रयोजन है और इसके काम काज का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्ष 1984-85 में क्या कदम उठाने का विचार किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महासागर विकास विभाग ने राष्ट्रीय समुद्र-विज्ञान संस्थान, गोआ में स्थित राष्ट्रीय समुद्र-वैज्ञानिक सांख्यिकी केन्द्र को सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है।

(ख) इस केन्द्र में हिन्द महासागर से संबंधित समुद्र-वैज्ञानिक आंकड़े रखे जाएंगे।

(ग) और (घ) चूंकि परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए है, इसलिए 1984-85 के दौरान इस केन्द्र की केवल सामान्य योजना तैयार किये जाने का प्रस्ताव है।

राज्यों में पर्यावरण संस्थानों की स्थापना

9465. **श्री राम बिहारी बहेरा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सभी राज्यों में पर्यावरण संस्थाओं की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी नहीं

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

महिला उद्यमियों को प्राथमिकता देना

9466. **श्री बृज मोहन महंती** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम ब्याज दर पर औद्योगिक स्थलों के लिए अग्रिम ऋणों के आबंटन के लिए महिला उद्यमियों को विशेष वरीयता प्रदान करने तथा लाइसेंस और कुटीरों (हरमिट्स) को देने में अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कोई मार्गनिदेश जारी किए हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उद्यमों की स्थापना करने के लिए महिलाओं को प्रेरित तथा प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में जो महिलाएं पहले से ही कार्य कर रही हैं उनके प्रयत्नों को सबल बनाने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस प्रकार के कोई भी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं, किन्तु लघु उद्यमियों को उपलब्ध सुविधाएं और प्रोत्साहन महिला उद्यमियों पर भी समान रूप से लागू हैं।

(ख) जी, हां। सरकार लघु उद्योग सेवा संस्थानों और अन्य अभिकरणों के माध्यम से

भावी उद्यमियों को स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने तथा इस क्षेत्र में पहले ही कार्यरत उद्यमियों के तकनीकी और प्रबंधकीय प्रयासों को सबल और प्रोन्नत करने के लिए परामर्शदायी सेवाओं तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने हेतु उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (जिनमें केवल महिलाओं के लिए ही कुछ कार्यक्रम शामिल हैं) को कार्यान्वित करती है।

सोने का उत्पादन

9467. **डा० कृपा सिन्धु भाई** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड द्वारा वर्ष 1983 में कितने सोने का उत्पादन किया गया।

(ख) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य क्या था; और

(ग) खानों से सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) भारत गोल्ड माइन्स लि० में कलेन्डर वर्ष 1983 में 14,15 कि० ग्रा० उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 1244 कि० ग्रा० स्वर्ण का उत्पादन किया।

स्वर्ण उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं :—

(1) कम्पनी ने आन्ध्र प्रदेश में रामगिरि में एक नई स्वर्ण खान का विकास किया है जिसके शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

(2) आन्ध्र प्रदेश के चियारगुन्टा में नए स्वर्ण निक्षेपों का विकास किया जा रहा है।

(3) कम्पनी स्वर्ण धातु निकासी की हीप लीविंग जैसी उन्नत तकनीकें अपनाकर अनेक वर्षों से जमा अपशिष्ट ढेरों से स्वर्ण का उत्पादन करने का प्रयास कर रही है।

(4) भारत गोल्ड माइन्स लि० के विशेषज्ञों को प्रशिक्षण सुविधाएं और परामर्शकों की सेवाएं प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा एक प्रोग्राम को स्वीकृति दी गई है ताकि गवेषण और खनन विशेषता में सुधार किया जा सके।

बिहार में वीडियो कैसेट्स एकक स्थापित करना

9468. **श्री कुंवर राम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वीडियो केसेट्स, केसेट्स प्लेयर और केसेट्स रिकार्डर बनाने वाले यूनिटों को स्थापित करने से सम्बन्धित बिहार सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी विभाग को बिहार सरकार से वीडियो कैसेटों, कैसेट प्लेयरों तथा कैसेट रिकार्डरों का विनिर्माण करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने हेतु इलेक्ट्रानिक क्षेत्र में निवेश

9469. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोनिक उद्योग में एक करोड़ रुपए के पूंजी-निवेश से 300 नौकरियों के अवसर पैदा किये गये हैं जबकि इसकी तुलना में रसायन अथवा पेट्रो-रसायन उद्योग में उतने ही निवेश से केवल 33 नौकरियों के ही अवसर पैदा किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की तस्करी को रोकने और इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में अधिक निवेश द्वारा रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनने के लिए, नीतियों को उदार न बनाने और इस क्षेत्र को प्रोत्साहन न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए कितने रुपये मूल्य की इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) अधिकांश इलेक्ट्रानिक उपस्कर उद्योग संयोजन-उन्मुख है और अगस्त 1978 की "इंजीनियरिंग वर्ल्ड" नामक पत्रिका में छपी रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में एक करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से 312 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होने चाहिए। उपस्कर तथा अन्य उच्च-प्रौद्योगिकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली इकाइयों में, जिनमें अब अधिक स्वचालित तकनीकें उपयोग में लाई जा रही हैं, ये और भी कम होंगे।

(ख) नीति काफी उदार है और इस दिशा में और भी उपाय किए जा रहे हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 में लगभग 1850 करोड़ रुपए मूल्य का उत्पादन होने की संभावना है।

दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्तों को चयन सूची पैनल (क) और (ख)

9470. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली पुलिस के कुछ स्थानापन्न और तदर्थ सहायक आयुक्तों को अवनत होने से बचाने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1980 और 1984 में स्वीकृत चयन सूचियों/पैनलों (क) और (ख) को कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) स्थायी और स्थानापन्न आधार पर दिल्ली अंण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा के ग्रेड-II में नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशासित अधिकारियों का पैनल सरकार के विचाराधीन है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत

9471. **श्री अजय विश्वास** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि समूचे देश में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत की तुलना में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : वर्ष 1982 के दौरान सारे भारत में सीमेंट की औसत खपत 32.45 कि० ग्रा० थी। इस अवधि के बीच उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत नीचे दर्शाई गई है :—

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्य का नाम	सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत (कि० ग्रा० में)
1. अरुणाचल प्रदेश	34.18
2. असम	14.58
3. मणिपुर	39.30
4. मेघालय	43.17
5. मिजोरम	26.10
6. नागालैंड	96.18
7. त्रिपुरा	12.12

सामान्य किस्मों के कागज की कीमतों में कमी

9472. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कागज मिलें सामान्य किस्मों के कागज के बिक्री मूल्यों में कमी करने पर सहमत हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सामान्य किस्मों के कागज की कीमतों में कितनी कमी की जाएगी; और

(ग) कागज मिलों को क्या-क्या-क्या रियायतें दी जा रही हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) कागज उद्योग की संयुक्त समिति नामक कागज निर्माताओं की एक प्रतिनिधि ऐसासिएशन ने घोषणा की है कि कागज मिलें आम किस्मों के कागज का बिक्री मूल्य 425 रु० प्रति मी० टन तक कम करने के लिए सहमत हो गई हैं ।

(ग) 1984-85 के बजट में कागज उद्योग के लिए अनेक वित्तीय राहतों और रियायतों की घोषणा की गई है । इनका संक्षिप्त रूप नीचे दिया गया है :—

(1) लिखाई, छपाई और क्राफ्ट कागज पर मूल उत्पादन शुल्क 425 रुपये प्रति मी० टन कम कर दिया गया है ।

(2) 50 प्रतिशत या अधिक की मात्रा में गैर-परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने वाली कागज मिलों के संबंध में, लिखाई, छपाई के कागज और क्राफ्ट कागज पर उत्पादन शुल्क जो पहले ही रियायती दर पर लगाया गया था, उसमें और कमी कर दी गयी है । इसके साथ ही गत्ते को, जिसे मिलों के इस वर्ग के लिए रियायती दरों के प्रयोजन से अब तक अलग रखा गया था, अब उत्पादन शुल्क की कम दरों के लिये अनुमति दे दी गई है ।

(3) छोटी कागज मिलों को, जो पहले भी उत्पादन शुल्क की रियायत दरों का लाभ उठा रही थीं, अब प्रेषणों के विभिन्न स्लैबों के अनुसार और राहत दी गई है । इस मामले में भी गत्ते के लिए उत्पादन शुल्क की कम दरें निर्धारित की गई हैं जिन्हें पहले शामिल नहीं किया गया था ।

(4) कागज के निर्माण के लिए आयातित लकड़ी लुगदी (वुड पल्प) पर सीमा शुल्क मूल्य के अनुसार 43 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है ।

(5) कागज के निर्माण के लिए आयातित वुड चिप्स पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है ।

संविधान के अनुच्छेद 25 का संशोधन

9473. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 2 अप्रैल, 1984 को सभा में गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसरण में कानून विशेषज्ञों के परामर्श से और श्री गुरुद्वारा प्रबंधक समिति तथा सिखों के अन्य संगठनों के अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुये संविधान के अनुच्छेद 25 की जांच करने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां तो किन-किन के साथ परामर्श किया गया है; और

(ग) परामर्श तथा संविधान के अनुच्छेद 25 में पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) सरकार ने 25 अप्रैल, 1984 को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर से ऐसे सुझाव अथवा प्रस्ताव आमन्त्रित किये हैं जिन्हें कमेटी इस विषय के संबंध में पेश करना चाहता है ।

हेनोवर मेले में गए प्रतिनिधिमंडल पर हुआ खर्च

9474. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस माह हेनोवर मेले में उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल गया था, यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन थे;

(ख) इस दौर पर भारत में की गई हवाई टिकटों की खरीद के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के रूप में कुल कितना खर्च हुआ; और

(ग) इससे क्या उपलब्धियां हुईं ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हेमोवर व्यापार मेला 1984 में भारत द्वारा भाग लेने के सम्बन्ध में केन्द्रीय उद्योग मंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमण्डल हेनोवर गया था । इस शिष्टमण्डल में भारत सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारी तथा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ, एशोसियेटिड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, भारतीय इंजीनियरी उद्योग संघ, इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद, भारतीय निर्यात संगठन संघ एवं इन्डो-जर्मन चेम्बर आफ कामर्स जैसे संघों तथा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे ।

(ख) शिष्टमण्डल के सरकारी सदस्यों, जैसा संलग्न सूची में दिया गया है, के डेपुटेशन पर हुए खर्चे को सरकार द्वारा वहन किया गया है । विभिन्न सदस्यों की डेपुटेशन की अवधि 2 से 11

अप्रैल, 1984 के बीच अलग-अलग थी। उन्हें 25.5 डालर प्रतिदिन की दर से नकद भत्ता तथा 18.00 डालर प्रतिदिन की दर से परिवहन भत्ता दिया गया था। उन्हें होटल में आवास भी उपलब्ध कराया गया जिसका प्रबन्ध भारतीय दूतावास, बोन ने किया था।

(ग) भारत ने "भागीदार देश" की हैसियत से हेनोवर व्यापार मेला, 1984 में भाग लिया जहां पर निजी तथा सरकारी क्षेत्र की 450 भारतीय कम्पनियों ने लगभग 23,000 वर्गमीटर क्षेत्र में अपने उत्पादों तथा सेवाओं का प्रदर्शन किया।

इसमें भाग लेकर भारतीय इंजीनियरी योग्यताओं को एक ही मण्डप, जिसे इस प्रकार के किसी भी मेले में भारत की सबसे बड़ी भागीदारी माना जाता है, में प्रदर्शित किया जाना सम्भव हुआ था। भारतीय उद्योग की योग्यताओं के बारे में विश्व बाजार को परिचित करने के लिए मेले के दौरान अनेक गोष्ठियों तथा सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया था और भारत सरकार की नीतियों तथा प्रौद्योगिकी एवं औद्योगिक विकास कार्यक्रमों को प्रदर्शित करने के लिए भी इस उठाया गया था। यह आशा की जाती है कि इस सहभागिता के फलस्वरूप अवसर का लाभ भारतीय उद्योग के निर्यात कार्य में वृद्धि होगी तथा विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी आकृष्ट होगी।

विवरण

1. श्री नारायण दत्त तिवारी, उद्योग मन्त्री
2. श्री डी० वी० कपूर, सचिव, भारी उद्योग विभाग
3. श्री पी० पी० खन्ना, विकास आयुक्त, लघु उद्योग
4. श्री एस० एल० कपूर, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास विभाग
5. श्री एन० एन० खन्ना, संयुक्त सचिव, वाणिज्य मन्त्रालय
6. श्री जे० दौलत सिंह, संयुक्त सचिव, विदेश कार्य मन्त्रालय
7. श्री के० एस० राव, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग
8. श्री आर० एम० सेठी, उद्योग मन्त्री के निजी सचिव
9. श्री एस० घोष, संयुक्त सचिव, इलैक्ट्रोनिक्स विभाग
10. श्री के० सुब्रामुनियम, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग
11. श्री के० एस० मल्लिक, अवर सचिव, भारी उद्योग विभाग

असम में पंजाब तथा अन्य राज्यों से उग्रवादियों की घुसपैठ

9475. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विदेशी नागरिक सम्बन्धी समस्या के समाधान में विलम्ब से वहां पंजाब जैसा आन्दोलन हो सकता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पड़ोसी राज्यों और पंजाब से अनेक उग्रवादी पहले ही असम में घुस चुके हैं और वहां पर उग्रवादी नीतियों का प्रचार कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है कि विदेशियों के मुद्दे पर पुनः बातचीत करने के लिए दरवाजे खुले हैं और सरकार, राज्य सरकार और सभी सम्बन्धितों के साथ परामर्श करके एक न्यायोचित और सन्तोषजनक हल ढूढ़ने के लिए उत्सुक है। यदि आज तक हल निकालना संभव नहीं हुआ है तो यह सरकार की तरफ से प्रयत्नों के अभाव के कारण नहीं हुआ है। इस दौरान सरकार, सामान्य हालात बहाल करने और बातचीत के लिए अनुकूल और सहायक वातावरण तैयार करने के लिए प्रयत्न कर रही है। राज्य में लोकप्रिय सरकार द्वारा कार्यभार संभालने के बाद से आपस में कानून और व्यवस्था की स्थिति में प्रत्यक्ष सुधार हुआ है।

(ख) सरकार, असम कुछ तत्वों द्वारा उत्तर पूर्व में विद्रोही तत्वों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के प्रयत्नों बारे में अवगत है।

(ग) क्षेत्र में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के समन्वय से असम में उग्रवादी गतिविधियों को नियन्त्रित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

देश में इलेक्ट्रोनिक घड़ियों और कम्प्यूटरों का उत्पादन

9476. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में इलेक्ट्रोनिक घडियों और कम्प्यूटरों का वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ख) क्या उनकी मांग की तुलना में उत्पादन बहुत कम होता है;

(ग) क्या अपर्याप्त उत्पादन के कारण इलेक्ट्रोनिक घड़ियों और कम्प्यूटरों का आयात करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इलेक्ट्रोनिक फैक्ट्री स्थापित करने की कोई योजना विचाराधीन है और उसका ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 1983 में कुल उत्पादन नीचे दिए अनुसार हुआ :

इलेक्ट्रोनिक घडियां	—	4.4 करोड़ रु०
कम्प्यूटर	—	78 करोड़ रु०

(ख) तथा (ग) जहां तक इलेक्ट्रानिक घडियों का सम्बन्ध है इनका उत्पादन वास्तविक मांग से कम हुआ जबकि इनके उत्पादन की क्षमता मौजूद है। इसका कारण यह है कि वास्तविक मांग का काफी अधिक भाग गैर-सरकारी आयात द्वारा पूरा किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत असबाब के अंतर्गत किया गया आयात भी शामिल है, क्योंकि इनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम है।

जहां तक कम्प्यूटरों का संबंध है, यह आशा की जाती है कि कम्प्यूटरों की मांग की तुलना में उत्पादन 35 से 40 प्रतिशत कम है और इस कमी को आयात द्वारा पूरा किया जाता है। कम शक्ति वाले एवं ई० डी० पी० अनुप्रयोगों, आंकड़ा प्रविष्टि प्रणालियों, शब्द संसाधकों, आदि के क्षेत्र में कुल मिलाकर आत्मनिर्भरता हासिल कर ली गई है। किन्तु, प्रक्रिया नियंत्रण तथा आन-लाइन एवं संव्यवहार-उन्मुख अनुप्रयोगों मिडी/मैक्सी कम्प्यूटरों से संबंधित विशिष्ट किस्म के अनु-प्रयोगों के क्षेत्र में उत्पादन में अन्तराल विद्यमान है, क्योंकि इनका स्थानीय विनिर्माण अपर्याप्त है।

(घ) इलेक्ट्रोनिकी घड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त उत्पादन-क्षमता उपलब्ध है। यह आशा की जाती है कि विदेशों में निर्मित इलेक्ट्रानिक घड़ियों का प्रचलन क्रमशः कम होता जाएगा, क्योंकि गैर-सरकारी माध्यम से आयातित घड़ियों के कार्य-निष्पादन तथा विश्वस-नीयता के संबंध में कोई गारंटी नहीं है।

जहां तक कम्प्यूटरों का संबंध है, मिडी/मैक्सी कम्प्यूटरों के विनिर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई को बढ़ावा देने की सरकार की योजना है। प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए एक विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किया जा चुका है।

पूंजीगत माल का आयात

9477. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्ष 1983-84 के प्रथम दस महीनों में 472.74 करोड़ रुपये के पूंजीगत माल के मंजूर किए गये आयात का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन औद्योगिक एककों के कारण 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में पूंजीगत माल के मंजूर किए गये आयात में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) अप्रैल से दिसम्बर, 1983 की अवधि में पूंजीगत माल (प्रमुख) समिति द्वारा पूंजीगत माल के वितरण हेतु दी गई आयात स्वीकृतियों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) वर्ष 1982-83 में इसी अवधि की तुलना में पूंजीगत माल संबंधी आयात स्वीकृतियों में मुख्यत: 40 प्रतिशत तक का योगदान करने वाले बड़े औद्योगिक समूह निम्नलिखित हैं—

1. मोटर-गाड़ी उद्योग
2. विद्युत
3. इलेक्ट्रानिकी
4. इंजीनियरिंग
5. लौह अयस्क तथा लौह-इस्पात उत्पाद
6. सीमेंट, सैरेमिक तथा तापसह (रिफैक्ट्री)
7. रसायन
8. कागज, गत्ता
9. सूती वस्त्र
10. मानव निर्मित रेशे

विवरण

अप्रैल-दिसम्बर 1983 में पूंजीगत माल (प्रमुख) समिति द्वारा दी गई पूंजीगत माल सम्बन्धी स्वीकृतियों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य	मूल्य
1	2
1. आंध्र प्रदेश	61.14
2. असम	3.66
3. बिहार	28.01

1	2
4. गोवा	3.76
5. गुजरात	40.73
6. हरियाणा	18.00
7. हिमाचल प्रदेश	1.68
8. जम्मू तथा कश्मीर	0.37
9. कर्नाटक	26.37
10. केरल	3.84
11. मध्य प्रदेश	31.16
12. महाराष्ट्र	71.32
13. उड़ीसा	27.07
14. पंजाब	14.31
15. राजस्थान	47.10
16. तमिलनाडु	43.18
17. उत्तर प्रदेश	39.47
18. पश्चिम बंगाल	8.23
संघ शासित क्षेत्र	
19. अरुणाचल प्रदेश	0.31
20. चंडीगढ़	1.76
21. मिजोरम	1.03
22. पांडिचेरी	0.16
योग :	472.74

पूंजीगत माल (प्रमुख) समिति द्वारा की गई पूंजीगत माल संबंधी स्वीकृतियों का उद्योग-वार ब्यौरा

(लाख रु० में)

उद्योग	1982	1983
	(अप्रैल-दिसम्बर)	(अप्रैल-दिसम्बर)
1. मोटरगाड़ियां	3162.34	5493.41
2. विद्युत	2551.50	6666.16
3. इलेक्ट्रानिकी	138.53	349.44
4. इंजीनियरी	3707.30	4417.20
5. लौह-अयस्क तथा लोहा इस्पात उत्पादन	2948.31	3632.78
6. अलौह धातुएं	1055.83	563.54
7. सीमेंट, सैरेमिक्स तथा तापसह (रिफ्रैक्ट्री)	2970.60	4155.31
8. रसायन	3949.44	7226.21
9. रबर तथा रबड़ का सामान	1505.97	111.40
10. कागज, कागज गत्ता	1485.95	1603.12
11. सूती वस्त्र	186.04	191.36
12. अन्य वस्त्र	3220.99	2461.13
13. मानव निर्मित रेशे	1865.79	3877.23
14. औद्योगिक गैस	35.83	—
15. विविध	4986.34	6525.21
योग :	32770.66	47273.50

राजस्थान में सीमेंट संयंत्र लगाना

9478. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राज्य में लघु सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्रवाई की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम लि० (जो राज्य सरकार का एक उपक्रम है) को जयपुर और बनासवाड़ा जिलों में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए दो औद्योगिक लाइसेंस और सिरोही जोधपुर व पाली जिलों में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु तीन आशयपत्र स्वीकृत किए गए हैं ।

अजमेर जिले में एक मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु उक्त निगम से 19.10.1983 को प्राप्त आवेदनपत्र को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, क्योंकि यह देश में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने संबंधी चालू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा घरेलू उत्पादों की रिकार्ड बिक्री

9479. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने घरेलू उत्पादों की रिकार्ड बिक्री की है, आयात में भारी कटौती की है और वस्तु-सूची (इन्वेंट्री) में भी भारी कमी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस प्रकार कितनी बचत की गई है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान देश में उत्पादित इस्पात की बिक्री 53.6 लाख टन हुई जबकि वर्ष 1982-83 में बिक्री 50.9 लाख टन हुई थी, माध्यम अभिकरणों की मार्फत 5.7 लाख टन इस्पात आयात किया गया जबकि वर्ष 1982-83 के दौरान 13.2 लाख टन इस्पात आयात किया गया था, कारखानों तथा घरेलू बिक्री के स्टाकयार्डों में इस्पात का स्टाक 7.4 लाख टन घटकर 7.3 लाख टन रह गया। माध्यम अभिकरणों की मार्फत किए जाने वाले आयात में कमी करने के परिणामस्वरूप

विदेशी मुद्रा में 251.6 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस्पात के स्टाक में कमी हो जाने के कारण बैंक ओवर-ड्राफ्ट में 134 करोड़ रुपये की कमी हुई है।

धारचूला कस्बा, पिथौरागढ़ (उ० प्र०) को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करना

9480. **श्री हरीश रावत** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उत्तर प्रदेश में धारचूला कस्बे (पिथौरागढ़) को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां जाने और ठहरने के लिये भारतीय राष्ट्रिकों को भी विशेष अनुमति लेनी पड़ती है;

(ग) यदि हां, तो क्या लोग इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग करते रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले का धारचूला अधिसूचित क्षेत्र में आता है जैसा कि आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है और उस क्षेत्र में निवास न करने वाले व्यक्तियों को वहां प्रवेश करने और ठहरने के लिए परमिट प्राप्त करना पड़ता है।

(ग) तथा (घ) सरकार ने सुझाव पर विचार किया था लेकिन सुरक्षा के आधार पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सका।

देश के फाउन्ड्री एकक द्वारा प्रदूषण

9481. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश के फाउन्ड्री एकक प्रदूषण पैदा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने फाउंड्री एककों को तत्सम्बन्धी उपचारात्मक उपाय करने के लिए क्या निदेश भेजे हैं; और

(ग) फाउन्ड्री एककों द्वारा अब तक किए गए उपचारात्मक उपायों का क्या ब्यौरा है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देश भर की फाउन्ड्रियों को मार्गदर्शी सिद्धांत प्रेषित नहीं किए गए हैं। फिर भी आगरा क्षेत्र में स्थित फाउंड्रियों के लिए प्रदूषण नियंत्रण हेतु विशेष सिफारिशें की गई हैं।

(ग) किए जा रहे उपायों में निस्सारों में कमी लाने के लिए प्रक्रिया तथा संरचना का आशोधन, संचालन में तब्दीली लाना, आवेशित होने वाले पदार्थ का चयन, प्रदूषण नियंत्रण के तरीकों का उपयोग तथा उचित ईंधन की तब्दीली है।

तिहाड़ जेल में एक युवक की मृत्यु

9482. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1984 के इंडियन एक्सप्रेस में "मिस्टीरियस डेथ आफ यूथ इन तिहाड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) हिरासत/जेलों में गंभीर रूप से बीमार पड़ जाने वाले विचारणाधीन कैदियों/दोषसिद्ध कैदियों के उपचार के संबंध में क्या नियम/आदेश हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) युवक, श्री नरेश कुमार नय्यर को, जिसे पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया सं० की धारा 107/151 के तहत गिरफ्तार किया गया था, 11 अप्रैल 1984 को जिला जेल, तिहाड़ में बन्द किया गया था। यह पाया गया कि उसे डाईबिटीज की शिकायत थी और इसलिए उसे केन्द्रीय जेल तिहाड़ में स्थानांतरित किया गया और उसी दिन शाम को केन्द्रीय जेल अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। चूंकि उसकी हालत गंभीर थी, उसे लोक नायक जयप्रकाश नारायण हस्पताल भेजा गया जहां 16 अप्रैल, 1984 को उसकी मृत्यु हो गयी।

मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं और यह की जा रही है।

(ग) दिल्ली में जेलों में कैदियों का उपचार केन्द्रीय जेल अस्पताल में किया जाता है और जिन्हें विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता होती है उन्हें दिल्ली में अस्पतालों में भेजा जाता है।

भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए विधान

9483. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ के कार्यों के सम्बन्ध में सरकारी सेवा में और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए विधान बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्धों को अधिनियमित किये जाने के 34 वर्ष हो जाने के बाद भी, क्रियान्वित न करने और भर्ती और सेवा की शर्तों को राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों और उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों (जो न्याय नहीं है) द्वारा विनियमित करते रहने के कारण क्या हैं; और

(घ) क्या संविधान के अनुच्छेद 311 में विनिर्दिष्ट उपबन्ध रक्षा सेवाओं (असैनिकों) पर भी लागू होते हैं और यदि नहीं, तो उनकी सेवाओं को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विनियमित किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संविधान का अनुच्छेद 309 न केवल यह प्रावधान करता है कि संघ के कार्यकलापों से संबंधित लोक सेवाओं में और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए अधिनियम बनाया जाए अपितु यह भी प्रावधान करता है कि जब तक किसी अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन इस तरह के मामलों के संबंध में प्रावधान न किए जाएं तब तक राष्ट्रपति इन मामलों के विनियमन के संबंध में नियम बना सकते हैं। यद्यपि कुछ मामलों में जैसे कि अखिल भारतीय सेवाओं के मामले में विधियां बना दी गई हैं किंतु अन्य मामलों में यह अधिक उपयुक्त समझा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्तियों के अधीन नियम और विनियम जारी किए जाएं ।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 310 में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा का सदस्य है अथवा रक्षा से संबंधित किसी पद को धारण करता है, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करता है । तथापि, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली, 1965 भी, जिसमें अनुच्छेद 311 पर आधारित उपबंध शामिल किए गए हैं, रक्षा सेवाओं के प्रत्येक सिविलियन सरकारी सेवक पर इस शर्त पर लागू होते हैं कि जहां लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से उपयुक्त प्राधिकारी की राय में अधिक सख्त कार्रवाई की जरूरत हो वहां वह यह निदेश दे सकता है कि इस तरह के किसी व्यक्ति पर कार्रवाई, सेना अधिनियम, नौ सेना अधिनियम अथवा वायु सेना अधिनियम जैसे किसी ऐसे अधिनियम के अधीन की जानी चाहिए जिसके अध्यधीन उसे अस्थायी तौर पर रखा गया हो ।

दिल्ली पुलिस में अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदों का सृजन

9484. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980 में वित्त मंत्रालय के कार्यकारी निरीक्षण एकक के माध्यम से, दिल्ली पुलिस में अनुसचिवीय कर्मचारियों को कमी के बारे में अध्ययन करने के आदेश दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारी निरीक्षण एकक ने और अधिक अनुसचिवीय कर्मचारियों के पदों के सृजन की सिफारिश की थी;

(ग) अब तक अनुसचिवीय कर्मचारी संवर्ग के कुल कितने पदों का सृजन किया गया है तथा ये पद गत चार वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस में स्वीकृत कार्यकारी पदों की तुलना में कितने प्रतिशत हैं;

(घ) क्या अनुसचिवीय कर्मचारियों को भी रात में गश्त लगाने तथा कानून और व्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित ड्यूटी पर भी तैनात किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो पदों के सृजन के मामले में इन दोनों संवर्गों में असमानता होने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) दिल्ली पुलिस के अनुसचिवीय संवर्ग में कर्मचारिमों की कुल स्वीकृत संख्या 1003 है। गत चार वर्षों अर्थात् जनवरी, 1980 से जनवरी, 1984 के दौरान कार्यकारी संवर्ग में 6609 पदों का और अनुसचिवीय संवर्ग में 117 पदों का सृजन किया गया है। अनुसचिवीय संवर्ग में सृजित नए पदों की तुलना में कार्यकारी संवर्ग में सृजित किए गए पदों की प्रतिशतता 1.76 होती है ।

(घ) जी हां, श्रीमान ।

(ङ) अनुसचिवीय और कार्यकारी संवर्ग में पदों का सृजन आवश्यकता के मूल्यांकन के आधार पर होता है । कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा यथा अनुशंसित अनुसचिवीय संवर्ग में अतिरिक्त पदों का सृजन पदों के सृजन पर आर्थिक प्रतिबन्ध को उठाए जाने के बाद विचार किया जाएगा ।

थानाध्यक्ष, डिफेंस कालोनी और पुलिस चौकी इन्चार्ज, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

9485. **श्री छांगुर राम** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उप पुलिस आयुक्त और अन्य संबंधित अधिकारियों को पिछले तीन महीने के दौरान थानाध्यक्ष, डिफेंस कालोनी और पुलिस चौकी इन्चार्ज, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से कितनी शिकायतें उनके दुर्व्यवहार और घूस लेने के बारे में हैं तथा अन्य शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 8 फरवरी, 1984 को कोटला मुबारकपुर के दुकानदारों ने चौकी इंचार्ज थानाध्यक्ष के व्यवहार के विरोध में बाजार बन्दर रखा था और पुलिस चौकी पर प्रदर्शन किया था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान थानाध्यक्ष, डिफेंस कालोनी के विरुद्ध दो शिकायतें और पुलिस चौकी इंचार्ज, कोटला मुबारकपुर के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इनमें से चार शिकायतों में भ्रष्टाचार तथा दुर्व्यवहार के आरोप हैं और पांचवीं शिकायत में निष्क्रियता का आरोप है।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) शिकायतों में लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है और संबंधित पुलिस कर्मचारियों का अन्य स्थानों को स्थानांतरण कर दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध उपबन्ध

9486. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई आरक्षण नीति का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कुछ उपबन्ध करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार के ध्यान में कुछ मामले आये हैं; और

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य-वार उनका ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) इस आशय के उपबंध पहले से ही विद्यमान हैं कि यदि किसी कार्यालय में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और रियायतों संबंधी आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया जाए तो उसकी जानकारी समुचित प्राधिकारियों को दी जानी चाहिए जिससे कि उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई की जा सके। संपर्क अधिकारी के लिए भी यह आवश्यक है कि वह रोस्टरों का वार्षिक निरीक्षण करें और यदि कोई अनियमियताएं पाई जाएं तो उसकी जानकारी सचिव/अपर सचिव/विभागाध्यक्ष को दी जानी होती है ताकि उसे ठीक करने के संबंध में अपेक्षित उपाय किए जा सकें।

(ख) इसके सम्बन्ध में सांख्यिकीय ब्यौरे नहीं रखे जाते क्योंकि जब कभी कोई मामला भेजा जाता है तो उसमें उपचारात्मक कार्रवाई मुस्तैदी से की जाती है।

(ग) राज्य लोक सेवाएं संविधान की सातवीं अनुसूची में सम्मिलित की गई हैं और ये सेवाएं पूर्णतः राज्य सरकारों की अधिकारिता के भीतर आती हैं। इसलिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी आदेशों का क्रियान्वयन

9487. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बी० एच० ई० एल० के आर० ओ० डी० कार्यालय, मद्रास और बी० एच० ई० एल०/पी० पी० एस० आर०, मद्रास के लिए सीधी भर्ती करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में सरकार के क्या आदेश थे;

(ख) क्या पदोन्नतियों और स्थायीकरण के स्तर पर इन आदेशों का उनके जारी करने के तारीख से पालन नहीं किया गया;

(ग) यदि क्रियान्वित किए गए हैं, तो उनका संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि क्रियान्वित नहीं किए गए हैं तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) बी० एच० ई० एल० के मद्रास में स्थित कार्यालयों के लिए सीधी भर्ती हेतु सरकारी आदेशों के अनुसार अनुसूक्ति जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित आरक्षण निम्नलिखित रूप से है :—

	अन० जाति	अनु० जनजाति
(1) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा के जरिये सीधी भर्ती	15%	7½%

(2) उपरोक्त (1) को छोड़कर अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती	$16\frac{2}{3}$ %	$7\frac{1}{2}$%
(3) ग तथा घ समूहों के पदों के लिए सीधी भर्ती जो सामान्यत: एक स्थान या क्षेत्र के अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है	18%	5%

(ख) से (घ) एककों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

"न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत गुजरात को आबंटित धनराशि

9488. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 19 2-83 और 1983-84 के दौरान "न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम" के अंतर्गत गुजरात को कितनी धनराशि आबंटित की गई थी;

(ख) गत तीन वर्षों में गुजरात सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) उक्त कार्यक्रम हेतु वर्ष 1984-85 के लिए किए गए आबंटन का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सदन के सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

(ग) आबंटनों का हिसाब लगाया जा रहा है।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम—गुजरात परिव्यय/व्यय

(लाख रु०)

कार्यक्रम का नाम	1982-83		1983-84	
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय	प्रत्याशित व्यय
1	2	3	4	5
ग्रामीण विद्युतीकरण	75.00	39.00	90.00	100.00
ग्रामीम सड़कें	500.00	542.00	500.00	550.00

1	2	3	4	5
प्राथमिक शिक्षा	604.00	604.00	600.00	715.00
प्रौढ़ शिक्षा	50.00	50.00	50.00	52.00
ग्रामीण स्वास्थ्य	465.00	428.00	606.00	606.00
ग्रामीण जल आपूर्ति	1205.00	987.00	1600.00	1600.00
ग्रामीण आवास	630.00	549.00	720.00	720.00
गंदी बस्तियों के पर्यावरण में सुधार	60.00	57.00	100.00	100.00
पोषाहार	300.00	296.00	350.00	350.00
जोड़	3889.00	3552.00	4616.00	4793.00

नमक-आयुक्त कार्यालय, जयपुर द्वारा श्रमिक ठेका के सम्बन्ध में टेंडर आमंत्रित किया जाना

9489. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक आयुक्त, जयपुर ने सरकारी नकम भण्डागार, साल्किया, हावड़ा के लिए दिनांक 31 अगस्त, 1983 के "अमृत बाजार पत्रिका" में ठेका श्रमिक के संबंध में टेंडर आमंत्रित किया था;

(ख) क्या पार्टियों को टेंडर सम्बन्धी कागजात 3 सितम्बर, 1983 से पहले उपलब्ध नहीं थे जब कि जयपुर में टेंडर पेश करने की अन्तिम तारीख 15 सितम्बर, 1983 थी, तब टेंडर पेश करने की अवधि न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त टेंडर को अंतिम रूप दे दिया गया है, यदि हां, तो उक्त ठेका किसको दिया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी, कि इस टेंडर के लिए पर्याप्त और विस्तार से प्रचार नहीं किया गया था और यातायात संबंधी आंकड़े काल्पनिक थे तथा गत तीन वर्षों के दौरान संचालित किए गए वास्तविक यातायात पर आधारित नहीं थे; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी थी कि लगभग गत 22 वर्ष से लेबर कोआप-रेटिव सोसाइटी ने उक्त ठेका ले रखा है जो नमक संबंधी कार्य में लगे मजदूरों के हित में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है और उसने 22 मजदूरों को भी स्थाई पद और अन्य लाभ नहीं दिए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। टेन्डर के कागजात 3 सितम्बर, 1983 से पूर्व सहायक नमक आयुक्त, कलकत्ता के पास उपलब्ध थे।

चूंकि पहला ठेका 6 अक्तूबर, 1983 को समाप्त होना था, टेन्डर देने की आखिरी तारीख बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा गया था।

(ग) जी, हां। मैसर्स हैन्डलिंग पोर्ट्स को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड, कलकत्ता को ठेका दे दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। टेन्डर का पर्याप्त प्रचार किया गया था, क्योंकि यह सूचना न केवल अमृत बाजार पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी, बल्कि कलकत्ता के तीन अन्य दैनिक समाचारपत्रों अर्थात् "आनन्द बाजार पत्रिका", "विश्वामित्र पत्रिका" तथा "अकबर मशरिक" में भी प्रकाशित हुई थी। यातायात संबंधी आंकड़े गत दस वर्षों में किये गए अधिकतम कारोबार पर आधारित थे।

(ङ) सोसाइटी के बारे में समझा जाता है कि उसके पास 70 से 80 श्रमिक हैं, किन्तु सोसाइटी द्वारा कोई भी श्रमिक स्थायी तौर पर नहीं रखा गया है।

यूनियनों द्वारा भारी इन्जीनियरी निगम के मकानों का कार्यालयों के रूप में उपयोग किया जाना

9490. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची स्थित भारी इंजीनियरी निगम में अनेक यूनियनों ने अपने कार्यालयों के लिए कम्पनी के बहुत सारे मकानों पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन यूनियनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कम्पनी के एक मकान पर कब्जा करने के आरोप में हटिया कामगार यूनियन के तीन पदाधिकारियों को पिछले कई महीनों से निलम्बित कर दिया गया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में निगम द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनियनों के विवरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) और (घ) जी, हां । मकान खाली कराने की दृष्टि से हटिया कामगार यूनियन के तीन पदाधिकारी 12-4-1983 से निलम्बित हैं और भविष्य में कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत कब्जे को रोकने के लिए सख्त कदम उठाये गये हैं ।

विवरण

यूनियनों के विवरण, जिन्होंने एच० ई० सी० के मकानों पर अनधिकृत कब्जा कर रखा है

क्रमांक यूनियन का नाम	कब्जे किये गये मकानों की संख्या	कब्जा करने का महीना और वर्ष
1	2	3
1. एच० ई० सी० आर्टीशियन एसोसिएशन	2	जनवरी 1971 फरवरी 1979
2. हटिया कामगार यूनियन	1*	मार्च 1973
3. आदिवासी विकास परिषद	1	अप्रैल 1973
4. छात्र संघर्ष समिति	1	मई 1977
5. हटिया मजदूर यूनियन	2	मई 1977
6. कांग्रेस पार्टी	2	मई 1977
7. हटिया श्रमिक संघ	3	जून 1977 जुलाई 1977 मार्च 1978
8. झारखण्ड पार्टी	1	जून 1977
9. हटिया प्रोजेक्ट वर्क्स यूनियन	3	जून 1977 फरवरी 1978

1	2	3
10. श्रमिक शिक्षा संघ	1	जुलाई 1977
11. एच० ई० सी० अप्रैन्टिस एसोसिएशन	1	अगस्त 1977
12. हटिया कामगार परिषद	1	सितम्बर 1977
13. डिप्रैस्ड क्लास लीग	1	जुलाई 1980
14. यूथ कांग्रेस (आई)	1	जनवरी 1981
15. हटिया मजदूर पंचायत	1	दिसम्बर 1977
16. निम्नलिखित क्लब :—		
नेहरू जन कल्याण समिति	1	जनवरी 1976
अम्बेडकर एम० एस० एम० एल० क्लब	1	अक्तूबर 1977
पीस कमेटी	1	अप्रैल 1978
राम मनोहर लोहिया क्लब	1	अप्रैल 1979
रिक्रीएशन क्लब	1	अप्रैल 1980
संजय क्लब	1	जनवरी 1981
सहजानन्द सरस्वती क्लब	1	फरवरी 1981
आई० एस० क्लब	1	जुलाई 1982
एम० जी० एम० क्लब	1	अगस्त 1982
योग	31	

*यह हटिया कामगार यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा 12-4-83 को क्वार्टर का कब्जा करने के अलावा है।

नोट : उपर्युक्त सूची में 1983 से बाद के मामले शामिल नहीं हैं, जिनमें कुछ मामलों में निलम्बन सहित कार्यवाही के परिणामस्वरूप अवैध रूप से कब्जा किये गये मकानों को खाली कराया गया है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय

9491. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति इंजीनियरी आय में कितने प्रतिशत अंतर रहा; और

(ख) क्या अब इस अंतर में वृद्धि हुई है अथवा कमी हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है।

सरकारी सेवा में स्वतन्त्रा सेनानियों को सेवा निवृत्ति की आयु में ढील दिया जाना

9492. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी सेवा में स्वतन्त्रना सेनानियों की सेवा निवृत्ति की आयु में ढील दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भी विचार स्वतन्त्रता सैनानी सरकारी कर्मचारियों के मामलों में ऐसी ढील देने का है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) चूंकि संविधान के अधीन राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु सहित उनकी सेवा शर्तों का संबंध पूर्णतया राज्य सरकारों से होता है, इसलिए केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) चूंकि सेवा शर्त के रूप में सेवा निवृत्ति की आयु केन्द्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान है, इसलिए यह उचित नहीं होगा कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सेवा निवृत्ति की आयु अलग से निर्धारित की जाए।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये गये आदिवासी परिवार

9493. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने आदिवासी परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया जाना था;

(ख) क्या सरकार ने आदिवासी परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के स्वरूप के संबंध में कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) क्षेत्रवार विशिष्ट योजनाएं क्या हैं और परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 23 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वन, कुटीर और लघु उद्योगों के अन्तर्गत विशिष्ट योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा आई० आर० डी० कार्यक्रमों के मानदण्डों के अनुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है।

उड़ीसा के स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी धन

9494. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के उन स्वयंसेवी संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्होंने गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों से धन प्राप्त किया है;

(ख) इन संगठनों को दी गई ऐसी सहायता का क्या प्रयोजन है और उनके द्वारा खर्च किए गए धन के क्या लक्ष्य और उद्देश्य हैं और इससे क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) क्या ये स्वयंसेवी संगठन अपनी विदेशी एजेंसियों के माध्यम से धन सीधे प्राप्त कर रहे हैं अथवा सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं;

(घ) इन संगठनों द्वारा यदि कोई कार्य और कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं; तो क्या उन पर निगरानी करने के लिए सरकार ने कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) 1979 से 1983 तक गत 5 वर्षों के लिए विदेशी अभिदाय की प्राप्ति से संबंधित आंकड़ों का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। इन वर्षों की विवरणियों का संगणकीकरण होने के बाद ही सूचना उपलब्ध होगी।

(घ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत इन संगठनों द्वारा आरम्भ किए गए कार्यों और कार्यक्रमों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टों में संशोधन

9495. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट लिखने की वर्तमान प्रणाली के संबंध में इन कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकारी कर्मचारियों के संबंध से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार, विशेषकर कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, गोपनीय रिपोर्ट लिखने की प्रणाली को समाप्त/संशोधित करने का है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) गोपनीय रिपोर्ट लिखने की वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए संयुक्त परामर्श तंत्र की राष्ट्रीय परिषद् के कर्मचारी पक्ष ने कुछ सुझाव दिए हैं। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने गोपनीय रिपोर्ट में सुधार लाने के संबंध में इनके लिखने की वर्तमान प्रणाली पुनरीक्षा आरम्भ कर दी है। इनकी पुनरीक्षा करते समय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

देश की कागज मिलों का ब्यौरा

9496. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी कागज मिलें कार्य कर रही हैं तथा उनका वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) उन कागज मिलों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है जो देश में निर्माणाधीन हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी और वे कब से कार्य शुरू कर देंगी;

(ग) क्या देश में की अखबारी कागज तथा अन्य प्रकार के कागज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए देश में और अधिक कागज मिलें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) अपने यहां कागज मिलें स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त हुए आवेदनों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) इन आवेदनों को स्वीकृति देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी ।

आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इण्डिया (पुणे) द्वारा किये गये ईंधन दक्षता परीक्षण

9497. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **उद्योग मंत्री** असाधारण राजपत्र भाग दो के खंड 3 उप खंड (एक)में प्रकाशित वित्त मंत्रालय के सीमा शुल्क की अधिसूचना संख्या 6/84, दिनांक 10 जनवरी, 1984 के जी० एस० आर०-14(ई०)-15(ई०) के संदर्भ में यह बताने और उसे सभा पटल पर रखने की कृपा करेगें कि:

(क) आटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इन्डिया (पुणे), महाराष्ट्र द्वारा किए गए ईंधन में परीक्षणों की रिपोर्ट की प्रतियां सभा पटल पर रखेंगे; और

(ख) क्या इन परीक्षणों के परिणाम, कारों, गाडियों और पिकअप के सम्बन्ध में महानगरों भी लागू किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) प्रचार आदि में उनके सम्भावित दुरुपयोग से बचाव करने के उद्देश्य से ईंधन क्षमता परीक्षण परिणाम के विशिष्ट ब्यौरे बताने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) जी, नहीं । ये परिणाम केवल विशिष्ट चालन परिस्थितियों से सम्बन्धित हैं ।

वाणिज्यिक वाहनों के लिए भारत-एम० ए० एन०, पश्चिम जर्मन कम्पनी सहयोग

9498. **श्री के० प्रधानी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मन की कम्पनी एम० ए० एन० वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण के लिए एक भारतीय फर्म के साथ सहयोग करार करने की इच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय फर्मों का ब्यौरा क्या है और वाणिज्यिक वाहनों की प्रस्तावित निर्माण क्षमता कितनी है और किस प्रकार के वाहनों का निर्माण किया जायेगा;

(ग) प्रस्ताविक कारखाना कहां पर स्थापित किया जाएगा; और

(घ) एम० ए० एन० द्वारा प्रस्तावित सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) मैसर्स प्योरड्रिंक्स लि०, नई दिल्ली ने 12,500 प्रतिवर्ष भारी वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करने के लिए गुड़गांवा, हरियाणा में एक एकक स्थापित करने हेतु औद्योगिक लाइसेंस के लिए 1980 में एक आवेदन दिया था। यद्यपि, प्रस्ताव में मैसर्स एम० ए० एन०, पश्चिम जर्मनी के साथ विदेशी सहयोग करने की परिकल्पना की गई थी लेकिन कोई विशिष्ट आवेदन, जिसमें विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिए नियम और शर्तें दी गई हों, प्राप्त नहीं हुआ है।

सफेद सीमेंट का उत्पादन और मांग

9499. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सफेद सीमेंट का वार्षिक उत्पादन और मांग कितनी है;

(ख) क्या सफेद सीमेंट का उत्पादन केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में किया जा रहा है और उसके मूल्य बहुत अधिक हैं;

(ग) क्या निकट भविष्य में देश में सरकारी क्षेत्र में सफेद सीमेंट का उत्पादन करने वाले यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि कुछ अनिवासी भारतीयों ने भारत में सफेद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने हेतु सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं, यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) देश में सीमेंट के मूल्यों में वृद्धि की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सीमेंट की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने हेतु सफेद सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) वर्ष 1983 में देश में 81,000 मी० टन सफेद सीमेंट का उप्पादन हुआ था। सफेद सीमेंट की मांग का अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में चल रहे दो एककों के अलावा, मैसर्स ट्रावनकोर सीमेंट, जिसमें केरल राज्य सरकार की 50.13 प्रतिशत अंशपूंजी लगी हुई है, इस समय सफेद सीमेंट बना रहा

है । चूंकि सफेद सीमेंट समय-समय पर संशोधित सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 की परिसीमा के अन्दर नहीं आता है, अतः सरकार द्वारा इसके मूल्य को मॉनीटर नहीं किया जाता है ।

(ग) राज्य सरकार के एक उपक्रम मैसर्स राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम लिमिटेड, जयपुर, को गोटन, राजस्थान में 66,000 मी० टन सफेद सीमेंट बनाने की वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए एक आशय-पत्र स्वीकृत किया गया है ।

(घ) उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले में 60,000 मी० टन सफेद सीमेंट बनाने की वार्षिक क्षमता का एक संयंत्र स्थापित करने के लिए भारतीय मूल के एक श्री गोपाल के० कपूर, जो संयुक्त राज्य अमरीका के एक राष्ट्रिक हैं, का आवेदन प्राप्त हुआ है। इस आवेदन पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

(ङ) बढ़ती मांग पूरी करने की दृष्टि से लगभग 7 लाख मी० की अतिरिक्त क्षमता का सृजन करने के लिए स्वीकृति दी गई हैं ।

इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स स्थापित करना

9500. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) भारत में इस समय कितने इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स हैं और वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या देश में और अधिक इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स स्थापित करने का विचार है, यदि हां, तो इसके लिए कौन से राज्यों का चयन किया गया है; और

(ग) किसी राज्य के चयन का मानदण्ड क्या है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण

9501. **श्री सूरज भान** :
श्री राम प्रसाद अहिरवार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सवारी-कारों और वाणिज्यिक वाहनों के निर्माताओं के नाम क्या हैं और प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक वाहन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और अधिष्ठापित क्षमता क्या है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार इन निर्माताओं में से प्रत्येक निर्माता द्वारा विभिन्न प्रकार के कितने वाहनों का निर्माण किया गया;

(ग) इस समय इन वाहनों में से प्रत्येक वाहन का खुदरा बिक्री मूल्य क्या है तथा गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में यह क्या-क्या रहा है; और

(घ) वर्ष 1974 में इन निर्माताओं में से प्रत्येक निर्माता का उत्पादन क्या था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) दो विवरण (I और II) संलग्न हैं।

विवरण I

निर्माता का नाम	उत्पाद	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	आशय-पत्र
1	2	3	4
1. मे० टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कं० लि०	वाणिज्यिक वाहन	44,640	24,360
2. मे० अशोक लेलैंड लिमिटेड	वाणिज्यिक गाड़ियां	45,000	—
3. मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	15,000	15,000
4. मे० प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड	वाणिज्यिक गाड़ियां	15,000	—
	यात्री कारें	18,000	—
5. मे० स्टैण्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया लि०	यात्री कारें	2,640	—
	वाणिज्यिक गाड़ियां	12,500	—

1	2	3	4
6. सिम्पसन एण्ड कम्पनी लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	12,000	—
7. महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	13,000	—
8. बजाज टेम्पो लिमिटेड	वाणिज्यिक गाड़ियां	15,000	15,000
9. डी० सी० एम० टोयोटा लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	—	15,000
10. स्वराज व्हीकल्स लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	—	10,000
11. आइशर गुडअर्थ लि०	वाणिज्यिक गाड़ियां	—	12,000
12. आल्विन निसान मोटर कं०	वाणिज्यिक वाहन	—	10,000
13. मारुति उद्योग लिमिटेड	वाणिज्यिक गाड़ियां और यात्री कारें	1,40,000	—
14. हिन्दुस्तान मोटर्स लि०	यात्री कारें	30,000	20,000

निर्माताओं का नाम	टेल्को ट्रक	टेल्को बस	लेलैंड ट्रक	लेलैंड बस	मेटाडोर	महिन्द्रा हल्की वाणिज्यिक गाड़ियां	एच० एम० कार	पाल कार	एस० एम० पी० आई० हल्की वाणिज्यिक गाणियां	एम०यू० एल० कार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्पादन 00 में										
1979-80	214	77	62	57	74	30	174	154	27	—
1980-81	270	92	63	71	90	41	219	93	36	—
1981-82	336	126	91	66	99	70	226	197	47	—
1982-83	352	89	84	66	95	96	226	207	47	—
1983-84	396	96	81	57	121	88	242	211	55	8
कारखाने से निकलते समय का मूल्य (*उत्पादन शुल्क को छोड़कर) "000 रुपयों में										
1-1-80	105	100	112	113	45	62	33	33	54	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1-1-81	123	121	128	128	52	63	38	41	56	—
1-1-82	136	133	137	138	61	67	48	44	61	—
1-1-83	136	133	138	138	62	67	48	44	64	—
20-4-84	145	143	147	144	69	71	51	49	66	47
1974 में उत्पादन (सैकड़ों में)	163	58	34	41	37	2	201	142	9	—

"आटो काम्पोनेन्ट्स" का स्वदेश में उत्पादन

9502. **श्री सूरज भान :**

श्री राम प्रसाद अहिरवार :

क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि "आटो कम्पोनेन्ट्स" के निर्माण का स्वदेशीकरण योजना का ब्यौरा क्या है ताकि वाहनों के लिए आयातित कम्पोनेन्ट्स पर निर्भरता को पांच वर्षों में समाप्त किया जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मोटर गाड़ियों के हिस्से-पुर्जों की स्वदेशीकरण योजना के अन्तर्गत नई प्रौद्योगिकी को लाया जाना, सम्भावित मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमताओं का सृजन करना तथा वाहन एवं हिस्से-पुर्जों के निर्माताओं के बीच घनिष्ठ अन्तर्कार्यवाही आते हैं। पूर्वनिर्धारित चरणबद्ध स्वदेशीकरण कार्यक्रम के अनुसार सरकार स्वदेशीकरण की प्रगति को मानीटर कर रही है ।

मिजोरम में राष्ट्र-विरोधो गतिविधियां

9503. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अप्रैल, 1984 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "वीडियो कैसेट ड्रामा इन मिजोरम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस संवेदनशील क्षेत्र में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को और आगे फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाने का विचार है; और

(ग) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि टेप रिकार्ड की हजारों प्रतियां किस प्रकार बनाई हुई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) टेप विवादास्पद स्वरूप के थे और उनमें राजनैतिक व्यंजना थी । चुनावों के मौके और इस अवसर पर क्षेत्र में शांति के हित में मिजोरम सरकार ने इस मामले को संज्ञेय मानना उचित नहीं समझा ।

इन्डियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के कलकत्ता कार्यालय में कर्मचारियों को वेतन वृद्धि के परिणामस्वरूप बकाया राशि का भुगतान न किया जाना

9504. **श्री अजित बाग** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, कलकत्ता कार्यालय कर्मचारी संघ कलकत्ता से 16 अप्रैल, 1984 का तार सं० 3784 प्राप्त हुआ है, जिसमें 1983 के आरम्भ में इस्पात उद्योग में वेतन समझौते के अनुसार मंजूर की गई वेतन-वृद्धि के परिणामस्वरूप बकाया राशि का भुगतान न किए जाने की शिकायत की गई है;

(ख) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के कलकत्ता कार्यालय के कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) शीघ्र भुगतान करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मजूरी समझौता हो जाने के पश्चात् इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपनी विभिन्न इकाइयों (कलकत्ता की इकाई भी शामिल है) के कर्मचारियों को बकाया राशि के भुगतान में प्रत्येक कर्मचारी को 1000 रुपये तक अग्रिम राशि का भुगतान किया है। शेष बकाया राशि का भुगतान वित्तीय कठिनाइयों के कारण नहीं किया जा सका। आशा है, शेष राशि का भुगतान अगले महीने तक कर दिया जाएगा।

विदेशों से धन प्राप्त करने वाले संस्थान

9505. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निम्नलिखित संस्थानों ने वर्ष 1978 से 1980 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदान (विनियम) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत विदेशों से धनराशि प्राप्त करते हैं, बम्बई-अर्बन इण्डस्ट्रीयल लीग फार डेवलेपमेंट, बम्बई काश्तकारी संगठन, महाराष्ट्र की थाणा जिला, इंडियन सोशलिस्ट इस्टीड्यूट, बैंगलौर;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों ने वर्ष-वार कितनी धनराशि प्राप्त की है; और

(ग) किन-किन देशों से यह धनराशि आई और किस प्रयोजन के लिये दी गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बय्या) : (क) बम्बई शहरी औद्योगिक विकास लीग (बिल्ड) बम्बई और इंडियन सोशल इन्सटिट्यूट, बंगलौर विदेशी अभिदान (विनियम) अधिनियम 1976 के तहत विदेशी अभिदान प्राप्त कर रहे हैं। काश्तकारी संगठन, थाना जिला ने विदेशी अभिदान प्राप्त करने के बारे में कोई सूचना नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1978 से 1980 वर्षों के लिए विदेशी अभिदान प्राप्त करने वालों के नाम और राशि, दानकर्ता देशों के नाम और दान करने के उद्देश्य का विवरण।

संस्थान का नाम	प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि			दानकर्ता देश	दान का उद्देश्य
	1978	1979	1980		
1	2	3	4	5	6
1. बम्बई शहरी उद्योग विकास (बिल्ड) बम्बई	901493.18	1383772.89	1158476.72	अमरीका, पं० जर्मनी, स्विटजरलैंड, ब्रिटेन, सिंगापुर, आस्ट्रेलिया, हांगकांग कनांडा, जापान।	वास्तुकार वे तन, जनता शिक्षा और प्रशिक्षण समिति, सामान्य कार्यक्रम निर्माण कार्यक्रम चिकित्सा कार्यक्रम, राहत और पुनर्वास, दिल्ली में मंच के व्यय स्टडी एण्ड रिफलेक्शन, सामाजिक विकास कार्य व्यय की प्रतिपूर्ति, यू० टी० सी० छात्र व्यय की प्रति-पूर्ति, थियोलोजिकल, कन्सलटेशन

1	2	3	4	5	6
इंडियन सोश्ल इस्न्टीट्यूट बंगलौर	206350.33	200542.45	131226.78	कनाडा, स्विटजरलैंड, हालैंड, बेल्जियम, आयरलैंड	किताबें और पत्रिकाएं खरीदने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीणों को ऋण देना, स्नान घर और शौचालयों का निर्माण, प्रौढ़ शिक्षा ग्रुप प्राथमिक पाठ्यक्रमों की सहायता के लिए।

अतिरिक्त क्षमता के लिये स्वीकृति

9506. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष अप्रैल से अतिरिक्त क्षमता सम्बन्धी योजना को एक वर्ष और बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को किन-किन बातों के आधार पर बढ़ाया गया है;

(ग) बड़े औद्योगिक घराने के स्वामित्व वाले वे कौन-कौन से एकक हैं जिनको अतिरिक्त क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति वर्ष 1983 के दौरान दी गई और इस बारे में पूरा विवरण क्या है; और

(घ) 31 मार्च, 1984 तक पश्चिम बंगाल में कौन-कौन से एकक हैं जिन्होंने इसके प्रारम्भ को लेकर इस योजना का लाभ उठाया है ?

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) क्षमता के पुनः पृष्ठांकन की योजना, जो अप्रैल, 1982 में पहली बार घोषित की गई, अप्रैल, 1983 में एक वर्ष के लिए और बढ़ा दी गई थी। अब तीसरे वर्ष के लिए भी आगे बढ़ा दिया गया है। यह योजना इस तथ्य के कारण आगे बढ़ा दी गई थी कि सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे कि वर्ष 1982-83 में सामान्य संचालनकारी स्थिति क्षमता को इष्टतम बनाने की दृष्टि से बेहतर नहीं थी तथा कि कुछ अवस्थापना सम्बन्धी रुकावटें ऐसी थीं जो औद्योगिक उपक्रमों द्वारा उत्पादन किए जाने में अड़चन पैदा कर रही थीं। यह भी महसूस किया गया था कि इस प्रकार की योजना के अन्तर्गत पूर्णतया लाभ ही उठाया जा सकता है, जब इस योजना को दीर्घकाल तक चलाया जाए।

(ग) प्राप्त जानकारी के आधार पर विवरण I संलग्न है।

(घ) प्राप्त जानकारी के आधार पर विवरण II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1983-84 (25-4-1984 तक) के दौरान बड़े औद्योगिक गृहों के स्वामित्वाधीन एककों को अनुमत क्षमता का पुनर्पृष्ठांकन

क्रम सं०	कंपनी का नाम तथा क्या कंपनी एम०आर०टी० पी०/फेरा कंपनी है	विनिर्माण की वस्तु	औ० ला०/र०क०सं० और तिथि	क्षमता का पृष्ठांकन	
				विद्यमान क्षमता	पुनर्पृष्ठांकन क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	पीको इलैक्ट्रानिक्स एंड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एम० आर० टी० पी०)	ओसीलोसकोप्स	सी०आई०एल० 13(76) दिनांक 12-1-1976	600 सं० (विस्तार के बाद)	915 सं० (विस्तार के बाद)
2.	यूनी-सेनक्यो लि० 5-9-24/81, शापुर बाड़ी, हैदराबाद (फेरा)	स्पोरलेक	औ० ला०-66 (80) दिनांक 18-9-1980	1200 किलोग्राम	2020 कि० ग्राम

1	2	3	4	5	6
3.	बजाज आटो लि०, (एम० आर० टी० पी०)	1. स्कूटर	1. सं० 246 (75) दिनांक 15/17-7-75	निर्दिष्ट नहीं की गई	—
		2. तिपहियां		20,000 सं०	33,000 सं०
		3. सी०के०डी०पैक्स एम०एस०एल के लिए	2. सी०आई०एल० 118 (74) दिनांक 23-4-74	32,000 सं०	52,000 सं०
4.	कोसन मैटल प्राडक्ट्स प्रा०लि० (एम०आर०टी०पी०)	1. वाल्व	सी०आई०एल० 202(81) दिनांक 30-7-81	3,60,000 सं०	7,09,000 सं०
		2. रेगुलेटर (केवल सूरत एकक)		2,40,000 सं०	4,49,000 सं०
5.	आर्गनन (इं०) लि० (फेरा)	नन्दजोलोन डिकेनोएट	एल०/22/360/68-अध्याय III दिनांक 19-6-68	42.5 कि०ग्रा०	63.25 कि०ग्रा०
6.	एमेलगेमेशन्स रेपको लि० (एम०आर०टी०पी०)	क्लच कवर एसेम्बलीज	औ०ला०सं० एल०/7(5)/12/64-एईआई (1) दिनांक 27-6-64	40,720 सं०	59,250 सं०

1	2	3	4	5	6
7.	इंडियन टूल मैन्यू० लि० (एम०आर०टी०पी०)	टूल बिट्स	औ०ला०सं० 2/12-2/ एन-10/58 दिनांक 30-7-58	3,10,000 सं०	4,22,300 सं०
8.	सीमेंस इंडिया लि० (एम०आर०टी० पी०)	मोटर प्रोटेक्शन डिवाइसेज	आई०एल०सं०एल/5 (1)। 185/72-ईईआई दिनांक 3-2-72	1,400 सं०	2,500 सं०
9.	लार्सन एंड ट्यूब्रो लि० (एम०आर०टी०पी०)	पशु बटन	सं०एल/5(1)-143/ ईईआई/67 दिनांक 25-11-67	1,20,000 सं०	1,68,000 सं०
10.	इंडियन एक्सप्लोसिव्ज लि० (एम०आर०टी०पी०)	डेटोनेटर्स	सं०एल/19 (10) एन०ए/64-पी०आर०सी दिनांक 17-6-64	500 लाख सं०	670 लाख सं०
11.	महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि० (एम०आर०टी०पी)	हल्के वाणिज्यिक वाहन	सं०एल/7(5)/1/65- एईआई० दिनांक 12-4-1965	10,000 सं०	13,000 सं०
12.	इंडिया पिस्टन्स लि० (एम०आर०टी० पी०)	पिस्टन	एल/4(2)/10/62- ई०आई (एम) दिनांक 13-12-62	15 लाख सं०	19.11 लाख सं०

विवरण II

वर्ष 1982-83 और 1983-84 में पश्चिम बंगाल में जिन औद्योगिक उपक्रमों को औद्योगिक क्षमता के पुन: पृष्ठांकन की स्वीकृति दी गई उनकी सूची

(क) एम० आर० टी० पी०/फेरा के अन्तर्गत न आने वाली कम्पनियां

1. मैसर्स डि वेसमैन इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता ।
2. मैसर्स बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प्स वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
3. मैसर्स कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
4. मैसर्स रैकिट एण्ड कोलमैन आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता।
5. मैसर्स शालीमार पेंटस लिमिटेड, कलकत्ता ।
6. मैसर्स सेराइकेला ग्लास वर्क्स (प्रा०) लिमिटेड, हुगली ।
7. मैसर्स किंग्सले कारपोरेशन (प्रा०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
8. मैसर्स बैल्स कन्ट्रोल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
9. मैसर्स अलबर्ट, डेविड, कलकत्ता ।
10. मैसर्स यूनीवर्सल इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, कलकत्ता ।
11. मै० डेज मैड़िकल स्टोर्स (मैन्यु०) लिमिटेड, कलकत्ता ।
12. मै० जेनसंस एण्ड निकाल्संस (इण्डिया) लिमिटेड, कलकत्ता ।
13. मै० दि ग्रामोफोन कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता ।
14. मै० उषा टेलीहॉस्ट लिमिटेड, कलकत्ता ।
15. मै० अलबर्ट डेविड लिमिटेड, कलकत्ता ।
16. मै० डेज मैडिकल स्टोर्स, कलकत्ता ।
17. मै० बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्माच्युटिकल्स लिमिटेड, कलकत्ता ।

(ख) एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियां

1. टी० आई० डायमण्ड चैन्य लिमिटेड ।

2. अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

3. अल्कली एण्ड कैमिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड ।

4. टेक्समेको लिमिटेड ।

5. हिन्दुस्तान हैवी कैमिकल्स लिमिटेड ।

6. केसोराम इण्डीस्ट्रीज एण्ड काटन मिल्स लिमिटेड, (डिवी केसोराम रेयन)

7. होलमैन क्लाइमैक्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड ।

आन्ध्र प्रदेश में भवतुला ट्रस्ट द्वारा विदेशों से प्राप्त वित्तीय सहायता

9507. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम जिले में भावतुला ट्रस्ट विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं और वर्ष 1980 और उसके बाद से प्राप्त की गई ऐसी सहायता की वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) न्यासों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

1980 से 1983 तक के वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में भगवततुला न्याय द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राश का विवरण ।

क्र. सं. देश का नाम	वर्ष या प्राप्ति			
	1980	1981	1982	1983
1. अमरीका	12564.92	190911.25	86022.88	198134.99
2. पश्चिमी जर्मनी	361132.85	182394.38	—	2375259.38
3. ब्रिटेन	—	396000.00	120457.73	—
4. कनाडा	—	22805.12	7,09,979.88	638672.75
5. सिंगापुर	—	20000.00	2560.00	—
कुल	37369.777	812111.22	919020.49	3212067.12

विमुक्त जातियों (जनजातियों) को गलती से अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करना

9508. **श्री अजित बाग** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि पंजाब की विमुक्त जातियों (जनजातियों) को गलती से अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित किया गया है जिसमें संशोधन किया जाना चाहिए;

(ख) क्या अखिल भारतीय टपरीवाज तथा विमुक्त जाति संघ, चण्डीगढ़ ने इस विषय पर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय को क्रियान्वित करने की मांग को लेकर दूसरी बार बोट क्लब पर आमरण भूख हड़ताल आन्दोलन प्रारम्भ किया है;

(ग) क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए कि टपरीवाज जातियां अनुसूचित जन-जातियां हैं और इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के पुनः वर्गीकरण के सामान्य मसले से सम्बन्धित किए बिना, उनकी उचित मांग को निपटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों के समुदायों को सामान्य रूप से दिये गये सभी लाभों और सुविधाओं को अब तक टपरीवाज जातियों को देने पर भी विचार कर रही है, जब तक कि उनको औपचारिक रूप से अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) जी हां, श्रीमान । माननीय न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया है कि "जिन विमुक्त जातियों के याचिकाकर्ता हैं, वे जातियां गलती से अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की गई हैं ।"

(ख) गृह मंत्रालय को अखिल भारतीय टपरीवाज और विमुक्त जाति संघ, चण्डीगढ़ से वोट क्लब पर आमरण अनशन करने के लिए एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग की गई थी । लेकिन हमने उनसे कोई ऐसा कदम न उठाने का अनुरोध किया था । अनौपचारिक रूप से यह मालूम हुआ है कि उनके द्वारा किया गया अनशन अब समाप्त हो गया है ।

(ग) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार उपर्युक्त समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने से पहले उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची से निकालना होगा । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखकर संसद के किसी अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है । पंजाब के संबंध में इस समय अनुसूचित जनजातियों की कोई सूची नहीं है क्योंकि राज्य में संविधान का अनुच्छेद 342 अभी लागू नहीं किया गया है ।

माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय पर पंजाब सरकार, भारत के महापंजीयक और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय से परामर्श करके विचार किया जा रहा है। चूंकि इस समुदाय के सदस्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और चण्डीगढ़ पडौसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं, इसलिए इन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के भी विचार मांगे गये हैं। इस मामले में इन सभी राज्य सरकारों संघ/शासित क्षेत्र प्रशासनों के पूरे विचार प्राप्त होने और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके जांच करने के बाद अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दी गई प्रक्रिया के अनुसार विमुक्त जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के बाद ही उनको वे लाभ तथा सुविधाएं दी जा सकती हैं, जो अनुसूचित जनजातियों को मिल रही हैं।

छोटी कारों के निर्माण के लिए आशयपत्र और औद्योगिक लाइसेंस

9509. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों का विवरण क्या है जिन्हें 1972 में और उसके बाद छोटी कारों के निर्माण के लिए आशयपत्र जारी किए गए थे और उनमें से ऐसी कम्पनियों का विवरण क्या है, जिन्होंने छोटी कारों का निर्माण किया और उन्हें परीक्षण के लिए वी० आर० डी०, अहमदनगर को भेजा और विभिन्न कारों का कितने किलोमीटर दूरी तक परीक्षण किया गया;

(ख) उनमें से उन कम्पनियों का विवरण क्या है, जिनकी कारों को नामंजूर कर दिया गया और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या छोटी कारों के निर्माण के लिए लाइसेंस ऐसे व्यक्तियों को भी दिए गए हैं, जिन्होंने एक भी छोटी कार का निर्माण नहीं किया और उसे परीक्षण के लिए वी० आर० डी०, अहमदनगर के पास नहीं भेजा और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या ऐसे भी संगठन हैं, जिन्होंने आशयपत्र प्राप्त करने के बाद छोटी कारों का निर्माण किया और उन्हें परीक्षण के लिए वी० आर० डी०, अहमदनगर के पास भेजा परन्तु उन्हें कोई लाइसेंस नहीं दिया गया और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) कारों के निर्माण के लिए 1972 से आज तक निम्नलिखित पार्टियों को आशयपत्र जारी किए गए थे :—

(1) श्रीमती सुलोचना सिंह

(2) मैसर्स मारूति उद्योग लिमिटेड

श्रीमती सुलोचना सिंह द्वारा विकसित की गई कार के आद्यरूप के टिकाऊपन का गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर में परीक्षण किया गया था लेकिन यह 30,000 कि० मी० की विनिर्दिष्ट दूरी को पूरी न कर सकी।

(ख) कारों के निर्माण हेतु आशयपत्र के लिए 1972 से निम्नलिखित पार्टियों के आवेदन रद्द किए गए हैं :—

(1) पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम, चण्डीगढ़

(2) श्रीमती ओमेना थेलाकट, नई दिल्ली

(3) श्री पवन कुमार, कलकत्ता।

यद्यपि पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम का इस आधार पर रद्द किया गया था कि यह सुविचारित नहीं था लेकिन अन्य दो पार्टियों के आवेदन क्षमता सम्बन्धी अड़चनों के कारण रद्द किए गए थे।

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड को कारों के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रमाणित प्रौद्योगिकी के आधार पर जारी किया गया था।

(घ) जी, हां। श्रीमती सुलोचना सिंह सहित दो पार्टियों को औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए जा सके क्योंकि वे आशयपत्र की शर्तों को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा सके जिनमें गाड़ी अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान, अहमदनगर में आद्यरूप परीक्षण पास करना भी शामिल है।

दिल्ली में पार्टी-नेताओं द्वारा प्रदर्शन के लिए कम उम्र के बच्चों को किराये पर लेना

9510. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है कि कुछ पार्टियां अपने स्वार्थों के लिए गलियों में तथा मंत्रियों, उच्च सरकारी अधिकारियों तथा अन्य सम्बद्ध लोगों के निवास स्थानों के सामने प्रदर्शन करते समय भारी भीड़ दिखाने के लिए अनेक कम उम्र के बच्चों को किराए पर ले जाती है;

(ख) क्या सरकार ने इस ओर भी ध्यान दिया है कि कुछ नेता उन्हें गांवों से किराए पर मंगवाते हैं और रेलगाड़ियों अथवा बसों आदि से दिल्ली में लाते हैं और बिना पैसा दिए उन्हें छोड़

देते हैं तथा वे बच्चे बिना भोजन के परेशान होते हैं और कभी-कभी अपने मूल नगरों को लौटने के लिए सहायता की तलाश में गलियों में भटकते हुए असहाय अवस्था में पाए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की समस्या पर विचार करेगी और कुछ समाधान खोजेगी/अथवा इस संबध में कुछ निदेश जारी करेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली पुलिस को या भारत सरकार को दिल्ली में प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए गांवों से नाबालिग बच्चों को किराये पर लाने के विषय में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

गणेश नगर, दिल्ली में अग्निकाण्ड में मृत्यु

9511. **श्री विजय कुमार यादव :**
श्री दिगम्बर सिंह :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 मार्च, 1984 को गणेश नगर, पटपड़गंज, दिल्ली में एक अग्निकांड में एक महिला और उसके पांच बच्चे जल कर मर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 436 के अन्तर्गत आगज़नी का मामला दर्ज किया गया है;

(घ) क्या आग लगने के कारणों की जांच करने के आदेश दे दिए गए थे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं;

(च) क्या अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) 30 मार्च, 1984 को प्रातःकाल श्री देवकी नन्दन नाम के एक व्यक्ति, जो बाहर सो रहा था, ने गणेश नगर के पीछे अपनी झुग्गी में आग देखी । उसका परिवार जिसमें उसकी पत्नी और पांच बच्चे थे, झुग्गी के अन्दर सो रहा था । श्री देवकी नन्दन ने शोर मचाया और उसके

पड़ौसी पानी लिए हुए घटनास्थल की तरफ दौड़े आए और आग बुझाई। आग में उसकी पत्नी और पांच बच्चों की जानें गई।

(ग) से (छ) भां० द० सं० की धारा 436/440 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और उसकी जांच की जा रही है। गिरफ्तारियों, यदि कोई हुई तो जांच पूरी होने के बाद की जाएंगी।

तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का कार्यकरण

9512. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र इस समय अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) तथा (ख) पहला यूनिट इस समय 135 मेगावाट के विद्युत-स्तर पर काम कर रहा है; दूसरा यूनिट, जिसे ईंधन बदलने के लिए बंद किया गया था, फिर से काम करने लगा है।

उद्योग-वार रुग्ण एकक

9513. **श्री भीखा भाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग-वार कितने एकक रुग्ण हैं और उनमें निविष्ट कितनी धनराशि अलाभप्रद हो गई है;

(ख) क्या सरकार ने रुग्ण एककों को पोषित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन, रियायत देने की कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो उद्योग-वार कितने एकक चालू हो गए हैं और देश की अर्थव्यवस्था में उनक क्या योगदान है; और

(घ) क्या एककों को रुग्ण होने के बजाय चालू रखने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बड़े रुग्ण औद्योगिक एककों (अर्थात् बैंकिंग व्यवस्था से एक करोड़ रुपये या अधिक की

ऋण-सुविधा का उपयोग करने वाले) की संख्या और जून, 1982 के अन्त तक उन पर बकाया बैंक ऋण निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गये प्रकार से थे :

उद्योग	बड़े रुग्ण एककों की संख्या	बड़े रुग्ण एककों पर बकाया ऋण (करोड़ रुपयों में)
1. इंजीनियरी और इलेक्ट्रिकल्स	99	345.23
2. वस्त्र	111	515.55
3. लोहा और इस्पात	39	138.33
4. रसायन	25	294.13
5. पटसन	37	111.35
6. चीनी	45	149.34
7. रबर	15	100.41
8. सीमेंट	3	12.08
9. विविध	69	162.53
जोड़ :	435	1728.95

(ख) और (घ) रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने पर अक्तूबर, 1981 में घोषित किए गए नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है। जहां कहीं एकक को जीव्य क्षम समझा जाता है उसमें बैंकें और वित्तीय संस्थाएं रियायतें देने वाली पुनर्स्थापना संबंधी योजनाएं तैयार करती हैं। इस प्रकार की पुनः स्थापना संबंधी योजनाओं के लिये आवश्यकता होने पर सरकार भी रियायतें देती है। रुग्ण एककों को पुनरुज्जीवित करने के लिए सरकार द्वारा घोषित की गई निम्नलिखित मुख्य योजनाओं का उल्लेख भी किया जा सकता है :—

(1) स्वस्थ कंपनियों के साथ अजीवव्य कम्पनियों के विलय पर आयकर अधिनियम की धारा 72-क के अन्तर्गत कर में लाभ देना।

(2) रुग्ण लघु औद्योगिक एककों के लिए सीमांत धनराशि की योजना बनाना।

(3) रुग्ण सीमेंट एककों के लिए उदार किया गया गैर-लेवी कोटा।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जून, 1982 के अंत में 132 करोड़ रु० की बकाया बैंक राशि वाले 1982 रुग्ण औद्योगिक एककों को उपचर्या (नर्सिंग) कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया था।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

9514. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्रमुख शहरों में उद्योगों के केन्द्रित होने को रोकने के उद्देश्य से ऐसे शहरों में उद्योगों को विकेन्द्रीकरण करने और दैनिक यात्रियों का शहर की ओर से ध्यान हटाने के लिये बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : भारत सरकार की यह नीति है कि 1981 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले बड़े महानगरों की मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं अथवा 5 लाख या उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों की नगर पालिका सीमाओं के अंदर किसी भी नए औद्योगिक उपक्रम की स्थापना अथवा विद्यमान उपक्रमों के विस्तार को हतोत्साहित किया जाए। साथ ही, उद्योगों का विकेन्द्रीकरण करने तथा बड़े नगरों में इनके केन्द्रित होने पर रोक लगाने की दृष्टि से उद्योग रहित जिलों और अन्य औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना हेतु प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमों को लाइसेंसीकरण के मामले में अधिमान दिया जाता है। इन क्षेत्रों के औद्योगिक एकक केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा रियायती वित्त के भी हकदार हैं। राज्य सरकारों को भी इन क्षेत्रों में आवश्यक अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। यह नीति उत्तर प्रदेश के औद्योगिकीकरण में लागू की जा रही हैं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर खर्च की जाने वाली धनराशि

9515. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की ओर से सभी विभागों को ऐसा कोई निदेश है कि वे विशेष घटक योजना और जनजाति उपयोजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये अपनी धनराशि निश्चित करें;

(ख) क्या ऐसा कोई विभाग है जो इस निदेश का कार्यान्वयन नहीं कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उन विभागों के विरुद्ध सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) प्रधानमंत्री ने संबंधित केन्द्रीत मन्त्रियों को भेजे गए अपने अर्धशासकीय पत्र सं० 280-पी० एम० ओ/80 दिनांक 12-3-80 में उनकी विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये धनराशि निश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। गृह मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये नीति, नियोजन और कार्यक्रमों के लिये प्रमुख मंत्रालय होने के कारण संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से विशेष घटक योजना और जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत धनराशि निश्चित करने के लिये आग्रह कर रहा है। कुछ विभागों ने अपने विषय आबंटन पर विचार करते समय विशेष घटक योजना और जनजाति उप-योजना के अन्तर्गत धनराशि निश्चित करने में कठिनाइयां व्यक्त की हैं। इसके बावजूद भी इन मंत्रालयों/विभागों से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये विशेष घटक योजना और जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत धनराशि आबंटित करने की व्यवहार्यता का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये आग्रह किया गया है।

गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए परिवार पंजिका

9516. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास विशेष कार्यक्रम के कार्यदल ने वर्तमान मानदंडों के अनुसार देश में गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले सभी परिवारों का पता लगाने का सुझाव दिया है;

(ख) क्या उन्होंने देश में इन सभी परिवारों को "परिवार-पंजिका" जारी करने का सुझाव भी दिया है;

(ग) क्या योजना आयोग का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कक्ष "परिवार-पंजिका" शुरू कर चुका है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रगति हुई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) तत्कालीन ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के दिनांक 13.1.81 के परिपत्र संख्या 18016/3/80-ए० ग्रा० वि० (1) में उल्लिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार लाभग्राही परिवार का निर्धारण पूर्णतः उसकी कुल वार्षिक आय के आधार पर किया जाना है, जो 3500 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त तत्कालीन ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय के दिनांक 17.5.80 के अ० शा० प० संख्या-क्यू०-14022/59/79-ए० आई० (आर० आर०) में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार किसी परिवार के सहायता के लिए चुने जाने के पश्चात् निर्धारित परिवार को वार्षिक विकास पत्रिका जारी की जानी चाहिए।

(ग) योजना आयोग ने ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय सरकार के विभागों में नियुक्ति/पदोन्नति के मामले में आरक्षणों को अमल में लाना

9517. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के विभागों में नियुक्ति/पदोन्नतियों के मामले में आरक्षणों को अमल में नहीं लाया जा रहा है और प्रत्येक विभाग में पिछला बकाया है; और

(ख) क्या सरकार का इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक विभाग का परीक्षण करने के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को शक्ति प्रदान करने तथा उसके कृत्यों को व्यापक बनाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भर्ती/पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की नीति को लागू तथा कार्यान्वित करेंगे, ताकि आरक्षण इन समुदायों के लिए निर्धारित प्रतिशतता तक पहुंच जाए । आरक्षण में यह कमी आरक्षण के आदेशों का कार्यान्वयन न होने के कारण नही हुई है, बल्कि इस कारण है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवादों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किए जाने के लिए इन जातियों/जनजातियों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं । कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) उपयुक्तता की शर्त पर वरिष्ठता द्वारा पदोन्नति में आरक्षण केवल 1972 से ही लागू हुआ है;

(ii) चयन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी तक ही सीमित है और यह भी 1974 से लागू हुआ था ।

(iii) अनुसंधान करने अथवा अनुसंधान आयोजित करने, उसका मार्गदर्शन तथा निदेशन करने के लिए समूह "क" की निम्नतम सीढ़ी (रंग) तक के अपेक्षित वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों को केवल 1975 से ही आरक्षण के आदेशों के क्षेत्राधिकार में लाया गया है ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

दिल्ली को हिन्दी क्षेत्र (जोन) में शामिल न किया जाना

9518. **श्री ईरा मोहन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में टेलीफोन बिल, बिजली के बिल, पानी के बिल, बीमे के नोटिस, बैंक विवरण सभी केवल हिन्दी में जारी किए जाते हैं क्योंकि दिल्ली को हिन्दी क्षेत्र (जोन) में शामिल किया गया है;

(ख) क्या भारत की राजधानी, दिल्ली जहां न केवल सभी राज्यों के लोग बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के लोग भी रहते हैं, को हिन्दी क्षेत्र में से निकालने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं तो, दिल्ली और नई दिल्ली में हिन्दी न जानने वाले लोगों की कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा): (क) राजभाषा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के अनुसार दिल्ली "क" क्षेत्र में है। राजभाषा नियम के नियम 3(1) के अनुसार क्षेत्र "क" में किसी व्यक्ति के साथ पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में भेजे जाने की व्यवस्था है। परन्तु बीमे के नोटिस आदि केवल हिन्दी में जारी करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के राजभाषा विभाग की ओर से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ख) उपर्युक्त में किसी प्रकार के परिवर्तन का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिल्ली में हिन्दी जानने वाले लोगों की अपेक्षा हिन्दी जानने वालों की संख्या अधिक है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी का प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राजभाषा अधिनियम एवं नियमों में द्विभाषिकता की स्थिति है और अंग्रेजी के प्रयोग की छूट है जिससे अहिन्दीभाषियों को कठिनाई न हो।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पति/पत्नी द्वारा राजनीति में भाग लेना/निजी व्यवसाय करना

9519. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पति/पत्नी को सक्रिय राजनीति में भाग लेने, विधान सभा और संसद के चुनाव लड़ने और निजी व्यवसाय करने के लिए सरकार की ओर से अनुमति है अथवा उन्हें इसके लिये सरकार से अनुमति लेनी होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में किन नियमों का पालन किया जाता है ?

गृप मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के पति/पत्नी को सक्रिय राजनीति में भाग लेने, विधान सभा और संसद के चुनाव लड़ने और निजी व्यवसाय करने पर रोक लगाने अथवा अनुमति देने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है क्योंकि सरकार द्वारा बनाए गए नियम केवल सरकारी कर्मचारियों के आचरण को विनियमित करते हैं न कि उनके पति/पत्नी को जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं हैं। फिर भी, नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी सदस्य को किसी आन्दोलन या गतिविधि में, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति विद्रोह की भावना से प्रेरित हो या ऐसा जान पड़े, तथा विधि द्वारा ऐसा स्थापित हो चुका हो, भाग लेने, सहायतार्थ चन्दा देने या किसी भी अन्य प्रकार से सहायता करने से रोकने का प्रयत्न करेगा और यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने परिवार के किसी सदस्य को ऐसी गतिविधि में भाग लेने से रोकने में असमर्थ हो, तो वह इस संबंध में सरकार को सूचना देगा। जहां तक गैर सरकारी व्यापार का सम्बन्ध है, आचरण नियमों में यह व्यवस्था है कि यदि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति कारोबार अथवा व्यापार में लगता है अथवा बीमा या कमीशन अभिकरण को लेता है या उसका प्रबन्ध करता है तो वह इसकी रिपोर्ट सरकार को देगा।

मैसर्स फेरो एलायस कारपोरेशन लिमिटेड
आन्ध्र प्रदेश को लाइसेंस

9520. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स फेरो एलायस कारपोरेशन लिमिटेड, श्रीरामनगर, जिला विजयांगवन, आंध्र प्रदेश को लाइसेंस कब दिये गये थे;

(ख) उनकी लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमताओं का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उनका वास्तविक उत्पादन कितना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स फेरो अलायस कारपोरेशन लिमिटेड की आन्ध्र प्रदेश के विजयनगरम् जिले में श्रीरामनगर नामक स्थान पर एक इकाई स्थापित करने के लिए 9-9-1955 को एक लाइसेंस दिया गया था। बाद में 1-1-69 को इस लाइसेंस में संशोधन किया गया था।

(ख) संशोधित लाइसेंस के अनुसार, उनकी क्षमता इस प्रकार है :

मद	कुल वार्षिक क्षमता
1	2
1. लो कार्बन फैरो क्रोम/ फैरो मैंगनीज	पहले जितनी क्षमता के लिए लाइसेंस दिया गया था उसे मिलाकर 56,000 टन। शर्त

1	2
2. सिलिको क्रोम	यह है कि हाई कार्बन, फैरो मैंगनीज का उत्पादन केवल 45,000 टन तक सीमित रखा जाएगा, लेकिन फैरो मैंगनीज का 30,000 टन से अधिक का उत्पादन निर्यात के लिए आरक्षित रखा जाए और इसका पूरी तरह निर्यात किया जाए और जिस हद तक अन्य लौह मिश्र धातुओं की देश में मांग है, उनका उत्पादन किया जाएगा।
3. हाई कार्बन फैरो मैंगनीज	
4. सिलिको मैंगनीज	
5. हाई कार्बन फैरो क्रोम	
6. फैरो सिलिकान	

8 सितम्बर, 1976 के संशोधन द्वारा उन्हें समूची वर्तमान क्षमता के अन्तर्गत प्रति वर्ष 500 टन फेरो सिलिकन, मैग्नीसियम मिश्र धातुओं का उत्पादन करने की भी अनुमति दी गई थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों में इस इकाई का वास्तविक उत्पादन इस प्रकार हैं :

	(टन)
1981-82	61,625
1982-83	67,447
1983-84 (फरवरी, 1984 तक)	53,244

छुट्टी से वापस लौटने पर दिल्ली सुरक्षा पुलिस कर्मियों का निलम्बित किया जाना

9521. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में कई दिल्ली सुरक्षा पुलिस कर्मियों को छुट्टी (आकस्मिक छुट्टी अथवा अर्जित छुट्टी) से वापस लौटने पर निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार निलम्बित किये गये पुलिस कर्मियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उनके निलम्बन के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिसम्बर,1983 के महीने में, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा शाखा के 7 कार्मिकों को ड्यूटी से अनधिकृत गैर-हाजिरी के कारण निलम्बित किया गया।

पश्चिम बंगाल में रानीगंज ग्रुप के रिफ्रैक्ट्री और सिरेमिक एककों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव

9522. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एन्ड स्टील कम्पनी, बर्नपुर के रक्षित एककों के रूप में पश्चिम बंगाल में रानीगंज ग्रुप के रिफ्रैक्ट्री और सिरेमिक एककों को स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई; और

(ग) सरकार उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित करेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) बर्न स्टैण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड की उष्मसह इकाइयों (रानीगंज में स्थित इकाइयां भी शामिल हैं) के अन्तरण और किस उद्यम को इनका अन्तरण किया जाए तथा उनके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जाएं, के प्रश्न पर एक विशेष दल विचार कर रहा है, जो इस प्रयोजन के लिए गठित किया गया है।

सी० आर० पी० एफ० द्वारा बेगुनाह लोगों को मारे जाने की घटनायें

9523. **श्री राम लाल राही** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी० आर० पी० एफ०) देश में बेगुनाह लोगों को मार रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की जानकारी में अब तक ऐसे कितने मामले लाए गए हैं; जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि सी० आर० पी० एफ० ने बेगुनाह व्यक्तियों को मारा है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने मृतकों के आश्रितों को कोई सहायता दी है और इन घटानओं में शामिल पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल विधि और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने के लिए मांगे जाने पर उनको उपलब्ध कराया जाता है। किसी राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र प्रशासन ने यह आरोप नहीं लगाया है कि सी० आर० पी० एफ० ने बेगुनाह लोगों को मारा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्यों द्वारा केन्द्र की शक्तियां कम करने का आन्दोलन

9524. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र की शक्तियां कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा आन्दोलन प्रारम्भ करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार को किसी राज्य से केन्द्र की शक्तियों को कम करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि गैर-सरकारी मंचों पर कुछ राज्य सरकारों के मुख्य मन्त्रियों ने केन्द्र-राज्य संबंधों की पुनरीक्षा करने का प्रश्न उठाया है। केन्द्र सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच वर्तमान प्रबंधों के कार्यकरण पर विचार करने और इसकी समीक्षा करने के लिए न्यायमूर्ति श्री आर० एस० सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया है।

राज्यों में अनुसूचित जातियों के द्वारा मादक पेय का प्रयोग

9525. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से उनके द्वारा अनुसूचित जातियों को मादक पेय का सेवन करने से रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) आबकारी नीति की तीन आधारभूत बातें इस प्रकार हैं :

(1) आदिवासी क्षेत्रों में शराब की वाणिज्यिक बिक्री बन्द की जानी चाहिए।

(2) अनुसूचित जनजातियों को घर पर, धार्मिक तथा सामाजिक अवसरों पर उपयोग के लिए परम्परागत शराब निकालने की अनुमति दी जाए।

(3) शराब पीने की आदत से अनुसूचित जनजातियों को दूर रखने के लिए प्रयत्न किये जाएं और इस प्रयोजन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को आदिवासी क्षेत्रों में कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

(4) राज्य सरकारों से आदिवासी क्षेत्रों में भारत सरकार की आबकारी नीति का अनुसरण करने और उसी नीति को इस बात का ध्यान किये बिना अपनाने की सिफारिश की गई थी कि गैर-आदिवासी क्षेत्रों में कौन-सी आबकारी नीति अपनाई जाती है।

(5) अनुसूचित जनजातियों को शराब पीने की आदत से दूर रखने के उपाय के रूप में अधिकांश राज्य सरकारों ने आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों की संख्या कम करने के लिए उपाय किए हैं। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और नागालैण्ड राज्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में देशी शराब की सभी दूकानें पूर्णतः बन्द कर दी हैं। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने आदिवासी क्षेत्रों में दूकानों की संख्या काफी कम कर दी है और वर्तमान दूकानों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया गया है। अधिकांश राज्यों ने कहा कि उन्होंने आदिवासियों को शराब पीने की आदत से दूर रखने के लिए प्रचार और शिक्षा के द्वारा उपाय किये हैं। गुजरात राज्य सरकार ने नशाबन्दी के लाभों और शराब पीने की बुराइयों से उनको अवगत कराने के लिए आदिवासियों को शिक्षित बनाने हेतु संस्कार केन्द्र स्थापित किए हैं।

विदेशी जासूसों की गिरफ्तारी

9526. **श्री छीतूभाई गामित** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले 2 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में कुछ विदेशी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन जासूसों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के बारे में कोई जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) राज्य सरकारों

और संघ शासित्त क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1982 के दौरान और जनवरी से अक्तूबर, 1983 तक गिरफ्तार किये गये जासूसों की संख्या इस प्रकार है :---

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	गिरफ्तार किये गये विदेशी जासूसों की संख्या
1.	पंजाब	18
2.	जम्मू व कश्मीर	15
3.	राजस्थान	5

शेष सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने "शून्य" सूचना भेजी है।

(ग) और (घ) ऐसे नाजुक मामलों पर विचार-विमर्श करना लोक हित में नहीं है।

श्रम पूंजी की बर्बादी की रक्षा के लिए रोजगार गारंटी योजना

9527. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम-पूंजी के अपव्यय को बचाने के प्रयासों के रूप में प्रशिक्षु भत्ता और रोजगार गारंटी देने संबंधी कोई नए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नए प्रशिक्षण कार्यक्रम कब तक कार्यान्वित करने का विचार किया गया है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

री-रोलिंग मिलों की स्थापना

9528. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में "उद्योगविहीन जिलों" में री-रोलिंग मिलों की स्थापना पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1984 85 में उड़ीसा के उद्योगविहीन जिलों में कितनी नई री-रोलिंग मिलों की स्थापना करने का प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा राज्य में सरकारी क्षेत्र में पुनर्बेलन की नयी क्षमता स्थापित करने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है । फिर भी विभिन्न राज्यों में (उड़ीसा राज्य भी शामिल है) हल्के संरचनात्मकों, टेलीग्राफ चैनलों, स्पेशल प्रोफाइल आदि के निर्माण के लिए नई पुनर्बेलन क्षमता स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से प्राप्त हुए प्रस्तावों पर उनके सापेक्ष गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है ।

कमजोर वर्ग को कच्ची सामग्री के लिए लाइसेंस

9529. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारी उद्योग में उत्पादन उद्देश्य उपयोग के लिए सभी प्रकार की कच्ची सामग्री के लिए लाइसेंस जारी करने हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को कच्ची सामग्रियों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए भी क्या व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) आयातित कच्चे माल का आबंटन करने संबंधी नीति हर वर्ष घोषित की जाने वाली आयात नीति में दी जाती है । जहां तक स्वदेशी कच्चे माल का सम्बन्ध है, कमी वाले कुछ किस्म के कच्चे माल के आबंटन को छोड़-कर लाइसेंस नहीं दिया जाता है । कमी वाले स्वदेशी कच्चे माल का आबंटन करते समय कच्चे माल की उपलब्धता और अलग-अलग एकक की आवश्यकता/पात्रता को ध्यान में रखा जाता है ।

उच्च घनत्व के पोलिथीलिन पाइपों का निर्माण करने वाले लघु एकक

9530. **श्री के० लकप्पा** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने लघु एकक सिंचाई और ग्रामीण जल पूर्ति के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उच्च घनत्व के पोलिथलिन पाइपों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) कितने एकक दक्षिणी राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में स्थित हैं;

(ग) क्या दक्षिणी राज्यों में उच्च घनत्व के पोलिथीलिन पाइपों का निर्माण करने वाले लघु एककों 1983-84 के लिए ठेका दिया गया है और जिसके परिणामस्वरूप इन पाइपों के प्रयोग-कर्ताओं को इन्हें अधिक लागत पर उत्तरी राज्यों में लाना पड़ा;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) दक्षिणी राज्यों में उक्त पाइप बनाने वाले लघु एककों को बढ़ावा देने और वहां इनका प्रयोग करने वाले लोगों की कठिनाइयां कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) और (ख) देश में लगभग 50 ऐसे लघु एकक हैं जो मुख्य रूप से सिंचाई और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति के लिए हुई डेंसिटी पोलिथलीन पाइपों का निर्माण कर रहे हैं। इनमें से लगभग 11 एकक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के दक्षिणी राज्यों में स्थित हैं।

(ग) और (घ) 1983-84 में दक्षिणी राज्यों में स्थित एककों को आपूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा कोई भी दर संविदा (रेट कांट्रेक्ट) नहीं किया जा सका क्योंकि इनमें से कोई भी एकक दर-संविदा के लिए निर्धारित सभी मानदण्डों को पूरा नहीं करता था फिर भी दक्षिणी राज्यों में हाइ डेंसिटी पोलिथलीन पाइपों का उत्पादन कर रहे लघु एकक 1983-84 के दौरान राज्य सरकार के विभाग/निगमों से ठेके प्राप्त कर सकते थे और दक्षिणी राज्यों में हाई डेंसिटी पोलिथलीन पाइपों के सभी प्रयोगकर्ताओं को ये पाइप उत्तरी राज्यों से नहीं मंगाने पड़ते।

(ङ) दक्षिणी राज्यों में लघु क्षेत्र में हाई डेंसिटी पोलिथलीन पाइपों के एकक स्थगित करने के इच्छुक उद्यमियों को अन्य लघु उद्योगों को उपलब्ध सभी सुविधाएं तथा प्रोत्साहन भी दिये जा रहे हैं।

"जिलेट" की मुद्रा के रूप में इक्विटी साझेदारी

9531. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग की योजनाओं पर स्वीकृति देते समय भारतीय कम्पनी की कुल इक्विटी पूंजी में से सही-सही मुद्रा के रूप में (एक) अनिवासी कम्पनी की इक्विटी साझेदारी की

प्रतिशतता और (दो) अनिवासी कम्पनी की साझेदारी की मात्रा स्पष्ट रूप से निर्धारित करने की सरकार की मान्य प्रक्रिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रेजर ब्लेडों का निर्माण करने के लिए बहुराष्ट्रीय अमरीकी कम्पनी जिलेट और हाऊस आफ पोद्दार्स के बीच सहयोग के मामले में ऐसी सीमाएं निर्धारित की हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस प्रकार की मुद्रा की सीमाएं निर्धारित की गई हैं तो अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के प्रति पक्षपात करने के क्या कारण हैं; और

(घ) अमरीकी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा मुद्रा के रूप में इक्विटी साझेदारी निर्धारित करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (घ) इक्विटी साझेदारी वाले विदेशी सहयोग के प्रस्तावों को मंजूर करते समय आमतौर पर विदेशी इक्विटी की मात्रा और प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। परन्तु इसके बारे में कोई कड़े नियम नहीं हैं। इसके आलावा स्वीकृति पत्र में यदि विदेशी इक्विटी की मात्रा और प्रतिशत का उल्लेख किया भी जाता है तो बाद में परियोजना की लागत अधिक हो जाने के कारण अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होने पर, प्रतिशत की मात्रा वही रखते हुए मुद्रा के रूप में विदेशी इक्विटी की मात्रा में संशोधन करने के लिए आम तौर पर कोई आपत्ति नहीं की जाती। जिलेट कंपनी के साथ पोद्दार उपक्रम समूह के विदेशी सहयोग के प्रस्ताव के मामले में विदेशी इक्विटी की राशि का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। परन्तु सरकार द्वारा रिकार्ड किए गए करार में यह शर्त थी कि जिलेट अंशदान करेगी और संयुक्त उद्यम कंपनी जिलेट को संयुक्त उद्यम कंपनी की आरंभिक चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत के मूल्य के इक्विटी शेयर आबंटित और जारी करेगी।

घटक योजना के आधार पर आदिवासी उप-योजना को बनाने का प्रस्ताव

9532. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बनाई गई आदिवासी उप-योजनाओं से उनके प्रारम्भ में ही घटक योजनाओं की भांति प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार का आदिवासी उप-योजनाओं के उद्देश्यों में संशोधन करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का घटक योजनाओं की भांति आदिवासी उप-योजनाओं को बनाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सातवीं योजना के लिए आदिवासी विकास योजना नीति तैयार करने के लिए कोई कार्यकारी दल गठित किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जनजाति उपयोजनाओं से जनजाति लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हुआ हैं। छठी योजना के दौरान लगभग 30 लाख जनजाति परिवारों की सहायता की गई ताकि वे गरीबी की रेखा पार कर सकें। जनजाति उप-योजना में जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए भी योजनाएं सम्मिलित हैं।

(ख) से (घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जनजाति के विकास के लिए योजना आयोग द्वारा एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। कार्यकारी दल की सलाह और सातवीं योजना नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए आमंत्रित अन्य जनजाति गैर-सरकारी सदस्यों और सांसदों के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर और अन्य संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार सातवीं योजना अवधि के लिए उद्देश्य निर्धारित करने और नीति पर विचार करेगी।

आदिवासी परिवारों का उत्थान

9533. **श्री भीखा भाई : क्या गृह मंत्री** 7 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1764 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से अब तक आदिवासी परिवारों के उत्थान के लिए आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत बागवानी, कृषि और लघु उद्योग के क्षेत्रों में सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन विकास के लिए शुरू किए गए ठोस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा तीन राज्यों से घिरे हुए इस आदिवासी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित न करने के मानदण्ड क्या हैं और क्या सरकार इस क्षेत्र का संपूर्ण सर्वेक्षण कराने तथा तत्संबंधी भौगोलिक स्थिति दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करने को तैयार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) योजनाओं में कृषि तथा वन उत्पादन और स्थानीय सामग्री पर आधारित कुटीर तथा लघु उद्योगों की स्थापना के अतिरिक्त कृषि और बागवानी के सुधार के लिए बीज, पौध, कलमों की आपूर्ति, मक्का, तिलहनों, दालों, आलू, सब्जियों की सघन खेती का प्रदर्शन शामिल हैं।

(ख) कृषि, पशुपालन, डेयरी विकास, वानिकी, उद्योग और सहकारिता के क्षेत्र में मानव संसाधनों के विकास के लिए प्रशिक्षण और शिक्षा दी गई थी। आदिवासी उप-योजना में शामिल और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों के रूप में वर्गीकृत जिलों के ब्यौरे सदस्य द्वारा दिनांक

25 अप्रैल, 1984 को पूछे गये लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं० 8842 के उत्तर में दिए गए हैं। चूंकि इस सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है इसलिए इस समय अलग से कोई विशिष्ट सर्वेक्षण करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

गुजरात के लिए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस जारी किया जाना

9534. **श्री नवीन रावणी** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार को वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान गुजरात सरकार से उस राज्यों में उद्योगों की स्थापना हेतु लाइसेंस जारी करने के लिए सिफारिशों सहित कितने आशय-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान उनमें से कितनों को मंजूरी प्रदान की गई और कितने रद्द कर दिए गए तथा रद्द किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कितने पत्र मंजूरी के लिए अभी भी सरकार के पास लंबित पड़े हैं और कितने समय से लंबित पड़े हैं तथा उन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) इस अवधि के दौरान गुजरात राज्य सरकार ने किसी लाइसेंस के लिए सीधे आवेदन किया है। फिर भी, उद्योग (विकास और विनियमन, अधिनियम 1951 के उपबन्धों के अधीन उस राज्य में उद्योगस्थापित करने के लिए गुजरात राज्य के विभिन्न सरकारी उपक्रमों से औद्योगिक लाइसेंस हेतु 20 आवेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) और (ग) उपर्युक्त 20 आवेदनों में से 17 प्रस्ताव मंजूर किये गए थे और आवेदक उपक्रमों को आशय पत्र जारी कर दिए गए थे, जबकि 2 आवेदन अस्वीकृत किए गए थे। किसी औद्योगिक लाइसेंस आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते समय मांग और पूर्ति पहले से ही लाइसेंसीकृत क्षमता, निर्यात क्षमता, कच्चे माल की उपलब्धता, स्थापना स्थल संबंधी बाधाओं और योजना की जीव्यता जैसे विभिन्न तकनीकी-आर्थिक कारकों पर विचार किया जाता है। अलग-अलग मामलों में रद्द किए जाने के कारण भिन्न-भिन्न होते हैं तथा इनकी सूचना आवेदकों तथा संबंधित राज्य सरकार को जाती है।

एक आवेदन, जो इस वर्ष मार्च के मध्य में प्राप्त हुआ था, अभी विचाराधीन है। सभी औद्योगिक लाइसेंस आवेदनों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिए सरकार बराबर प्रयत्नशील है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में हिन्दी और अंग्रेजी को बराबर का दर्जा देना

9535. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी भारत सरकार की राजभाषा है और अंग्रेजी उनकी सहयोगी भाषा है;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं में अंग्रेजी आवश्यक है जबकि हिन्दी को वैकल्पिक भाषा का दर्जा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसा करना राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों की अवहेलना करना है ;

(घ) क्या सरकार का विचार दोनों भाषाओं हिन्दी और अंग्रेजी की परीक्षाओं को या तो आवश्यक अथवा वैकल्पिक बनाने का है जिससे उन दोनों भाषाओं को समान दर्जा दिया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) दिसम्बर, 1968 में संसद के दोनों सदनों ने राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 के साथ राजभाषा नीति संबंधी सरकारी संकल्प पारित किया था। इस संकल्प के पैरा 4 (क) में यह व्यवस्था है कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर, जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन के प्रयोजन से स्थिति अनुसार केवल अंग्रेजी अथवा हिन्दी अथवा दोनों का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित होगा। इस नीति के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग ने केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवा में भर्ती के लिए उनके द्वारा ली जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य अंग्रेजी/अंग्रेजी को अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में निर्धारित किया है।

बिहार में खानों का राष्ट्रीयकरण

9536. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में अभी भी कुछ गैर सरकारी खानें चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन खानों को गैर सरकारी स्वामित्व में रहने देने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इन खानों का राष्ट्रीयकरण करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) : जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) खनिज विदोहन के खनन पट्टे खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत मंजूर किए गए हैं, जिनमें खनन उद्योग से प्राइवेट सेक्टर को अलग रखने की परिकल्पना नहीं की जाती है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) खान उद्योग के कोयला जैसे महत्वपूर्ण सेक्टर पहले से ही सरकारी क्षेत्र में हैं । इस तरह के निर्णय पर्याप्त औचित्य होने तथा सभी प्रकार के फलितार्थों के अध्ययन के बाद ही किए जाते हैं ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान

9537. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रतिपूर्ति भत्ते का भुगतान करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार को केन्द्र द्वारा कोई धनराशि दी गयी थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) कर्मचारियों को किस तारीख से इस धनराशि का भुगतान किया जाना था; और

(घ) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने इस शीर्ष के अन्तर्गत कर्मचारियों को कोई भुगतान किया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

भारत एल्यूमीनियम लिमिटेड कम्पनी द्वारा एल्यूमीनियम का उत्पादन

9538. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड ने चालू वर्ष के दौरान अपने उत्पादन में सुधार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन क्षमता का लक्ष्य क्या था और वर्ष के दौरान अल्यूमीनियम का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1983-84 के दौरान 61,338 टन एल्यूमीनियम धातु का उत्पादन किया है जो एक रिकार्ड उत्पादन है और जो संशोधित वार्षिक लक्ष्य 54,450 टन से भी कहीं अधिक है ।

जस्ता और सीसा धातुओं का उत्पादन

9539. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा वर्ष के दौरान जस्ता और सीसा धातुओं का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) इसका उत्पादन लक्ष्य कितना था;

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) कम्पनी को वर्ष के दौरान कितना लाभ हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड ने जस्ता और सीसा का अब तक का रिकार्ड उत्पादन अर्थात् क्रमशः 53756 टन तथा 15419 टन किया जबकि संशोधित लक्ष्य क्रमशः 56,000 टन तथा 18,500 टन थे ।

(ग) बढ़े हुए क्षमता उपयोग में कम्पनी की विभिन्न यूनिटों में स्थापित डीजल जेनरेटिंग

सेटों द्वारा राज्य बिजली बोर्डों से प्राप्त बिजली पूर्ति को बढ़ाने में भी मदद मिली। राजस्थान में नई खानों के विकास तथा प्रति वर्ष 70,000 टन जस्ता और 35,000 टन सीसा उत्पादन के एक जस्ता-सीसा प्रद्रावक तथा ग्रहीत बिजलीघर की स्थापना का एक समेकित प्रस्ताव पूंजी संबंधी निर्णय हेतु सरकार के विचाराधीन है।

(घ) 1983-84 के दौरान कम्पनी को 200 लाख रुपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है जबकि 1982-83 में उसे 10.14 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा हुआ था।

ब्लिस्टर कापर का उत्पादन

9540. **डा० कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड द्वारा इस वर्ष ब्लिस्टर कापर का कितना उत्पादन किया गया;

(ख) उसका उत्पादन लक्ष्य कितना था; और

(ग) कम्पनी द्वारा इस वर्ष कितना लाभ कमाया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 1983-84 के दौरान प्रद्रावकों के दो महीने बन्द रहने की अवधि को छोड़कर दस माह के कार्यचालन से ब्लिस्टर तांबा का अब तक का कुल रिकार्ड उत्पादन 35372 टन हुआ।

(ख) 1983-84 में ब्लिस्टर तांबा का उत्पादन का 40,000 टन का निर्धारित लक्ष्य अब तक का सर्वोच्च लक्ष्य था।

(ग) 1983-84 के दौरान हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड ने 27.69 लाख रुपए (अनन्तिम शुद्ध लाभ कमाया जबकि 1982-82 के दौरान कम्पनी को 29.63 करोड़ रु० का शुद्ध घाटा हुआ था।

मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया गया ड्रिलिंग और खनन कार्य

9541. **डा० कृपासिंधु भोई : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिनरल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड द्वारा कितना ड्रिलिंग और खनन कार्य किया गया;

(ख) वर्ष के दौरान इसका लक्ष्य कितना था; और

(ग) वर्ष के दौरान निगम को कितना लाभ हुआ ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा वर्ष 1983-84 में 2,15,000 मी० ड्रिलिंग और 11,500 मी० खनन का संशोधित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। वास्तविक कार्य लक्ष्यों से कहीं अधिक हुआ। ड्रिलिंग और खनन में 1983-84 में कंपनी की लब्धि क्रमशः 2,17,000 मी० और 11,700 मी० थी जो एक रिकार्ड लब्धि थी।

ग) कम्पनी को 1983-84 वर्ष के दौरान अनुमानतः 40 लाख रुपये शुद्ध लाभ होगा, जबकि 1982-83 के दौरान 3.55 करोड़ रुपये का शुद्ध घाटा हुआ था।

संसद सदस्यों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार और शिष्टाचार की व्यवस्था के बारे में मार्ग-निर्देश

9542. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी समारोह में आमंत्रित संसद सदस्यों के प्रति किये जाने वाले व्यवहार और शिष्टाचार की व्यवस्था के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो कब जारी किये गये थे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) राष्ट्रपति सचिवालय सं० 33/पर्स/79 दिनांक 26 जुलाई, 1979 के अन्तर्गत अधिसूचित केन्द्रीय पूर्वता सारणी से केन्द्रीय सरकार के राजकीय समारोहों के लिए सांसदों सहित विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पूर्वता क्रम संचालित होता है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने केन्द्रीय सरकार की सलाह परपूरक पूर्वता अधिपत्र तैयार किए हैं जिनसे राज्य सरकारें तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा आयोजित राजकीय समारोहों के सांसदों सहित विभिन्न व्यक्तियों का पूर्वताक्रम संचालित होता है।

इंडियन कार्बन लिमिटेड का बन्द होना

9543. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अप्रैल, 1984 में करंट में छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि आसाम के इंडियन कार्बन लि०, जो आसाम के सर्वाधिक सफल उद्योगों में से एक है, बन्द होने की स्थिति में है;

(ख) यदि हां, तो इसके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ग) कितने श्रमिकों के बेरोजगार हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तेल निगम द्वारा कच्चे पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति अक्तूबर, 1982 से बंद कर दी जाने के परिणामस्वरूप इंडिया कार्बन लि० द्वारा उत्पादन रोक दिये जाने का समाचार मिला है।

(ग) इस समय गोहाटी में केल्सिनेटर एकक में 257 व्यक्ति सेवारत हैं।

(घ) भारतीय तेल निगम द्वारा इंडिया कार्बन लि० को पहले की गई आपूर्ति का भुगतान ठीक से न मिलने के कारण भारतीय तेल निगम ने कच्चे पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति बंद कर दी है। पेट्रोलियम विभाग ने भारतीय तेल निगम से इंडिया कार्बन लि० को कच्चे पेट्रोलियम कोक की आपूर्ति हेतु कोई हल ढूंढ़ निकालने के लिए कहा है जिससे वह उत्पादन पुनः आरंभ कर सके।

उत्तरी क्षेत्र में उद्योगों के लिये कोयले तथा बिजली की कमी

9544. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :
श्री बी० बी० देसाई :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले तथा बिजली के उपलब्ध न होने के कारण उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के त्रैमासिक सर्वेक्षण तथा अक्तूबर-दिसम्बर, 1983 की अवधि के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि इस अवधि के दौरान संबंधित एककों की कोयले की आवश्यकता 17,817 टन थी, और इन एककों को 8405 टन का नियतन किया गया जबकि कोयले की सप्लाई 2364 टन की गई;

(ग) यदि हां, तो क्या सेरामिक, कैमिकल्स, इंजीनियरिंग, खाद्य उत्पादकों और वनस्पति के उत्पादन में लगे औद्योगिक एककों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के चैम्बर आफ कामर्स तथा इंडस्ट्री द्वारा इस संबंध में दिये गये किन सुझावों की सरकार द्वारा जांच की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा उन उद्योगों के कार्य-निष्पादन में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है, जिनमें सामान्यतः कोयला तथा बिजली की कमी रहती है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) हालांकि उत्तरी क्षेत्र में औद्योगिक उत्पादन के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है परंतु केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) के अनुसार औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में अप्रैल-जनवरी, 1984 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 1983-84 के दौरान कोयले और बिजली का उत्पादन वर्ष 1982-83 की में तुलना क्रमशः 6 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत अधिक था। उत्तरी क्षेत्र में बिजली का उत्पादन वर्ष 1982-83 की अपेक्षा वर्ष 1983-84 के दौरान 8.7 प्रतिशत बढ़ा है।

परंतु उद्योग मन्त्रालय में नियंत्रण कक्ष, जो उत्पादन की कच्चे माल, कोयले, बिजली आदि की पूर्ति से सम्बन्धित बाधाओं को मानीटर करता है, को उत्तरी क्षेत्र से कमियों से सम्बन्धित कोई विशेष शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) से (घ) पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल से अक्तूबर-दिसंबर, 1983 की अवधि में कोयले, बिजली आदि की कमी से सम्बन्धित उनके सर्वेक्षण के बारे में प्राप्त सूचना के अनुसार इस अवधि में प्रत्यर्थी एककों की कुल आवश्यकता 17817 एम० टी० थी, इन एककों को आबंटित की गई मात्रा 8405 थी परंतु कोयले की कुल पूर्ति 2364 एम० टी० थी। सिरैमिक, रसायन, इंजीनियरी, खाद्य उत्पादों और वनस्पति के उत्पादन में लगे औद्योगिक एककों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ा।

अक्तूबर से दिसंबर, 1983 की तिमाही की कमियों के संबंध में सर्वेक्षण रिपोर्ट में जो प्रबन्ध समितियों, औद्योगिक सदस्यों, संघ के सदस्यों और प्रत्यर्थियों को परिचालित की जाती है, कोई सुझाव नहीं है।

(ङ) औद्योगिक अवस्थापना सम्बन्धी मन्त्रिमण्डल समिति मूल उद्योगों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा कर रही है और उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर रही है।

कोयले और बिजली के क्षेत्रों के निष्पादन में आगे और सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रोनिक हिस्सों-पुर्जों के उत्पादन में विदेशी पूंजी-निवेश

9545. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) स्वदेशी इलेक्ट्रोनिक्स-हिस्सों-पुर्जों के उत्पादकों को लाइसेंस तथा प्रौद्योगिकी आदि देने के संबंध में मोटे तौर पर सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों-पुर्जों के उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी-निवेश से इस क्षेत्र के छोटे और मझोले एकक शीघ्र ही समाप्त हो जायेंगे; और

(ग) यदि हां, तो भविष्य में हिस्सों-पुर्जों के इन छोटे उत्पादकों के अस्तित्व की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जों की लाइसेंसिंग एवं विकास से संबंधित नीति के बारे में टिप्पणी की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

इलेक्ट्रानिकी संघटक-पुर्जा उद्योग के बारे में इलेक्ट्रानिकी विभाग की नीति से संबंधित टिप्पणी

भारत में इलेक्ट्रानिक उपस्करों और प्रणालियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत पूर्व शर्त यह है कि विभिन्न किस्म के इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जे मुक्त रूप से और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। अतः इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग के विकास के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाने का निर्णय किया है :—

1. बड़े पैमाने तथा व्यवहारिक तथा सुदृढ़ आधार पर और उद्यमकर्त्ताओं का एक व्यापक आधार बनाकर संघटक-पुर्जों के विनिर्माण को बढ़ावा देने/लाइसेंस प्रदान करने/सुस्थापित करने का अर्थ यह होगा कि उत्पादन हमारी विशुद्ध देशी आवश्यकताओं से कुछ अधिक होगा किन्तु जब उद्योग का संवर्धन अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम आधार पर किया जाएगा तो निर्यात की प्रचुर संभावनाएं उपलब्ध होंगी।

2. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम आधार प्रदान करने और साथ ही उत्पाद

की गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्चित करने के लिए बड़ी उत्पादन क्षमताएं स्थापित करना जरूरी है। स्वचालित मशीनों के प्रादुर्भाव से प्रौद्योगिकी दृष्टि से यह एक अनिवार्यता बन गयी है। तदनुसार वर्तमान संगठित क्षेत्र के उद्योगों को मुक्त रूप से प्रोत्साहन दिया जाता है।

3. मांग की स्थिति और इस कार्य को मूर्त रूप देने में लगने वाले समय को देखते हुए इस बात की संभावना बहुत कम नजर आती है कि वर्तकान यूनिटें अपने कार्य क्षेत्र का पर्याप्त विस्तार और आधुनिकीकरण किए बगैर इस मांग की पूर्ति करने की स्थिति में होंगी। अतः और अधिक क्षमता का निर्माण करना जरूरी समझा गया है। इस क्षमता को केवल अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से सक्षम बनाने के आधार पर बढ़ावा दिया जा रहा है। किसी प्रस्ताव की लागत तथा प्रौद्योगिकी की दृष्टि से जांच करते समय हम न केवल स्वदेशी मांग को ध्यान में रखते हैं अपितु निर्यात की संभावनाओं को भी मद्देनजर रखते हैं।

4. जहां तक विदेशी प्रौद्योगिकी का प्रश्न है, इलैक्ट्रानिकी विभाग की नीति यह रही है कि आधुनिक किस्म के संघटक-पुर्जों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के आयात की मुक्त रूप से अनुमति दी जाए। वर्तमान निर्माणकर्त्ताओं के पास प्रौद्योगिकी की दृष्टि से पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है और रक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्तरीय संघटक-पुर्जों के लिए बहुत कम अनुमोदन दिए गए हैं।

5. कुछ मामलों में इस समय क्षमताओं का पूर्णरूपेण उपयोग न किए जाने का कारण मांग का अभाव होना नहीं है अपितु इसके कुछ और ही कारण हैं (सामान्यतया प्रबंधकीय असफलताएं)।

6. उपर्युक्त कारणों से लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों का उत्पादन करना सर्वथा अनुपयुक्त है और इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा विकास आयुक्त (लघु उद्योग), दोनों ही 4/5 वर्षों से लघु उद्योग के सभी उद्यमकर्त्ताओं को लिखते आ रहे हैं कि लघु उद्योग क्षेत्र में संघटक-पुर्जों के निर्माण में पूंजीनिवेश करना विवेकपूर्ण नहीं होगा और यदि वे फिर भी ऐसा करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे क्योंकि सरकार उन्हें संरक्षण प्रदान न कर सकेगी।

परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का कार्य-निष्पादन

9546. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में पिछले चार वर्षों के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विद्युत उत्पादन और क्षमता के उपयोग के संबंध में कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन दोनों के संबंध में विशेष रूप से प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग करने वाले एककों में, कार्य-निष्पादन में उत्तरोत्तर गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और क्या कदम उठाए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) चालू परमाणु बिजलीघरों के कार्य-निष्पादन के बारे में नीचे बताया जा रहा है :

संयंत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
(1) सकल उत्पादन (मिलियन यूनिट)				
तारापुर परमाणु बिजली-घर का पहला यूनिट	1140	873	786	1093
तारापुर परमाणु बिजली-घर का दूसरा यूनिट	633	1090	684	764
राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट	1039	380	—	—
राजस्थान परमाणु बिजली-घर का दूसरा यूनिट (1.4.1981 से)	—	676	551	1190
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	—	—	—	202
(ii) **क्षमता का उपयोग (प्रतिशतता)**				
तारापुर परमाणु बिजली-घर का पहला यूनिट	61.99	47.48	42.73	59.27
तारापुर परमाणु बिजली-घर का दूसरा यूनिट	34.42	59.27	37.19	41.40
राजस्थान परमाणु बिजली-घर का पहला यूनिट	53.69	19.74	—	—

1	2	3	4	5
राजस्थान परमाणु बिजली-घर का दूसरा यूनिट (1.4.1981 से)	—	35.11	28.62	61.6
मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट	—	—	—	55.0

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये देशी थोरियम

9547. **श्री ए० के० राय** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 13 जनवरी, 1984 के "पेट्रियाट" में "एक्सपर्ट्स फार थोरियम बेस्ड पावर प्लान्ट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या हमने परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए "फील्ड स्टाक" थोरियम प्रयोग करने में अपेक्षित तकनीकी सफलता हासिल कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) परमाणु रिऐक्टरों में ब्रीडिंग के लिए फीड स्टाक के रूप में थोरियम को काम में लाने की टैक्नोलाजी विकसित कर ली गई है।

त्रिपुरा से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने के लिये आवेदन-पत्र

9548. **श्री अजय विश्वास** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान करने से संबंधित त्रिपुरा से प्राप्त भारी संख्या में आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं और कब-कब से विचाराधीन हैं;

(ग) राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों को अनुमोदित किया गया है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं तथा विचाराधीन मामलों का निपटान कब तक हो जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) त्रिपुरा से स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के लिए प्राप्त आवेदनपत्रों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(I) 31.3.82 तक प्राप्त कुल आवेदन पत्र	2351
(II) पेंशन स्वीकृत की गयी	676
(III) अस्वीकृत की गयी	1242
(IV) लम्बित	433

(ग) और (घ) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यातना के दावे को राज्य सरकार द्वारा सत्यापित किए जाने के बाद सम्मान पेंशन स्वीकृत की जाती है। दावों को तेजी से सत्यापित करने की आवश्यकता के लिए राज्य सरकारों पर जोर दिया गया है।

चूना पत्थर के निक्षेपों का पता लगाने के लिये जांच

9550. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिंतामणि जेना :

क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चूना पत्थर, जो कि सीमेंट बनाने के काम आता है, के निक्षेपों का पता लगाने के लिए 1982-83 और 1983-84 मे कोई खोज कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) देश में सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर की खोज हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के लिए उड़ीसा ने कोरापुट में गुप्तेश्वर-बिनसूली क्षेत्रों में; अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले में, जम्मू और कश्मीर में अनन्तनाग और बारामूला जिले में तथा उत्तर प्रदेश के देहरादून जिले के कुछ भागों में और त्रिपुरा में खोज शुरू की है, जो जारी है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने आन्ध्र प्रदेश में कुरनूल बेसिल में भी तीन वर्षीय खोज कार्यक्रम शुरू किया है।

उत्तरी-पूर्वी परिषद ने मेघालय में तीन चूना-पत्थर खोजें प्रायोजित की हैं; भारतीय सीमेंट निगम ने भी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में तथा असम के बोकाजन क्षेत्र में खोज कार्य किया है।

गुप्तेश्वर-बिसुली क्षेत्रों में चूना पत्थर की 4 सम्पन्न पट्टियां चिन्हित की गयी हैं। ऊपरी सुबानसिरी जिले में भी डोलोमाइट जोन के अन्दर उच्च ग्रेड चूना पत्थर पट्टियों का निर्धारण किया गया है। मेघालय में खोज कार्य से सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर के 22 मि० टन भंडारों का संकेत मिला है।

(ग) उत्तरी-पूर्वी परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार गारोहिल्स में 600 टन दैनिक क्षमता वाले सीमेंट कारखाने और 12,000 टन दैनिक क्षमता वाले खंगड़ कारखाने (क्लिन्कर-प्लांट) हेतु परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है। लघु सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए एक और परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

बूंदी में निक्षेपों पर अन्वेषण रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है तथा चित्तौड़गढ़ जिले में एक मि० टन वार्षिक क्षमता वाले सीमेंट कारखाने की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

देश में तांबे का उत्पादन

9551. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने तांबा कम्पलैक्स कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इन परियोजनाओं में वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान हुए उत्पादन का ब्यौरा है;

(ग) क्या देश में तांबे के उत्पादन की मांग पूरी नहीं हो सकी है और तांबे का आयात

किया जा रहा है, यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में तांबे का आयात किया गया है;

(घ) क्या इस मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन में वृद्धि करने हेतु वर्तमान कम्पलैक्स की क्षमता बढ़ाने अथवा देश में निकट भविष्य में और अधिक तांबा कम्पलैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हिन्दुस्तान कापर लि०. के अधीन तांबा धातु के उत्पादन की दो बड़ी इकाइयां हैं :—घटशिला कम्पलैक्स (बिहार), जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 16,500 टन ब्लिस्टर तांबा है तथा दूसरी-खेतड़ी कम्पलैक्स (राजस्थान), जिसकी वार्षिक स्थापित क्षमता 31,000 टन ब्लिस्टर तांबा उत्पादन है।

(ख) घटशिला तथा खेतड़ी कम्पलैक्स में 1981-82 से 1983-84 में ब्लिस्टर तांबे का उत्पादन निम्नलिखित था :—

(यूनिट : मी० टन)

वर्ष	घटशिला	खेतड़ी
1981-82	12270	15170
1982-83	13603	21031
1983-84	12859	22513

(ग) चूंकि तांबा धातु का देशी उत्पादन देश की कुल मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए शेष जरूरत की पूर्ति मुख्यतः भारतीय खनिज और धातु व्यापार निगम लि० के माध्यम से आयात द्वारा तथा कुछ हद तक आर० ई० पी० लाइसेंसों पर तांबे के आयात के और ओपन जनरल लाइसेंस पर तांबा स्क्रेप के आयात से की जाती है। खनिज और धातु व्यापार निगम लि० द्वारा 1981-82 से 1983-84 में आयातित तांबा धातु की मात्रा निम्नलिखित थी :—

वर्ष	**मात्रा (टनों में)**
1981-82	43,214
1982-83	51,410
1983-84	52,200

(घ) और (ङ) दोनों तांबा उत्पादन कारखानों के विस्तार के प्रस्ताव बना लिए गए हैं ताकि ब्लिस्टर तांबा उत्पादन की क्षमताओं को घटशिला में वर्तमान 16,500 टन से बढ़ाकर 45,000 टन वार्षिक तक किया जा सके।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

9552. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को मध्यम तथा बड़ी परियोजनाओं तथा खनन गतिविधियों के परिणामस्वरूप विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके मंत्रालय द्वारा मार्गनिर्देशों के कार्यान्वियन के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) विस्थापित आदिवासियों के पुनर्वास के बारे में उनके मंत्रालय द्वारा राज्यों को क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या किसी परियोजना के लाभ और लागत के अनुपात की गणना करते समय पुनर्वास की लागत पर भी विचार किया जाता है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्थापना के कारण विस्थापित हुए आदिवासियों के पुनर्वास हेतु गृह मंत्रालय द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों की इस मंत्रालय को जानकारी है। उन निर्देशों में सुझाये गए उपायों में खनन यूनिट या कम्पलैक्स की स्थापना हेतु अब अधिग्रहीत भूति से विस्थापित हुए अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के सवाल, उनके पुनर्वास, नई आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में उनके रोजगार, प्रशिक्षण आदि पर विचार हेतु मंत्रालय में एक स्थायी समिति की स्थापना शामिल है।

मार्गदर्शी निर्देशों के अनुसार मंत्रालय स्तर पर एक स्थायी समिति गठित की गई है ताकि खनन और खनिज आधारित उद्योग समूहों में अन्य बातों के साथ-साथ आदिवासी उत्थान योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति पर निगरानी रखी जा सके।

(ग) व्यापक मार्गदर्शी निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हैं।

(घ) योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1980 में जारी हिदायतों के बाद कार्यान्वियन के लिए शुरू की गई खनन परियोजनाओं परियोजना आकलनों में पुनर्वास की लागत भी शामिल है।

(ङ) सवाल ही नहीं उठता ?

सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता पर औद्योगिक नीति का प्रभाव

9553. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्तमान औद्योगिक नीति से सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों की स्वायत्तता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लद्दाख को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना

9554. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख के लोगों ने मांग की है कि इस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और यह निर्णय किस तारीख को लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो किस संभावित तारीख तक निर्णय लिए जाने की संभावना है और विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) तथा (ग) लद्दाख के लोगों को संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत अभी अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किया जाना है । अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने के पश्चात ही अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी ।

राज्यों और संघशासी क्षेत्रों के राज्यपालों, उपराज्यपालों और मुख्य आयुक्तों को पेंशन लाभ

9555. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों और संघशासी क्षेत्रों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और उपायुक्त, पेंशन आदि जैसे कोई सेवानिवृत्त लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या उन्हें इस प्रकार के लाभ दिये जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो उनको ये लाभ कब तक दिए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) राज्यों के राज्यपाल और संघ शासित क्षेत्रों में उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए गैर सरकारी व्यक्ति की गई ऐसी सेवा के लिए पेंशन के हकदार नहीं हैं। उपराज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त के रूप में अधिकारियों द्वारा की गई सेवा की अवधि सम्बद्ध नियमों के अनुसार सेवा निवृत्ति के लाभों के प्रयोजन के लिए अर्हक सेवा मानी जाती है।

(ग) से (ङ) वर्तमान स्थिति में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है ?

राजस्थान में जिला उद्योग केन्द्र

9556. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने जिला उद्योग केन्द्र हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) इन केन्द्रों की स्थापना का क्या प्रयोजन है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां हुई हैं;

(ग) इनमें क्या सुविधायें और प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं; और

(घ) क्या राजस्थान में वर्ष 1984 और 1985 के दौरान ऐसे केन्द्र स्थापित किये जाने की कोई अग्रेत्तर योजना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) राजस्थान में 26 जिलों के लिए 26 जिला उद्योग केन्द्र हैं और सभी जिला मुख्यालयों में स्थित हैं।

(ख) जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों को अनिवार्य सेवाएं तथा निविष्टियां जहां तक सम्भव हो जिला स्तर पर उपलब्ध करवाने

में सहायता देना है । राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 1978-79 से 1982-83 के दौरान राजस्थान में 34,102 औद्योगिक एककों की स्थापना हुई थी जिसमें से 21004 कामगार आधारित एकक और 13,098 लघु उद्योग एकक थे तथा इनसे 1,36,313 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए ।

(ग) उद्योगों की स्थापनार्थ दी जाने वाली सुविधाएं तथा प्रोत्साहन निम्नलिखित हैं : आर्थिक जांच, उत्पादन लाइन के चयन हेतु उद्यमियों को मार्गदर्शन, सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार करना, एककों का पंजीकरण, मशीनों तथा उपकरणों की आपूर्ति हेतु व्यवस्था यदि आवश्यक हो तो किराया खरीद आधार पर, कच्चे माल तथा ऋण के लिए व्यवस्था, प्रशिक्षण देना तथा औजारों (टूल किट्स) के लिए राजसहायता देना, संयंत्र तथा उपकरणों के लिए राजसहायता, प्रशिक्षित कामगारों के लिए कार्य-शेडों हेतु राजसहायता तथा साथ ही पिछड़े हुए घोषित ज़िलों में उद्यमियों को पूंजी राजसहायता का प्रावधान, शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने की नई योजना के अंतर्गत अभी हाल ही में जिला उद्योग केन्द्रों ने भी शिक्षित बेरोजगार युवकों को अपना ही रोजगार-उपक्रम स्थापित करने में सहायता देना आरंभ कर दिया है ।

(घ) हाल ही में, राजस्थान सरकार ने विद्यमान भरतपुर जिले को दो भागों में विभाजित किया है और धौलपुर का एक नया जिला बना दिया है जिसके लिए राज्य सरकार ने एक नए जिला उद्योग केन्द्र का प्रस्ताव रखा है । यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है ।

सातवीं योजना में शामिल की जाने वाली आदिवासी उप-योजना के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

9557. **श्री भीखा भाई** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं योजना में शामिल की जाने वाली आदिवासी उप-योजनाओं हेतु आधार कार्य मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने के लिए कोई कार्य दल अथवा कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि इसके लिए आदिवासी सदस्यों को नियुक्त किया गया हो, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) योजना आयोग ने 4 अक्तूबर, 1983 की अधिसूचना सं० पी० पी/बी० सी/11-8 (2)/83 के तहत सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जनजातियों के विकास के संबंध में एक

कार्यकारी दल गठित किया है। इस कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय संलग्न विवरण के अनुसार हैं।

(ग) आदिवासी समुदायों के निम्नलिखित सदस्यों को कार्यकारी दल से सम्बद्ध किया गया है :

1. श्री सुबोध हंसदा,
भूतपूर्व संसद सदस्य,
रघुनाथपुर, डा० झाड़ग्राम।

2. श्री रबिन्द्र नायक,
भूतपूर्व मंत्री, आदिवासी विकास,
आंध्र प्रदेश, हैदराबाद।

3. श्री बसंतराव उइके,
भूतपूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश, भोपाल।

4. श्री बीरभद्र सिंह, भूतपूर्व मन्त्री,
उड़ीसा राज्य, भुवनेश्वर।

5. श्री द्रग्पाल शाह, भूतपूर्व संसद सदस्य,
बस्तर, मध्य प्रदेश।

विवरण

सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए अनुसूचित जनजातियों के विकास संबंधी कार्यकारी दल के लिए विचारार्थ विषय

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए अब तक अपनाई गई नीति का पुनरीक्षण करना और विशेषतः सातवीं योजना अवधि के लिए और सामान्यतः एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में उसके लिए सुझाव देना।

2. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और उनके शोषण को समाप्त करने के लिए उपायों का पुनरीक्षण करना और भविष्य में उठाये जाने वाले कदमों का सुझाव देना।

3. गरीबी की रेखा पार करने के लिए व्यक्तिगत परिवारों द्वारा वास्तव में प्राप्त किये गये लाभों का मूल्यांकन करके आदिवासी उप-योजना और आदिवासी क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा

रहे विकास कार्यक्रमों के सारांश तथा प्राथमिकताओं का पुनरीक्षण करना और उपयुक्त सुझाव देना।

4. आदिवासी क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं का पुनरीक्षण करना, उन्हें कहां तक पूरा किया गया है और उनको पूरा करने के लिए आवश्यक उपाय।

5. आदिम जनजातियों के लिये कार्यक्रमों का पुनरीक्षण करना, कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करना और विकास की भावी नीति का सुझाव देना।

6. राज्य, केन्द्र तथा संस्थागत वित्त से आदिवासी उपयोजना में लगाये जा रहे धन का पुनरीक्षण करना और इन स्रोतों से धन प्राप्त होने की प्रक्रिया में सुधारों का सुझाव देन।

7. एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, राज्य, जिला, खण्ड तथा ग्राम्य स्तरों पर प्रशासनिक तंत्र के कार्य का पुनरीक्षण करना और कार्मिकों की तैनाती, प्रशिक्षण, सेवाकाल, नियुक्तियों, आदि के उपयुक्त तरीके सुझाना।

8. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा पिछड़े वर्गों के पूरक क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा करना और संशोधनों/विलोपनों/परिवर्धनों का सुझाव देना।

9. राज्य सरकारों द्वारा प्रबोधन तथा मूल्यांकन प्रणालियों का पुनरीक्षण करना और उनको और सक्रिय बनाने के लिए सुझाव देना।

10. स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका, आदिवासी विकास उनके शामिल होने का पुनरीक्षण करना और उनके भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण प्रणाली-विज्ञान का सुझाव देना;

11. आदिवासी विकास का कोई अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिसे कार्यकारी दल शामिल करना चाहे।

दूर के संकेतों को ग्रहण करने वाले (रिमोट सेंसिंग) सेटेलाइट छोड़ने के बारे में भारत रूस समझौता

9558. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या भारत ने दूर के संकेतों को ग्रहण करने वाले (रिमोट सेंसिंग) 'सेटेलाइट' के बारे में सोवियत संघ से कोई समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गान्धी) : (क) और (ख) जी, हां। लगभग 950 किलोग्राम भार के, भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई० आर० एस०), को 1986 में एक सोवियत अन्तरिक्ष अड्डे से 904 कि० मी० की ऊंचाई पर एक ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में छोड़ा जाला है। इस सम्बन्ध में 21 मई, 1982 को इसरो तथा सोवियत संघ की लाइसेसिंटोर्ग (एल० आई० टी०) के बीच एक करार किया गया था। इस करार में आई० आर० एस० के छोड़ जाने से पूर्व, इसरो द्वारा स्वीकार्य भुगतान के आधार पर इसको अन्तिम जांच पड़ताल के लिए कुछ विशेष सुविधाओं का सोवियत संघ में प्रावधान करने के साथ-साथ सोवियत राकेट वाहक पर उपग्रह के प्रमोचन की व्यवस्था है। ये सुविधाएं राकेट वाहक के साथ उपग्रह के जुड़ने तथा उपग्रह के ईंधन-भरण, आई० आर० एस० पर अन्तिम समुच्चयन तथा जांच-पड़ताल के क्षेत्रों में विशेष प्रयोगशाला सुविधाएं हैं। लाइसेसिंटोर्ग, इसके प्रमोचन के तुरन्त बाद, 45 दिन की अवधि के लिए इसके दूरमिति आंकड़ों के अभिग्रहण के लिए सुविधाओं के साथ-साथ उपग्रह के लिए अनुवर्तन आंकड़ों को भी प्रदान करेगी।

2. करार में, कक्षा की परिशुद्धता, जिसमें आई० आर० एस० को स्थापित किया जाना है, की गारंटी भी शामिल है। यदि सोवियत राकेट वाहक छोड़े जाने के दौरान या उसके बाद प्रमोचक की किसी खराबी के कारण, आई० आर० एस० को कक्षा में स्थापित करने में असफल हो जाता है तो इसरो के निवेदन पर उसे या द्वितीय आई० आर० एस० जैसी भी स्थिति हो, को कक्षा में छोड़ने के लिए एक पुनर्प्रमोचन प्रदान करेगा। यदि, आई० आर० एस० को कक्षा में स्थापित करने के बाद, आई० आर० एस० मिशन को पूरा करने में असफल हो जाता है, तो इसरो के अनुरोध पर, एल० आई टी० द्वितीय आई० आर० एस० को कक्षा में स्थापित करने के लिए एक पुनर्प्रमोचन प्रदान करने की संभावना पर विचार करेगा। किसी भी मामले में, सही शर्तों और द्वितीय प्रमोचन के लिए अनुसूची पर दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक होगी।

3. मई, 1982 में किए गए उपरोक्त करार के अन्तर्गत, उपग्रह प्रमोचन के लिए तकनीकी परियोजना (टी० पी० एस० एल०) शीर्षक वाला एक दस्तावेज भी फरवरी, 1984, में हस्ताक्षरित किया गया। कथित टी० पी० एस० एल० में प्रमोचक राकेट के अन्तरापृष्ठ, से संबंधित विस्तृत कार्य योजना, अन्तरिक्ष अड्डे पर कार्य, प्रमोचन-पश्च सेवाएं तथा एल० आई० टी० और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से तैयार संशोधनों से सम्बन्धित कार्य-योजना का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है।

4. स्वीकृत योजनाओं में, परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान आंकड़ों के विनिमय के लिए विशेषज्ञों के बीच छः महीने में एक बार संयुक्त बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है।

5. इस करार के अन्तर्गत, प्रदान की कोई सेवाओं के लिए इसरो ने एल० आई० टी० को 7.50 करोड़ रुपये देने हैं।

दिल्ली पुलिस कर्मियों का निलम्बन

9559. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 को दिल्ली पुलिस के कुल कितने कर्मचारी निलंबित थे;

(ख) इन पुलिस कर्मियों को किन मुख्य आरोपों पर निलम्बित किया गया;

(ग) ये कर्मचारी कितनी अवधि से निलम्बित हैं; और

(घ, निलंबित पुलिस कर्मियों के मामलों की शीघ्र निपटाने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 31 मार्च, 1984 को दिल्ली के 269 कर्मचारी निलम्बित थे।

(ख) ड्यूटी से अनुपस्थिति, ड्यूटी के प्रति असावधानी अथवा लापरवाही, अवज्ञा, भ्रष्ट प्रथाएं और आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रत होना उनको निलम्बित किये जाने के मुख्य आरोप हैं।

(ग) समयावधि 40 दिन से 8 वर्ष के बीच है।

(घ) पुलिस मुख्यालय और जिला/एकक मुख्यालयों में विभागीय जांच पड़ताल में हुई प्रगति की सावधिक समीक्षा की जाती है। आपराधिक मामलों में अन्तर्ग्रस्त कर्मचारियों के बारे में इन मामलों में न्यायालयों के निर्णय शीघ्रता से करवाने के लिए नियमित पैरवी की जाती है।

निम्न ग्रेड लौह-अयस्कों का दर्जा बढ़ाने के लिए कदम

9560. **श्री के० ए० स्वामी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रमों के उपकर के लिए निम्न ग्रेड लौह अयस्कों का दर्जा बढ़ाने के लिए कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, हां। "सेल" के नियंत्रणाधीन इस्पात कारखानों की लौह-अयस्क की अपनी-अपनी खानें हैं जो प्रत्येक इस्पात कारखाने की अधिकांश आवश्यकता को पूरा करती हैं। जहां कहीं तकनीकी कारणों से आवश्यक

समझा गया है, उन खानो में लौह-अयस्क की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए परिष्करण सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं। ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

कारखाने का नाम	खान का नाम	उपलब्ध करायी गयी परिष्करण सुविधाएं
1	2	3
भिलाई इस्पात कारखाना	दिल्ली	अयस्क के डलों और चूरे को साफ करने की सुविधाएं और इनकी पिसाई छंटाई इनको छानने और इनके वर्गीकरण हेतु उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	(क) बोलानी	लौह अयस्क की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए चूरे को धोने की सुविधाएं लगायी जा रही हैं।
	(ख) बरसुआ	शोधन सुविधाएं और पिसाई, छानने, छंटाई और वर्गीकरण हेतु उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
बोकारो इस्पात कारखाना	(क) किरिबुरू	शोधन सुविधाएं और चार चरणों में पिसाई, छंटाई, छानने और वर्गीकरण उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं।
	(ख) मेघाटम्बुरू (निमार्णाधीन)	शोधन सुविधाएं और पिसाई, छानने, छंटाई, वर्गीकरण और चक्रवात की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी लिमिटेड (इस्को) के संबंध में अयस्क के डलों और चूरे—दोनों को साफ करने के लिए रक्षित खानों में एक परिष्करण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि धमन भट्टी के लिए अच्छी क्वालिटी का लौह अयस्क उपलब्ध हो सके। प्रस्तावित सुविधा बर्नपुर के कारखाने में सिन्टर संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव से जुड़ी हुई है जिसमें गुआ की खानों के बेकार जाने वाले लौह अयस्क के चूरे का इस्तेमाल किया जाएगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों में केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्लान योजनाएं

9561. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में कौन-सी विभिन्न केन्द्रीय सहायता प्राप्त प्लान योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकारों को इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के बारे में वित्तीय वर्षों की समाप्ति पर सूचित किया जाता है, जिससे इन योजनाओं के उचित कार्यान्वयन में कठिनाइयां महसूस होती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन योजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को अग्रिम सूचना भेजने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों को दर्शाने वाला एक **विवरण** संलग्न है ।

(ख) और (ग) संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वीकृतियां जारी की जाती हैं और उनके द्वारा बनायी गई कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए धन दिया जाता है । कुल मिलाकर राज्य सरकार द्वारा स्कीमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए स्वीकृतियां और धनराशियां समय पर जारी की जाती हैं ।

विवरण

राज्यों में कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

कृषि और संबद्ध कार्यक्रम

1. कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि ।

2. पुनः संगठित आधार स्तर संस्थानों के लिए संगठन निधि सहायता ।

3. अल्प विकसित राज्यों में सहकारी ऋण संस्थानों को सहायता ।

4. अल्प विकसित राज्यों में सहकारी विपणन प्रक्रिया और भंडारण को सहायता ।

5. सहकारी चीनी और कताई मिलें ।

6. भूमि विकास बैंकों के ऋण पत्र ।

7. बायो-गैस विकास के लिए कार्यक्रम ।

8. मुख्य फसलों के क्षेत्र और उपज के बारे में समय पर सूचना देना ।

9. केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कृषि-आंकड़ों की सूचना देने के लिए अभिकरण ।

10. फसल आकड़ों का सुधार ।

11. कीटों और बीमारियों का उन्मूलन ।

12. राष्ट्रीय कीटों और बीमारियों का नियंत्रण ।

13. खर-पतवार नियंत्रण ।

14. गहन कपास जिला परियोजनाएं ।

15. गहन पटसन जिला परियोजनाएं ।

16. गहन तिलहन विकास परियोजनाएं ।

17. नारियल के लिए संवेष्ठन (पेकेज) कार्यक्रम ।

18. काजू के लिये संवेष्ठन (पेकेज) कार्यक्रम ।

19. गहन दलहन जिला परियोजनाएं ।

20. लघु मछली पत्तन ।

21. पशु प्लेग उन्मूलन ।

22. पैर और मुंह रोग नियंत्रण ।

23. पांच राज्यों में नई डेयरी स्कीमें ।

24. एक्वाकल्वर (एफ० एफ० डी०) का विकास ।

25. राज्यों के बीज निगमों में भागीदारी के लिए एन० एस० सी० ।

26. कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना (उन्नत कृषि उपकरणों का प्रदर्शन और प्रचार) ।

27. क्षरीय भूमि का सुधार और प्रबन्ध ।

28. शुष्क खेती क्षेत्रों में जल कटाई तकनीक का प्रचार ।

29. बीज और उर्वरक ड्रिलों और निवेशों का प्रचार ।

30. सेवों के लिए पौध संरक्षण स्कीमें ।

31. रोगमुक्त क्षेत्रों के सृजन सहित राष्ट्रीय महत्व के पशु रोगों का विधिवत नियंत्रण ।

32. दूध, अंडे और ऊन के अनुमानों से सम्बन्धित नमूना सर्वेक्षण ।

33. उन्नत किस्म की देशीय/संकर नस्ल की ओसर के उत्पादन के लिए चुनी हुई गोशालाओं को सहायता ।

34. हिमालय के क्षेत्र में भूमि, जल और वृक्ष संरक्षण ।

35. वन्य जीवन के संवर्द्धन के लिए प्रदर्शनी

36. चुने हुए चिड़ियाघरों के विकास के लिए सहायता ।

37. राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के राष्ट्रीय पार्कों के विकास के लिए सहायता ।

38. ग्रामीण गोदाम का राष्ट्रीय ग्रिड ।

39. फल, सब्जियों और लघु फसल के अनुमान सर्वेक्षण ।

40. जल-संभर विकास के जरिए वर्षा सिंचित खेती ।

41. चुने हुए जल संभरों का विकास ।

42. चारे के परीक्षण के लिए मिनीकिट कार्यक्रम ।

43. केरल में वन आग प्रशिक्षण केन्द्र ।

44. चुने हुए पार्क और पशु विहार

45. सामाजिक वन उद्योग

46. परियोजना टाईगर

47. झींगा कृषि और उनका संवर्धन जलाशय

48. छोटे और मझोले किसानों को सहायता.

49. **उपभोक्ता सहकारी समितियां**

(क) उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए ग्रामीण सहकारी समितियों को सीमान्त राशि

(ख) शहरी उपभोक्ता सहकारिता

अर्थ कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग

50. ग्रामीण बैंकों का भाग

51. सूखा प्रवृत्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम

52. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

53. विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम सहित एकीकृत ग्रामीण विकास

54. स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों का प्रशिक्षण

55. रेगिस्तान विकास

56. बेशी भूमि प्राप्त करने वाले को सहायता

57. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी स्कीम

सिंचाई, नियंत्रण क्षेत्र विकास तथा बाढ़ नियंत्रण

58. भौम और भूपृष्ठ जल (राज्यों में लघु सिंचाई संगठन)

59. हिमालय क्षेत्र के नदी घाटी जल संभर क्षेत्रों में भू तथा जल संरचना

60. हिमालय क्षेत्रों में एकीकृत भू तथा जल संरक्षण

61. नियंत्रण क्षेत्र विकास

62. शौर्य पम्पों, पवन चक्कियों हाईड्राम, छिड़काव/टपकर सिंचाई व्यवस्था, मनुष्य, पशु और प्रचालनात्मक पम्प सैटों आदि के जरिए सिंचाई में वृद्धि करना।

शिक्षा

63. प्रौढ़ शिक्षा

64. अहिन्दी बोलने वाले क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति

65. अनौपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परियोजनाएं

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

66. ग्रामीण स्वास्थ्य गाईड और उप केन्द्रों सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम

67. स्नात्कोत्तर विभाग (आई० एस० एम०) को सहायता

68. आई० एस० एम० फार्मेसिज आदि की स्थापना

69. मलेरिया नियंत्रण—ग्रामीण

70. मलेरिया नियंत्रण—शहरी

71. फिलारिया नियंत्रण

72. कुष्टरोग नियंत्रण

73. टी० बी० नियंत्रण

74. योवन सम्बन्धों से फैलने वाली बीमारियां (रतिरोग)

75. अन्धेपन की रोकथाम

76. स्वास्थ्य शिक्षा का पूर्वाभिकरण, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की देखभाल का विस्तार

77. बहुद्देशीय श्रमिकों का प्रणिक्षण और रोजगार

आवास, शहरी और जल आपूर्ति

78. त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति

79. छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत शहरी विकास

80. राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र

श्रम और रोजगार

81. बन्धक श्रमिकों की पुनर्स्थापना

विद्युत

82. अन्तर्राजीय संचारण लाइनें

समाज कल्याण और पोषाहार

83. एकीकृत बाल विकास सेवाएं

84. देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए सेवाए

85. निराश्रित महिलाओं और बच्चों का कल्याण

86. विकलांगों की एकीकृत शिक्षा

87. विकलांगों के लिए विशेष रोजगार केन्द्र

परिवहन

88. अन्तर्राज्यीय महत्व की सड़कें

89. आर्थिक महत्व की सड़कें

90. अन्तर्देशीय जल परिवहस विकास

ग्राम और लघु उद्योग

91. जिला उद्योग केन्द्र (जि० उ० के०)

पिछड़े व कार्गों कल्याण

92. मैट्रिकोत्तर छात्रवृतियां

93. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

94. अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए बालकों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

95. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के डाक्टरी और इंजीनियरी छात्रों के लिए पुस्तक बैंक

96. लड़कियों के छात्रावास

97. शिक्षण और संबद्ध स्कीमें

98. अनुसंधान और प्रशिक्षण

99. नागरिक अधिकार अधिनियम के लिये तंत्र

100. अनुसूचित जनजाति विकास निगम

पर्यावरण

101. जल प्रदूषण (उपकट) का नियंत्रण तथा रोकथाम

सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम रायफल्स में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

9562. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम रायफल्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और असम रायफल्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) इन बलों में भर्ती; और पदोन्नति अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण आदेशों के अनुसार कड़ाई से की जाती है। निर्धारित प्रतिशतता तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के द्वारा पदों को भरने में कुछ अन्तर रह जाता है। उन क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार उपलब्ध हैं, विशेष भर्ती अभियानों का प्रबन्ध करके अन्तर पूरा करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

आदिवासी छात्रों के लिये छात्रावास

9563. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे आदिवासी जनसंख्या वाले राज्यों में आदिवासी छात्रों के लिए पर्याप्त छात्रावास नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त राज्यों में आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में कम लागत के छात्रावासों का निर्माण करने हेतु कार्यवाही करने का है; और

(ग) इस सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जनजाति क्षेत्रों में छात्रावास की सुविधा साधारणतः अपर्याप्त है।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि उसका 1984-85 के दौरान जन-

जाति क्षेत्रों 412 कम लागत के छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है। अन्य राज्य भी जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में अधिक संख्या में छात्रवासों का निर्माण कर रहे हैं।

तिहाड़ जेल की नियमावली

9564. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिहाड़ जेल की नियमावली अब तक प्रकाशित कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसे कब तक प्रकाशित किए जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) समय-समय पर यथा संशोधित पंजाब जेल नियमावली संघ शासित क्षेत्र दिल्ली की जेलों में लागू है। अखिल भारतीय जेल सुधार समिति 1980-83 की सिफारिशों के आधार पर वर्तमान नियमावली के संशोधन का प्रश्न अभी दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

"पेटेंटेस" के बारे में हिन्दी में जानकारी

9565. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पेटेंटेस" के बारे में हिन्दी में जानकारी दी जाती है; और

(ख) जनसाधारण को "पेटेंटेस" के बारे में हिन्दी में जानकारी देने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं जिससे कि वे उन्हें समझ सकें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) पेटेन्ट नियम, 1972 के असुसार पेटेण्ट्स अंग्रेजी अथवा हिन्दी में फाइल किए जा सकते हैं। पेटेन्ट अधिनियम, 1970 के अधीन पेटेन्ट आवेदन देने, आविष्कारों की दिशा, कानूनी कार्यवाही आदि संबंधी जानकारी पेटेन्टों, डिजाइनों और व्यापार चिन्हों के महानियंत्रक की वार्षिक रिपोर्टों में हिन्दी में प्रकाशित की जाती है। आविष्कारकों से प्राप्त हिन्दी प्रश्नावलियों के उत्तर हिन्दी में ही दिए जाते हैं।

केन्द्र शासित प्रदेशों में पुलिस हिरासत में मृत्यु और पुलिस के साथ मुठभेड़

9566. **श्री ए० के० राय** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र शासित क्षेत्र प्रदेशों में पहले तीन वर्ष के दौरान पुलिस हिरासत में मरने वालों की वर्ष वार संख्या कितनी है;

(ख) कितने व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस के साथ मुठभेड़ में दिखाई गई है;

(ग) क्या पुलिस हिरासत में मृत्यु और पुलिस के साथ मुठभेड़ के मामले बढ़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) पिछले तीन साल के दौरान संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

1981	1982	1983	1984 (15.4.84 तक)
1	5	6	1

वर्ष 1982 में पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु का एक मामला हुआ और इस प्रकार एक मामला वर्ष 1983 में हुआ।

संघ शासित क्षेत्र दादरा व नगर हवेली, चण्डीगढ़, पांडिचेरी, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा दमन और दीव में पिछले तीन सालों के दौरान इस प्रकार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

संघ शासित क्षेत्र मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप से सूचना की अभी प्रतीक्षा है।

(ग) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में पुलिस हिरासत में मौतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है।

(घ) समय-समय पर उपयुक्त निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें इस बात पर बल दिया गया है कि पुलिस हिरासत में व्यक्तियों को शारीरिक हिंसा का शिकार बनाया जाए और पूछताछ वैज्ञानिक विधि से की जाय।

ईरान और चीन से चीतों का आयात

9567. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीतों की खत्म हो रही नस्ल को बनाए रखने की दृष्टि से ईरान और चीन से, जहां एशियाई नस्ल का चीता उपलब्ध है, चीतों का आयात करने के प्रबंध किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) प्रस्ताव बिल्कुल प्रारम्भिक

अवस्था में है तथा विदेश मंत्रालय से यह मामला ईरान के साथ उठाया गया है। इस उद्देश्य के लिए चीन के साथ सम्पर्क करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

छपाई के सफेद कागज के मूल्यों मे वृद्धि

9568. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने छपाई के सफेद कागज के मूल्य में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो ब्यरो की सही-सही सिफारिशें क्या हैं तथा इसके द्वारा आकलन की जाने वाली लागत से सम्बन्धित आधार का मुख्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ग) छपाई के सफेद कागज की कीमतों के संबंध में औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने एक रिपोर्ट दी है। ब्यूरों की इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है। ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों के बारे में बताना जनहित में नहीं होगा।

दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों मे जेलों में कैदियों से कराया गया कृषि औद्योगिक उत्पादन

9569. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 और 1983-84 के दौरान दिल्ली और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में जेलों में कैदियों द्वारा किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप कितना कृषि और औद्योगिक उत्पादन हुआ और इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं की मात्रा तथा मूल्य कितना था;

(ख) विभिन्न जेलों के रख-रखाव पर खर्च की गई राशि की तुलना में इससे प्राप्त राजस्व कितना था; और

(ग) जेलों पर खर्च की गई धनराशि के बराबर राजस्व प्राप्त करने के लिए कार्य के लिये उपयुक्त स्थिति बनाये रखते हुए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तिहाड़ जेल में 1982-83 और 1983-84 में उत्पादित औद्योगिक तथा कृषि मदों की मात्रा और उसका मूल्य इस प्रकार है :

औद्योगिक मदें

वर्ष	मात्रा	लगभग मूल्य (रुपयों में)
1982-83	उत्पादन की 28 श्रेणियां जिनमें बुनाई, सिलाई, बढ़ईगिरी और साबुन तथा तेल का उत्पादन आता है	6,91,037
1983-84	—वही—	6,27,099

जेल फार्म

1982-83	893 क्विटल गेहूं, आलू, सब्जियां, चारा आदि।	1,12,048
1983-84	628 क्विटल गेहूं, आलू, सब्जियां चारा आदि।	1,14,660

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में जेल के संबंध में सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	औद्योगिक मदों की संख्या	लगभग मूल्य (रुपयों में)
1982-83	271 फर्नीचर की मदें	5,230
1983-84	301 फर्नीचर की मदें	5,393

जेल में कैदियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए जेल बाग में उत्पादित वस्तुओं के अतिरिक्त जेल के अन्दर कोई कृषि उत्पादन नहीं किया जाता।

अन्य संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) और (ग) जेल में काम के विभिन्न कार्यक्रम कैदियों के रिहा होने के बाद उनके पुनर्वास के उद्देश्य से उनको प्रशिक्षण देने तथा सुधारने के लिए हैं और इन कार्यक्रमों का जेलों के रखरखाव पर खर्च से कोई संबंध नहीं है।

फेडरेशन एसोसिएशन्स आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया द्वारा दिया गया ज्ञापन

9570. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ एसोसिएशन्स आफ स्माल इण्डस्ट्रीज आफ इण्डिया ने जनवरी, 1984 में सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय मे राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) भारत के लघु उद्योगों के एसोसिएशन के फेडरेशन ने एक बजट-पूर्व ज्ञापन दिया था जिसमें वित्त का मानिटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करने, बिजली बनाने के लिए अधिक निधि का आबंटन करने, प्रत्यक्ष और परोक्ष करों में रियायतें/छूट देने तथा उनकी प्रक्रिया को सरल बनाने आदि के लिए सुझाव सम्मिलित थे। 1984-85 के लिए बजट-पूर्व प्रस्ताव तैयार करते समय इन सुझावों को ध्यान में रखा गया था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ

9571. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कर्मचारियों को इस समय पेन्शन लाभ मिल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या उन्हें पेन्शन लाभ दिये जाने के बारे में कार्यवाही की जा सकती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) आयोग के कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया जा चुका है। ब्यौरों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

विस्थापितों के पुनर्वास हेतु प्रबन्ध

9572. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सिमिलीपाल बांध परियोजना, उड़ीसा की तलहटी में और इसके आसपास रहने वाले आदिवासियों को वहां से चले जाने के नोटिस दे दिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आदिवासियों को विस्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ग) विस्थापित किये जा रहे व्यक्तियों के पुनर्वास की क्या व्यवस्था की गयी है;

(घ) बेदखली नोटिसों के कार्यान्वयन से वहां के कितने निवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) अभी तक किसी भी प्राधिकरण द्वारा वेदखली की सूचना जारी नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) ऐसी स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठते।

उड़ीसा में मेग्नेटिक टेप निर्माण एकक

9573. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में देश का प्रथम मेग्नेटिक टेप निर्माण एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में किस स्थान पर ऐसे मेग्नेटिक टेप निर्माण एकक की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) उक्त प्रस्ताव के शीघ्रता से क्रियान्वित करने में कितनी प्रगति हुई है ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : (क) उड़ीसा सरकार उड़ीसा में चुम्बकीय टेप-संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव कर रही है। तथापि, देश में इस प्रकार की यह पहली परियोजना नहीं है।

(ख) यह परियोजना भुवनेश्वर में स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र में परियोजना लागत संबंधी ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। पूंजीगत वस्तुओं पर लगभग 342 लाख रुपए की अधुमानित लागत आएगी।

(घ) मैसर्स जोनल लिमिटेड, ग्रेट-ब्रिटेन के साथ विदेशी-सहयोग करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। तथापि, अभी विदेशी-सहयोग-विषयक-करार प्रस्तुत किया जाना है।

जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से स्वरोजगार योजना

9574. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **उद्योग मन्त्री** जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से स्वरोजगार योजना के बारे में 11 अप्रैल के अतारांकित प्रश्न संख्या 7157 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से उक्त योजना के कार्यान्वयन से केवल उत्पादी औद्योगिक उद्यम होना आवश्यक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों में शिक्षित बेरोजगारों तथा अन्य वर्गों के लिये स्वीकृत औद्योगिक अथवा अन्य सीधे उत्पादी उद्यमों का क्या अनुपात है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ग) स्व-रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवकों को न केवल उद्योगों के माध्यम से बल्कि उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय के माध्यम से रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए हैं ।

(ग) इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष उत्पादनकारी उद्योगों अर्थात् औद्योगिक उपक्रमों में अन्य क्षेत्रों का अनुपात इस समय लगभग 50 प्रतिशत है ।

केरल में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

9575. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल में उद्योगों की स्थापना के बारे में केरल सरकार द्वारा भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनमें से कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन केरल राज्य में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए केरल राज्य सरकार के उपक्रमों से विगत तीन वर्षों के दौरान 63 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ।

(ख) उपर्युक्त इन 63 प्रस्तावों में से 41 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी थी । स्वीकृत किए गए आवेदन पत्रों का विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मन्थली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है । प्रकाशनों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

खाड़ी के देशों में काम कर रहे केरलवासियों की सहायता से उद्योगों की स्थापना

9576. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने खाड़ी के देशों में काम कर रहे केरलवासियों की सहायता से उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) खाड़ी के देशों में कार्यरत केरलवासियों की सहायता से उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव अब तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार में भारतीय सर्वेक्षण के एक मण्डल खोलने की मांग

9577. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या बिहार में भारतीय सर्वेक्षण के एक मण्डल (निदेशालय) को खोलने की निरंतर मांग की जाती रही है, और

(ख) यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलैक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) बिहार राज्य में भारतीय सर्वेक्षण का सर्कल कार्यालय खोलने के कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं ।

सारे देश में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से भारतीय सर्वेक्षण के नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं । दक्षिण पूर्वी सर्कल, जिसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है, बिहार राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है, और भारतीय सर्वेक्षण की चार फील्ड यूनिटों के मुख्यालय बिहार में है । चालू योजनावधि के दौरान, भारत सरकार का भारतीय सर्वेक्षण के कोई नये क्षेत्रीय सर्कल खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

अशोक पेपर मिल को फिर चालू करना

9578. **श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक पेपर लिमिटेड की रामेश्वर नगर यूनिट में कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसे तत्काल शुरू करने और लुगंदी संयंत्र और रक्षित बिजली उत्पादन बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) दरभंगा में दोनार के निकट इसकी माचिस फैक्ट्रीं तथा अन्य औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) तथा (ख) अशोक पेपर मिल्स का रामेश्वर नगर एकक अभी पुनः चालू नहीं हुआ है।

(ग) कम्पनी को दुबारा चलाने की दृष्टि से राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान पुनर्वास के लिए वित्तीयन शैली और भविष्यकालीन प्रबंध ढांचे संबंधी रीतियों पर विचार कर रहे है।

(घ) सरकार को इस संबंध में सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

पेटेन्टों को स्वीकृति दिया जाना

9579. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1983 तक वर्ष-वार कितने पेटेन्टों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1963, 1973 और 1983 में कैमिकल, इलैक्ट्रिकल और मैकेनिकल के रूप में वर्गीकृत तथा अन्य स्वीकार किए गए पेटेन्टों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विदेशी कम्पनियों, भारतीय कम्पनियों और एकल आविष्कर्ताओं के रूप में वर्गीकृत वर्ष 1963, 1973 और 1983 में स्वीकृत किए गए पेटेन्टों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इलैक्ट्रिकल, मैकनिकल, कैमिकल तथा अन्य श्रेणियों के रूप में वर्गीकृत 1963, 1967 और 1983 में वाणिज्यिक उत्पादन सम्बन्धी पेटेन्टों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशी कम्पनियों, भारतीय कम्पनियों तथा एकल आविष्कर्ताओं के रूप में श्रेणीकृत, वर्ष 1963, 1973 और 1983 में वाणिज्यिक उत्पादन संबंधी पेटेन्टों की संख्या का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

परमाणु ऊर्जा आयोग में संगठनात्मक सुधार

9580. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्ण शक्ति प्राप्त परमाणु ऊर्जा आयोग को सरकारी निकायों, राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों, योजना आयोग और महालेखा परीक्षक के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए संगठनात्मक सुधार संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है (हिन्दुस्तान टाइम्स, 20 फरवरी, 1984)

(ख) क्या जून, 1966 में गठित 10 सदस्यीय अध्ययन दल ने सिफारिश की है कि ए०

एच० ई० पी० एस० टी० आर०, डी० आर० डी० ओ० आदि के लिए एक नीति निर्धारण निकाय बनाया जाय और इस बारे की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक अनुसंधान और विकास संगठन के लिए एक नीति निर्धारण निकाय बनायेगी और इनको तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक प्रयोजनों से संबद्ध करेगी इनमें व्यापक प्रतिनिधित्व देगी, जैसा कि सुझाव दिया गया है;

(घ) क्या सरकार उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्टों और आई० सी० ए० आर० के बारे में उच्चतम न्यायालय में प्रतिकूल निर्णय को ध्यान में रखकर सी० एस० आई० आर० और आई० सी० ए० आर० को भी कारगर बनाएगी; और

(ङ) क्या एस० ए० सी० सी० द्वारा आई० सी० ए० आर० के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की समीक्षा की गई है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में परमाणु ऊर्जा विभाग पर 20-2-1984 को प्रकाशित लेख, केन्द्रीय सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) जून, 66 में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा नियुक्त किया गया एक दस-सदस्यीय अध्ययन दल ने प्रमुख वैज्ञानिक विभागों/संगठनों के मामले में एक नीति-निर्माण निकाय के गठन की सिफारिश की थी।

परमाणु ऊर्जा आयोग परमाणु ऊर्जा से सम्बन्धित मामलों के लिए एक नीति निर्माण करने वाला निकाय है। प्रधान मन्त्री जी की अध्यक्षता में सी० एस० आई० आर० की सोसायटी, जिसमें प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विद्वान, उद्योगपति शामिल हैं, सी० एस० आई० आर० का नीति-निर्माण करने वाला निकाय है। प्रत्येक प्रयोगशाला की एक अनुसंधान सलाहकार परिषद है। ये परिषदें अनुसंधान कार्यक्रमों का अनुमोदन करती हैं और उनकी प्रगति का मानीटरन करती हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी० आर० डी० ओ०) में रक्षा अनुसंधान और विकास परिषद नाम से एक उच्च स्तर का नीति निर्माण करने वाला निकाय पहले से ही 1962 से अस्तित्व में है। डी० आर० डी० ओ० के लिए यह शीर्षस्थ निकाय प्रतिरक्षा अनुसंधान और विकास के सम्बन्धित सभी मामलों पर नीति निर्देश और और मार्गदर्शन प्रदान करता है और इसमें कुछ प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां भी निहित हैं, यह निकाय सदा से एक सुसंबद्ध निकाय रहा है जिसमें देश में प्रख्यात वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों का प्रतिनिधित्व रहा है।

(ग) सभी अनुसंधान तथा विकास संगठनों के शासी निकाय, अनुसंधान सलाहकार और/

अथवा वैज्ञानिक सलाहकार समितियां हैं। कुछ संस्थाओं में समीक्षा समितियों ने अनेक संस्थाओं के कार्य की समीक्षा की है और सुझाव दिये हैं।

(घ) सरकार समिति की सिफारिशों का सी० एस० आई० आर० में कार्यान्वयन किया जा चुका है।

जहां तक आई० सी० ए० आर० का सम्बन्ध है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय 1971-74 वर्षों के लिए तीन चार अलग-अलग मामलों के संबंध में है। आई० सी० ए० आर० के कार्यचालन की समीक्षा कई अवसरों पर की जा चुकी है। इसकी कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल 1972 में श्री पी० बी० गजेन्द्र गड़कर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय जांच समिति द्वारा की गई थी, तदन्तर, लोक सभा की अनुमान समिति ने अपनी 35वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा) (1978-79) में विस्तार से आई० सी० ए० आर० के कार्यचालन की जांच पड़ताल की थी। इन दो समितियों द्वारा की गई सिफारिशें दो सिफारिशों को छोड़कर, कुछ संशोधनों के साथ जिनका अनुमोदन भारत सरकार द्वारा किया गया था, कार्यान्वित की गई। इन दो सिफारिशों का सम्बन्ध (i) आर० सी० ए० आर० का एक सविधि निकाय के रूप में रूपांतरण और (ii) आई० सी० ए० आर० के भर्ती सम्बन्धी कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने से था। आई० सी० ए० आर० की कार्मिक नीतियां आमूल रूप से परिवर्तित की गई हैं और उन्हें संगठन की आवश्यकताओं के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए इनकी पुनः संरचना की गई है। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि आई० सी० ए० आर० में जो भी नीतियां पहले अस्तित्व में थीं, इनकी समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की गई है और निवारक उपाय पहले से ही अपनाए गए हैं। आई० सी० ए० आर० की संशोधित नीतियां प्रभावी और संतोषजनक ढंग से चलाई जा रही हैं।

(ङ) ऊपर बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आई० सी० ए० आर० के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सम्बन्ध में, एम० ए० सी० सी० का कोई हवाला देना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पर्यावरण संबंधी संसाधनों का संरक्षण

9581. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :**
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार पर्यावरण संबंधी संसाधनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु एक कानून लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिए जाने की संभावना है; और

(ग) प्रस्तावित कानून की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) पर्यावरणीय सुरक्षा से सीधा-सम्बन्ध रखने वाले कई कानून पहले से ही मौजूद हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण भारतीय वन अधिनियम, कीटनाशक अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, जल उपस्कर अधिनियम वन (संरक्षण) अधिनियम, तथा वायु (प्रदूषण, निवारण एवं नियन्त्रण) अधिनियम हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र जहां नये कानून की आवश्यकता है, उनका अभिनिर्धारण किया जा रहा है। मौजूदा कानूनों की प्रभाव क्षमता के निर्धारण के लिए, हाल ही में पर्यावरणीय कानूनों की पुनरीक्षा हेतु एक अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की गई है।

मेंढ़कों की टांगों के निर्यात पर प्रतिबंध

9582. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वाणिज्य विभाग द्वारा मेंढ़कों की टांगों के निर्यात के बारे में पर्यावरण विभाग द्वारा दिए गए मार्ग निदेशों तथा सुझावों का अनुसरण किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि जंगल तथा खेतों से एकत्रित मेंढ़कों की टांगों का अभी भी निर्यात किया जाता है जबकि निर्यात के लिए "केपटिव-ब्रीड स्पेशीमेंस" के सम्बन्ध के बारे में कोई प्रगति नहीं की गई है;

(ग) क्या वाणिज्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 1981-82 और 1983 के दौरान निर्यात की गई मेंढ़कों की टांगों की मात्रा और अर्जित किए गए धन के बारे में पर्यावरण विभाग को सूचित किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो देश में पर्यावरण और कृषि को परिस्थिति की क्षति से बचाने के लिए इस सूचना को प्राप्त न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय पारिस्थितिकी को बनाये रखने के लिए 80 ग्राम से कम वजन की मेंढ़कों की टांगों के निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है ?

पर्यावरण विभाग में उप-मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जंगल से पकड़े गये मेंढ़कों से व्युत्पादित मेंढ़क की टांगों के निर्यात की अनुज्ञा न देने के लिए सिफारिशें वाणिज्य मंत्रालय को भेज दी गई हैं। फिर भी, ऐसा निर्यात अभी भी चल रहा है। स्वच्छ पानी में मेंढ़कों का व्यापारिक पैमाने में बंदी-प्रजनन देश में अभी तक सफल नहीं हो पाया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) निर्यात नीति के अन्तर्गत, प्रति किलोग्राम में 80 से अधिक संख्या की मेंढ़क की टांगों के निर्यात की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

मुस्लिम सम्प्रदाय की युवा लड़कियों को अरब नागरिकों से विवाह के लिए बाध्य किया जाना

9583. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुस्लिम सम्प्रदाय की उन युवा लड़कियों की दुर्दशा के बारे में जानकारी है जिन्हें उन अरब वासियों के साथ विवाह करने अथवा रहने के लिए बाध्य किया जाता है जो इस काम के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिले में विशेष रूप से तालुका स्थान मिराज का दौरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में राज्य सरकार अथवा अपने ही श्रोतों से कोई जांच करवाई है; और

(ग) इस समस्या की गंभीरता के प्रति सरकार का अपना क्या दृष्टिकोण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि सांगली में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है। राज्य सरकार से आगे रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्रीय सरकार के स्तर पर उपर्युक्त कार्रवाई करने के लिए विचार किया जाएगा।

पुणे में सीधे भर्ती किये गये जनगणना कर्मचारियों की वरीयता रद्द करना

9585. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनगणना विभाग पुणे द्वारा स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधे भर्ती किये गये 70 जनगणना कर्मचारियों की मूल वरीयता रद्द किये जाने के बारे में मार्च, *1984* में जनगणना कर्मचारी यूनियन से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या सरकार ऐसे जनगणना कर्मचारियों की वरीयता की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान। रोजगार रोस्टर में लगभग 70 जनगणना कर्मचारियों की वरीयता रद्द करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। किन्तु इन व्यक्तियों को सीधी भर्ती द्वारा रखा गया था और रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजा गया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियमावली के अनुदेशों के अनुसार रोजगार रोस्टर में मूल वरीयता को बनाये रखना स्वीकार्य है यदि सम्बन्धित व्यक्ति ने छः महीने की अवधि से कम की रिक्तियों में कार्य किया हो और वह नियोजक द्वारा सेवा मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के 90 दिन के अन्दर पुनः पंजीकरण के लिए आया हो। चूंकि सम्बन्धित जनगणना कर्मचारियों ने छः महीने से अधिक समय तक कार्य किया था अतः मूल वरीयता को बहाल करना स्वीकार्य नहीं है।

गृह मंत्रालय के विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता

9585. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक, सामाजिक, लोकजहितैषी और दूसरे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान करने वालों को, जिन्हें सहायता की जरूरत है, पिछले पांच वर्षों के दौरान अर्थात 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में गृह मंत्री के विवेकाधीन कोष से राहत के रूप में कोई आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गयी और यह सहायता कितने लोगों को दी गई है; और

(ग) इस काम के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है और प्रत्येक वर्ष सरकार को इसके लिए कुल कितने आवेदन पत्र मिले ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) नियमों के अधीन गृह मंत्री के विवेकाधीन अनुदान में से वितरण लोगों की विभिन्न श्रेणियों और नीचे लिखे प्रयोजनों के लिए किया जाता है :

(क) उन लोगों को राहत देना जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, लोकोपकारी और अन्य क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा की हो तथा जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता हो;

(ख) ऊपर (क) में विनिर्दिष्ट लोगों की श्रेणी के परिवारों को राहत देना जब ऐसे परिवारों को जरूरत हो;

(ग) वीरता और लोकहित के विशिष्ट कार्यों के लिए सरकारी और गैर-सरकारी व्यक्तियों को पुरस्कार देना;

(घ) पात्र संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र की सेवा कर रही है;

(ङ) उनके नियंत्रण से बाहर आपवादिक परिस्थितियों से उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के जरूरतमन्द और गरीब व्यक्तियों को जो कष्ट में हो राहत देना; और

(च) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों को उपहार देना।

जैसा कि ऊपर बताई गई बातों से ज्ञात होगा, यह अनुदान केवल उन व्यक्तियों के लिए ही नहीं है जिन्होंने राजनीतिक, सामाजिक, लोकोपकारी और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हों, अतः प्रश्न में उल्लिखित श्रेणी के व्यक्तियों के मामलों को अलग करना कठिन होगा।

गत 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत अनुदान, वितरित की गई राशि, लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या और प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	स्वीकृत अनुदान	वितरित की गई राशि	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों की कुल सं०
1978-79	1,50,000.00 रु०	1,03,203.40 रु०	126	309
1979-80	1,50,000.00 रु०	57,468.40 रु०	70	304
1980-81	1,50,000.00 रु०	2,46,306.70 रु०	149	295
1981-82	1,50,000.00 रु०	2,99,496.45 रु०	262	297
1982-83	3,00,000.00 रु०	1,56,959.75 रु०	188	1137

अंडमान एवं निकोबार/निकोबारीज एम्पलाइज एसोसिएशन का गृह मंत्री को ज्ञापन

9586. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान निकोबार निकोबारीज एम्पलाइज वेल्फेयर एसोसिएशन पोर्ट ब्लेयर ने अपनी शिकायतों तथा अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा आदिवासी कल्याण की अवहेलना करने के बारे में गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को जनवरी, 1984 में एक ज्ञापन दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त आरोपों का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ज्ञापन सुपारी और नारियल के लिए दिये जाने वाले अपर्याप्त मूल्य और व्यापारियों द्वारा आदिवासियों के शोषण, सहकारिता में आदिवासी लोगों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, शिक्षित आदिवासियों में बेरोजगारी, आदिवासी क्षेत्रों में मूलसंरचना का अपर्याप्त विकास तथा तेल मिल

और नारियल जटा निर्माण यूनिटों की स्थापना आदि के संबंध में है। ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसमें उल्लिखित मुद्दों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अण्डमान और निकोबार प्रशासन को भेजी गई है।

राजधानी में गुंडों द्वारा महिला से बलात्कार

9587. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 मार्च, 1984 के नवभारत टाइम्स में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू कैम्प, कालकाजी, नई दिल्ली में 22 मार्च, 1984 को चार गुंडों ने एक महिला से बलात्कार करने की कोशिश की और उसे निर्दयता से पीटा गया;

(ख) क्या उस महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने गुंडों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच कराने तथा गुंडों के विरुद्ध और कर्तव्यच्युता के लिए पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) श्री रवि गुप्ता की सुपुत्री प्रेमा नामक एक लड़की 22 मार्च, 1984 कोथाना कालकाजी में गई थी और एक बयान दिया कि वह सुभाष नामक एक व्यक्ति से मिलने के लिए जवाहरलाल नेहरू कैम्प गई थी तथा उस क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों ने उसे मारा और उसे कैम्प से बाहर निकाल दिया और उसे कैम्प में न आने को कहा।

उसकी डाक्टरी जांच कराई गई थी और डाक्टरी जांच से किसी संज्ञेय अपराध का पता नहीं चला।

डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर और घटनास्थल पर की गई पूछताछ से पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

बच्चों का अपहरण

9588. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचार और शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इन दिनों

कुछ लोगों ने बच्चों का अपहरण करने, उनका रक्त निकालने और उसके बाद उसे बाजार में बेचने का काम शुरू कर रखा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की ओर कोई ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से संबंधित कानूनों का प्रवर्तन करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार के पास इस आशय की कोई विशिष्ट रिपोर्ट अथवा सूचना नहीं है कि इन दिनों कुछ लोगों ने बच्चों का अपहरण करने, उनका रक्त निकालने और उसके बाद उसे बाजार में बेचने का काम शुरू कर रखा है। फिर भी यह मामला सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के ध्यान में लाया गया है।

भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में भर्ती और पदोन्नतियों में अनियमितताएं

9589. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या "स्पेस एप्लीकेशन सेन्टर" के वैज्ञानिकों तथा अन्य अधिकारियों की एसोसिएशन ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन में भर्ती और पदोन्नतियों में अनियमितताओं की ओर संकेत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या गत चार वर्षों से वैज्ञानिकों को काम नहीं दिया जा रहा है और "स्पेस एप्लीकेशन सेंटर" में खाली बैठने के लिए मजबूर हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मन्त्री, (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं। अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र के वैज्ञानिकों तथा अन्य अधिकारियों की एसोसिएशन ने भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) में भर्ती में और पदोन्नतियों अनियमितताओं की ओर कोई संकेत नहीं किया है। उन्होंने लगभग दो वर्ष पहले संगठन में पदोन्नति नीति, कार्य आबंटन, विदेशों में प्रतिनियुक्ति, आवास, गोपनीय रिपोर्ट लिखने इत्यादि के बारे में कमियों का आरोप लगाते हुए एक अभ्यावेदन भेजा था। उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों पर भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष ने एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया था तथा इस बारे में यथासंभव उचित उपाय/कार्यवाई

की गई थी। उनके द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ सुझाव पदोन्नति नीति, पुनरीक्षण इत्यादि पर सामान्य प्रश्नों से संबंधित थे, जिनके बारे में मूल नीतियों को मद्दे नजर रखते हुए ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सहमत होना संभव नहीं हो सका। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों/इंजीनियरों से संबंधित ऐसे सामान्य मामलों के बारे में यथासंभव सुधारों के लिए संगठन द्वारा निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ग) और (घ) यह नहीं है कि किसी वैज्ञानिक को काम नहीं दिया जा रहा है अथवा किसी को अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र या अन्तरिक्ष विभाग/भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन के किसी अन्य केन्द्र या यूनिट में खाली बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

अनुसूचित जनजातियों का शोषण

9590. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या गृह **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को तत्काल राहत पहुंचाने और उनका शोषण समाप्त करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न राज्यों द्वारा अधिनियमित किये कानूनों की पुनरीक्षा की है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार महसूस करती है कि समूचे देश में अनुसूचित जनजातियों को तत्काल राहत पहुंचाने और उनका शोषण समाप्त करने के उद्देश्य से एक केन्द्रीय कानून अधिनियमित किया जाना चाहिए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में अधिनियमित कानूनों के कार्यान्वयन की निरन्तर पुनरीक्षा करने के लिए एक केंन्द्रीय एजेंसी स्थापित करने का है;

(घ) क्या संवैधानिक दायित्व को पूरा करने के लिए ऐसी कार्यवाही अत्यन्त आवश्यक है; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) अनुसूचित जनजातियों का शोषण मुख्यतः भूमि अन्तरण, शराब की बिक्री, साहूकारी, वानिकी और लघु वन उत्पादन को एकत्र करने और उसके निपटान समेत व्यापार तथा वन श्रम सहित श्रम आदि के क्षेत्रों में होता है। अधिकांश विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II राज्य सूची में आते हैं और इस प्रकार प्राथमिक रूप से इनका संबंध राज्य सरकारों से है। कानूनों के कार्यान्वयन और उनकी पर्याप्तता पर विभिन्न राज्य सरकारों के साथ प्रतिवर्ष होने वाली जनजातीय उपयोजना बैठकों में समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न मंत्रालय

अपने पर्यवेक्षण और नियंत्रणाधीन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं और विभिन्न राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी करते हैं। संविधान की पांचवी अनुसूची के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा बनाए गए कानून और उनके कार्यान्वियन की पर्याप्तता की राज्य स्तर पर गठित जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में निरन्तर समीक्षा की जाती है।

(ख) से (ङ) पूर्वोक्त पैरा (क) में दिए गए उत्तर की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार यह आवश्यक नहीं समझती कि कोई केन्द्रीय विधान बनाया जाए अथवा कोई केन्द्रीय एजेंसी स्थापित की जाए।

"सस्पेकटिड इनरिचड यूरेनियम सोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

9591. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अप्रैल, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "सस्पेक-टिड इनरिचड यूरेनियम सोज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा तथा मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रानिकी और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जब्त की गई सामग्री में यूरेनियम नहीं पाया गया है।

गृह मन्त्रालय में अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों/सहायकों/ आशुलिपिकों/अनुभाग अधिकारियों को स्थायी करना

9592. **श्री राम लाल राही** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्रालय ने गत 5-6 वर्षों से पात्र अवर श्रेणी लिपिकों को स्थायी न करके अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में स्थायी पदों को भरा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो गत छः वर्षों से अवर श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिक/सहायक आशुलिपिक और अनुभाग अधिकारियों के कितने स्थायी पद रिक्त पड़े हुये हैं तथा ऐसे स्थायी पदों की वर्ष वार स्थिति क्या थी; और

(ग) पात्र अधिकारियों को स्थायी करने में अनुसूचित विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) पिछले छः वर्षों से भिन्न भिन्न संवर्गों में उपलब्ध रिक्तियों का एक विवरण संलग्न है। प्रत्येक संवर्ग की अधिकृत स्थायी संख्या को नवीनतम करने के परिणामस्वरूप और उच्चतर ग्रेडों में स्थायीकरण तथा पूर्व प्रभावी पदाधिकार के समाप्त करने के कारण वर्ष 1983-84 के दौरान रिक्तियों में वृद्धि हुई है। पात्र व्यक्तियों को स्थायी करने में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

क्रम सं०	ग्रेड	अधिकृत स्थायी संख्या	स्थायीकरण के लिए उपलब्ध पदों की संख्या 1978	1979	1980	1981	1982	1983	जोड़	वर्ष जिसमें अंतिम स्थायीकरण किया गया
1.	अनुभाग अधिकारी	256	—	—	—	1	2	20	23*	1984
2.	आशुलिपिक ग्रेड "क"	25	—	—	—	—	3	—	3	1983 (स्थायीकरण के लिए कोई पाता नहीं)
3.	आशुलिपिक ग्रेड "ख"	28	—	—	—	—	6	—	6	1983
4.	सहायक	498	—	—	—	—	7	19	26*	1984
5.	आशुलिपिक ग्रेड "ग"	234	—	—	—	4	2	4	10	1984
6.	आशुलिपिक ग्रेड "घ"	320	—	—	5	28	5	—	38	1984
7.	उच्च श्रेणी लिपिक	381	1	1	18	18	16	85	140	1983
8.	अवर श्रेणी लिपिक	662	—	24	14	35	7	36	116	1984

***पदोन्नति व्यक्तियों को स्थायी करने के लिए उपलब्ध**

1978 के बाद उपर्युक्त अधिकांश रिक्तियां अधिकृत स्थायी संख्या तथा स्थायीकरण नवीनतम बनाने और पूर्वप्रभावी पदाधिकार समाप्त करने के कारण केवल वर्ष 1983-84 में हुईं।

रायस्थान में उद्योग लगाना

9563. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरोही (राजस्थान) में औद्योगिक एककों की स्थापना के लिए 1983-84 के दौरान कितनी फर्मों ने अपना पंजीकरण कराया;

(ख) सिरोही जिले में स्थापित की जाने वाली किस प्रकार के उद्योगों के लिए अधिक संख्या में आवेदन किये गये हैं; और

(ग) इस प्रकार के आवेदन करने वाली फर्मों का ब्यौरा क्या है, तथा स्थापित किये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग किस प्रकार के होंगे और उन औद्योगिक एककों के नाम क्या हैं जिनके लिए आवेदन किये गये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पट्टाभि राम राव) : (क) 1983-84 के दौरान तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने जिला सिरोही (राजस्थान) में दस औद्योगिक एककों के पंजीकरण के लिए अनुमोदन किया था।

(ख) तथा (ग) अनुमोदित आवेदनों के संबंधित ब्यौरे जैसे कि फर्मों के नाम, उद्योगों की प्रकृति, प्रकार और स्थापना स्थल भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा निकाले जाने वाले "मन्थली न्यूजलेटर" में प्रकाशित किए जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

असम से पश्चिम बंगाल में आने वाले शरणार्थी

9594. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979 से अब तक असम से पश्चिम बंगाल में कितने शरणार्थी आये;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल को इस सम्बन्ध में वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की क्या सहायता दी गई; और

(ग) असम से आये शरणार्थियों को, जो कि अभी भी पश्चिम बंगाल में हैं, पुनर्वास के लिए असम में कब तक भेज दिया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार 29014 प्रवासी जो गत वर्ष दंगों के कारण असम से सीमा पार कर पश्चिम बंगाल आए थे उनमें से केवल 4527 प्रवासी 9.4.84 को अलीपुर द्वार में शिविरों में ठहरे हुए थे।

इसके अतिरिक्त 8059 पुराने प्रवासी जो 1979-80 में अलग से आये थे, अलीपुर द्वार में ठहरे हुए हैं जबकि 2762 पुराने प्रवासी जो 1980 में आये कूचबिहार जिले में ठहरे हुए हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार को अब तक 140.64 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी है।

(ग) असम और पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रियों के बीच हुए समझौते के अनुसार इन प्रवासियों को असम वापस भेजने का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है।

उड़ीसा में खानों से खराब क्षेत्रों में भूमि संरक्षण

9595. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या खानों से खराब क्षेत्रों में भूमि संरक्षण सम्बन्धी कार्यों हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ख) क्या ऐसी योजनायें उड़ीसा के खानों में खराब क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में किन-किन खान क्षेत्रों में ऐसी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(घ) उन खानों से खराब क्षेत्रों में अब तक क्या-क्या कार्य किये गये हैं?

पर्यावरण विभाग में उप-मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

———

12.00 म० प०

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने आपको एक पत्र लिखा है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपका पत्र मेरे पास आ गया है। मैं इसमें क्या कर सकता हूं?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या आप कृपया इस सरकार को कम से कम यह निदेश देंगे कि··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कैसे कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या कोई ऐसी अन्य विधि है जिससे सदस्य जान सकें कि सरकार वी० पी० मण्डल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या कर रही है ? मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं । आप कृपापूर्वक पहले ही तीन बार चर्चा करने की अनुमति दे चुके हैं । अब वे बहाने ढूंढ़ने की कोशिश कर रहे हैं । क्या ऐसा कोई तरीका है या नहीं जिससे यह जाना जा सके कि सरकार का क्या विचार है ? क्या आप कृपया गृह मन्त्री को इस सत्र के समाप्त होने से पूर्व इस सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये कहेंगे ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या वह व्यक्तव्य नहीं दे सकते ? गृह मन्त्री महोदय वहां बैठे हुये हैं । क्या आप कृपया उन्हें इसके लिये कहेंगे । श्री वेंकटसुब्बैया सुन ही नहीं रहे हैं । क्या कृपया आप कोई वक्तव्य देंगे ?

डा० कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : हम पहले ही इस विषय में तीन बार चर्चा कर चुके हैं । यह मुद्दा अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है । **(व्यवधान)**

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप गवर्नमेंट को छोड़िये, आप तो डिसकशन करवाइये ।

इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध के पचास से अधिक संसद सदस्य गिरफ्तारी देने जा रहे हैं ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सरकार को इसमें विलम्ब नहीं करना चाहिए । गृह मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए । **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : पिछली बार हमने जम्मू तथा कश्मीर और उग्रवादियों द्वारा दी गई धमकी के बारे में चर्चा की थी । लन्दन में जम्मू तथा कश्मीर मुक्ति मोर्चे द्वारा श्री म्हात्रे की हत्या किये जाने के बाद, वहां हमारे राजनयिकों को धमकी दी गई है । लन्दन स्थित जम्मू तथा कश्मीर मुक्ति मोर्चे ने वहां हमारे राजनयिकों को पुनः धमकी दी है । हम इस मामले पर वाद-विवाद करना चाहते हैं···

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिये, मैं देखूंगा । बात करूंगा ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने एक ध्यानाकर्षण की सूचना दी हुई है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : हम दो या तीन मुद्दे उठा रहे हैं । हम शान्तिपूर्वक एवं

धैर्यपूर्वक प्रयास करें और किसी नतीजे तक पहुंचें। आप कृपया निर्णय दीजिये। एक प्रश्न मण्डल आयोग के सम्बन्ध में है। वह विचाराधीन पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि परसों बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी। और मीटिंग बुला लें और जो भी आप चाहें डिसीजन कर लें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप भी थे उस मीटिंग में। मेरी बात सुनिए। देखिए सतीश जी, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने बताया है कि मीटिंग हुई थी, उसमें आपका सजेशन भी था। अब फिर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिसाइड कर लेना तो डिसकशन करवा देंगे। मेरे लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह कह सकते हैं कि सरकार को इस बारे में वक्तव्य देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : वह तो आपके सामने है, मैं क्या कर सकता हूं। आप आ जाइए और देख-कर बात कर लेंगे। मीटिंग बुला लेंगे। मैं सोमवार को पुनः एक बैठक बुलाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। वे जानें और आप जानें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा काम मैंने कर दिया, अब आप जानें।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी प्रो० तिवारी ने कोई मुद्दा उठाया था। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पिछले महीने 30 तारीख को माननीय गृह मन्त्री ने जम्मू तथा कश्मीर के बारे में वक्तव्य दिया था और कहा था कि 1983 में पृथकतावादी गतिविधियों से वृद्धि हुई है। कल जम्मू तथा कश्मीर के मुख्यमन्त्री ने इसका खण्डन किया है और उन्होंने प्रधानमन्त्री से अनुरोध किया है कि वह गृह मन्त्री को ऐसा करने से रोकें और उनसे अनुरोध करें कि वे ऐसे वक्तव्य न दें। मैंने अध्यक्ष महोदय के निर्देश सं० 115 के अधीन मन्त्री महोदय द्वारा गलत वक्तव्य दिये जाने के लिये नोटिस दिया है और मैंने उस वक्तव्य में संशोधन करने की मांग की है। कृपया इस पर विचार करें, निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे उन्हें भेज दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इस पर चर्चा की अनुमति दीजिए।

(व्यवधान) वह एक उद्देश्य को लेकर ऐसा कर रहे हैं। वे उग्रवादी गतिविधियों के प्रति चिंतित नहीं हैं। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य से जम्मू तथा कश्मीर सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस बारे में प्रश्न नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : क्या प्रो० दण्डवते इस बात से इनकार करेंगे कि लन्दन से कार्रवाई करने वाले उग्रवादी वहां हैं, अथवा नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कुछ करते हैं, वह कुछ करते रहते हैं, मैं क्या करूं ?

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है··· (व्यवधान) मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नयी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की तीन किश्तें बाकी हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप 377 दीजिये, जवाब दिलवा दूंगा।··· (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने कालिंग अटेंशन दिया हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप 377 दे दीजिये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं इस बारे में सोचूंगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : वे जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण है। अति विशिष्ट व्यक्तियों के कारण 35 यात्रियों को उतार दिया गया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह ऐसा प्रश्न नहीं है जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव रखा जाए। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं ? आप कोई प्रस्ताव दे सकते हैं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही आपकी नाजुक सेहत के प्रति सचेत हूं। कृपया उत्तेजित मत होइये। मैं आपके बारे में बहुत चिंतित हूं। यह स्थगन प्रस्ताव के योग्य प्रश्न नहीं है। यह चर्चा करने योग्य प्रश्न है। मैं पता लगाऊंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा करूंगा। मुझे इस बारे में सोचना है।

श्री नीरेन घोष : कृपया मुझे अपना ध्यान इस ओर आकर्षित करने की अनुमति दें कि···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे दे दीजिए। अटेंशन ड्रा भी हो गई है और डाइवर्ट भी हो गई है।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर : अध्यक्ष जी, मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को इम्पलीमेंट करने के बारे में जो डिसीजन लिए गए हैं, उसके लिए गृह मंत्री जी को स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे बस में नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : चन्द्रजीत यादव जी ने जिस मामले को उठाया है, वह बहुत गंभीर है। चालीस से अधिक एम० पीज वोट-क्लब पर गिरफ्तारी देने जा रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जानें और वे जानें।

———

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चौहान) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8264/84]

विधि आयोग का 88वां प्रतिवेदन, भारत के निर्वाचन आयोग का वर्ष 1983 सम्बन्धी प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन और बिहार, गुजरात, केरल आदि की विधान सभाओं के आम चुनावों के बारे में प्रतिवेदन

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) साक्ष्य में सरकारी विशेषाधिकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123,124 और 162 तथा संविधान के अनुच्छेद 74 और 163, के संबंध में विधि आयोग के 88वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8265/84]

(2) भारत के निर्वाचन आयोग के वर्ष 1983 संबंधी प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8286/84]

(3) बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, गोआ, दमण और दीव, मिजोरम और पांडिचेरी की विधान सभाओं के आम चुनावों के बारे में प्रतिवेदन 1979-80 (खंड दो-क और खंड दो-ख) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 8267/84]

बोकारो औद्योगिक क्षेत्र के लघु उद्योग एककों की दयनीय स्थिति सम्बन्धी अतारांकित प्रश्न 3504 के 14.12.1983 को दिये गये उत्तर में संशोधन सम्बन्धी विवरण; और नीलांचल इस्पात निगम लि०, भुवनेश्वर की वार्षिक रिपोर्ट और उसके कार्यकरण की समीक्षा

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) बोकारो औद्योगिक क्षेत्र, लघु एककों की दयनीय स्थिति के बारे में श्री हरीश कुमार गंगवार, के अतारांकित प्रश्न संख्या 3504 के 14 दिसम्बर, 1983 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8268/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर के 27 मार्च, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, भुवनेश्वर का 27 मार्च, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे रखे। देखिए संख्या एल० टी० 8269/84]

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अधिसूचनायें

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पट्टाभि राम राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) का० आ० 224 (अ), जो 30 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा मैसर्स कावेरी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुडडुकोट्टाई, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 225 (अ), जो 30 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथनेन्डाल, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 226(अ), जो 30 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स श्री जानकी शूगर मिल्स एण्ड कंपनी, डोईवाला, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 227 (अ), जो 30 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स प्लाई बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पीर, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 271 (अ), जो 7 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मैसर्स मोटर एंड मशीनरी मेन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को पांच वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8270/84]

(2) तारांकित प्रश्न संख्या 556 के उत्तर में 4 अप्रैल, 1984 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, बिहार के पलामू और मधुबनी जिलों में विशेष कार्य दल द्वारा नाभिकीय संयंत्रों की स्थापना के लिए की गई सिफारिश के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 8171/84]

दिल्ली पुलिस अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें और संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि सम्बन्धी 33वां प्रतिवेदन

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) दिल्ली पुलिस (पदोन्नति एवं स्थायीकरण) (संशोधन) नियम, 1984, जो 7 अप्रैल, 1984 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 5/60/83—एच (पी) एस्ट, में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ०10/60/80-होम(पी) एस्ट, जो 19 अप्रैल, 1984 के दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा गैर-सरकारी व्यक्तियों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों आदि में भुगतान पर अतिरिक्त पुलिस प्रतिनियुक्त करने के सम्बन्ध में प्रभार की दरों के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8272/84]

(2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल, 1982 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि संबंधी 33वां प्रतिवेदन।

(दो) उपरोक्त प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह न माने जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 8273/84]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 297(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 21 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो कार्क उत्पादों के निर्माण के लिए वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयात की जाने वाली कर्क-लकड़ी और कार्क-अपशिष्ट को 50 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक मूल सीमा शुल्क से छूट देने के बारे में है, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 8274/84]

अध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर, इस पर निर्णय लिया जा चुका था तथा इसे विदेश मन्त्री पर छोड़ दिया गया था। उनके उपस्थित होने तथा उनकी सुविधा के अनुसार, सत्र के समाप्त होने से पहले हम इस पर विचार करेंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : 'अध्यक्ष जी, किसान की गेहूं की रेमुनरेटिव प्राइस नहीं मिल रही है। गल्ला पड़ा हुआ है कोई खरीदने वाला नहीं है। मजबूर होकर किसान को कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है...

अध्यक्ष महोदय : आप एक काल अटेंशन दिलवा दीजिये।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भिजवाया है।

अध्यक्ष महोदय : हो जायगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, लोक लेखा समिति की 191वीं रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में टेलीफोन के सैकड़ों आदमी ऐसे हैं जिन पर लाखों रुपया बकाया है लेकिन उनका टेलीफोन भी नहीं कटता है, चालू रहता है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दो, देख लेंगे ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष जी, यों तो बिजली की आजकल सभी जगह कमी हो रही है; लेकिन उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है, सप्ताह में 3-4 दिन बिजली ही नहीं आती है जिसकी वजह से किसानों को थ्रैशिंग में बड़ी कठिनाई हो रही है ···

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है । यह राज्य का विषय है ।

(व्यवधान)

मैंने यह मामला उठाया है, मैं इसे फिर से उठाऊंगा ।

12.11. म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना सभा को देनी है :—

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 26 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में पारित एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1984 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(दो) "राज्य सभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 30 अप्रैल 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 अप्रैल, 1984 को पारित किये गये उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 30 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 26 अप्रैल 1984 को पारित किए गए उपदान संदाय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

(चार) "सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 30 अप्रैल, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 अप्रैल, 1984 को पारित किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) विधेयक, 1984, राज्य सभा द्वारा यथापारित, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

12.12. म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति

(एक) 17वां, 18वां और 19वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही : (बेगूसराय) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का 17वां, 18वां और 19वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(दो) बैठकों के कार्यवाही-सारांश

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : मैं सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के अपने 17वें, 18वें और 19वें प्रतिवेदनों के संबंध में हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.12½ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में चेचक, काला ज्वर, आंत्रशोध, मलेरिया, विषाणु पीलिया और अन्य महामारियों से रोग ग्रस्तता में वृद्धि का समाचार

श्री बृज मोहन महन्ती (पुरी) : मैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक के महत्व के निम्न विषय की ओरदिलाना चाहता हूं और उनसे अधुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

> "देश के विभिन्न भागों में चेचक, काला ज्वर, अंत्रिशोथ, मलेरिया, विषाणु पीलिया और अन्य महामारियों के मामलों में वृद्धि तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानंद) : अध्यक्ष महोदय काला-आजार, जठरांत्रशोथ, मलेरिया, विषाणुज पीलिया जैसे रोग देश के विभिन्न भागों में स्थानिकमारी रोग होते हैं और समय-समय पर इनके प्रकोप में मौसमी उतार-चढ़ाव देखा जाता है। लेकिन मई, 1975 से चेचक का पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। तब से लेकर अब तक देश में चेचक होने का कोई भी निश्चित सबूत नहीं मिला है।

12.13 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस वर्ष के दौरान काला-आजार होने की सूचना केवल बिहार राज्य से मिली है और वह भी गत वर्ष की अपेक्षा बहुत कम है ।

यद्यपि जठरांत्र-शोथ देश भर में स्थानिकमारी रूप में होता है, फिर भी वर्षा ऋतु में इसकी घटनाओं में वृद्धि हो जाती है । वैसे, इस वर्ष के मार्च महीने में पश्चिम बंगाल के 16 जिलों में पेचिश महामारी के रूप में फैला जिससे 28 अप्रैल, 1984 तक 15542 लोग बीमार हुए और 808 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । त्रिपुरा में भी जठरांत्र-शोथ से 44 व्यक्तियों के मरने की खबर मिली है ।

मलेरिया के प्रकोप में काफी कमी हुई है । जनवरी से मार्च, 1983 के बीच मलेरिया के 25450 रोगियों के मुकाबले 1984 की इसी अवधि में इस रोग से 47063 व्यक्ति ग्रस्त हुए हैं । पी० फाल्सीपरम रोगियों की घटनाओं में भी समान कमी आई है । वैसे, कुछेक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में मलेरिया तथा पी० फाल्सीपरम, दोनों, की घटनाओं में बढ़ोतरी देखने में आई है ।

गुजरात में वायरल हैपाटाइटिस की अधिक घटनाएं होने की सूचना मिली है । 29 अप्रैल, 1984 तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 2591 व्यक्ति बीमार हुए और 314 व्यक्तियों की मृत्यु हुई । ऐसा लगता है कि रोग का यह प्रकोप विशेष कर अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, जूनागढ़, महसाना और जामनगर के नगरीय क्षेत्रों में ही अधिक था ।

कर्नाटक में मंकी-फीवर फैलने की सूचनाएं शिमोगा जिले से काफी समय से मिल रही हैं । हाल ही में दक्षिण कन्नड़ और उत्तरी कन्नड़ में भी मंकी-फीचर फैलने की सूचनाएं मिली हैं । प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 29.4.1984 तक इस रोग से 805 व्यक्ति पीड़ित हुए और 139 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई । महामारी के रूप में किसी अन्य बीमारी के फैलने की कोई अन्य खबर नहीं मिली है ।

इन रोगों को रोकने और उन्हें कम रहने के कार्यक्रम राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी कार्यों का एक अभिन्न अंग हैं । काला-आजार और मलेरिया को रोकने सम्बन्धी कुछेक विशिष्ट कार्यों के लिए एक सामान्य कार्यक्रम के तौर पर केन्द्रीय सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है । लेकिन, जब भी कोई रोग, महामारी के रूप में फैल जाता है, तो केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर अथवा जहां कहीं ऐसे रोग का अन्य राज्यों में फैलने का खतरा होता है, केन्द्रीय सरकार अपेक्षित सहायता देती है । चालू वर्ष के दौरान ऐसे अनुरोध पश्चिम बंगाल और गुजरात सरकार से मिले थे । तदनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार को उनके अनुरोध के अनुसार हेलोजन की एक करोड़ गोलियां तथा पांच लाख ओ० आर० एस० पैकट सप्लाई किए जा रहे हैं । इसी भांति गुजरात सरकार को हाईपर-इम्यून ग्लोबुलीन की 2200 खुराकें तथा 200 वायल्स हैपाटाइटिस-बी

वैक्सीन विदेशी उत्पादकों से प्राप्त करने में मदद दी गई है। इसके अतिरिक्त, गुजरात सरकार को हेपाटाइटिस-बी वैक्सीन की 1500 खुराकें देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से अनुरोध किया गया है।

केन्द्र सरकार समय-समय पर इस स्थिति की समीक्षा कर रही है और वे सभी उपाय करेगी जो ऐसी समस्याओं से निपटने में राज्यों को सहायता के लिए जरूरी होंगे।

श्री बृजमोहन महन्ती : सबसे पहले मैं प० बंगाल में फैल रही पेचिश की महामारी का जिक्र करूंगा। आज समाचारपत्रों की रिपोर्ट के अनुसार मृतकों की संख्या 170 थी जो कि अब तक 1000 हो गई होगी। इस महामारी से अब तक 21,000 व्यक्ति प्रभावित हो चुके हैं। स्टेट्समैन द्वारा सही संख्या 21,900 बताई गई है।

महोदय, जहां तक मंत्री महोदय के वक्तव्य का संबंध है, यह अपर्याप्त है क्योंकि मामले को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया गया है। संविधान के अन्तर्गत इस बीमारी का एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलना समवर्ती सूची में आता है। इसलिए जहां तक एक राज्य में दूसरे राज्य में बीमारी फैलने का संबंध है, भारत सरकार अपना फर्ज भूल रही है।

जहां तक पेचिश का संबंध है, प० बंगाल सरकार ने यह दावा किया है कि इस पर काबू पा लिया गया है परन्तु चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार यह बीमारी बिना रोक-टोक के फैल रही है। वस्तुत: नेशनल इंटीट्यूट आफ कौलरा एंड एन्ट्रिट इंडिसीज का यह विश्वास है कि ऐसी अवस्था आ गयी है जब यह महामारी पड़ोसी राज्यों में भी फैलने लगेगी। परन्तु प० बंगाल सरकार के अनुसार यह बीमारी अभी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंची है यद्यपि प्रतिदिन काफी अधिक व्यक्ति मर रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 59 व्यक्ति मर गए तथा कुछ भी नहीं किया गया। जब संसद में यह मामला उठाया गया उसके बाद प० बंगाल के मुख्य मंत्री ने इस बीमारी को रोकने के लिए 9 करोड़ रु० की राशि देने की घोषणा की। इससे पहले कुछ भी नहीं किया। राज्य सरकार की असावधानी के कारण ऐसा हुआ। बंगाल के अकाल के वह दिन याद आते हैं जब हमने वहां बरती भारी उपेक्षा देखी थी। वही उपेक्षा अब भी प० बंगाल में बरती जा रही है। उस समय 15 लाख व्यक्ति मरे थे। मैं यह नहीं कहता इस समय मृतकों की संख्या उतनी है परन्तु इस समय जो उपेक्षा देखने में आ रही है वह पहले की तरह है।

महोदय, जहां तक इस बीमारी क्या सम्बन्ध है यह बहुत गंभीर बीमारी है तथा यह हैजे से अधिक खतरनाक है। प्रो० रामलिंगम स्वामी, आई० सी० एम० आर० के महानिदेशक ने बताया है कि दस से सौ सदाय रोगाणु इस बीमारी को पैदा कर सकते हैं। जबकि हैजे में ऐसे एक लाख रोगाणु चाहिए। आप समझ सकते हैं कि इसका इलाज नहीं है। इसका कोई टीका नहीं है तथा केवल एक ही उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है कि सभी को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाए तथा साफ पानी हो और मक्खियों आदि से बचा जाए। मुझे यह बताते हुए खेद होता है कि इस प्रकार के कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में एक

ठोस वक्तव्य दें कि इस महामारी को पड़ोसी राज्यों में फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। यही समस्या है तथा आप सोच सकते हैं कि कल तक कई और व्यक्ति भी मर जाएंगे। आंकड़े भी सही नहीं हैं परन्तु प० बंगाल के सभी अस्पताल रोगियों से भरे पड़े हैं। जब रोगी आते हैं तो उन्हें पलंग तक नहीं मिलती है।

(व्यवधान)

मेरे लिए चिंता की बात इसलिए है कि यह बीमारी अभी पश्चिम बंगाल तक सीमित है। **(व्यवधान)** महोदय यह दुर्भाग्य की बात है कि 1000 व्यक्ति पेचिश के कारण मारे गए।

(व्यवधान)

वरिष्ठ सदस्य होने के नाते वह प० बंगाल के बारे में क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी वह कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है जो भी वह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है वह कुछ मुद्दे उठा रहे हैं।

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं उनके समक्ष नहीं झुकूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप उनके बारे में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। उसे उद्धृत मत करिए। मुझे खेद है। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करिए। हम लोगों के जीवन के विषय पर बोल रहे हैं। इतने लोगों की मृत्यु हो गई है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न किया जाये। यह सब जो कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। केवल श्री महन्ती जो कह रहे हैं वही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, मैं उनके समक्ष नहीं झुक रहा हूं। उन्होंने जो भी कहा है वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नियमों के अनुसार सभा की कार्यवाही चला रहा हूं । कोई भी पीठासीन अधिकारी और नियमों के खिलाफ नहीं जा सकता, यह ठीक है वह नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में श्री महन्ती को छोड़कर किसी की बात शामिल नहीं की जाएगी । मन्त्री महोदय उसका उत्तर देंगे ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: वह जो भी कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें । आप आगे कहिए । हर चीज की एक सीमा होती है ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए । यह भी वृत्तांत में शामिल नहीं होगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए । यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती की बात कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें । श्री चक्रवर्ती मुझे आपका नाम लेना पड़ेगा ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं । आप सभा की कार्यवाही नहीं रोक सकते । जो भी वह कहें, कार्यवाही वृत्तांत के शामिल न करें ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना वक्तव्य जारी रखें । पीठासीन अधिकारी को कोई नहीं रोकेगा । मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे । श्री महन्ती, आप जारी रखिए ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही नहीं चला रहे हैं । श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती जो भी कह

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें। श्री महन्ती आप बैठ जाइये। उन्हें शोर मचाने दें। परन्तु जो भी वह कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न करें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। आप उन्हें शोर मचाने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। ऐसे सभा की कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। किसी को धमकाइए मत।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी सदस्य कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा।

(व्यवधान)**

श्री बृजमोहन महन्ती : मैं विपक्ष के उप नेता से अनुरोध करूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें शोर मचा लेने दें

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इन्हें बोलना बंद करने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप यहां मुझे आदेश देने के लिए नहीं हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस सभा में कार्यवाही किस प्रकार चलानी है, इसकी जानकारी मुझे है। मुझे नियमों की जानकारी भी है। मैं नियमानुसार इस सभा का संचालन करूंगा।

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होगा। कोई विषय नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का प्रश्न किस लिए कर रहे हैं, किस नियम के अन्तर्गत कर रहे हैं ? किस नियम का उल्लंघन किया गया है ?

श्री चित्त बसु : नियम 193.

उपाध्यक्ष महोदय : आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री चित्त बसु : मुझे स्पष्ट करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। यह बताइए कि नियम 193 के अन्तर्गत किस बात का उल्लंघन किया गया है तथा किस परिस्थिति में ऐसा किया गया है।

श्री चित्त बसु : मैं बता रहा हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप सीधे उस मुद्दे पर आइए।

श्री चित्त बसु : उस प्रस्ताव के बारे में, विशेष विषय पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल इन सदस्यों द्वारा।

श्री चित्त बसु : मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इस सभा का कोई माननीय सदस्य, उस आर्टिकल के अन्तर्गत, इस मंच का उपयोग, उस राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए कर सकता है, जो कि इस विषय से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं है। आप अपना विनिर्णय दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने ध्यानाकर्षण की स्वीकृति दी है। अध्यक्ष महोदय ने अनुमति दी है। उन्होंने मंत्री जी को कुछेक बातें कहीं हैं। मंत्री महोदय उनका जबाव देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का जिक्र कर सकता है। अगर किसी प्रकार के असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया जाता है अथवा अपमानजनक अथवा भड़काने वाले भाषण दिए जाते हैं तो अध्यक्ष इसका ध्यान रखते हैं। मैंने इसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : महन्ती जी आप अपना भाषण जारी रखिए। यह असंसदीय नहीं है। मैंने इसकी अनुमति दी है।

(व्यवधान)

श्री बृज मोहन महन्ती : पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं…

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल श्री महन्ती का भाषण रिकार्ड किया जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ यह कह रहे हैं, रिकार्ड नहीं किया जाए। केवल वह व्यवस्था का प्रश्न रिकार्ड होगा।

(व्यवधान)**

श्री बृज मोहन महन्ती : मैं मन्त्री महोदय से विशेष रूप से यह जानना चाहूंगा कि राज्य में महामारी न होने पाए, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसे नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : बाकी जो कुछ कहा जा रहा है रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० तिवारी, कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जा रहा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नियम अत्यधिक स्पष्ट हैं। केवल जिन सदस्यों के नाम शामिल हैं वही बोल सकते हैं तथा मन्त्री जी जवाब देंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री महन्ती को अनुमति दी है, उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय उन्हें पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को इस बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए राजी करने दीजिए। लोग इस बीमारी से मर रहे हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह रिकार्ड नहीं हो रहा है मैंने इसकी अनुमति नहीं दी। इसकी स्वीकृति नहीं दी गई। यह रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप चिन्ता मत कीजिए। जो कुछ भी यह कह रहे हैं, रिकार्ड नहीं होगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जाएं। आप एक जिम्मेदार नेता हैं। मैं श्री सत्य-साधन चक्रवर्ती जो सी०पी० एम० दल के उपनेता हैं, से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस तरह का व्यवहार न करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप नाराज हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है आपको हीरो नहीं बनने दूंगा। आप जारी रखिए। मैं किसी की नहीं सुनूंगा। आप ठीक से रहिए। मैं किसी को हीरो नहीं बनने दूंगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं श्री चक्रवर्ती, जो एक जिम्मेदार सदस्य हैं तथा एक बहुत ही जिम्मेदार दल, जिसकी कि एक राज्य में सरकार है, के नेता हैं, से यह साग्रह अनुरोध करता हूं···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह ठीक तरह से व्यवहार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया सहयोग दें तथा नियमों का पालन करें। अगर उन्हें कोई आपत्ति हो तो वह मन्त्री जी को लिख सकते हैं। लेकिन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में वह भाग नहीं ले सकते क्योंकि उसमें उनका नाम नहीं है। श्री बृज मोहन महन्ती।

**कार्यवाही वृत्तांत में शम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बृज मोहन महन्ती : उपाध्यक्ष महोदय,··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर वह नियमों का पालन नहीं कर रहे तो आप इसे अध्यक्ष महोदय की जानकारी में ला सकते हैं जैसा कि श्री चित्त बसु ने किया था। उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और उस पर तुरन्त ही मैंने अपना निर्णय दे दिया था । इस प्रकार, यदि उन्होंने कोई बात उठाई थी तो आप भी यह मामला उठा सकते थे । लेकिन ऐसा नहीं किया गया जबकि आप एक राजनीतिक दल के जिम्मेदार सदस्य हैं । अगर वह इससे सहमत नहीं हैं तथा यह बताना चाहते हैं कि श्री बृज मोहन महन्ती द्वारा किस नियम का उल्लंघन किया गया है, तो वह व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप ऐसा नहीं करते, और ऐसा कहते हैं तथा अध्यक्ष को चुनौती देते हैं, यह डराते धकमाते हैं कि आप कार्यवाही रोक देंगे तो एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के जिम्मेदार नेता को यह शोभा नहीं देता । मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं तथा जो कुछ भी आपने कहा है, वह रिकार्ड नहीं हुआ। क्योंकि ध्यानाकर्षण में केवल 5 सदस्य भाग ले सकते हैं अतः मैं आपसे यह आग्रह करता हूं···

श्री राम विलास पासवान : आप अन्य सदस्यों से भी अनुरोध करिए ।

उपाध्यक्ष महदय : मैं सभी से अनुरोध करता हूं । उन्होंने जो कुछ कहा है आपने नहीं सुना । मैं देख रहा हूं । उन्होंने अपने भाषण में ऐसा कुछ भी नहीं कहा है जो अपमानजनक अथवा भड़काने वाला अथवा असंसदीय हो । फिर मैं किस प्रकार उन्हें रोक सकता हूं ?

आप यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का कोई नाम भी क्यों ले···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने यह नहीं कहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह कहा है । आप शान्तिपूर्वक उन्हें सुनिए ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह नियमानुसार होना चाहिए । वह राज्य सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय ; माननीय सदस्य ने जो विवरण दिया है उसके अनुसार 28 अप्रैल, 1984 तक 808 मौत हो चुकी थीं। आप सभी उत्तेजित हो रहे हैं। क्या राजनीति इससे अधिक महत्व रखती है ? इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति क्यों दी गई है ? इसे दूर करने के लिए ही ऐसा किया गया है । ऐसा इसलिए किया गया है कि हम कुछ दवा आदि सप्लाई कर

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

राज्य सरकार की सहायता कर सकें। इसलिए इसकी अनुमति दी गई है। राजनीतिक उद्देश्य से इसकी अनुमति नहीं दी गई, यह मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नियम 197 के अन्तर्गत आता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है :

> "कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व अनुज्ञा से अविलम्बिनीय लोक महत्व के विषय पर मन्त्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा..."

इसके पश्चात इसमें यह कहा गया है :

> "ऐसे वक्तव्य पर जब वह दिया जाए कोई वाद-विवाद नहीं होगा। लेकिन जिस-जिस सदस्य के नाम से वह विषय उठाया गया है, अध्यक्ष की अनुमति से, वह उस बारे में एक प्रश्न पूछ सकते हैं।"

अब, माननीय सदस्य आपकी अनुमति से प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उधर से कोई भी माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं। माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें व्यवधान अथवा बाधा किस प्रकार हो सकती है। उस पर चर्चा किस प्रकार हो सकती है ? इसलिए, हमें नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह इस सभा की कार्यवाही नहीं रोक सकता। यह सभा नियमानुसार कार्य करेगी। नियमानुसार ही वह प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर कोई इस सभा की कार्यवाही में बाधा डालता है तो मैं आपसे (उपाध्यक्ष महोदय) यह अनुरोध करता हूं कि आप उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे भी वहां गई जानों के बारे में उतनी ही चिन्ता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको भी उन पर खेद है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमें भी खेद है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मन्त्री यहां उपस्थित नहीं हैं। वह राज्य सरकार पर यह दोषारोपण कर रहे हैं कि मरीजों को अस्पतालों में दाखिल तक नहीं किया गया। माननीय मन्त्री उसका क्या जबाव देंगे ? वह तो केवल केन्द्र सरकार की ओर से बोल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को केवल यह बताना चाहता हूं कि इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठता। मैं यहां बैठा हुआ हूं; श्री महन्ती ने जो कुछ भी कहा हूं, मैं उसे चुन

रहा हूं । जो कुछ भी उन्होंने कहा है, वह कार्यवाही में मौजूद है । उन्होंने यह कहा है कि पश्चिम बंगाल में सभी अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं । उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की अक्षमता अथवा किसी अन्य बारे में कोई भी आरोप नहीं लगाया ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने आरोप लगाया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कार्यवाही देख सकते हैं । उन्होंने यह नहीं कहा है । मेरे ख्याल में श्री बृज मोहन महन्ती ने पश्चिम बंगाल सरकार पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया है; अत: श्री बृज मोहन महन्ती अपना भाषण जारी रख सकते हैं । अगर आपने ऐसा कोई आरोप लगाया हो, जैसा कि श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने बताया है, तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप किसी भी राज्य सरकार पर कोई आरोप न लगाएं !

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए । आप क्या कहना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : क्योंकि यह प्रस्ताव, केवल मात्र पश्चिम बंगाल सरकार के बारे में हैं, जहां कि महामारी फैली हुई है, यह भाग भी उन स्थानों से संबंधित है जहां पर इस बीमारी की कोई घटना जानकारी में नहीं-आई है । विवरण देते और प्रश्न पूछते समय माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि कितने बिस्तर और अन्य सुविधाएं आदि उपलब्ध हैं । उस पर विवाद नहीं होना चाहिए तथा इस बारे में किसी भी सदस्य को आवेश में आकर इस सभा की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को देखिए । मुझे नहीं मालूम कि क्या माननीय सदस्य द्वारा कोई आरोप लगाया गया है । हमें इस प्रकार का आरोप नहीं लगाना चाहिए । श्री बृज मोहन महन्ती ने कोई आरोप नहीं लगाया है । मैंने कार्यवाही को सुना है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैंने माननीय सदस्य को नहीं रोका जब वह कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल सरकार सक्षम नहीं है । आपको यह नहीं कहना चाहिए ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप मेहरबानी करके अपने शब्दों में संशोधन करिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कार्यवाही को देखा है । श्री बृजमोहन महन्ती ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में रोगियों के लिए जगह नहीं है क्योंकि अस्पतालों के सभी बिस्तरे और कमरे भरे हुए हैं और पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में जितने भी रोगी हैं, सभी केवल पेचिश रोग से ही पीड़ित हैं । श्री बृजमोहन महंती ने पश्चिम बंगाल की सरकार या पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के बारे में कभी कुछ नहीं कहा । मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता हूं । यदि

श्री बृजमोहन महंती ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोई आरोप लगाया हो तो आप बताएं और मैं पूरे रिकार्ड को देखूंगा और रिकार्ड में दर्ज किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आपको यह पहले कहना चाहिए था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले कहा था। आप जानते ही नहीं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : क्या यह केवल पश्चिम बंगाल पर ही लागू होता है अथवा किसी और राज्य पर भी लागू होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां केवल पश्चिम बंगाल के ही सम्बन्ध में नहीं वरन् सभी राज्यों के बारे में सही है कि यदि उनके बारे में नियमानुसार कुछ नहीं कहा जाएगा तो उसे सभा की कार्य-वाही वृत्तांत में से निकाल दिया जाएगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका यहां निर्णय सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होगा। श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती बोलते समय सभी राज्य सरकारों का अत्यन्त आलोचनात्मक ढंग से हवाला देते हैं।

इसीलिए सभी राज्यों के लिए आपको इसी नीति का अनुपालन करना चाहिए। आपका यही कर्त्तव्य है कि सभी राज्यों के लिए इसी प्रथा को अपनाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी मानहानिकारक आरोप नहीं लगाया गया है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैंने सोचा कि यह विशेष उपबंध आपने केवल पश्चिमी बंगाल के लिए ही किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य नियमानुसार प्रश्न पूछेंगे तो ये परेशानियां नहीं उठेंगी और पीठासीन अधिकारी को इतनी असुविधाजनक स्थिति का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि वे हमेशा नियमानुसार ही प्रश्न पूछें।

यदि कोई सदस्य कोई जानकारी लेना चाहते हों तो नियम 193 के अन्तर्गत बहस होनी चाहिए। किन्तु इस समय नियम 193 के अन्तर्गत बहस नहीं हो रही है। इस पक्ष से कोई भी भाषण उद्धृत नहीं करिए। इसके बाद हम देखेंगे। यह तो अच्छा ही हुआ इस तरह की चर्चा हुई और आज इस मुद्दे को स्पष्ट कर लिया गया।

श्री बृजमोहन महंती : जब पश्चिम बंगाल की गलियों में लोग पेचिश से मर रहे हों उस समय यदि हम इस सभा में राजनीति में ही व्यस्त रहेंगे तो इस देश के राजनीतिक जीवन की यह एक दुखद घटना होगी और इतिहास तथा भावी पीढ़ी उसी के अनुसार हमारा मूल्यांकन करेगी।

मैंने माननीय मंत्री से यही पूछा था कि क्या इन्स्टीट्यूट आफ कालरा एन्ड एन्ट्राईटिस

डिजीज, कलकत्ता ने इस बात की जानकारी दी है कि यह महामारी इतनी तेजी से फैल रही है कि यह अन्य राज्यों में भी फैल सकती है, किंतु इस प्रश्न का पर्याप्त ढंग से उत्तर नहीं दिया गया है ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ज्योति बसु को इस बात के लिए राजी करें कि पेचिश के प्रसार से पश्चिम बंगाल की जनता के जीवन को जो खतरा हो गया है उसे देखते हुए चीन की आगामी औपचारिक यात्रा को रद्द कर दें। हमारे काम जनता की जरूरत को देखते हुए होने चाहिए केवल पश्चिम बंगाल की जनता की जरूरत के अनुरूप ही नहीं वरन् पूरे देश की जनता के अनुरूप होने चाहिए । यदि इस महामारी को रोका नहीं गया तो यह पूरे देश में फैल जायेगी । इस महामारी को रोकने के लिए और पड़ोसी राज्यों में इसके विस्तार को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं । मैं यह भी जानना चाहता हूं । यह बताया गया है कि इसका उपचार सम्भव नहीं है, और उसकी रोकथाम के लिए वहां कोई दवाई ही नहीं है तथा उसके खिलाफ स्वास्थ्य-शिक्षा जैसे मोटे उपाय ही किए जा सकते हैं तथा पर्याप्त शुद्ध पेय जल की पूर्ति आवश्यक है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस रोग की रोकथाम के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं । केवल यही नहीं वरन् मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार भी यह दावा कर रही है कि उसकी रोकथाम कर ली गई है, उसे समाप्त कर दिया गया है । वस्तुतः रिपोर्टें विपरीत जानकारी देती हैं, क्या मंत्री महोदय पश्चिम बंगाल से यह आग्रह करेंगे कि वे इस मामले को मामूली न समझे और इस रोग पर नियंत्रण के लिए सभी उम्मीद उपाय लागू करें ।

आप बंगाल में पड़े अकाल के बारे में जानते ही हैं जब 15 लाख लोग मर गए थे। कोई भी तब नहीं जान सका था । मैं चाहता हूं कि आजकल जो लापरवाही बरती जा रही है उससे यह फिर से दुहराया न जा सके । एक तो यह पहलू है ।··· (व्यवधान) आप चाहें तो जनता के जीवन से खिलवाड़ कर सकते हैं । मैं गुजरात के माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं । वहां भी बीमारी फैल रही है किंतु वह यह बीमारी नहीं है । प्रेस रिपोर्ट के अनुसार यह हेपाटाईटिस है और यह अस्पताल में ही फैल रही है । यह बताया गया है कि यह संक्रमण अस्पताल से फैलता है । दवाइयां भेजी गई हैं, किंतु उनका कोई उपयोग ही नहीं है । रिपोर्ट से पता चलता है कि जूनियर डॉक्टर ही संक्रमण ग्रस्त हो गए थे यह बताया गया कि सिरिंज साफ नहीं थी तथा और भी अनेक कारण हैं । मैं यह अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और कुछ करें ताकि वह और फैल न सके । यह बताया गया कि डाक्टरों में जिम्मेदारी की भावना की कमी के कारण ही यह बीमारी फैल रही है और 300 लोग इससे मर चुके हैं ।

इस रिपोर्ट में गुजरात में पीलिया फैलने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है, किन्तु मुझे बताया गया है कि 11 डाक्टर इसके शिकार हुए और मर गए । किन्तु इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं गया है ।

श्री बी० शंकरानन्द : हमारे मंत्रालय को 28 अप्रैल, 1984 तक घटनाओं और मृत्यु के

बारे में जो भी आंकड़े प्राप्त हुए हैं वे इस प्रकार हैं—कुल 15,542 लोग इस बीमारी के शिकार हुए तथा 808 की मृत्यु हुई। पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार आजकल यह स्थिति है—कुल 20,780 बीमार हुए और 911 की मृत्यु हो गई। इससे यह पता चलता है कि और भी बीमार हुए होंगे और मौतें भी और हुई होंगी।

यह बीमारी दार्जिलिंग को छोड़कर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में फैली हुई है। और सबसे ज्यादा खराब हालत 24 परगना, हावड़ा, मालदा, हुगली, नाडिया, मुर्शिदाबाद, मिदनापुर, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार की है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का एक संस्थान है। राष्ट्रीय कालरा और आंत्र रोग संस्थान जो इस बीमारी की जांच सम्बन्धी मामले का अध्ययन कर रहा है और उन्होंने इसके बारे में छानबीन की है। सभी संबंधी ब्यौरों का पता लगाया है और राज्य सरकारों को कुछ उपायों की सिफारिशें की हैं। इस संस्थान के दल की रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसा दंडागुज पेचिश के कारण हुआ है। जांच के दौरान इकट्ठे किए गए मल और जल के नमूने से जिन जीवों को पृथक किया गया वे शिगेल्ला डाईसेंटरिए पाए गए। मल निपटान की खराब अवस्था एक ही जगह पर (रोगी और निरोगी के) मल त्याग करने तथा रोगियों की विष्ठा समुचित रूप से नष्ट न करने के कारण आपस में ही एक दूसरे से यह बीमारी फैलती गयी। पेय जल और घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध जल की अत्यधिक कमी के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत स्वास्थ्य की दशा बिगड़ती गई, जिसके कारण यह और तेजी से फैली।

जांच करने वाले दल ने पश्चिम बंगाल सरकार में कुछ नियामक उपायों के बारे में भी सुझाव दिया है और ये उपाय हैं सघन स्वास्थ्य शिक्षा प्रचार, सामुदायिक जल और घरेलू जल पूर्तियों में क्लोरीन मिलाना, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, मल त्याग के बाद और खाना खाने से पहले हाथ धोना, मानव द्वारा त्यागी विष्ठा का समुचित ढंग से नाश, मक्खियों पर नियंत्रण आदि। प्रभावित रोगियों के लिए एण्टीबायोटिक्स के प्रयोग के अप्रभावी होने की आशंका अधिक है अतः जीव विशेष की विद्यमानता के आधार पर उन ऐण्टीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। डिहाईड्रेशन हो जाने पर मुंह से रिहाईड्रेशन द्रव जिसमें नमक मिश्रण का ग्लूकोज हो उसे प्रोत्साहित किया जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया, जिसके अनुसार उन्होंने 30 अप्रैल, 1984 तक हेलोजिन की 15.6 लाख टिकिया भेज दी हैं तथा कल 2 लाख और टिकिया भेज दी गई हैं जो अब तक पहुंच चुकी होंगी। पश्चिम बंगाल सरकार को मौखिक रिहाईड्रेशन के लिए 1.43 लाख पैकेट भेजे गए हैं और 30 अप्रैल, 1983 तक उनके अनुरोध के अनुसार एक लाख और पैकेट भेजे गये थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि वे कार्यवाही कर रहे हैं और हमारे द्वारा सुझाए नियंत्रक उपाय लागू कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल ने, जिसके लिए अनुरोध किया था, वह उन्हें उपलब्ध हो गया है, हम इस बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के बारे में हम गम्भीरता से ध्यान दे रहे हैं क्योंकि माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की है कि वह अन्य जिलों तक भी फैल सकती है। यह सम्भव है क्योंकि यह पश्चिम बंगाल के लगभग सभी जिलों में फैली है।

गुजरात में पीलिया अस्पताल में फैला हुआ है क्योंकि यह इंजेक्शन या इंजेक्शन से हुए घाव या किस प्रकार के जख्म के कारण हो जाता है। हमने गुजरात सरकार के अनुरोध से सहमति-स्वरूप गामा ग्लोब्युलिन इंजेक्शनों को उपलब्ध करवाया है तथा आवश्यक टीकों के लिए भी यथा-वश्यक व्यवस्था की है। हमने गुजरात सरकार को उनके द्वारा सुझाये गये टीकों के आयात की अनुमति दे दी है और हमें आशा है कि गुजरात सरकार इस बीमारी की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

श्री बृजमोहन महंती : मैंने श्री ज्योति बसु को चीन न जाने के लिए मनाने हेतु श्री सत्य-साधन चक्रवर्ती की मध्यस्थता का लाभ उठाने के लिए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात ठीक है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : हम ऐसा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, मैं इनके वक्तव्य से ही शुरू करता हूं। आपने बत या है कि मलेरिया के प्रकोपों में काफी कमी हुई है। जनवरी से मार्च, 1983 के बीच मलेरिया के 55,450 रोगियों के मुकाबले 1984 की इसी अवधि में इस रोग से 47,063 व्यक्ति ग्रस्त हुए हैं।

मान्यवर, मेरे पास यह भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हैल्थ संबंधी आंकड़े हैं। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं उनको देखने से मंत्री महोदय स्वयं कन्फ्यूज हो जाएंगे। पता नहीं मन्त्री महोदय को फिगर्स कहां से मिलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 1960 में 39,115 लोग ग्रस्त हुए। 1970 में 69,417 लोग ग्रस्त हुए। 1980 में 28 लाख 96 हजार लोग ग्रस्त हुए और 207 लोगों की मृत्यु हुई। 1981 में 26,79,795 लोग ग्रस्त हुए और 170 लोगों की मृत्यु हुई और 1982 में 21,60,447 लोग ग्रस्त हुए और 172 लोगों की मृत्यु हुई है।

इसी तरह एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने बताया है।

"लोक सभा में 22-12-1983 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 448 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।"

"30-11-1983 तक चालू वर्ष के दौरान 11.57 मिलियन मलेरिया के मामलों की सूचना दी गई है जबकि 1982 की इसी अवधि के दौरान 16.13 मिलियम मामलों की सूचना दी गई थी।"

अगर इन तीनों आंकड़ों को देख लिया जाए तो मन्त्री महोदय स्वयं कन्फ्यूज हो जाएंगे। आप ही बताइए कि कौन से आंकड़े सही हैं। ऐसा लगता है कि मन्त्री महोदय को अधिकारियों से ही आंकड़े प्राप्त होते हैं। और कोई तरीका है भी नहीं। वे जो रिपोर्ट दे देते हैं, वही मान ली जाती है। दिल्ली के बारे में आप कहेंगे कि मलेरिया का प्रकोप कम है। लेकिन दिल्ली के बारे में भी खासतौर पर यमुना पार क्षेत्र से मलेरिया फैलने की बहुत खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा और भी शिकायतें आती रहती हैं। बिहार से शिकायतें आती हैं, उत्तर प्रदेश से आती हैं। एक जगह तो अखबार में यह आया कि अधिकारी कहते हैं कि अगर हम मान लेंगे तो मुश्किल पैदा हो जाएगी। उसका सर्वेक्षण कराना होगा। उसकी रिपोर्ट तैयार करानी पड़ेगी। और हम मलेरिया उन्मूलन की बात कह चुके हैं। इसलिए इस तरह की रिपोर्ट भेज दी जाती है। इसलिए यह बहुत गंभीर मामला है। लाखों लोग मलेरिया से ग्रस्त हैं।

चेचक के बारे में आपने कहा है कि मई, 1975 में इसका पूर्ण उन्मूलन हो चुका है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, लखनऊ में करीबन 40 बच्चे चेचक के शिकार हुए हैं और उनकी मृत्यु हुई है। आप यह कह कर छुटकारा पा जाएंगे कि राज्य सरकार ने हमें रिपोर्ट नहीं भेजी है। राज्य सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अभी भीलवाड़ा, जोधपुर में भी प्रकोप है। बिहार के मुख्य मन्त्री ने तो स्वीकार किया है कि यहां स्माल पाक्स, छोटी चेचक, जिसको खसरा कहते हैं, उसका प्रकोप शुरू हो गया है। आप कहते हैं कि हमने इसका उन्मूलन कर दिया गया है। कैसे आपने उन्मूलन कर दिया है। चंपारण से बहुत शिकायतें आ रही हैं। डिसेन्ट्री की बात हो रही थी। बंगाल में आपने कहा कि 808 लोगों की मृत्यू के बारे में उल्लेख किया है। करीब 15542 लोग इससे पीड़ित हैं। आपने यह भी बताया है कि हेलोजन टेबलेट इसके लिए सप्लाई की गई है। मुझे जो फिगर्स मिले हैं, वह मैं आपको

1.00 म० प०

बता रहा हूं। डिसेन्टरी से 69,29,475 लोग पीड़ित हुए और 2,283 लोग मरे। इसी प्रकार से गेस्ट्रो में भी 781,712 लोग पीड़ित हुए और 3,335 मरे। इसी तरह से कालरा से भी 4,679 लोग पीड़ित हुए और 217 मरे। यह, फीगर्स मेरे नहीं हैं। आपकी पुस्तिका के फीगर्स हैं। आपकी एनुअल रिपोर्ट में अगर गड़बड़ होती है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसी तरह जान्डिस से 71 लोग अहमदाबाद में और एक दर्जन के करीब बिहार में चले गए। रक्त पेचिश तो बिहार में भी फैलती जा रही है। इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपनी ही रिपोर्ट को देख लें। आपने कहा है कि सन् दो हजार ईसवी तक सबका स्वास्थ्य ठीक हो जायेगा। वह कैसे होगा? आप देखेंगे तो पता चलेगा कि हिन्दुस्तान में हर साल डेढ़-दो करोड़ लोग बीमार होते हैं। यदि, 62 करोड़ की आबादी हो तो कितने परिवार के सदस्य बीमार हुए इसके लिए आप क्या कारगर उपाय करेंगे? मेरा ख्याल है कि सन् दो हजार तक तो आप जवाब देने लायक भी नहीं होंगे। सरकार बीमारियों की दवाई तो दे सकती है लेकिन बीमारी पैदा न हो, इसके लिए कभी प्रयास नहीं करती। अगर ऐसा प्रयास हो जाए तो आपको

दौड़-धूप नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए सफाई और शिक्षा आदि जैसे कई फैक्टर्स हैं कुछ और भी हो सकते हैं। यह चीजें ऐसी हैं, जो सामूहिक बनकर बीमारियों को फैलाती हैं। 1950 में 35 करोड़ की दवाइयां इस देश के अन्दर बनती थीं। आज 1500 करोड़ की दवाइयां बन रही हैं। जीवन-मरण, आवश्यक और गैर-जरूरी किस्म की दवाइयां बनती हैं। इस वर्ष 1260 करोड़ के करीब की दवाई बनी हैं जिनमें 350 करोड़ की आवश्यक दवाइयां हैं। ऐसी दवाइयां भी बनाई गई हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे-विटामिन-सी की गोलियां बना रहे हैं। जब टीके की जरूरत पड़ती है तो वह नहीं मिलता है। लाइफ सेविंग्स ड्रग्स भी बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को इस नीति को बदलना होगा। जिन दवाओं पर सम्पन्न देशों में प्रतिबंध लग गया है, वहीं खुले-आम अन्तर्राष्ट्रीय बड़ी कम्पनियां उन दवाओं को बेच रही हैं। मान्यवर; आपका जो फेरा फॉरन एक्सचेंज रैगुलेशन एक्ट है, उसके सामने सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। छूट के कारण, यहां का काफी पैसा बाहर ले जाया जा रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे यहां कई दवाएं जरूरी मानी गई हैं, लेकिन उन्हें बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने नियमों में कन्ट्रोल किया हुआ है। जबकि गैर जरूरी दवाओं पर रोक नहीं है। इसलिए दवा बनाने वाली बहुत-सी कम्पनियां धीरे-धीरे जरूरी दवाओं का उत्पादन कम करती जा रही हैं। कभी वे इसके लिए अपनी इकाइयों में मजदूरों की हड़ताल का बहाना करती हैं, कभी कुछ और कारण बताती हैं। मैंने एक बार पहले भी कहा था, और यहां आपने भी बताया है कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बच्चों के टीके उपलब्ध नहीं हैं, खसरे के टीके उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि उनका आयात विदेश से किया जाना है। यदि राम मनोहर लोहिया जैसे बड़े अस्पताल में यह जरूरी टीके उपलब्ध नहीं हैं तो मेरे छोटे से गांव के अस्पताल में वह कैसे उपलब्ध होगा। मान्यवर हिन्दुस्तान का यह दुर्भाग्य है कि 16 करोड़ की शहरी आबादी पर लगभग 5500 अस्पताल हैं जबकि 50 करोड़ की ग्रामीण आबादी पर लगभग इतने ही प्राइमरी हैल्थ सैन्टर्स हैं। यदि आप ग्रामीण जनसंख्या को देखेंगे तो शायद उनकी रिपोर्ट भी मन्त्री जी के पास न आती हो।

अंतिम प्रश्न, मैं मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वैसे तो हमारे महंती साहब बड़े नाराज हो रहे थे, लेकिन सरकार को भी देखना चाहिए कि हमारी दवाएं बनाने वाली फैक्टरियों में आजकल टैल्कम पावडर और केश धोने वाले शैम्पू ज्यादा मात्रा में बनाए जा रहे हैं और उनसे ये कम्पनियां बहुत मुनाफा अर्जित कर रही हैं। मैं जानता हूं, आप कह देंगे कि यह ड्रग्स का मामला है और इस मन्त्रालय के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन यदि देश के लोगों का स्वास्थ्य इसी तरह बिगड़ता गया और आपकी कम्पनियां इसी तरह उत्पादन करती गईं तो हम शायद 2000 तक उसका कन्ट्रोल न कर पायें। मैं अन्तिम प्रश्न मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इस तरह के उत्पादन को नियंत्रित करके जीवन-मरण की या दूसरी जरूरी दवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे तथा प्रतिबन्धित दवाओं के उत्पादन को रोकने का प्रयास करेंगे या नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने रोग के विभिन्न पहलुओं पर अपनी टिप्पणियां देते हुए चेचक के मामलों की अफवाहों के कतिपय आंकड़ों का उल्लेख करने का प्रयास किया है।

हमने इस देश से 1975 में चेचक का उन्मूलन कर दिया है। भूमण्डल से ही हमने इसका 1975 में ही उन्मूलन कर दिया है। माननीय सदस्य पहली बार ही चेचक के मामलों की अफवाहों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं। इस देश में काफी समय पहले से अफवाहें फैलती आ रही हैं। इन सबकी गहराई से जांच की गई है। अध्ययन किए गए हैं। सभी दृष्टिकोणों से जांच की गई है। यह सिद्ध किया गया है—मैं सदन के समक्ष यह स्पष्ट करना चाहूंगा—कि इस देश में चेचक का एक भी मामला नहीं है। यदि आखिरकार माननीय सदस्य को ऐसे किसी मामले का उल्लेख किया गया है तो वे केवल अफवाहें हैं। उनसे यह संकेत नहीं मिलता है कि चेचक का वास्तव में कोई ऐसा मामला विद्यमान है।

माननीय सदस्य ने हमारे लोगों के साथ पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकारियों की बैठक का भी उल्लेख किया है। उन्होंने जानना चाहा कि ऐलोजीन की अपेक्षित गोलियां सप्लाई की गई थीं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा, वे 5 करोड़ गोलियां चाहते हैं और आपने एक करोड़ गोलियां सप्लाई कीं।

श्री बी० शंकरानन्द : हमने इस बारे में उनसे वायदा किया है, पश्चिमी बंगाल सरकार को जितनी मात्रा में गोलियों की आवश्यकता है। यह पश्चिमी बंगाल सरकार के ऊपर है कि वह मेडिकल स्टोर डिपो से गोलियां उठाए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह, आपके माध्यम से संदेश वहां जाना चाहिए।

श्री राजेश कुमार सिंह : मैं संदेश भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती के माध्यम से भेज सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय महोदय ने औषध निर्माताओं, औषधियों की उपलब्धता के कतिपय पहलुओं, इस बारे में कतिपय चूकों इत्यादि, इत्यादि का भी उल्लेख किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि 'जीवन रक्षक औषधियां' लोगों को उनकी खरीद शक्ति के अन्दर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं निश्चित रूप से उनसे सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि जो औषधियां लाभप्रद नहीं हैं जो गुणकारक नहीं हैं उन्हें बाजार में नहीं बेचा जाना चाहिए। लेकिन औषधियों का उत्पादन, जैसा कि उन्होंने खुद कहा है, हमारे मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता है। यदि वे चाहते हैं तो वे इस प्रश्न को रसायन तथा उर्वरक मंत्री महोदय को भेज सकते हैं। और वे इस विषय पर कुछ प्रकाश डाल सकेंगे। अब माननीय सदस्य ने कहा है कि बाजार में चेचक का टीका उपलब्ध नहीं है और इस पर मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज्य में इस महामारी का फैलना एक अत्यन्त दुःखदायक घटना है क्योंकि हमें पता चलता है कि इस महामारी को फैलने

से रोका जा सकता था। अब हम इस रोग के फैलने के बारे में विभिन्न राज्यों में एक सामान्य पैटर्न पाते हैं। प्रथमतः हम पाते हैं कि दूषित जल और सफाई की शोचनीय स्थिति जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसका ध्यान रखा जाना है और मैं कह सकता हूं कि निन्दा करने का प्रयास किए बिना मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखता हूं। कलकत्ता में मुख्य कारण दूषित हुगली नदी है जहां फालतू औद्योगिक तथा महानगरीय कूड़े करकट नदी में फैंक दिए जाते हैं, पानी को स फ करने का संयंत्र ऐसे स्थान पर स्थित है जहां जहरीले निस्सरण नदी में छोड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा यह बड़े दुःख की बात है कि पानी और मल-व्ययन के पाइप साथ-साथ चलते हैं और उनमें अनगणित रिसाव होते हैं जिनका पता नहीं लगता है।

इसी प्रकार, हमने गुजरात में भी पाया है जहां कहीं भी यह बीमारी फैली है। आप इसे 'घातक पीलिया' कह सकते हैं, यकृत-शोथ-ख के लिए जिम्मेदार वाइरस केवल मानवीय मल-मूत्र के द्वारा ही बाहर निकाला जा सकता है जो पीने के पानी को अवश्य दूषित करता है जिससे पीलिया हो जाता है। अब इससे इस बात का पता चलता है कि पानी की सप्लाई तथा सफाई के बारे से कितनी शोचनीय स्थिति है और कैसे प्रदूषण इन सब बातों के लिए जिम्मेदार है। वाइरस-विज्ञान के भारतीय संस्थान, पुणे ने चेतावनी दी है कि पानी के पाइपों में छिद्र हो गए हैं और पानी की सप्लाई इसलिए दूषित हो गई है क्योंकि कई स्थानों पर रिसने वाले मलनाले पीने के पानी के पाइपों के छिद्रों के साथ मिल जाते हैं। इसलिए हमें इस समस्त स्थिति के इस दुःखद पहलू पर बल देना चाहिए कि दूषित पानी की शोचनीय स्थिति ने जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है। अतएव मुझे इस बात पर बल देना चाहिए कि प्रदूषण को समाप्त करने तथा सफाई करने के व्यापक अभियान उच्च प्राथमिकता आधार पर शुरू किए जाएं। अब कलात्मक विशिष्टता की जांच किए बिना हम सरकार से यह जानना चाहेंगे कि जनता के स्वास्थ्य से सम्बन्धित इस व्यापक पहलू के बारे में किस प्रकार की सहायता, किस प्रकार की गतिविधि शुरू की गई है।

महामारी के फैलने के सम्बन्ध में हमें सामान्य पैटर्न में जिस दूसरे विषय का पता चला है वह जन स्वास्थ्य के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों की सामान्य उदासीनता है। राजस्थान में हमें बताया गया है कि स्थिति इतनी खराब है कि उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका रखी गई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि राजस्थान में हजारों मौतें हो रही थीं और इस बारे में अवश्य कुछ किया जाना चाहिए। और तब उच्चतम न्यायालय को इस बड़े महत्व के मामले में प्रत्येक सावधानी बरतने तथा हर संभव कदम उठाने के लिए राज्य सरकार को अनुदेश देने पड़े थे।

दिल्ली में हमने पाया है कि यहां मलेरिया के अनेक मामले मौजूद हैं। माननीय मंत्री महोदय यह दावा करते हैं कि इनमें कमी आई है लेकिन कमी आने के बावजूद, जिसका दावा किया गया है और जिसके लिए हम उन्हें आवश्यक श्रेय देते हैं, हमने पाया है कि ऐसे उदाहरणों की संख्या 47,063 है। यह संख्या पर्याप्त है। रोकथाम सम्बन्धी अभ्युपायों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है? क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका अथवा नगर निगम के पास जो कीटनाशी

दवाएं छिड़कने वाली मशीनें हैं उनकी संख्या अपर्याप्त है ? क्या यह सच है कि ये अधिकांश मशीनें खराब पड़ी हैं ? क्या यह सच है कि यदि कीटनाशी दवाओं को छिड़कने का काम ('फोगिंग') किया जाता है तो क्या यह केवल चुने हुए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों के क्षेत्रों में किया जाता है इनकी निस्बत काफी जनसंख्या वाली कालोनियों की उपेक्षा की जाती है । ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान दिया जाना है ।

नई दिल्ली नगरपालिका तथा दिल्ली नगर निगम के बीच भी मतभेद है । नई दिल्ली नगर-पालिका कहती है कि निगम द्वारा सप्लाई किया जाने वाला पानी दूषित है; दूसरी ओर निगम कहना है कि इस तथ्य के बावजूद कि अच्छे पानी की सप्लाई की जाती है, इसका सम्पर्क यहां ट्यूब्वैल के पानी से हो जाता है और यह दूषित हो जाता है । इस विवाद को सुलझाया जाना चाहिए और हमें इस बात का पता होना चाहिए कि तथ्य क्या हैं ।

पश्चिमी बंगाल में हमने पाया है कि हैजे और अन्य बीमारियों के राष्ट्रीय संस्थान ने, ऐसी सूचना मिली है, काफी समय पहले वहां की सरकार को यह चेतावनी दी थी कि कई जिलों से लिए गए पानी के नमूनों में पेचिश के कीटाणु मौजूद थे लेकिन इस सम्बन्ध में रोकथाम के कोई अभ्युपाय नहीं किए गए हैं । सरकार इस विशेष मुद्दे पर हमें जानकारी दे । हम समझते है कि पश्चिमी बंगाल में प्राधिकरणों द्वारा ऐसी उदासीनता दिखाई गई है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जिला अस्पतालों और अन्यों के पास अपेक्षित दवाई यदि उपलब्ध नहीं थी जब वास्तव में यदि महामारी फैली थी । यह बहुत ही शोचनीय स्थिति है और इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए ।

गुजरात में भी हमने पाया है कि घातक पीलिया का इलाज करने के लिए प्रशासन तथा एन्टीजन उपलब्ध न होने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरणों ने उदासीनता दिखाई है । यह कमी एन्टी-जनों के उपलब्ध न होने की वजह से थी कि क्योंकि डाक्टरों ने काम न करने की धमकी दी थी । केवल तभी कुछ कार्यवाही की गई थी, यद्यपि यह अपर्याप्त थी । इस विषय पर सदन को अवश्य जानकारी दी जानी चाहिए ।

मैं सरकार से कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वे इनका स्पष्ट उत्तर दें और इस बारे में कोई भेदभाव न बरतें । यहां मनुष्यों की जिन्दगियों का सवाल है और हजारों लोग मर गए हैं । क्या यह सच है अथवा नहीं है कि हैजे और अन्य बीमारियों के राष्ट्रीय संस्थान ने पश्चिमी बंगाल सरकार को इस महामारी के फैलने के बारे में चेतावनी दी थी । यदि हां, तो यह चेतावनी कब दी गई थी ? क्या यह बात केन्द्र सरकार की जानकारी में है कि क्या इस चेतावनी के अनुसरण में पर्याप्त कदम उठाए गए थे और क्या हमारी सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को इस महामारी के फैलने के संबंध में कोई चेता-वनी दी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई थी ?

महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि पश्चिमी बंगाल में इस विशेष वायरस की प्रथम घटना

कब घटी थी ? क्या यह यहां हमारी सरकार का निष्कर्ष है अथवा नहीं है कि इस बारे में चेतावनियां दिये जाने के बावजूद पश्चिमी बंगाल सरकार के प्रशासन की ओर से उदासीनता नहीं दिखाई गई थी। हमारे पास सभी तथ्य मौजूद होने चाहिए ताकि हम स्थिति में और अग्रेतर सुधार कर सकें।

हमें कतिपय अन्य मुद्दों के बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। अभी-अभी माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि पश्चिमी बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता दी गई थी। पश्चिमी बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सहायता के लिए कब कहा था ? मैंने यह भी पूछा था कि पहली घटना कब घटी थी ? मैंने यह भी पूछा है कि क्या कोई चेतावनी दी गई है। अब इन सबको एक साथ जोड़ने के लिए मैं यह प्रश्न पूछ सकता हूं। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता की मांग कब की गई थी और क्या सहायता तत्काल दी गई थी या उसमें कोई विलम्ब किया गया था ?

केन्द्रीय सरकार ने कहा है कि गोलियों (टैबलेट) को उठाना राज्य सरकार का काम है। इसका क्या मतलब है ? क्या इसका यह मतलब है कि केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करा दी गई है और पश्चिम बंगाल सरकार ने गोलियां (टेबलेट) उठाने में विलम्ब किया है ? क्या हम यह समझ लें कि इस अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले में, जो पश्चिल बंगाल के लोगों के जीवन से संबंधित है, राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रही है ? हमें यह बात साफ-साफ बताई जानी चाहिए कि क्या राज्य सरकार ने गोलियों को उठाने में कोई विलम्ब किया है या वह किसी प्रकार असफल रही है या उसने इस मामले मे उदासीनता दिखाई है। मैं यह भी नहीं समझ पाता कि गोलियां उठाने से आपका क्या मतलब है ? क्या आप इन गोलियों को वहां पहुंचा नहीं सकते थे ? फिर भी इस मामले को हमें विस्तार से बताना आपका काम है।

अब हमारे विशेषज्ञ कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में वाइरस जन्म रोग पर अभी भी नियंत्रण नहीं किया गया है। जबकि पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि यह स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और इसकी रोकथाम कर ली गई है। सही स्थिति क्या है ?

यदि मैंने ठीक सुना है तो मंत्री महोदय ने यह कहा है कि इस वाइरस जन्य रोग का खतरा पड़ोसी राज्यों में भी हो गया है। यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है यहां इस बारे में कुछ संवैधानिक जिम्मेदारी का प्रश्न भी उभरकर आता है। मैं समवर्ती सूची की मद संख्या 29 का उल्लेख करता हूं जिसमें उन महामारियों के बारे में बताया गया है जो एक राज्य के बाहर फैलती हैं और अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती हैं। इसमें संघ सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 73 (1) (क) इन मामलों में संघ सरकार को राज्यों में कार्यकारी शक्तियां इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसके बाद अनुच्छेद 257 (1) इस मामले विशेष में राज्य सरकार को विशिष्ट निर्देश देने के लिये संघ सरकार को अधिकार का प्रदान करता है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जब इस स्थिति ने गम्भीर मोड़ लिया, और जब पड़ौसी राज्यों को भी इससे खतरा हो गया, तो हम विभिन्न अनुच्छेदों के अधीन जिसे मैंने समय की

कमी के कारण पढ़ा नहीं है, उल्लिखित शक्तियों को लागू किया गया है या नहीं ? क्या पश्चिम बंगाल सरकार को कोई विशिष्टि निर्देश दे दिये गये हैं या नहीं ? यदि हां, तो वे विशिष्ट निर्देश क्या हैं ? यदि उन विशिष्ट निर्देशों को संतोषजनक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है तो क्या केन्द्रीय सरकार संविधान के अन्तर्गत कोई समुचित कदम उठायेगी ?

यह कहा जाना चाहिये कि ये महामारियां दुर्भाग्यवश मनुष्यों की ही बनाई हुई हैं। हमारी सरकार जो भूमिका निभाती है वह बहुत सीमित है। इस विवरण में, माननीय मंत्री महोदय ने उस भूमिका की बड़ी घटिया तस्वीर पेश की है जो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य के सम्पूर्ण मामले में निभा सकती है। हमें यह बताया गया है :—

"केन्द्रीय सहायता तथा मार्ग निर्देश उपलब्ध हैं......"

और यह भी कहा गया है :—

> "परन्तु जब भी कभी कोई बीमारी महामारी के रूप में फैलती है और उसमें केन्द्रीय सहायता की मांग की जाती है या जहां इन बीमारियों के अन्य राज्यों में भी फैलने का खतरा होता है तो केन्द्र सरकार अपेक्षित सहायता उपलब्ध करती है।"

अत: आप केवल तभी कार्यवाही करते हैं जब कोई महामारी फैलती है और जब सहायता की मांग की जाती है। अन्यथा आप ऊंघते रहते हो।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : कहां ?

श्री जी० एम० बनातवाला : यहीं संसद में या विभाग में भी। मैं केन्द्रीय सरकार की बात कर रहा हूं। मैं पूछता हूं कि क्या जन स्वास्थ्य के बारे में हमारे मंत्री महोदय द्वारा और अधिक तथा कारगर भूमिका निभायी जायेगी। (व्यवधान)। यदि आपको परेशानी हो रही हो तो मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जब हम मानवीय समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको परेशानी हो रही है। यह बड़ी अजीब बात है।

श्री बी० शंकरानन्द : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हमने पश्चिम बंगाल सरकार को बीमारी को रोकने के लिये कोई विशिष्टि निर्देश दिये हैं। मैंने किसी और सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते समय इसका उत्तर दे दिया है अर्थात् क्या-क्या निर्देश दिये गये हैं या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ कालरा एण्ड ऐन्ट्रिक डिजीजिज के दल द्वारा जिसने इन बीमारियों की जांच की थी, क्या सुझाव दिये गये हैं।

मैंने वे आंकड़े भी बता दिये हैं जो पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गये हैं जिनमें बीमारी के मामलों की संख्या तथा बीमारी से मरने वालों की संख्या का भी ब्यौरा है। माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि उनके अनुसार केन्द्रीय सरकार केवल तभी कार्यवाही करती है

जब किसी बीमारी के दूसरे राज्यों में भी फैलने का खतरा होता है या कोई बीमारी महामारी का रूप धारण कर लेती है। माननीय सदस्य को यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के लोगों का स्वास्थ्य संबंधी पक्ष केवल इन्हीं कुछ बीमारियों तक ही सीमित नहीं हैं जिन्हे संक्रामक रोग कहा जाता है। पिछले ही साल हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पारित की है। इसमें विभिन्न विषयों के बारे में काफी चर्चा हुई थी। इस देश में जन स्वास्थ्य के मामले में केन्द्रीय सरकार की भूमिका की विस्तार से चर्चा हो गयी है। अतः यह सही नहीं है कि केन्द्रीय सरकार जब तक कोई महामारी न फैले यह बीमारी न फैले तब तक चुपचाप बैठी रहती है। यह ठीक है कि संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विशेष है परन्तु फिर भी हम बीमारी संबंधी सभी मामलों में और इसका नियंत्रण करने में राज्यों की सहायता कर रहे हैं। हमने न केवल बीमारी के उपचार संबंधी पक्ष पर जोर दिया है बल्कि बीमारी की रोकथाम पर स्वास्थ्य के विकासों संबंधी पक्ष पर भी जोर दिया है। अतः यह कहना सही नहीं होगा कि हम देश के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं हैं।

जहां तक गोलियों को उठाने का संबंध है, कलकत्ता में एक मैडिकल स्टोर है और जब कभी भी राज्य सरकारों को उपचारात्मक या प्रतिरोधात्मक प्रयोजनों के लिये इन औषधियों की आवश्यकता पड़ती है तो पश्चिमी बंगाल की सरकार सहित राज्य सरकारों को उस डिपो से दवाइयां दी जाती हैं।

जहां तक बीमारी फैलने के बारे में चेतावनी देने का संबंध है, मेरे पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय संस्थान, कलकत्ता के एक दल ने 26 और 29 मार्च, 1984 को पश्चिम बंगाल में इस बीमारी के फैलने की जांच की थी। इस बीमारी की पहली घटना की जानकारी 27 फरवरी, 1984 को मिली थी और इसका रोगी एक वयस्क पुरुष था। अब उन निमित्त मामलों के अध्ययन से जिनका उल्लेख अब किया गया है, यह पता चलता है कि यह बीमारी 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों के बीच आमतौर से अधिक फैलती है, और इससे बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। इस बीमारी की रोकथाम के लिये कार्यान्वित रूप से स्वच्छता एवं सफाई के वातावरण की जरूरत है। व्यक्तिगत सफाई न तो खरीदी जा सकती है और न ही बेची जा सकती है। यह तो व्यक्ति का अपना-अपना प्रयास होता है कि वह अपनी कितनी सफाई रख सकता है। अलबत्ता, वह कभी पानी के पाइपों में और सीवेज पाइपों में रिसाव होता है तो सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये तत्काल अपेक्षित कार्यवाही करनी पड़ती है कि इन रिसावों को रोका जाये और एक पाइप का पानी दूसरे पाइप के पानी में किसी भी तरह से मिलने की कोई गुंजाइश ही न रहे. इसलिये हम इन चीजों को रोकने का उपाय करते हैं और बीमारी को और फैलने से रोकते हैं। लेकिन मुख्यतः कार्यगत सफाई और स्वच्छता ऐसी मौलिक चीजें हैं जो लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देकर बताई जा सकती हैं और यह बातें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। इन बातों के साथ-साथ, यदि हम लोगों को स्वच्छ पेय जल उपलब्ध कराना चाहते हैं तो सम्भव है इस बीमारी को कारगर ढंग से रोका जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : जब तक संबंधित उत्तर नहीं दिये जाते तब तक सही

तस्वीर नहीं प्रकट हो सकती। जब यह बीमारी वास्तव में वहां फैली हो जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इन औषधियों की भीषण कमी थी। जब उन्होंने केन्द्रीय सहायता की मांग की तभी हमें स्थिति की सही तस्वीर का पता लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम कि उनके भी पास यह सूचना है या नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : पश्चिम बंगाल सरकार ने गोलियों की तत्काल सप्लाई के लिये हमसे अनुरोध किया और हमने गोलियां उन्हें सप्लाई कर दीं। इसमें कोई विलम्ब नहीं हुआ।

श्री जी० एम० बनातवाला : यह मदद कब मांगी गई थी ?

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास जितनी जानकारी थी, वह दे चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : इसकी कोई वजह नहीं है कि वह श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती की सहायता करने की कोशिश करें। उन्हें शांत रहना चाहिये। उन्हें उत्तर देने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी उनके पास थी उन्होंने दे दी है। श्री रामगोपाल रेड्डी।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग यहां वाद-विवाद में जीतने-हारने के लिये नहीं आये हैं। श्री बनातवाला इस वाद विवाद में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हम सभी लोग देश में इस बीमारी के फैलने से शर्मिन्दा हैं। इससे हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जब हमारी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो हमारे पर्यटन विभाग को भी धक्का लगेगा। इन सब बेकार की बातों को छोड़कर हमारी सरकार का लक्ष्य इस बीमारी को दूर करना होना चाहिये। विशेष रूप से इस बीमारी को पश्चिम बंगाल में तो रोका ही जाना चाहिये और पश्चिम बंगाल सहित देश के प्रत्येक कोने से इसका पूर्णतया उन्मूलन किया जाना चाहिये।

(व्यवधान)

सब सुनो, समझो और सीखो।

उपाध्यक्ष महोदय : यह कम से कम बोलते हैं और छोटे से छोटा प्रश्न पूछते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : आज मैं कुछ अधिक ही बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : मुझे मन्त्री महोदय पर तरस आता है। उन्हें 70 करोड़ लोगों

के स्वास्थ्य का ख्याल करना पड़ता है और हर साल इस संख्या में 1 करोड़ 60 लाख लोग और बढ़ जाते हैं और इसी तरह चक्रवृद्धि दर से इसमें बढ़ोतरी हो रही है और उन्हें इन सभी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ता है।

रूस में एक मकान में दो, तीन या चार व्यक्ति ही रहते हैं। पाचवां व्यक्ति उसमें नहीं रह सकता। यदि पांचवा व्यक्ति उसमें रहता है तो मकान मालिक को सजा मिलती है। यहां हमारे देश में, एक छोटे से मकान में 20-20 लोग रहते हैं। जब दो से अधिक लोग एक साथ रहते हैं, या जब दो बच्चे सोते हैं तो एक-एक तरफ सोता है और दूसरा दूसरी तरफ और बदबू एक बच्चे से होकर दूसरे की ओर जाती है जो कुछ मैं कह रहा हूं वह यह है कि एक लड़के को तो अपने पैर एक तरफ रखने चाहिये और दूसरे लड़के को दूसरी ओर ताकि बदबू एक दूसरे के ओर न जा सके और बीमारियां न फैलें।

मन्त्री महोदय ने ठीक ही कहा है कि इसके बारे में शिक्षा दी जानी चाहिये कि स्वास्थ्य को अच्छा किस प्रकार रखा जाये। यह कार्य केवल सरकार और सरकारी अधिकारियों का ही नहीं बल्कि सभी राजनीतिक कार्यकर्त्ताओं का भी है। जब हम यहां भाषण देते हैं, तो हम इस विषय के लिये थोड़ा सा समय इस कार्य के लिये क्यों नहीं निकाल सकते ? जब भी कभी मैं किसी विषय पर बोलता हूं, मैं इस विषय पर भी बोलता हूं। कलकत्ता में आक्सीजन की समस्या बड़ी भयंकर है।

आक्सीजन दिन पर दिन कम होती जा रही है और यहां तक कि जापान जैसे कई देशों की पुलिस के सिपाही भी इस बात को महसूस करते हैं और दूषित आक्सीजन ग्रहण करते हैं। इसलिए सभी को प्रदूषण रोकना चाहिये। पानी की भारी कमी है। हमारे देश में छः सौ नदियां बहती हैं। यहां तक कि सप्लाई किया जाने वाला पेयजल भी विशाल जनसंख्या की वजह से मुश्किल से ही पीने योग्य रह गया है। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इन बुराइयों को कैसे दूर किया जाये। हमें लोगों को साफ सुथरे मकान उपलब्ध कराने हैं। यदि हम आबादी में वृद्धि पर रोक नहीं लगाते हैं तो इस देश का क्या होगा। कोई भी व्यक्ति इस बारे में विचार नहीं कर रहा है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय आबादी पर नियंत्रण करने हेतु कार्यवाही करें। दूसरे दिन मैं यह देखकर भौंचक्का रह गया था कि ·· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप परिवार नियोजन में विश्वास रखते हैं या नहीं ?

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : हां मेरे केवल दो बच्चे हैं; मेरे एक लड़के के तीन बच्चे हैं और दूसरे लड़के के एक बच्चा है। हम सब इसे जानते हैं। हमारा घर बड़ा है।

मैं मन्त्री महोदय से यह कहना चाहता हूं जब तक आबादी पर कोई रोक नहीं लगाई जाती है इन बीमारियों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। अन्यथा बीमारी के फैलने से रोका नहीं रोका जा सकता है। कलकत्ता की आबादी 1 करोड़ 60 लाख है, बम्बई शहर में गंदी

बस्तियों की संख्या बढ़ रही है। और मन्त्री महोदय ने गुजरात सरकार के बारे में भी कहा है। पहले पीलिया से अधिक मृत्यु नहीं होती थी। लेकिन अब पीलिया से व्यक्ति मर रहे हैं। गुजरात में पीलिया में 300 व्यक्ति मरे हैं। और यह हमारे लिए शर्म की बात है। यह अखिल भारतीय समस्या है। यह केवल पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं है। ज्योति वसु अब चीन जा रहे हैं। चूंकि हमारी प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अपने दो देशों के दौरों की अवधि को कम कर दिया है। इसी प्रकार क्या श्री ज्योति बसु भी अपनी यात्रा के अवधि को घटाने जा रहे है यह साधारण प्रश्न है जिसे मेरे दोस्त श्री महन्ती ने पूछा है। जिसके लिए आधा घंटे तक शोर मचाना आवश्यक नहीं था। प्रो० चक्रवर्ती जो एक अच्छे वक्ता तथा विद्वान हैं वह भी कुछ कह सकते हैं और अपने मुख्य मन्त्री को यह सलाह दे सकते हैं कि देश में यह भावना है और संसद में यह जोर है कि यदि ज्योति बसु अपनी यात्रा की अवधि नहीं घटाते हैं तो उन्हें चीन में अपने ठहरने की अवधि को कम करना चाहिए। महामारी अपने फैलने की पहले सूचना नहीं देती है। मौसम की भविष्यवाणी की तरह मन्त्री महोदय महामारी के फैलने के बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते हैं। इसलिए जब महामारी फैले तो इसकी रोकथाम युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। हमें एक दूसरे पर दोषारोहण नहीं करना चाहिए। यदि मन्त्री महोदय के पास कलकत्ता में ही दवाएं हैं जो क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं हैं कि वह उनसे तत्काल दवाएं प्राप्त करें? उसके सम्बन्ध में असली विलंब क्या था? किस समय दवाइयां वहां पहुंचीं और वहां से सुपुर्दगी लेने राज्य सरकार द्वारा कितना समय लगाया गया?

श्री बी० शकरानंद : मैं माननीय सदस्य को आबादी वृद्धि की समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके प्रयासों के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्या आप उनके इस लोकप्रिय सुझाव से सहमत हैं कि लोगों को एक तरफ सिर और दूसरी तरफ टांगें करके सोना चाहिए।

श्री बी० शंकरानंद : इसे माननीय सदस्य स्वास्थ्य और डॉक्टरी उपचार के संदर्भ में अच्छी तरह समझ सकते हैं। हम सिर के तरफ से कैसे सो सकते हैं। इससे स्वास्थ्य मन्त्रालय का कोई सम्बन्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने पूछा है जैसा कि श्री बनातवाला ने पश्चिम बंगाल सरकार की गोलियों की सप्लाई के संबंध में प्रार्थना की थी। 20 अप्रैल को महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा स्वयं समस्या के बारे में पूछताछ करने के लिए कलकत्ता गये थे। राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करने के पश्चात जब उसने यह पूछा कि क्या उनक पास गोलियों का पर्याप्त स्टाक है, उन्होंने कहा कि वे अपनी आवश्यकताओं के बारे में बता देंगे। 24 अप्रैल को उन्होंने हमसे हालोजोन गोलियां सप्लाई करने के लिए अनुरोध किया था। 25 अप्रैल को हमने एक पत्र भेजा था कि अपेक्षित दवाइयां सप्लाई की जायें। मैंने अपने मुख्य भाषण में कह दिया है कि हमने कितनी मात्रा में दवाइयां सप्लाई की है। 30 अप्रैल को 15.6 लाख हालोजोन गोलियां उपलब्ध की गई थीं और इसके अतिरिक्त 2 लाख गोलियां कल पहुंचनी थीं। ओरल रिहाइड्रेशन के 1.43 लाख पैकेट 30-4-1984 तक सप्लाई किये गए हैं। और इसके अतिरिक्त 1 लाख पैकेट कल

तक पहुंचने थे। हमने जो कुछ किया है वह यह है। पीलिया की समस्या केवल गुजरात की ही नहीं है लेकिन इसे देश के किसी भी भाग में देखा जा सकता है। इसे देश के किसी भी भाग में देखा जा सकता है लेकिन यह महामारी के रूप में नहीं हैं। तथापि ये दस्त की बीमारियां हैं और इन्हें केवल उसी हालत में रोका जा सकता है। यदि हम लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कर सकें और लोग स्वयं सफाई रखें।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकिन इस महत्वपूर्ण प्रश्न को बिल्कुल सीमित करके रख दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय को याद दिलाना चाहूंगा कि इस सदन में बहुत बार इस प्रश्न पर चर्चा हो चुकी है। जहां तक हेल्थ का मामला है, मैंने इसके बारे में नोटिस दिया था कि सरकार इसके बारे में अधिक से अधिक दिलचस्पी ले। जब मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया था तो सरकार ने यह नारा दिया था कि सन् दो हजार तक हेल्थ फार आल। लेकिन मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो हेल्थ फार आल की बजाए डिज़ीजिज एण्ड डिसएब्लिटी फार आल हो जाएगा।

यह मैं क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे तर्क है। मैंने क्वेश्चन यहां पूछे थे और उनके जवाब में सरकार ने जो आंकड़े दिये हैं उनसें मुझे ऐसा लगता है। सरकार ने अपने जवाब में बताया था कि इस देश में दो करोड़ लोग टी०बी० से बीमार हैं। हमारी 68 करोड़ की जनसंख्या है उसमें दो करोड़ लोग टी० बी० से पीड़ित हैं। 1 मार्च, 1984 के प्रश्नोत्तर में यह दिया गया है और यह भी दिया गया है कि प्रतिवर्ष पांच लाख लोग टी० बी० से मरते हैं। अंधों की संख्या को अगर देखा जाए तो मालूम होगा कि इस देश में एक करोड़ अंधे हैं। 70 करोड़ की जनसंख्या में दो करोड़ टी० बी० से पीड़ित और एक करोड़ अंधे लोग हैं। हमारे देश में 40 लाख लोग कुष्ठ रोगी है जो संख्या दुनिया की एक-चौथाई है। हिन्दुस्तान के कुष्ठ रोगियों में 50 परसेन्ट कुष्ठ रोगी अकेले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हैं। रामगोपाल रेड्डी जी अभी बैठे थे, वे अब चले गये हैं, मैं उन्हें बताना चाहता था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हिन्दुस्तान के 50 परसेंट कुष्ठ रोगी हैं। क्या एक करोड़ अंधे और दो करोड़ टी० बी० से पीड़ित लोग सब पश्चिम बंगाल में ही हैं? देश के दूसरे भागों में भी हैं। यह कोई मामूली मामला नहीं है। हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग है जिसमें कहा गया है :

> "भारत में अल्प पोषाहार प्राप्त व्यक्ति अधिकतम हैं। संयुक्त राज्य के नये खाद्य तथा कृषि संगठन के प्राक्कलन के अनुसार भारत में अल्प पोषाहार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है—20.1 लाख व्यक्ति।"

तात्पर्य यह है कि मेल-न्यूट्रीशियन का अलग मामला है, उनके अलावा 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो मेन्टल और फिजिकल रूप से हेण्डीकेप्ड या विकलांग हैं। 20 करोड़ लोग मेल-न्यूट्रीशियन से पीड़ित हैं। जिस देश में दो करोड़ लोग टी० बी० से पीड़ित हों, एक करोड़ लोग अंधे हों, छः

करोड़ लोग मेन्टल और फिजिकल रूप से विकलांग हों और बीस करोड़ मेल-न्यूट्रीशियन से पीड़ित हों, उस देश में आप कैसे दो हजार तक हेल्थ फार आल दे सकेंगे।

इसी सदन में 8 मार्च, 1984 के प्रश्नोत्तर में मंत्री महोदय ने बताया था कि इस देश में दो लाख से अधिक बच्चे टिटेनस से पीड़ित हैं। 8 मार्च, 1984 के प्रश्नोत्तर में ही मंत्री महोदय ने बताया था कि इस देश में 50 लाख लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। इस उत्तर में उन्होंने दो साल के आंकड़े दिये हैं—1982 में 19 लाख, 87 हजार, 15 लोग और 1983 में 16 लाख 77 हजार लोग मलेरिया से पीड़ित हुए। जैसा कि मैंने बताया कि 50 लाख से अधिक लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, कैंसर के रोगियों के इनके पास आंकड़े नहीं हैं। जानकारी हुई है कि भोला पासवान शास्त्री भी कैंसर से पीड़ित हैं। यह बीमारी फैल रही है।

श्री बगाईतकर जी का भी पता लगा है कि वे कैंसर से पीड़ित थे। आज ऐसा कोई परिवार नहीं बचा है जहां यह रोग न हो। आज जब टी० वी० पर उसके लक्षण बताए जाते हैं तो लोगों को शंका होती है कि कहीं हमें भी यह रोग तो नहीं है। इस तरह से इस बीमारी का प्रकोप हो रहा है। इसके बावजूद अभी तक सरकार इसको नोर्टिफिएबल डिसीज नहीं मान रही है। इसी प्रकार एस० टी० डी० जिसको गुप्त रोग भी कहते हैं, सरकार ने अपने जवाब में बताया है कि पिछले चार वर्षों में 25 लाख से अधिक लोगों ने इनके लिए अपना नाम दर्ज कराया है। जबकि लोग इस बीमारी को बताना नहीं चाहते हैं। रिकार्ड में नहीं लाना चाहते हैं। इसी प्रकार कालाजार, मंकी फीवर, ब्रेन फीवर, डेंगू, पेचिस, खसरा, इन सबकी शिकायतें आ रही हैं। एक हेपीटाइटिस-बी इन्फेक्शन है जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं। हजारों लोग मर रहे हैं। इसलिए सारे आंकड़ों को देखा जाए तो मुश्किल से 5 परसेंट लोग बचेंगे जिनके पास बीमारी नहीं है। 95 परसेंट लोग बीमारी से ग्रस्त हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं समझता हूं कि 2000 तक हिन्दुस्तान में कोई आदमी ऐसा नहीं बचेगा जो निरोग हो।

मलेरिया के संबंध में अभी मेरे साथी बता रहे थे। मैंने पहले भी यहां पर कहा था कि जो सरकार मच्छर को नहीं मार सकती है वह और क्या काम कर सकती है। बाकी जगह की बात तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में ही इसकी क्या हालत है। पिछले दो सालों से यहां पर मलेरिया बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो रहा है। हरिकेश बहादुर अभी तीन महीने से सफर कर रहे थे।

क्या श्री हरिकेश बहादुर का नाम लेना अनुचित है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा।

श्री रामविलास पासवान : दिल्ली में मलेरिया का क्या कारण हुआ है। आपने सैंकड़ों फाइव स्टार होटल्स अपने लोगों को खुलवा दिए। जहां भी आपको खाली जगह मिली। सरकारी पैसा लगाया गया। इसमें यह नहीं देखा गया कि कहां इसके सामने नाला आ रहा है या कहां इसका

क्या असर होगा। हम राजेन्द्र प्रसाद रोड पर रहते हैं। शास्त्री भवन के सामने स्थित है। वहां आगे का नाला और पीछे का नाला हमेशा बंद रहता है। पानी आता रहता है। सी० पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि एन० डी० एम० सी० का काम है और ये कहते हैं कि सी० पी० डब्ल्यू डी० वालों का काम है। कभी भी इससे महामारी फैल सकती है। कभी जल्दबाजी में गंदा नाला पीने के पानी वाले पाइप से जोड़ देंगे तो महामारी फैल जाएगी। आपकी दिल्ली में यह हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप महामारी के बारे में भी कुछ बोलेंगे।

श्री रामविलास पासवान : मैं महामारी के बारे में बातचीत कर रहा हूं। मैं यह नहीं जानता कि आप हिन्दी समझ रहे हैं या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप केवल उसी पर बोलें।

श्री रामविलास पासवान : हां। मैं मलेरिया के बारे में कह रहा था। भयंकर तरीके से दिल्ली में मच्छर फैल रहा है। दूसरे राज्यों की बात तो आप छोड़ दीजिए। जब मैं 1977 में यहां आया था तो कालाजर के सम्बन्ध में मामला उठाया था। मैंने कहा था कि हमारे हाजीपुर में दो हजार से अधिक लोग बीमारी से मरे हैं। उस समय राजनारायण जी स्वास्थ्य मन्त्री थे। उन्होंने कहा कि 9 लोग मरे हैं। मैंने चैलेंज किया और कहा कि ठीक से जांच कराइए। पटना के डायरेक्टर की रिपोर्ट आई कि 250 लोग मरे हैं। मैंने फिर चैलेंज किया और कहा कि मैं सही नहीं हुआ तो रिजाइन कर दूंगा अन्यथा आप रिजाइन कर दीजिए। उसके बाद दिल्ली के लोग वहां गए और उन्हों कहा कि एक हजार से अधिक लोग मरे हैं। फिर मैंने चैलेंज किया। तब जगदम्बी प्रसाद यादव जी, जो राज्य मन्त्री थे, वह वहां गए। उन्होंने बताया कि दो हजार के करीब लोग मरे हैं। मैंने फिर कहा कि ढाई हजार से अधिक लोग मरे हैं। डब्ल्यू० एच० ओ० के लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि ढाई हजार से अधिक लोग मरे हैं।··· **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : जैसे-जैसे आप चैलेंज करते रहें, वैसे-वैसे ज्यादा लोग मरते रहे।

श्री रामविलास पासवान : मैं नहीं समझता हूं कि सरकार में ऐसी कोई कैपेसिटी है। शंकरानन्द जी के पास जो रिपोर्ट आ जायेगी, बस वही ब्रह्मा की लकीर है। 1978 में खुद स्तर पर बिहार में कालाजर को रोकने के लिए काम किया गया। वह रुक तो गया लेकिन उसका फालो-अप एक्शन नहीं हो सका। इसी प्रकार से 1965 से 1970 के बीच में इस देश से मलेरिया खत्म हो चुका था। जो छिड़काव का कार्यक्रम होता है, वह सरकार ने नहीं किया। बिहार में अब फिर कालाजर बढ़ रहा है। सीतामढ़ी जिले में खसरपुर, पोस्ट दातनपिपरा, थाना-सोन-बरसा गांव की सूची मेरे पास है, जहां पर 70 लोग मरे हैं। हमारा, वैशाली जिला हाजीपुर भयंकर चपेट में है।

इसी तरह से मुंगेर, पूर्णिया, पटना, रोहतास, भोजपुर, भागलपुर और नालन्दा जिले भी इसकी चपेट में हैं। दो हजारी इसकी आते-आते किसी की हैल्थ सुरक्षित नहीं रहेगी। इसका कारण यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में बजट का पांच परसेंट हैल्थ पर रखा गया था, अब उसको घटाकर दो परसेंट पर ले आए हैं। इसको बढ़ाकर दस परसेंट करना चाहिए था जबकि दो परसेंट कर दिया है। मैंने आंकड़े निकालकर देखे हैं। प्रत्येक आदमी पर चार रुपए सालाना पड़ता है। एक नया पैसा प्रति व्यक्ति पर हैल्थ बजट का जाता है। इसका मतलब है कि इनके हाथ में कोई चाबुक की छड़ी है जिसको घुमाकर दो हजार इसकी तक हैल्थ फार आल कर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामविलास पासवान : श्रीमन, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप उन सभी प्रश्नों के उत्तर की मन्त्री महोदय से आशा करते हैं जिन्हें आप उठा रहे हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विशेष तौर से सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है।

श्री रामविलास पासवान : किसके बारे में ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपको केवल महामारी के बारे में ही कहना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : श्रीमन, मैं कुछ ही मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। जो बजट आपने दिया है, उसका 80 परसैंट शहरी क्षेत्र में जहां बीस परसैंट पापुलेशन है, वहां खर्च होता है। बीस परसेंट खर्च होता है ग्रामीण क्षेत्र में जहां 80 परसेंट पापुलेशन है। सरकार ने कबूल किया है कि गांव में जो खर्चा होता है, वह सिर्फ कागज पर रहता है। यह केवल कागज पर ही गांव में इलाज है।

2.00 म० प०

यदि आप अपनी रिपोर्ट को देखें, रूरल मैडिकल केयर के सम्बन्ध में कहा है—मन्त्रालय द्वारा प्राप्त सरकारी रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्थापित की गई अधिकांश सुविधाएं केवल कागज पर ही हैं। यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है और मैंने इसी सदन में यह मामला उठाया था कि आपके यहां कितने डाक्टर्स बेरोजगार हैं। साथ में मैंने यह भी पूछा था कि कितने अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं। सरकार ने उसका जवाब देते हुए बताया कि 1982 के अंत तक 18,494 मैडिकल ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं तथा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 4,454 पोस्ट्स डाक्टर की खाली हैं। एक तरफ तो डाक्टरों में बेरोजगारी है, दूसरी तरफ उनकी पोस्ट्स खाली पड़ी हैं और तीसरी तरफ देश में महामारी फैल रही है जिसके लिए आपके पास डाक्टरों की कमी है। इसलिए सबसे पहले मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अभी जिस कोर्ट की रिट का हवाला हमारे

लर्नेड साथी बनातवाला ने दिया, क्योंकि हैल्थ की जिम्मेदारी संविधान के अनुसार केन्द्र और राज्य सरकारों पर आती है, यदि किसी आदमी को कोई रोग होता है तो जैसे सरकार फसल बीमा योजना की व्यवस्था लागू करने की सोच रही है, लाइफ इंश्योरेंस बीमा लागू है, उसी तरह का बीमा हैल्थ के लिए भी किया जाएगा और उसका मुआवजा लोगों को मिलेगा या नहीं। दूसरा प्रश्न स्वास्थ्य देखभाल को प्रत्येक नागरिक के लिए एक मालिक अधिकार के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। क्या यह होगा या नहीं मैं प्रश्न के रूप में आपसे पूछना चाहता हूं। तीसरे, 8 जून को आल इण्डिया जूनियर डाक्टर्स एसोसिएशन की ओर से नेशन-वाइड प्रोटैस्ट होने जा रही है, उनकी एक मांग यह है कि हैल्थ को फण्डामेंटल राइट घोषित किया जाए। चौथे, जिस तरह दिल्ली में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है, क्या सरकार देश के दूसरे स्थानों पर भी उसे बंद करने जा रही है या नहीं। प्राइवेट प्रैक्टिस से हमारे अस्पतालों में जो भी दवाएं सप्लाई की जाती हैं, उनका शत-प्रतिशत उपयोग डाक्टरों के की वजह घर पर किया जाता है और लोग अस्पताल की बजाए डाक्टरों के घरों जाकर इलाज करवाना पसन्द करते हैं। पांचवें, क्या सरकार देश में नेशनल हैल्थ सर्विस इंट्रोड्यूस करने जा रही है या नहीं क्योंकि जब तक हम इसको इन्ट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तब तक इस बीमारी का इलाज सम्भव नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1983 में एक जजमैंट दिया था जिसमें कहा गया था कि यू० पी० में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द होनी चाहिए। उसके बाद नेशनल हैल्थ सर्विस योजना लागू करने के सम्बन्ध में सरकार का कहना था कि हम इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक सोच रहे हैं। क्या अब सरकार उसको पूर्णतया बन्द करने जा रही है या नहीं ? यदि इसके लिए सरकार का कहना यह हो कि हमें कुछ एक्सट्रा पैसा देना पड़ेगा, डाक्टरों को नान प्रैक्टिसिंग एलाउंस देना होगा तो वह सरकार को देना चाहिए। जैसे ला एण्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिए हम पुलिस रखते हैं, फौज की आवश्यकता को देखते हुए फौज रखी जाती है, उसके लिए सरकार खर्चा करती है, उसी तरह लोगों को हैल्थ सुविधाएं प्रदान करने के लिए यदि सरकार को कुछ एक्सट्रा खर्च करना पड़ता है तो उसको करना चाहिए। अंत में मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या हैल्थ को कन्करैंट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं ? इसके साथ मैं कुष्ठ रोग को भी इसमें शामिल करना चाहता हूं, जिसके सम्बन्ध में मैंने नियम 377 के अन्तर्गत अलग से भी चर्चा उठाने के लिए दिया है। इस देश में लाखों की संख्या में कुष्ठ रोगी विद्यमान हैं। वैसे तो हमारे लिप्रौसी ऐक्ट 1898 बना हुआ है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने उसे अभी तक रिपील नहीं किया है। हमारे राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री भी जब विभिन्न इंटरनेशनल लिप्रौसी सैमिनार्स में जाते हैं तो इसके बारे में कहते हैं, हमारे मन्त्री जी भी कहते हैं कि सरकार ने लिप्रौसी एक्ट को खत्म कर दिया है लेकिन बाकी राज्य सरकारों ने अभी तक उसको जारी रखा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि उनको न तो वोट देने का अधिकार प्राप्त है, न वे नौकरी कर सकते हैं और न उन्हें रोजगार पाने का अधिकार है। दिल्ली में सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। वैसे आपने भिक्षा निवृत्ति एक्ट बनाया हुआ है जिसके तहत उनको काम-धन्धा करने से रोक दिया है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की ओर से भोजन की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं कहना चाहता हूं कि जब यह क्यूरेबल डिसीज है तो उसको फिर भी 1898 के एक्ट में रखना मानवता के प्रति अन्याय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिन चार-पांच प्वांइट्स को मैंने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उठाया है, सरकार उन पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और इन सभी प्रश्नों का उत्तर ठीक से दे।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पासवान जी आपको धन्यवाद। आपने बड़ी सावधानी से पूरी तरह से पश्चिम बंगाल की ओर ध्यान नहीं दिया है।

श्री रामविलास पासवान : यह केवल पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है।

श्री जी० एम० बनातवाला : उनसे रिपोर्ट नहीं थी।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, मैं आपसे सहमत हूं। उसने इसे दोहराना नहीं चाहा।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन, माननीय सदस्य ने देश में विभिन्न बीमारियों से बीमार व्यक्तियों के विभिन्न आंकड़े बताये हैं। और उसने यह कहा है कि इस देश के अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी से बीमार हैं। मैं यह नहीं जानता कि क्या मैं इसे एक उदाहरण कह सकता हूं या क्या इससे कोई अच्छा उदाहरण हो सकता है कि वे संसद सदस्य भी जिनकी हालत कुछ अच्छी है, जिनके रहने की हालत कुछ ठीक है उन्हें भी अपने घरों में ही डाक्टरी सुविधाओं की आवश्यकता है। संसद सदस्यों जैसे लोगों को भी दवाइयों की आवश्यकता होती है जिन्हें रहने की अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, वे दवाइयां चाहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि वे भी किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। या यह कोई दर्द हो सकता है, कोई मामूली बीमारी, मामूली दर्द या अधिक दर्द हो सकता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मंत्री महोदय के बारे में क्या है ?

श्री बी० शंकरा नन्द : मैं भी संसद सदस्य हूं।

अतः यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि इस रोग से बहुत से लोग पीड़ित हैं या करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। यह तथ्यात्मक मामला है। हम इसके विरोध में तर्क देने वाले नहीं हैं। प्रश्न यह है—हम इस देश के लोगों की स्वास्थ्य समस्या को कैसे हल कर सकते हैं ? और माननीय सदस्य ने कहा है कि पर्याप्त डाक्टर उपलब्ध हैं लेकिन ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जिनमें डाक्टर नहीं हैं। यह भी एक तत्थ है। लेकिन उसने जो आंकड़े दिये हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं। यह भी सच है। कि कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप-केन्द्रों में…

श्री रामविलास पासवान : यह आपका उत्तर है। यह मेरा उत्तर नहीं है। आपके उत्तर में भी आंकड़े हुए दिये हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं यह कह रहा हूं कि मैं सच्चाई को मानने से इनकार नहीं कर रहा हूं। (**व्यवधान**) माननीय मंत्री ने विभिन्न बीमारियों के बारे में विभिन्न प्रश्न पूछे हैं। शायद

उन्हें उस समय पूछा गया जबकि स्वास्थ्य नीति के संबंध में दस्तावेजों पर चर्चा की गयी थी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कुछ बातों तक सीमित होता है। दुर्भाग्यवश इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को बहुत-सी बीमारियों के साथ मिला दिया गया है जिनके सम्बन्ध में कोई न्यायोचित चर्चा या संतोषजनक चर्चा किसी विशेष या किसी प्रश्न विशेष बीमारी पर नहीं हो सकती है।

श्री हरिकेश बहादुर : हम विभिन्न बीमारियों के संबंध में गहराई से चर्चा करना चाहते हैं। कृपया सभापति से निवेदन कीजिए।

2.07 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं भी यह चाहता हूं कि इस प्रकार की बातों पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए जिससे लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षिक किया जा सके क्योंकि स्वास्थ्य नीति में हमारा मुख्य बल लोगों के शामिल और निवारक तथा संरक्षणात्मक स्वास्थ्य नीति पर अधिक बल देना है। ये मौखिक बातें हैं जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमने रखी है और सभा इसे पारित करने में बहुत उदार भी। शायद जैसाकि सभा की पता है और देश को जानकारी है कि प्रधान मंत्री नये 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र संख्या 13, 14 और 15 में इस पर अधिक जोर दिया गया है। विशेष रूप से ये सूत्र 14 में कहा है कि कुष्ठ, टी० बी०, अधापन जैसी बीमारियों पर नियंत्रण किया जाना है और इसलिए सरकार ने बहुत से उन्मूलन कार्यक्रम तैयार किये हैं। इसलिए हम नये तरीके से उन बीमारियों का उन्मूलन करने पर विचार कर रहे हैं जिनसे हमारे जनसाधारण पीड़ित हैं। इसके लिए विशेष योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाये गये हैं और लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। मेरा यह कहना है फिर मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों की सराहना करता हूं कि बजट में स्वास्थ्य के लिए विनियोजन इन वर्षों में घट गया है। स्वाभाविक रूप से हमें अपने कार्यक्रमों तथा योजनाओं को भी उसी के अनुसार कम करना पड़ेगा। फिलहाल, जनसंख्या दुगनी हो गयी है। लेकिन बजट में स्वास्थ्य के लिए विनियोजन कम किया गया है। मैं लोगों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं और देश में स्वास्थ्य समस्या को हलकरने में सहायता देने का भी अनुरोध करता हूं।

श्री रामविलास पासवान : कैसे ?

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने उस प्रश्न का उत्तर पहले दे दिया है। इस पर फिर चर्चा तथा वाद-विवाद हो सकता है। मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं फिर वे मुझे इन स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में अपना सहयोग दें और इस सम्बन्ध में वे उन लोगों के क्षेत्रों को बतायें जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री रामविलास पासवान : सभापति महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछे हैं उनमें एक का भी जवाब मन्त्री जी ने नहीं दिया है। वह बड़े होशियार हैं।

मैंने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार इस मुआवजे के सम्बन्ध में विचार कर रही है ? यदि कोई उसके कारण रोगी है, आपने उसको दवाई नहीं दी, कोई मेजर नहीं दिया तो क्या सरकार हैल्थ को फंडामैंटल राइट में जोड़ने जा रही है या नहीं ? क्या सरकार प्राइवेट प्रैक्टिस को बैन करने जा रही है या नहीं, राज्य सरकारों को लिखा है या नहीं ? नेशनल हैल्थ सर्विस इन्ट्रोड्यूस करने जा रही है या नहीं और हैल्थ को कान्करैंट लिस्ट में शामिल करने जा रही है या नहीं ? किसी एक बात का भी जवाब इन्होंने नहीं दिया है।

श्री बी० शंकरानंद : यद्यपि माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नहीं हैं, तथापि मैं यह कहूंगा कि प्रत्येक मृत्यु पर मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मृत्यु विभिन्न कारणों से हो सकती है। प्रत्येक मृत्यु के लिए मुआवजा देने की सरकार की नीति नहीं है...

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : कुछ मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जा सकता है।

श्री बी० शंकरानन्द : कुछ मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाता है। दुर्घटना से हुई मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाता है।

श्री रामविलास पासवान : दुर्घटना कोई रोग नहीं है। मैं रोगों से होने वाली मृत्यु की बात कर रहा हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : इनके लिये मुआवजा नहीं दिया जा सकता। स्वास्थ्य योजनायें लागू की जा सकती हैं। जैसे सी० जी० एच० एस० योजना। एक अर्थ में वे प्रतिपूरक हैं क्योंकि हम उन्हें दवाएं दे रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : ये सुविधाएं केवल 5 प्रतिशत जनता को ही प्राप्त हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : हम ग्रामीण जनता को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं।

स्वास्थ्य एक मौलिक अधिकार है। इस अधिकार के पीछे कर्तव्य भी है। इसकी मांग करने वाले लोगों के कर्तव्यों के बिना यह मौलिक अधिकार अधूरा है।

प्राइवेट प्रैक्टिस के बारे में सभी राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का यह सुविचारित

मत है और गत वर्ष स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में हमने इस विषय में एक संकल्प भी पारित किया है कि प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिये। राज्य सरकारें इससे सहमत हैं।

श्री रामविलास पासवान : लेकिन वे कुछ नहीं कर रही हैं।

सभापति महोदय : स्वास्थ्य राज्य का विषय है। वह क्या कर सकते हैं ?

श्री बी० शंकरानन्द : संविधान में संशोधन करने के बारे में, माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि स्वास्थ्य को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिये। इसका निर्णय सदन करेगा। फिलहाल, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है।

जहां तक कुष्ठ रोग अधिनियम को निरस्त किये जाने का संबंध है, हमने सभी मुख्य मंत्रियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों को कुष्ठ रोग अधिनियम को निरस्त करने के लिये पत्र लिखे हैं। यह अधिनियम पुराना और स्वयं माननीय प्रतिष्ठा के लिये अपमानजनक है। हमने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को राजी करने की खातिर पर्याप्त कदम उठाये हैं।

———

2.14 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

62वां प्रतिवेदन

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, श्री बूटा सिंह की ओर से, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 62वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 30 अप्रैल, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 62वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.15 म० प०

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : श्री बूटा सिंह, श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अपने सहयोगी श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से और आपकी अनुमति से, मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति हेतु प्रस्ताव करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री हरिकेश बहादुर बोलेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं इस आधार पर विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं कि यह विधेयक व्यापक विधेयक नहीं है। इसके लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए था क्योंकि विभिन्न विभागों में छंटनी किये गये कर्मचारियों की अनेकानेक समस्याएं हैं।

विशेष रूप से रेलवे के विषय में, मैं कई बार कह चुका हूं कि हजारों कर्मचारियों की छंटनी की जा चुकी है और उन्हें सही ढंग से नौकरी में लगाया नहीं जा रहा है और यह एक सतत प्रक्रिया बन गई है तथा सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। इस विधेयक में ऐसे लोगों की शिकायतों के समाधान हेतु कोई उपबन्ध नहीं किया गया है जिनकी रेलवे में नैमित्तिक मजदूरों के रूप में छंटनी की गई है। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाना चाहिये और इसके बजाय एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिये।

इस विधेयक पर यह मेरा संक्षिप्त वक्तव्य है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, इस बिल के इन्ट्रोडक्शन का विरोध करने के दो कारण हैं । पिछले साल जब यह विधेयक लाया गया था, तो उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि हास्पिटल्ज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स को इससे अलग कर दिया गया है और उनके सम्बन्ध में सरकार का इरादा अलग से बिल लाने का है । इस एक साल के दरमियान ऐसा कुछ नहीं किया गया और मन्त्री महोदय उसी बिल में दोबारा संशोधन करने के लिए सदन में आए हैं । अगर मन्त्री महोदय इसके स्थान पर एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाते, जिसमें सब बातों को इनक्लूड किया जाता, तो ज्यादा अच्छा होता । इस तरह पैंचवर्क से कब तक काम चलाया जाएगा ?

इस बिल में रिट्रेंचमेंट यानी छंटनी की परिभाषा बदल गई है । उसमें कहा गया है कि जिन मजदूरों के साथ किए गए कंट्रेक्ट की समाप्ति पर अगर उसका नवीकरण न किया जाए, तो उन मजदूरों को छंटनीग्रस्त नहीं कहा जाएगा, जिसके कारण वे छंटनीग्रस्त होने के कारण मिलने वाली सब सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं । अब तो एम्पलायर ऐसा करेंगे कि वे मजदूरों को कंट्रैक्ट के तहत नियुक्त करेंगे और जिस मजदूर से वे छुटकारा पाना चाहते हैं, या जिसको वह लाभ नहीं देना चाहते हैं, उसके कंट्रेक्ट का वे नवीकरण नहीं करेंगे । इस तरह से यह सारे मजदूर छंटनी की वजह से, जो भी लाभ उनको होने वाला है, उससे वंचित हो जायेंगे । इसी आधार पर मैं इस बिल का विरोध करता हूं क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मजदूरों को जो वर्तमान सुविधा मिल रही है वह छिन जायेगी । इसलिये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए । इन आधारों पर मैं इस विधेयक के पेश होने का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और इसके बारे में सोच करके, अगर सम्भव हो तो स्वयं ही संशोधन पेश करके इस तरह की जो गड़बड़ी पैदा हो रही है, उसका समाधान करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : ऐसे विधेयकों के बारे में सरकार के कार्यकरण के प्रति मेरी मूल आपत्ति इस प्रकार है। हम इस सभा में निरन्तर इस बात पर बल देते रहे हैं कि जब कभी भी श्रमिकों संबंधी कोई बिधेयक इस सभा में पेश किया जाये तब यथासम्भव केन्द्रीय मजदूर संघों से परामर्श किया जाना चाहिये । कुछ मजदूर संघों में सत्तारूढ़ दल के सदस्य भी हैं । वे भी यह मांग कर रहे हैं कि कोई श्रमिक विधेयक सभा में प्रस्तुत किये जाने से पूर्ण विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ व्यापक परामर्श किया जाना चाहिये । इस विषय में किसी प्रकार का परामर्श नहीं किया गया है । यदि माननीय मन्त्री जी मुझे यह बतायें कि ऐसा परामर्श किया गया था, तो मैं अपनी गलती सुधार लूंगा ।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है इसमें दो प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव है । कभी-कभी उच्चतम न्यायालय कुछ निर्णय दे देता है जिनके परिणामस्वरूप अधिनियम में परिणामी परिवर्तन करने पड़ते हैं । दूसरा प्रस्तावित संशोधन एक्सल वीयर मामले में उच्चतम न्यायालय

के निर्णय का प्रतिफल है। अतः जहां तक उस संशोधन का संबंध है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पष्टतः वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय को विधायी सक्षमता प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले संशोधन का वास्तव में विरोध करता हूं। उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है :–

> "छंटनी" शब्द की व्याख्या में कठिनाइयां पैदा हो गई हैं। अधिनियम में अन्तर्विष्ट छंटनी' की परिभाषा में से रोजगार संबंधी संविदा की समाप्ति पर उसका नवीकरण न किये जाने और संविदा के उपबन्धों के अनुसार उसकी समाप्ति के परिणामस्वरूप श्रमिक की सेवा समाप्त करने का लोप किये जाने का प्रस्ताव है।"

मैं नहीं समझता कि कोई भी मजदूर संघ इस संशोधन को स्वीकार करेगा। इसका बहुत ही साधारण कारण है कि इससे वर्तमान अधिनियम अपेक्षाकृत अधिक प्रतिगामी बन जायेगा क्योंकि यदि प्रबन्धक अथवा किसी उपक्रम का मालिक किसी श्रमिक 'क' अथवा 'ख' के साथ कोई समझौता या संविदा सम्पन्न कर लेता है तो इस संशोधन के अनुसार यदि पहले संविदा का नवीकरण नहीं होता है तो उस मामले में उस श्रमिक विशेष का हटाया जाना 'छंटनी' नहीं समझा जायेगा। इसलिये उस व्यक्ति के प्राप्य सभी लाभों से वंचित रह जाने की सम्भावना है तथा मालिक किसी अन्य व्यक्ति के साथ नया समझौता करने के लिये स्वतन्त्र होगा। निःसन्देह, वह रिक्ति किसी पृथक करार अथवा संविदा द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को लेकर भर दी जायेगी लेकिन उसके परिणामस्वरूप, मूल श्रमिक सभी प्रकार के लाभों से वंचित रह जायेगा। मैं महसूस करता हूं कि उस सीमा तक यह संशोधन अपेक्षाकृत अधिक प्रतिकूल उपाय है। इसलिये, पुरः-स्थापना के समय ही हम इसका विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति पुरःस्थापना के समय ही उस समय तक विधेयक का विरोध नहीं करता जब तक कि वह विधेयक का बहुत अधिक विरोधी न हो।

अतः जहां एक ओर मैं दूसरे भाग का समर्थन करता हूं लेकिन जहां तक पहले संशोधन का संबंध है, मेरा दृढ़ मत है कि इस विषय में न केवल केन्द्रीय यूनियनों से ही परामर्श नहीं किया गया है, बल्कि इससे मिल मालिक भारी संख्या में इस बात का ध्यान रखेंगे कि संविदाओं का नवीकरण न हो और छंटनी होती रहे और साथ-साथ श्रमिक सभी प्रकार के लाभों से वंचित हो जायें। इसीलिये मैं पुरःस्थापन के समय ही इस विधेयक का विरोध करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इस बारे में समुचित उत्तर दें और हमें यह बतायें कि इस विशेष संशोधन को लाने का क्या कारण हैं।

श्री बूटा सिंह खड़े हुये।

सभापति महोदय : क्या आप उत्तर देंगे अथवा श्रम मंत्री उतर देंगे ?

श्री बूटा सिंह : अंशतः मैं भी इसके लिये उत्तरदायी हूं क्योंकि यह किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने का सवाल है और पुरःस्थापन के विरोध का प्रश्न मेरे कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत

आता है। इसलिये, उस सीमा तक, मैं माननीय विरोधी सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने जो तर्क दिये हैं वे संगत नहीं हैं, वे वास्तव में लाभदायक हो सकते हैं लेकिन जब विधेयक के खण्डों अथवा उपबन्धों पर विचार होगा तब मेरे माननीय सहयोगी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे, क्योंकि वे व्यापक व्याख्या के विषय हैं।

जहां तक व्यापक कानून बनाये जाने का संबंध है, मुझे विश्वास है कि श्री वीरेन्द्र पाटिल, खण्डवार और सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय, माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इस समय, महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि इस विधेयक का इस सभा की विधायी क्षमता के आधार पर ही विरोध किया गया है। मैं समझता हूं कि सदन पूर्णतः सक्षम है, क्योंकि यह विषय समवर्ती सूची में है और संसद को यह विधेयक पास करने का पूर्ण अधिकार है। इसलिए इस समय विधेयक का विरोध करने का कोई आधार नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि आप कार्यवाही का विवरण देखेंगे तो पायेंगे कि पुरःस्थापना के समय केवल विधायी क्षमता को ही चुनौती नहीं दी जाती है वरन अन्य आधारभूत आपत्तियां भी उठाई जाती हैं। मैं समझता हूं कि सभापति महोदय मेरी बात से सहमत होंगे।

श्री बूटा सिंह : मैं केवल प्रक्रिया के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। किसी विधेयक की पुरःस्थापना का विरोध तभी किया जा सकता है जबकि वह सभा की विधायी क्षमता के बाहर हो या विधेयक के उपबन्ध संविधान की भावना के विपरीत हों। मैं देखता हूं कि इस विधेयक में विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के किसी उल्लंघन का संकेत नहीं किया है। इसलिए मैं विधेयक को वापस लेने तथा उसका पुरःस्थापना न करने का कोई कारण नहीं समझता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जो प्वाइंट रेज किये गए हैं, उनका जबाब तभी पता चल सकता है।

श्री बूटा सिंह : उसी के लिए आये हैं। आप प्वाइंट्स रेज कर लें, तो मिनिस्टर साहब आपके प्वाइंट्स का जवाब देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : यह तो तब है, जब हम किसी मामले के फायदों को देखते हैं। पुरःस्थापन चरण में, यदि कुछ मूल आपत्तियां उठाई जाती हैं तो उनका जवाब दिया जाना चाहिए। यदि श्रम मन्त्री उत्तर देते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री बूटा सिंह : जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे इतनी आधारभूत नहीं हैं कि वे संवैधानिक उपबंधों में बाधक होंगी। मैंने यही कहा है। विधेयक के गुण-दोष के आधार पर आपत्तियां वैध हैं, तथा जब माननीय मन्त्री विधेयक पर बोलेंगे मुझे विश्वास है कि वे उन प्रश्नों का उत्तर देंगे ···

श्री हरिकेश बहादुर : यह व्यापक विधेयक नहीं है। इसलिए, यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये, इसे पुर:स्थापित नहीं किया जाना चाहिये।

श्री बूटा सिंह : जहां तक विधेयक के उपबंधों का संबंध है, यह एक व्यापक विधेयक है। कोई भी विधेयक इतना व्यापक नहीं हो सकता जो आपका भविष्य में भी समाधान कर सके। कल ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जिसमें आज के व्यापक-से व्यापक विधान भी उसकी व्यापकता को देखते हुए अपर्याप्त हो सकता है। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय सहयोगी यह बताएंगे कि दिये गए समय तथा वर्तमान परिस्थितियों में, यह सबसे अच्छा तरीका है कि श्रमिक वर्ग की कुछ बकाया समस्याओं को इस विधेयक के माध्यम से निपटाया जाये। इसलिए, मैं सभा से विधेयक की सिफारिश करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पाटिल, क्या आप कुछ और कहना चाहते हैं।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्य इस विधेयक का विरोध क्यों कर रहे हैं। दूसरी ओर, मैं समझता था कि माननीय सदस्य, विशेषकर विपक्षी सदस्य इस प्रस्ताव या इस संशोधन विधेयक का स्वागत करेंगे। मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर माननीय सदस्य प्रो० मधु दण्डवते के ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि विद्यमान औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम में कारखाना बंद करने, जबरी छुट्टी तथा छंटनी के बारे में कुछ खंड हैं। कुछ राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु तथा राजस्थान में यह हुआ कि उच्च न्यायालय द्वारा जबरी छुट्टी तथा छंटनी संबंधी उपबंधों को अवैध करार दे दिया गया है। अब तक, इसका फायदा उठाते आये हैं तथा वे फैक्टरी बंद, कर्मचारियों की छंटनी तथा जबरी छुट्टी घोषित करते रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि श्रमिकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

कई अवसरों पर, ट्रेड यूनियन लीडरों ने श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में यह मांग की है तथा उन्होंने यह भी कहा है कि इसे तत्काल किया जाना चाहिये यदि आवश्यक हो तो अध्यादेश जारी करके यह किया जाना चाहिए। मैंने राज्य सरकारों को बताया था कि मुझे कुछ औपचारिकताएं पूरी करवानी हैं इसलिए, इसके लिए मैं यथापेक्षित समय लूंगा। आप इसे अपने स्तर पर क्यों नहीं करते ? इस संबंध में ऐसा हुआ था। मेरे पास आंकड़े हैं तथा मैं वर्ष 1982 तथा 1981 के दौरान जितने श्रम-दिवसों का नुकसान हुआ की तुलना में वर्ष 1983 के दौरान श्रम-दिवसों के नुकसान के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। वर्ष 1983 के दौरान अधिकांश श्रम दिवसों का नुकसान फैक्टरी बंद करने और जबरी छुट्टी के कारण हुआ, न कि हड़तालों के कारण। इस प्रकार, नियोक्ता मनमाने ढंग से न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों का फायदा उठा रहे हैं। उच्च न्यायालयों ने इन खण्डों को अवैध करार दिया है तथा उन्होंने सुझाव दिया है कि वे खण्ड, जिनको तैयार किया गया है, बहुत अनुचित हैं। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। उच्च न्यायालय द्वारा

दिये गए सुझावों को देखते हुए, विधि मंत्रालय के परामर्श से हमने उन खण्डों को फिर से तैयार करवाया है तथा हम यह विधेयक सभा के समक्ष लाये हैं। फ़ैक्टरी बंद करने के संबंध में, उच्चतम न्यायालय द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम के वर्तमान उपबंध को अवैध करार दिया गया है। (व्यवधान)

प्रो मधु दण्डवते : माफ़ कीजिये। आप उस पहलू विशेष के बारे में कह रहे हैं जिसके बारे में समस्त सभा पूर्णतया सहमत है। हमारा इस बारे में कतई मतभेद नहीं है। आप इस पहलू को रहने दीजिये। हम इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारी आपत्ति पहले भाग के बारे में है···

श्री वीरेन्द्र पाटिल : माननीय सदस्य, श्री हरिकेश बहादुर ने यहां तक कह दिया कि मुझे यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये तथा मुझे एक व्यापक विधेयक पेश करना चाहिये। इस अवधि में श्रमिकों का क्या होगा ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : वह पहले भाग के बारे में सन्तुष्ट हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं इस विधेयक का केवल इस आधार पर विरोध कर रहा हूं कि इसमें अन्य लोगों जो कि विभिन्न अन्य देशों में काम कर रहे हैं, के लिए उपबंध होना चाहिये। यदि आप इस बारे में मुझे आश्वासन देते हैं तो मुझे इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रो० दण्डवते की आपत्ति केवल 'छंटनी' की परिभाषा की व्याख्या के संबंध में है। जहां तक 'छंटनी' की परिभाषा का संबंध है, ऐसा हुआ कि अलग-अलग न्यायालयों ने उनकी अलग-अलग व्याख्या की है। इसलिए, हमने सोचा कि इस अस्पष्टता तथा भ्रांति को समाप्त करने के लिए, इसे बहुत ही स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये। इसलिए, इस विधेयक में यह परिभाषा अंतर्विष्ट की गई है। जब करार होता है, उस करार की समाप्ति के बाद, अपने आप ही, जो श्रमिक इस करार के अंतर्गत काम कर रहा है, कर्मचारी नहीं रहेगा। लेकिन, माननीय सदस्य, प्रो० दण्डवते जो कहना है कि उस करार की समाप्ति के बाद भी उसे कर्मचारी माना जाना चाहिये और यदि उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं, तो उसे छंटनी किया हुआ घोषित किया जाना चाहिये तथा उसे मुआवजा दिया जाना चाहिये। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि समझौते के अंतर्गत, उसे किसी खास अवधि के लिए काम करना है। समझौता समाप्त होने के बाद, नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए, हम इसे स्पष्ट करना चाहते थे।

एक बार फिर मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि यह विधेयक चर्चा के लिए पेश किया जाना है। उस समय उन्हें पर्याप्त अवसर मिलेगा, और यदि उन्हें कोई संदेह है तो मैं उन्हें दूर करने के लिए तैयार हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता खड़े हुए ।

सभापति महोदय : श्री मेहता, कृपया आप बैठ जाइये । अब मैं खड़ा हूं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : आप भी बैठकर बोलिये ।

सभापति महोदय : अगर मैं बैठ जाऊंगा तो आप खड़े हो जायेंगे । इसलिए खड़ा हुआ हूं । मुझे आपको संगत नियम अर्थात, नियम 72 पढ़कर सुनाने दीजिये । मुझे उन्हें बताने दीजिये यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये…

प्रो० मधु दण्डवते : यह किंडरगार्डन नहीं है । हम यह सब जानते हैं ।

सभापति महोदय : तो आप जानते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : हम यह सब जानते हैं ।

सभापति महोदय : अतः, विधायी सदस्यता को चुनौती नहीं दी गई है । इसलिए, मैं इस पर आम बहस की अनुमति नहीं दे सकता । अब मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

"कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अनुमति दी जाती है । मन्त्री महोदय अब विधेयक पुरःस्थापित करेंगे ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने भी इसके पेश करने का विरोध नहीं किया ।

सभापति महोदय : आप अब मन्त्री जी से सहमत हैं ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं ।

सभापति महोदय : अब, 377 के अधीन मामले लिये जाएंगे ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) नई दिल्ली की सड़कों पर साइकिल-रिक्शा चलाने पर रोक लगाने तथा आटो रिक्शा खरीदने के लिये रिक्शा चालकों को बैंकों से ऋण दिलाने की आवश्यकता

श्री विष्णु प्रसाद (कलिदाबोर) सभापति महोदय, भारत के अन्य महानगरों के विपरीत विश्व के विशालतम लोकतन्त्र की राजधानी होने के नाते दिल्ली की महत्वपूर्ण स्थिति है।

नई दिल्ली विस्तरित क्षेत्र में दूर-दूर बसी हुई है तथा इसका भू क्षेत्र जहां आर-पार केवल तीव्र गति वाले वाहनों से काम चल सकता है। नई दिल्ली में सभी दिशाओं में चलने वाले मोटर वाहनों की संख्या में कई गुना वृद्धि हो गई है। इस स्थिति में साइकिल रिक्शाओं को पुरानी दिल्ली से बाहर चलाने से बार-बार यातायात सम्बन्धी बाधायें उपस्थित हो जाती हैं, कई बार तो यातायात ठप्प पड़ जाता है और घातक सड़क दुर्घटनायें हो जाती है। अतः इस स्थिति को देखते हुए नई दिल्ली की सड़कों पर साइकिल रिक्शा चलाने पर पूर्णतः रोक लगा दी जानी चाहिये।

महोदय, चिलचिलाती धूप में पसीने से तर, चीथड़े पहने साइकिल रिक्शा चालकों का सांइकिल रिक्शा चलाना बहुत दयनीय लगता है। विदेशी पर्यटक जब इन क्षीणकाय रिक्शा चालकों को देखते हैं, तो उससे हमारे जीवन-स्तर की दयनीय छवि प्रस्तुत होती है। स्वास्थ्य के लिये भी यह बहुत हानिकर है।

अतः मानवीय कारणों से नई दिल्ली की सड़कों पर साइकिल रिक्शाओं को चलाने पर रोक लगा दी जानी चाहिये। एक गौर करने योग्य महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अधिकांश रिक्शा चालक रिक्शा मालिक नहीं होते, बल्कि वे इन्हें किराये पर लेकर चलाते हैं। अतः आटो रिक्शा खरीदने के लिये राष्ट्रीयकृत बैंकों से आसान शर्तों पर ऋण दिये जाने चाहिये।

इससे उन्हें वाहनों का स्वामित्व प्राप्त हो सकेगा और नई दिल्ली की सड़कों के यातायात में तेजी आ सकेगी और इससे यातायात भी कम से कम अवरुद्ध होगा। इस उपाय को करने से उनकी आय और जीवन स्तर में भी सुधार होगा जो कि समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान की दिशा में एक प्रयास होगा, जिसे हमारी प्रधान मन्त्री महोदया के बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

(दो) क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला को भुवनेश्वर के समीप खंडागिरि से गोहाटी में स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को अस्वीकृत करने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जैना (बालासोर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय द्वारा भुवनेश्वर के समीप खण्डागिरि में स्थापित क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशाला पिछले

कई सालों से काम कर रही है। इस प्रयोगशाला को स्थापित करने का प्रयोजन यह था कि हम क्षेत्र में खाद्य और कृषि विकास के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान किये जायें, किन्तु खेद की बात है कि अधिकारियों के एक दल द्वारा इस क्षेत्रीय प्रयोगशाला को गोहाटी में स्थानान्तरित करने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। इस प्रयोगशाला को गोहाटी स्थानान्तरित करने की खबर से उड़ीसा के लोगों में बहुत असंतोष पैदा हो गया है। भारत सरकार ने खंडागिरि में उपर्युक्त क्षेत्रीय संदर्भ प्रयोगशाला के स्थायी भवन के निर्माण के लिये 20 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से पूर्ण रूप से अनुसंधान कार्य करने के लिये अनेक योजनायें तैयार की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में जबकि मामला इस हद तक प्रगति कर चुका है, गोहाटी जैसे दूरस्थ स्थान में इस प्रयोगशाला को स्थानान्तरित करने से उड़ीसा की जनता का प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुये, मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उड़ीसा के कृषकों के हितों की रक्षा के लिये इस प्रयोगशाला को गोहाटी स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को रद्द कर दें।

(तीन) पुरानी वृद्धावस्था पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए बिहार सरकार को निदेश देने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुर) : सभापति महोदय, बिहार सरकार ने जनता की दयनीय निर्धनता और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे जनता की तेजी से बढ़ती जा रही संख्या को देखते हुये प्रधान मन्त्री महोदया के 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुरूप 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' शुरू की थी।

इस योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि ऐसे गरीब लोग, जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, प्रति माह 30 रुपये पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

बाद में इस योजना को 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना' में बदल दिया गया और इसमें अभागी विधवाओं और दरिद्र लोगों को शामिल कर दिया गया।

हाल ही में इस आशय का एक आदेश जारी किया गया है कि किसी भी खण्ड में सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इससे अस्पष्ट और असंगतिपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की औसत संख्या, जो जनसंख्या की 6 से 7 प्रतिशत तक थी, इस नये प्रबन्ध के कारण घट कर 2 प्रतिशत रह गई है। इससे गरीब सुविधाभोगियों ने न्याय प्राप्त करने के लिए आन्दोलन किया है। उनकी स्थिति भिखारियों के समान है। अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से यह पुरजोर आग्रह है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे और पिछली 'वृद्धावस्था पेंशन योजना' को फिर से जारी रखने के लिये बिहार सरकार पर जोर डाले।

(चार) भारतीय रेलों में कार्यरत नैमित्तिक मजदूरों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने की आवश्यकता

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की एक विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। रेल बजट प्रस्तुत करते समय मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य के अनुसार भारतीय रेलवे में लगभग 2,50,000 नैमित्तिक श्रमिक हैं और वर्तमान नियमों के अनुसार सभी क्षेत्रों में केवल 25,000 नैमित्तिक श्रमिकों की सेवायें स्थायी की जा रही हैं। वर्तमान मानदण्डों के अनुसार नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित कर्मचारियों के रूप में स्थायी होने में सामान्यतः एक दशक से भी अधिक समय लग जायेगा। अतः जब कोई नैमित्तिक श्रमिक बिना स्थायी हुये दस वर्ष से अधिक समय तक सेवा करने के बाद भी कार्यरत रहकर ही मर जाता है, तो वह उपदान, पेंशन आदि सेवा-निवृत्ति के लाभों से वंचित रहता है। उसके परिवार को केवल कर्मचारी भविष्य निधि में उसकी जमा राशि ही प्राप्त होती है। दूसरी ओर एक नियमित कर्मचारी यदि कुछ वर्षों की सेवा पूरी कर लेता है, तो वह सेवा निवृति लाभों के लिये पात्र हो जाता है। यदि इस प्रकार से अतिरिक्त पद सृजित किये जायें कि जैसे ही ये नैमित्तिक श्रमिक इन पदों को छोड़े, ये पद समाप्त हो जायें, तो नैमित्तिक श्रमिकों के प्रति किये जा रहे इस विभेद अथवा अन्याय को समाप्त किया जा सकता है। इससे नैमित्तिक श्रमिकों को सेवानिवृति-लाभ प्राप्त हो सकेंगे। मेरा सराकार से अनुरोध है कि वह इस सुझाव पर सहानुभुतिपूर्वक विचार करे और रेलवे में काम कर रहे अनेकों नैमित्तिक श्रमिकों को, नियमों में कमी रहने के कारण उनके न्यायसम्मत सेवानिवृति लाभों से वंचित रखे जाने से बचाये।

(पांच) चावल की भूसी और बिनौलों को तेल निकालने के लिए इस्तेमाल किये जाने के कारण पशुओं के लिए चारे की वैकल्पिक व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री ए० सेनापति गौंडर (पलानी) : हमारे देश की पशु सम्पदा साल दर साल कम होती जा रही है। हम पशुओं को चावल की भूसी और बिनौले खिलाते हैं। किन्तु अब जबकि हमने चावल की भूसी और बिनौलों से तेल निकालना शुरू कर दिया है, ये दो पोषक आहार भी पशुओं के लिए दुर्लभ हो गये हैं। अधिक पैदावार देने वाली धान की किस्मों के डंठल भी कम होने के कारण पशुओं के लिये भूसे और डंठलों की मात्रा भी कम हो गई है। इस प्रकार आदमी के लाभार्थ पशुओं के चारे में कमी कर दी गई है। पहले एक पशु कल्यार्ण बोर्ड हुआ करता था वह भी समाप्त हो गया है। शुष्क क्षेत्रों और हर गांव में चरागाह हुआ करते थे। अनेक शुष्क क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था कर दिये जाने के बाद चरागाह पूर्णतः समाप्त हो गये हैं। अतः जहां कहीं शुष्क भूमि है, वहां भूमि परिसीमन अधिनियमों के अन्तर्गत चरागाहों को छूट दी जानी चाहिये।

एन० बी० 21 आदि हरे चारे का उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिये और इन्हें कम दरों पर सप्लाई किया जाना चाहिये। इस समय दी जा रही राजसहायता की वर्तमान दर अपर्याप्त है।

अब चूंकि हमें चावल के भूसे और बिनौले से तेल बनाने की आवश्यकता है, अतः हमें पशुओं के चारे के लिए कुछ और विकल्प खोजने पड़ेंगे।

मेरा माननीय कृषि मन्त्री से अनुरोध है कि वे पशुओं की देख-रेख के लिए अत्यन्त प्रभावशाली कारवाई करें, क्योंकि पशु सम्पदा हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि अब भी मुख्यतः कृषिप्रधान है, के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

(छः) हथकरघा निगम के व्याप्त अनियमिततायें तथा अकुशलता और बुनकरों की दशा सुधारने की आवश्यकता

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में लगभग नब्बे प्रतिशत हैण्डलूम की इकाइयां हैं जो हैण्डलूम कारपोरेशन में व्याप्त अनियमितताओं तथा उसकी अक्षमता के कारण बन्द पड़ी हैं। इसके अतिरिक्त कारपोरेशन के अधिकारी पावरलूम की धोतियों को खरीदकर सस्ते कपड़े की दुकानों पर भेज देते हैं तथा होने वाले लाभ को स्वयं हथिया लेते हैं। परिणाम यह होता है कि हथकरघा के बुने हुये माल का विक्रय नहीं हो पाता है और हथकरघा इकाइयों को बाध्य होकर बन्द करना पड़ता है। जिन गरीबों को हथकरघा खरीदने के लिए ऋण दिया गया है, उन्हें भुगतान करने में असमर्थता हो रही है। हथकरघा उद्योग में बिचौलियों का भी अंकुश कठोर होता जा रहा है। वे बुनकरों के घरों में करघा लगवा कर उनसे कपड़ा बुनवाते हैं तथा उन्हें अपर्याप्त मजदूरी देकर स्वयं मालामाल हो रहे हैं। लगभग 80 से 90 प्रतिशत तक हथकरघे बिचौलियों द्वारा चलवाये जा रहे हैं। इस प्रकार बुनकरों का बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है और वे अपनी रोजी-रोटी चलाने में भी कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं।

अतः मैं माननीय उद्योग मन्त्री से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार हथकरघों तथा पावरलूम इकाइयों में व्याप्त घोर अनियमितताओं एवं शोषण की प्रक्रिया की अविलम्ब जांच कराई जाय तथा कमियों को दूर करके इकाइयों को वांछित तरीके से चलाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाया जाय, ताकि इनमें लगे हुए बुनकरों का शोषण समाप्त हो तथा वे अपनी रोजी-रोटी अच्छी प्रकार से चला सकें। हथकरघा इकाइयों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा बने हुए माल की समुचित विक्रय की व्यवस्था कराना, इन इकाइयों को स्वस्थ बनाने के लिये अत्यावश्यक है, क्योंकि इनके साथ लाखों बुनकरों की रोजी-रोजी का प्रश्न सम्बद्ध है।

(सात) जम्मू तथा कश्मीर राज्य के बैंकों द्वारा अन्य राज्यों में किये गये कथित पूंजी निदेशों तथा जम्मू तथा कश्मीर में उनके परिचालन की छानबीन करने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्र में औद्योगिक कार्यकलापों को संगठित किये जाने की तात्कालिक आवश्यकता है क्योंकि इस दृष्टि से यह क्षेत्र कुल मिलाकर उपेक्षित रह गया है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में किये गये राष्ट्रीय पूंजीनिवेश का केवल 0.06%

निवेश ही इस राज्य में किया गया है। इन परिस्थितियों में उदीयमान उद्यमकर्ताओं द्वारा उद्योग शुरू किये जाने के लिए पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है

जम्मू तथा कश्मीर राज्य में बैंकिंग क्षेत्र भी इस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सहायता नहीं कर रहा है। नियमों के अनुसार बैंक जम्मू तथा कश्मीर राज्य से बाहर पूंजी निवेश करते रहे हैं और उन्होंने अन्यत्र पूंजी निवेश बढ़ाने में सहायता की है।

मेरा यह कहना है कि इस राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अपनी जमा राशि की 92 प्रतिशत धनराशि का जम्मू व कश्मीर राज्य से बाहर निवेश किया है।

मेरा वित्त मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वे इस मामले की जाच करें।

भारतीय रिजर्व बैंक को इस मामले की जांच पड़ताल करने को कहा जाए। वास्तव में जम्मू तथा कश्मीर राज्य में बैंकों की सम्पूर्ण प्रचालन प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।

(आठ) कुष्ठ रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं, आवास तथा नौकरियां इत्यादि देने की आवश्यकता

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अत्यन्त ही लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। दिल्ली के विभिन्न झुग्गी झोंपड़ी में सैंकड़ों की संख्या में कुष्ठ रोगी नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारतीय भिक्षावृत्ति निरोध कानून के अन्तर्गत भिक्षाटन पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। भिक्षाटन जो पेट पालने का धंधा था वह भी समाप्त हो गया है और सरकार के द्वारा भी उनके रहने, खाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। फलस्वरूप कई कुष्ठ रोगियों की भूख से मृत्यु भी हो गई है। ये कुष्ठ रोगी दिल्ली के रामनगर, तिलक नगर और पश्चिम दिल्ली के अन्य भागों में दयनीय स्थिति में हैं। इनके इलाज की भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जबकि कुष्ठ रोग एक बिल्कुल ही क्योरेबल रोग है। देश में लाखों की संख्या में कुष्ठ रोगी हैं।

केन्द्र सरकार ने तो लेप्रासी एक्ट निरस्त कर दिया है लेकिन राज्य सरकारों ने तो उसे समाप्त नहीं किया है। लेप्रासी एक्ट फेडरल ला है। सरकार ने 20 सूत्री कार्यक्रम में भी कुष्ठ रोग को जैसे समाप्त करने का प्रावधान किया है वह सिर्फ कागज में है। 20 फरवरी, 1984 को इन्टनेशनल लेप्रासी कान्फ्रेंस दिल्ली में हुई थी जिसमें माननीय राष्ट्रपति जी एवं प्रधानमन्त्री जी ने भी भाग लिया था। उसके बावजूद भी उनकी स्थिति ज्यों की ज्यों है।

अतः सरकार से मांग है कि सरकार मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कुष्ठ रोगियों के इलाज, खाने एवं रहने की व्यवस्था करे तथा जिन राज्यों में यह एक्ट अभी तक समाप्त नहीं किया गया है, उन राज्यों को भी उसे समाप्त करने के लिए कहा जाए।

(नौ) सिकन्दराबाद छावनी में न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए दिये गये वित्तीय अनुदान की धनराशि को बढ़ाने की आवश्यकता

***श्री नन्दी येल्लैया** (सिद्दीपेठ) : सिकन्दराबाद देश की प्रमुख और जानी-मानी छावनियों में से एक है। पिछले कई वर्षों से इस छावनी की वित्तीय स्थिति निरन्तर बिगड़ती जा रही है। इसकी आमदनी कम होती जा रही है जबकि व्यय में बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। गत वर्ष इसकी आय केवल 88,83,265 रुपये हुई थी जबकि व्यय 1,13,74,687 रुपये हुआ। चूंकि इस छावनी का प्रशासन सीधे केन्द्रीय द्वारा किया जाता है, इसलिये स्वाभाविक ही है कि राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम इस क्षेत्र पर लागू नहीं होते जिसके फलस्वरूप अब तक इस क्षेत्र को विकासात्मक कार्यकलापों की परिधि से बाहर रखा गया है। इस क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा और जल मल निकास की कोई सुविधा नहीं है। सड़कों की भी बुरी हालत है।

इस क्षेत्र के बहुत से निवासी अनुसूचित जातियों तथा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हैं।

अतः मेरा रक्षा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि वह इस छावनी को दी जा रही अनुदान राशि को इस वर्ष से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दें ताकि यहां रहने वाले लोगों को कम से कम न्यूनतम आधारभूत सुविधायें तो प्रदान की जा सकें।

—————

2.49 म० प०

दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक
पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक
दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक
और
सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कार्यसूची की अगली मद पर विचार करेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं कि कार्यसूची में यह उल्लेख किया गया है कि मद संख्या 14, 16, 18 और 19 पर एक साथ चर्चा की जाएगी। अब श्री वेंकटसुब्बय्या विधेयक को विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय कार्यसूची की मद संख्या 15 के अन्तर्गत नियम 388 के अधीन भी प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, (नई दिल्ली विकास संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जहां तक वह दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 पर निर्भर है, विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जहां तक वह दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 पर निर्भर है। विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 में जैसा कि वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय, मैं इन दोनों विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या गम्भीर चिन्ता का विषय बन गया है। यह खेद की बात है कि क्षेत्र के नियोजित विकास और बृहत्त योजना के क्रियान्वयन के समय ये अनधिकृत निर्माण रुकावटें भी डालते हैं। इस दिशा में किए गए प्रयासों के बावजूद भी स्थानीय प्राधिकारी इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि कानून के वर्तमान उपबन्ध इस अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं और कभी-कभी तो उन्होंने विशेष रूप से बताया है कि बेईमान व्यक्ति विद्यमान कानून के उपबन्धों का उल्लंघन कर रहे हैं और अदालतों से प्राप्त स्थगन आदेशों की आड़ में अनधिकृत निर्माण जारी रखते हैं।

तदनुसार सरकार ने पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983, दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1983, जिन्हें कि सदन में अलग से पुन:स्थापित किया गया है, के साथ दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983, पेश किया है, ताकि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण की समस्या के साथ और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधायी उपबन्धों को और कठोर बनाया जा सके ।

दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित परिवर्तन करने का उपबन्ध है, अर्थात् :—

(एक) आयुक्त को ऐसे अप्राधिकृत निर्माण या संकर्म को या ऐसे परिसर को जिसमें ऐसा निर्माण या संकर्म किया जा रहा है या पूरा कर दिया गया है, सीलबंद करने की शक्ति दी जाये । ऐसी सील केवल आयुक्त द्वारा ऐसे निर्माण कार्य या संकर्म को तुड़वाने के प्रयोजन के लिए या अपील अधिकरण अथवा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई अपील में किए गए किसी आदेश के अनुसरण में ही हटाई जा सकती है;

(दो) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी की गई कतिपय सूचनाओं का किए गए आदेशों के विरुद्ध अपील अधिकरण या अधिकरणों को अपील किए जाने के लिए उपबन्ध किया जाए अपील अधिकरण के विरुद्ध आगे अपील दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक को की जा सकेगी । ऐसी अपीलों में किये गये आदेश अन्तिम होंगे और किसी सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं होगी;

(तीन) जुर्माने की शान्ति को, जिसको इस समय अधिनियम के अधीन कतिपय अपराधों के लिए विनिर्दिष्ट किया गया है, परिवर्तित किया जाये और उसमें कारावास को भी सम्मिलित किया जाये तथा कतिपय अपराधों को संज्ञेय बनाया जाये;

(चार) पारिणामिक तथा मामूली प्रकृति के कतिपय अन्य परिवर्तन करना ।

(पांच) कुछ अपराधों के मामले में संशोधन में दण्ड बढ़ाने का प्रावधान किया गया है । उत्पीड़न की सम्भावना का निराकरण करने के प्रयोजन से, ऐसे मामलों में मुकदमा चलाने की शक्ति का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो उपायुक्त पद से नीचे का नहीं होगा ।

मुझे आशा है कि सदन इन विधायी उपबन्धों की जरूरत के महत्व को समझेगा ।

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में, जैसा वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन), विधेयक, 1983 को विचारार्थ प्रस्ताव करने और उसे पास करते समय मैंने दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण की समस्या से निपटने के प्रयोजन से विधि में संशोधन के बारे में विस्तार में बताया था।

तदनुसार सरकार ने दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983, दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1983 के साथ, जिन्हें कि इस सदन में अलग से पुरःस्थापित किया गया है, पंजाब नगर-पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983 प्रस्तुत किया है ताकि दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विधायी उपबंध किए जायें।

पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983 में मुख्यत: निम्नलिखित उप-बन्धों का प्रावधान है :—

(एक) नई दिल्ली नगर पालिका को ऐसे भवन को सीलबंद करने की शक्ति दी जाये जो अनधिकृत रूप से निर्माणाधीन हो। ऐसी सीलबन्दी को पालिका द्वारा केवल ऐसे भवन को परि-वर्तित करने या ढहाने के प्रयोजन के लिए अथवा ऐसे आदेश के अनुसरण में हटाया जा सकता है जो अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई किसी अपील में अपील अधिकरण या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा किया गया हो;

(दो) नई दिल्ली में सरकारी भूमि के अतिक्रमण, अवैध निर्माणों और इसी प्रकार के अन्य मामलों में अपीलें अपीली अधिकरण के समक्ष होंगी न कि सिविल न्यायालयों में;

(तीन) कुछ अपराधों के लिए इस समय विनिर्दिष्ट जुर्माने की शास्ति को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाये कि उसके अन्तर्गत कारावास भी आ जाये तथा कुछ अपराध संज्ञेय हो जाएं;

(चार) अन्य पारिणामिक और छोटे-मोटे परिवर्तन करना।

(पांच) कुछ अपराधों के मामले में संशोधन में दण्ड को बढ़ाने का प्रावधान है। उत्पीड़न की सम्भावना को नकारने के प्रयोजन से ऐसे मामलों में मुकदमे चलाने की शक्ति नई दिल्ली नगर पालिका के सचिव के पद से नीचे के अधिकारी नहीं कर सकेंगे।

मुझे विश्वास है कि सदन इन विधायी प्रावधानों की आवश्यकता के महत्व को समझेगा।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1911 में, जैसा वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 66 के परन्तुक को दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जहां तक वह दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 पर निर्भर है, विचार किए जाने और उसे पारित किए जाने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा, लोक सभा, के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक को दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर, जहां तक वह दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983 पर निर्भर है, विचार किए जाने और उसे पारित किये जाने के प्रस्तावों पर लागू होने से निलम्बित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं श्री बूटा सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 से और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं श्री बूटा सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इन दो विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए मैं आपके समक्ष पहले विधेयक अर्थात् दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक की पृष्ठभूमि रखूंगा।

महोदय, दिल्ली में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे तथा अनधिकृत निर्माण चिंता का कारण बना हुआ है क्योंकि स्थानीय प्राधिकारी इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों के बावजूद इस समस्या से निपटने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। दिल्ली प्रशासन तथा स्थानीय प्राधिकारियों ने कहा है कि कानून के मौजूदा उपबन्ध अनधिकृत निर्माण को रोकने के लिए समुचित प्रतिबंधकारी के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर यह बताया है कि बेईमान लोग मौजूदा कानून के

उपबंधों का चालाकी से फायदा उठा रहे हैं तथा न्यायालय के स्थगन आदेश की लेकर निरंतर अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं ।

अतः सरकार ने दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983, पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983, तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) संशोधन विधेयक, 1983 के साथ दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 रखा है जो कि दिल्ली में सरकारी भूमि के अवैध कब्जे तथा अनधिकृत निर्माण की समस्या से अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कानूनी उपबंध करने के लिए सभा में अलग से पुरःस्थापित किया गया है ।

3.00 म० म०

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 में मुख्यतः यह उपबंधित हैं :—

(एक) अप्राधिकृत निर्माण को संज्ञेय अपराध माना जाएगा जिसमें (क) किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा मंजूर ले आउट प्लान के बिना अप्राधिकृत कालोनी स्थापित करने पर तीन वर्ष तक का कठोर कारावास; तथा (ख) अप्राधिकृत निर्माण के व्यक्तिगत मामलों में छह महीने तक का साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों के दंड की व्यवस्था हो;

(दो) अप्राधिकृत-निर्माण में इस्तेमाल निर्माण सामग्री तथा अन्य सहायक सामग्री जब्त कर ली जाए;

(तीन) अप्राधिकृत निर्माण वाले स्थानों को सील कर दिया जाएगा तथा दिल्ली में सरकारी भूमि के अवैध कब्जे, अप्राधिकृतिक निर्माण तथा ऐसे ही मामले अपीली न्यायाधिकरणों के अन्तर्गत आएंगे न कि सिविल न्यायालयों में अन्तर्गत।

मुझे विश्वास है कि सभा इन विधायी उपबंधों की आवश्यकता को समझेगी ।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए ।

मैं यह प्रस्ताव भी करता हूं :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की वेदखली) अधिनियम, 1971 मुख्यतः सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की शीघ्र बेदखली, सरकारी स्थानों के किराये या क्षति की वसूली तथा कतिपय प्रासंगिक मामलों हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

हाल ही में सरकारी स्थानों पर 'अप्राधिकृत कब्जे के मामलों (विशेष रूप से संघ राज्य क्षेत्र

दिल्ली में) में वृद्धि हुई। विगत अनुभव से यह पता चलता है कि कानून के मौजूदा उपबंध सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को हटाने के लिए प्रभावी नहीं हैं।

अतः सरकार ने दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983, दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1983, पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, 1983 तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1983 रखे हैं। प्रथम तीन संशोधन विधेयकों के उपबंध संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली/नई दिल्ली के लिए हैं जबकि अन्तिम विधेयक के उपबंध समस्त भारत के लिए है।

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 1983 की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(एक) विद्यमान उपबंधों के अधीन, संपदा अधिकारी से ऐसी अवधि के भीतर जो कम से कम सात दिन या पन्द्रह दिन से अधिक हो, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अत्याधिकृत सन्निर्माणों को ढा देने के लिए निदेश देने वाला आदेश करने की अपेक्षा है और ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को हेतुक दर्शित करने की सूचना न दी गई हो। ढा देने के लिए आदेश में उल्लिखित की जाने वाली विनिर्दिष्ट अवधि के प्रति निर्देश से सम्बन्धित उपबंध को समाप्त करने तथा हेतुक दर्शित करने की सूचना के लिए केवल सात दिन की अवधि के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है;

(दो) संपदा अधिकारी को किसी अप्राधिकृत सन्निर्माणों को सील करने के लिए निदेश देने का आदेश देने के लिए सशक्त किया गया है।

(तीन) किसी सरकारी स्थान के विधि विरुद्ध अधिभोग को एक नया अपराध बनाने तथा छह माह तक की अवधि के साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक के जुर्माने या दोनों सहित दंडनीय बनाने का प्रस्ताव है।

किसी सरकारी स्थान को किसी बेदखल व्यक्ति द्वारा ऐसे अधिभोग के लिए किसी प्राधिकार के बिना अपने अधिभोग में रखने के लिए उपबंधित शास्ति में जुर्माने के रूप में वृद्धि के लिए इस अवसर का लाभ उठाया गया है।

(चार) अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय बनाने का भी प्रस्ताव है। तथापि किसी व्यक्ति को कतिपय विनिर्दिष्ट अधिकारियों से प्राप्त जानकारी पर अथवा किसी शिकायत पर ही गिरफ्तार किया जा सकता है।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इन विधेयकों पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अब श्री सुशील भट्टाचार्य बोलेंगे ।

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : महोदय, हमारे समक्ष चार विधेयक, यथा दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक, पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक, दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक तथा सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक हैं ।

महोदय, इन विधेयकों का उद्देश्य योजनानुसार दिल्ली का विकास करना तथा सरकारी अथवा निजी भूमि तथा सरकारी स्थानों में यत्र-तत्र अप्राधिकृत निर्माण कर कब्जा करने से रोकना है क्योंकि निहित पार्टियां निजी तथा सरकारी स्थानों पर कब्जा करती हैं तथा उन पर एक ओर तो अप्राधिकृत निर्माण करती है तथा दूसरी ओर वे न्यायालय जाकर सक्षम प्राधिकरणों के विरुद्ध, जो कि केवल अर्धकानूनी निकाय हैं, स्थानादेश प्राप्त कर लेते हैं तथा इस प्रकार विवादों को निपटाने में असाधारण विलम्ब करवाकर मौजूदा अधिनियमों के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का हनन करते हैं । विधेयक में यह कहा गया है कि मामलों को शीघ्र निपटाने तथा इस तरह के अवैध कब्जों तथा अप्राधिकृत निर्माण को रोकने तथा अपराधियों के लिए अधिक कठोर दंड देने की व्यवस्था कर ऐसे अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाकर कानून को सशक्त बनाने और साथ ही ऐसे मामलों को सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर उन्हें विशेष रूप से गठित अपीली न्यायाधिकरण के अन्तर्गत लाने के लिए वर्तमान अधिनियमों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है ।

ऐसे समय में जबकि औद्योगिक तथा वाणिज्यिक केन्द्रों में अवैध कब्जों के मामले अबाध रूप से बढ़ रहे हैं तथा ये कब्जे बहुधा राजनीतिक संरक्षण में किए जाते हैं, तथा प्रस्तावित संशोधन इस दिशा में सही कदम हैं क्योंकि ऐसी अवैध गतिविधियों को रोका जाना चाहिए । परन्तु साथ ही विधेयकों को प्रभावित तथा सार्थक बनाने के लिए उन्हें पारित करने से पहले प्रस्तावित संशोधन में कुछ परिवर्तन करने जरूरी हैं ।

प्रस्तावित न्यायाधिकरण में केवल एक व्यक्ति होगा । न्याय करने की दृष्टि से ही नहीं बल्कि जनसामान्य में उसे विश्वसनीय बनाने के लिए एक से अधिक न्यायाधीश होने चाहिए । मामलों को यथासंभव शीघ्र निपटाने के लिए, मामलों को निपटाने की कोई समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए । अन्यथा विधेयक का मुख्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा ।

साथ ही इसमें क्षेत्राधिकार का पेचीदा प्रश्न है । इस समय संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बहुत से प्राधिकरण हैं । इसके कारण बहुधा उन्हें दोहरा कार्य करना पड़ता है तथा कार्य में विलंब तथा

सर्वत्र अनिश्चितता बनी रहती है। अपीली न्यायाधिकरणों के मध्य क्षेत्राधिकार का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए। साथ ही दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसी संस्थाओं के मध्य समन्वय करना, विधेयकों के प्रस्तावित संशोधनों के उपबन्धों के सफल क्रियान्वयन की पहली शर्त है।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में अप्राधिकृत मकानों को पानी का कनेक्शन दिया गया है तथा नगर निगम प्राधिकारियों द्वारा मकान-कर वसूल किया जा रहा है। इसे सख्ती से रोका जाना चाहिए।

सक्षम प्राधिकरण अथवा अपीली न्यायाधिकरण के विरुद्ध अपीलों के मामले में अंतिम निर्णय प्रशासक का होता है। यदि उसे राजनीतिक आधार पर नियुक्त किया जाता है तो अवांछित दबाव तथा मनमानी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। जब तक प्रशासक पर ऐसे दबाव की संभावना को रोका नहीं जाता, इन संशोधनों की प्रभावोत्पादकता संदिग्ध बनी रह सकती है।

साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले में भी एक खतरा है। दि० वि० प्रा० लोगों से बहुत सस्ते दामों पर भूमि लेता है तथा उसका विकास कर वह उसे इतने ऊंचे दामों पर बेचता है कि वह आम आदमी की पहुंच से बाहर होती है। इससे भूमि विक्रेताओं तथा सस्ते दामों पर खरीदने के इच्छुक लोगों में असंतोष व्याप्त होता है। वस्तुत: विकसित भूमि केवल संपन्न वर्ग के हाथ लगती है और आम आदमी को इससे बड़ा असंतोष होता है। इसलिए यह भी अवैध कब्जे करने का एक कारण है। मैं प्राक्कलन समिति (1978-79) के छत्तीसवें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) से उद्धरण देता हूं :—

> "जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण का मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों से दिल्ली में बहुत भारी संख्या में आबादी का आ जाना है। 1975 में यह अनुमान लगाया गया था कि दिल्ली में प्रति वर्ष लगभग 90,000 मकानों की जरूरत होगी जबकि केवल लगभग 15,000 मकान ही प्रतिवर्ष बनाये गये। जमीन पर इसी दबाव के कारण जमीन पर कब्जा तथा अवैध निर्माण होता है।"

यह प्रतिवेदन के पृष्ठ 6 पर है।

आज, नौ वर्षों के बाद, यह समस्या और अधिक भयानक हो गई है तथा इसके समाधान के लिए एक अलग तरीके का प्रयास, एक भिन्न दृष्टिकोण जरूरी है। प्राक्कलन समिति ने अपने 36वें प्रतिवेदन में यह टिप्पणी की थी कि "जिस तरह खाना आवश्यक है उसी तरह से मकान भी मानव की मौलिक एवं अपरिहार्य आवश्यकता है।" इसे आदेश जारी करके न तो नियंत्रित किया जा सकता है। और न ही दबाया जा सकता है। जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में किए जाने की मांग की गई थी। यदि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा निम्न आय वर्ग के परिवारों को उचित लागत पर मकान नहीं उपलब्ध कराये जाते तो यह परिवार अवैध एवं गैर कानूनी शहरी भूमि बाजार में कार्यरत दलालों के

बेईमानी हाथों में पड़ सकते हैं और उनके पास सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण और कब्जे के अलावा कोई चारा नहीं बच पाता। समिति महसूस करती है कि भूमि पर अवैध कब्जा और अवैध निर्माण केवल कानूनी उपायों से ही नहीं रुक सकता। अलबत्ता यह सही है कि इस उपायों से उन्हें रोकने में कुछ हद तक सहायता मिल जाती है। इस समस्या का सही समाधान भूमि विकास सम्बन्धी समयबद्ध कार्यक्रमों को शुरू करने तथा जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर मकान के लिये जमीन तथा बने-बनाये मकान उपलब्ध कराकर ही हो सकता है।

अन्त में, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि समय-समय पर सरकार को कुछ अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने और वहां नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाता रहा है। जहां भी सम्भव हो इन बस्तियों को अधिकांश रूप से उन ग्राम आदमियों के हितार्थ नियमित कर दिया जाना चाहिये जो दया एवं सहानुभूति के पात्र हैं। और जहां गैर योजनाबद्ध एवं बेतरतीव विकास को रोकने के लिये उन्हें हटाया जाना बिल्कुल ही अपरिहार्य हो, वहां उन्हें वैकल्पिक स्थान अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिये।

सभापति महोदय श्री गिरधारी लाल व्यास।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, ये जो चार बिल प्रस्तुत किए गए हैं : दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन (सैकंड एमेंडमेंट) बिल, पंजाब म्यूनिसिपल (न्यू दिल्ली एमेंडमेंट) बिल, दिल्ली डैवलमेंट (एमेंडमेंट) बिल, पब्लिक प्रिमिसिस (एविक्शन आफ अनएथाराइज्ड आकुपेंट्स) एमेंडमेंट बिल, मैं इनका समर्थन करता हूं।

इस देश की आबादी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। दिल्ली की आबादी भी बढ़ रही है और बाहर से हर साल दो लाख लोग यहां आ रहे हैं। इन सब लोगों के रहने के कोई स्थान होना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उन्हें राजस्थान भेज देना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अगर उन्हें राजस्थान में भेज देंगे, तो बेचारे ज्यादा दुख पाएंगे। वहां रेत ही रेत है। अगर उन्होंने रेत फांकनी हो, तो वहां भेज दीजिए। वर्ना उन्हें गंगा के किनारे पर भेजना चाहिए, जहां पानी मिल सकता है।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि दिल्ली की 70 लाख की आवादी के लिए डी० डी० ए० या अन्य एजेंसियों के द्वारा मकान बनाए गए हैं वह पूरे नहीं होते हैं। वहां की डेवलपमेन्ट अथारिटी का मुख्य फर्ज तो यह था कि वह 70 लाख की आबादी के लिए प्लान तैयार करती कि किस-किस जगह कौन-कौन-सी कोलोनीज बनाई जायेंगी, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए कहां-कहां बनाई जायेंगी और कम आमदनी वालों के लिए कहां कहां बनाई जायेंगी और किस तरीके से उनको बसाया जायेगा। यह व्यवस्था उसकी ओर से होनी चाहिए लेकिन डेवलपमेंट एथारिटी के सुपुर्द

तो दूसरी व्यवस्था कर दी गई, मकान बनाने की, जिससे कि सारी व्यवस्था गड़बड़ हो गई। इसकी वजह से मकानात बनाने की जो एक योजना बननी चाहिए थी वह ठप्प हो गई और जितनी तेजी यह काम आगे बढ़ना चाहिए था वह नहीं बढ़ रहा है। इसलिए मैं समझता हूं इस एथारिटी में कोई न कोई परिवर्तन होना चाहिए। इस ओर गृह मन्त्री जी और हाउसिंग मिनिस्टर को तवज्जह देनी चाहिए। मैं समझता हूं प्लान बनाने के लिए एक अलग एथारिटी होनी चाहिए और एग्जीक्यूशन के लिए अलग एथारिटी होनी चाहिए। यहां पर तो दोनों एक ही बन गई हैं जिससे सारा मामला गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर यहां की व्यवस्था को आप सुधारना चाहते हैं, अन-अथराइज्ड कालोनीज को रोकना चाहते हैं और आवश्यकतानुसार पब्लिक को मकान उपलब्ध कराना चाहते हैं, चाहे मकान बना करके या कोआपरेटिव सोसायटीज जमीन एलाट करके या किन्हीं अन्य संस्थाओं जैसे एल० आई० सी० व दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मदद लेकर मकान बनवाने की व्यवस्था करना चाहते हैं और साथ ही साथ अन-अथराइज्ड अकूपेशन को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत बड़े स्केल पर आपको प्लान बनाना होगा। वरना यह हालत दिनोंदिन बिगड़ती ही चली जायेगी। इन चार कानूनों के अलावा यदि और भी कानून यहां पर ले आयें तो उससे कोई लाभ नहीं होगा बल्कि इसके लिए तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि मकान बनाए जा सकें और लोगों को उपलब्ध हो सकें। यह सरकार का परम कर्तव्य भी है कि वह लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करे—चाहे आप उनको मकान बनाकर दीजिए या प्लाट दीजिए जिस पर वे अपने मकान बना सकें।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर बड़े-बड़े लोगों ने जो एंक्रोचमेंट कर रखा है या जिन्होंने रिहायशी मकान बनाकर उसको कामर्शियल में तब्दील कर दिया—उनके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जा रहा है। उनके खिलाफ कोई कागनिजेबल आफेन्स दर्ज नहीं किया जाता। छोटे-छोटे लोगों को आपके इंस्पेक्टर्स तंग कर सकते हैं लेकिन जिन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें दबा रखी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती। मैं जानना चाहूंगा कि यहां पर बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा जो नाजायज कब्जे कर लिए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं, कितने लोगों के मकान तुड़वाए गए हैं और कितने लोगों के ऊपर जुर्माने हुए हैं या सजायें मिली हैं? एक तरफ तो लोग जुर्माने हड़प कर एक प्राफिटेबल बिजनेस बनाकर उनको बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ आपने क्या कार्ययाही की है? दूसरे आपने जो जमीन अपने हाथ में ली उस पर कितनी हाउसिंग कालोनीज बनाई या कोआपरेटिव बेसिस पर प्लाट बनाकर दिए जिससे कि गरीब लोगों को रहने के लिए मकान उपलब्ध हो सकें, जब तक आप बहुत बड़े पैमाने पर इसके लिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, यह समस्या सुलझ नहीं पाएगी। यह जो आप दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन (सेकेंड एमेंडमेंट) बिल लाए हैं और पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक लाए हैं यह खास तौर से नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के बीच में जो लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनके संबंध में हैं और मैं तो यह कहूंगा कि ये जो नाजायज कब्जे किए हैं, ये ऐसे लोगों ने किए हैं, जिनकी एप्रोच कोर्ट तक है और वे लोग कोर्ट में जाकर स्टे प्राप्त कर लेते हैं और फिर 10, 10 और 20, 20 साल तक स्टे रहता है और कुछ नहीं होता है। इस बीच में वे अपने मकान बना डालते हैं। अब जरूर आपने इसमें उनको सील करने की व्यवस्था की है मगर मैं जानना

चाहता हूं कि क्या यह कानून उस चीज को खत्म करने के लिए सफीशियेन्ट होगा और आपके आधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था कर पाएंगे जिससे गैर-कानूनी कब्जे न हों। आपके अधिकारियों की उनके साथ मिलीभगत है और बहुत से आपके अधिकारियों ने बड़ी-बड़ी जमीनें लेकर अपने मकान बना लिये हैं और रिहायशी मकानों को कमर्शियल मकानों में बदल दिया है। इस प्रकार की भी शिकायतें हैं। आपने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की है, जिससे यह व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके।

आपने एक ट्रिब्यूनल का प्रावधान किया है मगर वह ट्रिब्यूनल इमीजिएटली ठीक प्रकार से इस चीज को देख सकेगा और जो लोग इन्साफ चाहते हैं, क्या उनको इन्साफ मिल सकेगा। आपने इसके ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही है, जो सेशन्स जज के मुकाबले का अधिकारी हो या जिसको कम-से-कम दस वर्ष का कानून का तर्जुबा हो। आपने ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने की बात कही है मगर क्या इस ट्रिब्यूनल के जरिये आम लोगों को इन्साफ मिल सकेगा और बड़े-बड़े पूंजीपतियों ने जो नाजायज कब्जे कर रखे हैं, उनके खिलाफ यह ट्रिब्यूनल ठीक प्रकार से व्यवस्था कर सकेगा। इस बात को देखने की बहुत आवश्यकता है। आप ऐसे अधिकारी को वहां पर लगाइए जो जल्दी से जल्दी फैसला कर सके और सरकारी जमीनों पर जो नाजायज कब्जा लोग करते हैं, उस प्रकार के लोगों को अलग कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था बहुत आवश्यक है।

आपने इसमें सजा की बात भी रखी है। अधिकारियों के द्वारा एफ० आई० आर० दर्ज कराई जाएगी और उसकी बेसिस पर कागनीजेन्स लिया जाएगा मगर मैं ऐसा समझता हूं कि बहुत कम एफ० आई० आर० दर्ज कराई जाएगी क्योंकि बड़े-बड़े लोग जो नाजायज कब्जा करते हैं, वे अधिकारियों की मिलीभगत से ही करते हैं और उनकी वजह से नाजायज कब्जे जमीनों पर हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है, जिन्होंने नाजायज कब्जे करवाए हैं। उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हो सके, ऐसी व्यवस्था आपने अपनाई है। जिन लोगों को आपने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर भी कोई निगरानी की व्यवस्था आपने की है क्योंकि इनकी मिलीभगत से ही जमीनों पर कब्जे हो जाते हैं और यह आदमी ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखने की बहुत आवश्यकता है। अगर इस चीज को ध्यान में रखा गया, तब तो कुछ फायदा होगा वरना कोई फायदा नहीं होगा। दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सम्बन्ध में जो आपने आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में रखा है, वह इस तरह से है :

> "...अनधिकृत बस्तियों, सरकारी स्थानों पर कब्जों, सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माणों तथा रिहायशी निर्माणों को वाणिज्यिक परिसरों के परिवर्तन की घटनाओं में वृद्धि ने चिन्ताजनक रूप ले लिया है।"

ऐसा कौन-कौन लोगों ने किया है। कमर्शियल काम्पलेक्स के बारे में मैं खास तौर से जानना चाहता हूं कि वे कौन लोग हैं, जिन्होंने रेजीडेंशियल प्लाट्स को कमर्शियल काम्पलैक्सेज में बदल दिया है।

क्या इस संबंध में आपके पास पूरी जानकारी है। जिन लोगों ने रेजीडेंशियल कोलोनीज को कमर्शियल काम्पलैक्सेज में तब्दील कर दिया है, उनके खिलाफ आपके पास कोई रिपोर्ट आई है। वे कौन-कौन लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार से लाभ उठाया है और उन लाभ उठाने वालों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है?

हमने दिल्ली में देखा है कि अलग-अलग बाजार बने हुए हैं। कोई लोहे का, कोई लड़की का और कोई चूने का बाजार है। उन बाजारों में सड़कें सामानों से भरी हुई हैं। ऐसी अव्यवस्था हमें दिल्ली में ही देखने को मिलती है, और कहीं देखने को नहीं मिलती है कि व्यापारी लोग सरकारी सड़कों पर कब्जा कर लें और उनको यूज करते रहें, उन पर आने-जाने वाले लोगों के लिए मनाही हो जाएगी। इस प्रकार की बात नई दिल्ली में तो नहीं है, पुरानी दिल्ली में इस प्रकार की अव्यवस्था बहुत है। इससे आवागमन के साधन निश्चित तरीके से रुक जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक है कि सड़कों पर, छोटी-छोटी गलियां में लोग नाजायज कब्जा न करें और उससे आवागमन के साधन न रुक जाएं। इन चीजों को रोकना बहुत आवश्यक है।

इसी तरीके से आपने स्टेट में आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजंस में दिया है :—

> "ऐसे अनधिकृत निर्माण के लिये की गई कानूनी कार्यवाही भी कारगर सिद्ध नहीं हुई है क्योंकि न्यायालयों द्वारा बहुत ही कम जुर्माना लिया गया है।"

पहले टाईम का आपने जिक्र किया है कि कानून कोई खास इफैक्टिव नहीं हुआ, इसलिए आपने अब सख्त कानून बनाया है, सजा और फाइन को बढ़ाया है मगर आज तक के कानून में जो सजा थी, उसके कितने केसिज हैं जिनमें कि सजा दी गई हो? यह अनअथराइज्ड एन्क्रोचमेंट छोटे-मोटे लोग नहीं करते हैं। छोटे-मोटे लोगों का सामान तो आप गाड़ियों में भर कर ले जाते हैं लेकिन बड़े लोग जो अनअथोराइज्ड एन्क्रोचमेंट करते हैं उनके खिलाफ आप इस कानून के तहत किस तरह से कार्यवाही करेंगे? वे लोग आपकी पकड़ में बहुत कम आते हैं और आपके अधिकारी उनसे घबराते हैं। जब आप यह कानून बना रहे हैं तो निश्चित तरीके से इसकी पालना होनी चाहिए और जब कानून की पालना होती है तो उसका निश्चित तरीके से इफेक्ट भी पड़ता है। जो आपने अब प्रावधान किया है, वह अच्छा है। अगर इसका सख्ती से पालन किया जायेगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

एक बात मैं नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। आजकल नई दिल्ली में भी एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं। जहां पहले होटल नहीं बन सकते थे आज वहां होटल बन रहे हैं जिसकी वजह से आज नई दिल्ली में ऐसा प्रदूषण हो रहा है जो पहले नहीं था। जगह-जगह पर अनअथोराइज्ड होटल बन रहे हैं, अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कितने ही बहु-मंजिले मकान अब बन रहे हैं जिनकी कि पहले इजाजत नहीं थी। क्या आपने इस तरह के बहु-मंजिले मकान बनाने की इजाजत लोगों को दी है, आपके डिपार्टमेंट ने दी है? आपके डिपार्टमेंट को यह देखना

चाहिए कि पहले जिस तरह से नई दिल्ली के वातावरण और वायुमंडल को शुद्ध रखने की व्यवस्था थी, अब वह व्यवस्था भंग की जा रही है। नई दिल्ली के वायुमंडल को दूषित करने वालों को आप किस तरह से रोकने की व्यवस्था कर रहे हैं, किस तरह से उनके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं? आज जहां चाहे आदमी बैठ जाता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। पहले ऐसा नहीं था। एक दफा आदमी जब कहीं अपना जमाव कर लेता है तो फिर उसको हटाने में संकट पैदा होता है। इसको आपके अधिकारियों को देखना चाहिए। नई दिल्ली में जो अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इल्लीगल एन्क्रोचमेंट हो रहे हैं, बहु-मंजिले मकान बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आपने एक बहु-मंजिले मकान को तुड़वाया भी है, इस तरह की जो लोग कार्यवाही कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटने की बहुत आवश्यकता है। डी० डी० ए० के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था ठीक नहीं है। इसके लिए आप बड़े पैमाने पर अलग-अलग विंग कायम कर दीजिए। प्लानिंग विंग, एग्जीक्यूटिव विंग, इस तरह से अलग-अलग विंग जब तक कायम नहीं करेंगे तब तक डी० डी० ए० की व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। जिस तरह से आप विकास करना चाहते हैं, उस तरह से नहीं हो पाएगा। एन्क्रोचमेंट, इल्लीगल कांस्ट्रक्शन, अनएथराइज कंस्ट्रक्शन को आप रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर छोटे प्लाटों की एक योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे प्लाट जिनमें एक कमरा, रसोई और गुसलखाना आदि बन सके। अलग-अलग क्षेत्रों में इस तरह की योजना बनाई जाए और को-आपरेटिव सोसायटीज या निजी तौर पर इनको आबंटित किया जाना चाहिए। इससे डेवलपमेंट ठीक प्रकार से हो सकेगा। समस्याएं दूर होंगी और दिल्ली का विकास ठीक प्रकार से हो सकेगा। इसके साथ ही बड़े लोगों को भी दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को इसका पता लग सके, तभी अव्यवस्था को रोक पाएंगे। कानूनों का पालन किया जाएगा तभी दिल्ली का सौंदर्य बरकरार रह सकेगा। इसकी बराबर कोशिश की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इन सभी बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी, दिल्ली की आबादी बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या मकानों की पैदा हो गई है। जो उद्देश्य मंत्री महोदय ने दिए हैं, पता नहीं वे पूरे होंगे या नहीं होंगे। मैं उन गरीब लोगों की समस्याओं की ओर इशारा करना चाहता हूं, रेढ़ी वाले, सड़कों पर काम करने वाले जो दूर-दराज, देहात से अपने पेट की भूख खत्म करने के लिए दिल्ली में आते हैं। डी० डी० ए० ने हरियाणा, उत्तर प्रदेश तक सारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। किसानों से सस्ते दामों पर जमीन को लेकर डाल दिया है। दो लाख लोग हर वर्ष दिल्ली में आ रहे हैं। उनके आवास के लिए सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है।

एक तरफ तो यह आवास की समस्या है और दूसरी तरफ आप देखिये क्या हो रहा है। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता और न ही मैं किसी पार्टी विशेष पर आक्षेप लगाना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिज्ञ और नौकरशाह लोग मिल कर के लोगों से अवैध कब्जा करवा रहे हैं और

उनसे पैसा ले रहे हैं। इस सदन के लोगों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, संसद सदस्यों और बड़े-बड़े नौकरशाह दिल्ली की जमीनों पर अवैध कब्जे करवा रहे हैं।

3.35 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिस गरीब आदमी ने रेहड़ी चलाकर और अपने तन का कपड़ा काटकर दस-बीस गज जमीन ली है, उस पर यह कानून लागू होगा। जो आपके नौकरशाह या राजनीतिक आज कालोनियां बसा रहे हैं, क्या उन पर भी यह कानून लागू होगा? मैं चाहता हूं कि आप उन अवैध कालोनियों में जाएं और मालूम करें कि जमीन किसने दी है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश के स्थानों से लाकर किसने बसाया था? कानून के शिकार वही गरीब आदमी होंगे जो मजदूरी करते हैं। डी० डी० ए० द्वारा किसानों से दस-बीस रुपए गज के हिसाब से जमीन ले ली जाती है और एक-एक, दो-दो हजार रुपए गज के हिसाब से बेच दी जाती है। अगर, आप किसानों और मजदूरों को जमीन नहीं देते हैं तो क्या अवैध कब्जों को रोक पायेंगे? जो राजनीतिक नम्बर दो का पैसा लगाकर कालोनियां बसा रहे हैं, उनकी जांच करायी जाए। वह चाहे किसी भी पार्टी के नेता हों। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बिना अफसरों के इशारे और बिना नेताओं को पैसा दिए यह काम नहीं हो सकता है, आप यमुनापार चले जाइए, वहां सीवीर नहीं पड़े हैं और न ही कोई सफाई की व्यवस्था है। जब बरसात आती है तो चारों तरफ पानी भर जाता है। पच्चीस रुपए डवलपमेंट चार्ज लेने के बाद भी कोई डवलपमेंट का कार्य आप नहीं कर पाते हैं। पब्लिक प्रेमीसेस एवीक्शन आफ अन-आथोराइज्ड आक्यूपेंट्स अमेंडमेंट बिल, 1983 का क्षेत्र पूरे देश में होगा। सीलिंग एक्ट लागू होने के बाद भी ए० डी० एम० की कोर्ट्स में जमीनों के क्षेत्र अन्डर-कंसीडरेशन हैं। उसकी परमीशन के बगैर और बिना नक्शा पास कराए, अवैध कब्जा गरीब आदमी का जब चाहें तोड़ सकते हैं। जिन दौलतमन्द लोगों को डी० डी० ए० ने सस्ती जमीनें दी थीं, उन्होंने वहां पर इण्डस्ट्री काम्पलेक्स खड़े कर दिए हैं। आपकी नालेज में होते हुए भी आपने कोई कार्यवाही नहीं की है? अगर कार्यवाही की है तो क्या की है? गरीब लोगों की झोपड़ियां पचास-पचास साल बसने के बाद भी तोड़ दी जाती हैं लेकिन, जिन अमीर लोगों की कोठियां बगैर परमीशन और नक्शे के बन गई हैं, उनको नहीं तोड़ पाते। मेरे जिले में सीलिंग एक्ट होने के बाद भी करोड़पतियों की कोठियां बनती जा रही हैं। जबकि वह जमीन सरकार के पास थी गरीब आदमी के पास जानी चाहिए थी। आपकी सरकार इन बड़ी-बड़ी कोठियों को बनने से नहीं रोक पाती। एक तरफ तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर आपके डी० डी० ए० ने सारी जमीनें किसानों से सस्ते दामों पर खरीद ली हैं और हर साल दिल्ली में दो लाख लोग आ रहे हैं, उन सबको आप कहां से जमीन देंगे। फिर कोई गरीब या मिडिल क्लास का आदमी, छोटे घर की महिला जब किसी दफ्तर में नौकरी करते हैं किसी होटल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट में काम करते हैं या किसी मिल में मजदूरी करते हैं, तो वे आपकी एक या दो हजार रुपये गज की जमीन कैसे खरीद सकते हैं। मैं फिर इस बात को कहना चाहता

हूं कि उन लोगों को जमीन देने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हमारे जैसे लोग सरकार से लड़कर के जमीनों पर अवैध कब्जा करेंगे क्योंकि वे इतनी महंगी जमीन नहीं खरीद सकेंगे। फिर अवैध कब्जे होंगे। फिर आपके कानून बड़े लोगों पर लागू नहीं होते, छोटे लोगों पर ही लागू होते हैं, उनको तोड़ने का काम शुरू हो सकता है। क्योंकि जब लोगों को रहने के लिए मकान नहीं मिलेगा, सस्ती जमीन नहीं मिलेगी, आप छोटे लोगों पर अपना कानून लागू करेंगे तो हम लोग आपके खिलाफ यहां बोलेंगे, बाहर जाकर कानून को तोड़ेंगे फिर भले ही आप जेलों में भेजें, हम लोग जेलों मे भी जाएंगे। इसलिए आप कानून को पास करने के बाद ऐसी व्यवस्था करें कि वह सबके ऊपर लागू हो, गरीब लोगों पर लागू हो और बड़े लोगों पर लागू न हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर-दक्षिण) : महोदय, हालांकि 4 विधेयक, जो पुरःस्थापित किए गए हैं और आज जिन पर विचार किया जा रहा है, बहुत ही आवश्यक विधेयक हैं। मुझे यह डर है कि जब तक उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया जाता, भ्रष्टाचार को रोका नहीं जाता, राजनैतिक और अन्य प्रभावों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक कोई भी कानून किसी भी शहर के योजनाबद्ध विकास में सहायक नहीं हो सकता। महोदय, कानून मौजूद है परन्तु उन कानूनों के कार्यान्वयन बहुत मुश्किल है। जहां तक राजनीतिज्ञों का संबंध है, हम लोग वोटों के लिए या अन्य बातों के लिए अपने पद का इस बात के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये अनधिकृत झोंपड़ियां, अनधिकृत इमारतें और अनधिकृत बस्तियां बनी रहें।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सर, आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, इस हाउस में इस वक्त न तो कोई बोलने वाला है और न ही कोई सुनने वाला है। यह पार्लियामेण्टरी अफेयर्स मिनिस्टर का काम है। उधर से भी कुछ लोग यहां मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभी सदस्य संसदीय सोध में किसी दीक्षान्त समारोह में भाग ले रहे हैं।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : सदस्य लोग दिल्ली क्यों आते हैं ? क्या वे सिर्फ राजधानी में घूमने-फिरने आते हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : आप कोई स्पष्टीकरण दीजिए कि किस तरह आप कोरम के बिना हाउस को चलायेंगे जब कोई बोलने वाला ही नहीं है और न सुनने वाला मौजूद है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जी, आपको हक है कि आप यह प्रश्न उठायें। आप देख ही रहे हैं कि कुछ माननीय सदस्य दीक्षान्त समारोह में भाग ले रहे हैं। उनकी संख्या लगभग 70 से 80 तक है। मुझे भी वहां जाना है।

श्री राजेश कुमार सिंह : जितने मेम्बर इधर हैं कम से कम उतने ही उधर भी होने चाहिए

फिर आज आपने लन्च भी नहीं रखा है । मेम्बर्स भी नहीं हैं, कोरम भी नहीं है । मेरा मतलब है कि आप किस तरह से हाउस को चलाएंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक राजनैतिक दल के जिम्मेदार नेता हैं । हमें इन विधायनों को पूरा करने के लिए निधारित कार्यक्रमानुसार ही कार्य कर रहे हैं । जो लोग भी बोलना चाहते हैं वे निश्चय ही बोल सकते हैं । यह बहुत आसान है । लगभग 70 माननीय सदस्य संसदीय सोध में हैं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अच्छा छोड़ दीजिए । कम से कम दूसरी ओर के भी तो उतने सदस्य होने चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी बात नोट कर ली है । वह आपकी बात सुन रहे हैं । श्री वेंकटसुब्बय्या, गृह राज्य मंत्री यहां बैठे है ।

श्री टी० आर० शमन्ना : महोदय, मैं वोट प्राप्त करने की राजनीति की बात करता हूं । हम लोग सार्वजनिक जमीन पर अनधिकृत निर्माण, अनधिकृत बस्तियों और अनधिकृत कब्जों की इजाजत देकर एक पाप करते हैं । यह तभी होता है जब हम उन्हें उकसाते हैं । और भी कई बातें हैं जिनके कारण ये अवैध निर्माण होते रहते हैं । कानून हैं, नियम हैं, लेकिन जब तक इन कानूनों को कठोरता से और सख्ती से नहीं लागू किया जाता तब तक अवैध कब्जे तथा अवैध निर्माण को रोक पाना किसी भी प्रधिकरण के लिए असम्भव है ।

अन्य अनेकों बड़े शहरों की तरह दिल्ली भी तेजी से बढ़ती जा रही है । यह सच है कि दिल्ली में मकानों की जबरदस्त कमी है । नगर निगम के प्राधिकारी और दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने में अक्षम है । इसलिए अनधिकृत निर्माण होते रहते हैं और बाद में, अनेकों बातों से मजबूर होकर इन्हें नियमित कर देना पड़ता है ।

यदि आप किसी बाजार में जायें तो यह दिखाई देता है कि आधी से ज्यादा सड़क फेरी वालों से घिरी हुई है । अधिकांश पटरियों (फुटपाथ) पर फेरी वालों का कब्जा है । यदि पुलिस वाले या नगर निगम के कर्मचारीगण वहां जाते हैं तो उन्हें रिश्वत मिल जाती है और वे चुपचाप वापस चले आते हैं । पैदल चलने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जब सड़कों पर फेरी वाले भरे रहते हैं तो लोगों के लिए खरीदारी करना भी टेढ़ी खीर हो जाती है ।

मुझे दिल्ली की स्थिति के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है । लेकिन मुझे बंगलौर की स्थिति के बारे में पूरी-पूरी जानकारी है जिसकी स्थिति दिल्ली जैसी ही है । बंगलौर शहर का विकास बहुत तेजी से हुआ है । 1961 में, उसकी आबादी मुश्किल से 9 लाख थी; 1971 में यह 16 लाख थी और अब यह आबादी 30 लाख है । 10 वर्षों के भीतर आबादी दो गुना हो गई है । बंगलौर का क्षेत्र भी अब 20 वर्ष पहले से चार गुना है । मैं आपको बता सकता हूं कि बंगलौर

शहर में आधे मकान अनधिकृत बने हुए हैं। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि शनिवार और रविवार को बंगलौर शहर में 100 मकान बन जाते हैं। यही स्थिति दिल्ली में भी है। बाद में सहानुभूतिवश या अन्य बातों के कारण बंगलौर शहर निगम के क्षेत्र में 121 अवैध निर्माणों को नियमित कर दिया गया है।

ज्यादातर लोग अधिकृत स्थानों के बजाय अनधिकृत स्थानों में रहते हैं। 20 वर्ष पहले बंगलौर शहर में 120 गन्दी बस्तियां थीं। आज 450 गन्दी बस्तियां हैं। अधिकांश बस्तियों पर अनधिकृत रूप से कब्जा लिया गया है और उनमें से अधिकांश बस्तियों का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है। इसके बावजूद हमें उन लोगों के कोप का भोजन बनना पड़ता है। मैंने सरकार को एक ऐसी गन्दी बस्ती की सूचना दी है जो हाल ही में बनी है और जिसमें दो सप्ताहों के भीतर हजारों झोंपड़ियों का निर्माण कर लिया गया है। हालांकि मैंने यह सूचना सरकार को दे दी है, परन्तु वह इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकी है क्योंकि सरकार भयभीत है। मैंने मुख्य मंत्रियों को कई कठोर पत्र लिखे हैं जिसमें मैंने लिख दिया है कि आपने कार्यवाही नहीं की तो मैं सत्याग्रह शुरू कर दूंगा क्योंकि बंगलौर शहर, जिसे एक सुन्दर शहर के रूप में माना जाता है, अब गंदी बस्तियों और अनधिकृत निर्माणों का शहर बनता जा रहा है।

ऐसा ही दिल्ली में भी हो रहा है। हम देखते हैं कि अनेकों अवैध मकानों का निर्माण हुआ है। अनधिकृत बस्तियां बनी हुई हैं। यदि उन्हें तोड़ा जाये तो सभी तरह की आपत्तियां उठाई जायेंगी।

इन सभी अनधिकृत निर्माणों के लिए और राजनीतिज्ञों को दोष दिया जाता है। अनधिकृत मकानों के लिए राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अधिकारीगण दोनों ही जिम्मेदार हैं। इसलिये, राजनीतिज्ञों को यह शपथ लेनी चाहिये कि "हम अनधिकृत निर्माणों के तोड़ने के बारे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।" राजनीतिज्ञों को हमेशा ही अनधिकृत निर्माणों को गिराने का समर्थन करना चाहिए। हमें भ्रष्ट कर्मचरियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। जब तक ये सभी उपाय नहीं किये जाते तब तक इस विधेयक का कोई सार्थक उपयोग नहीं होगा। इसलिये, सरकार और कानून बनाने वालों को यह समझना अत्यन्त आवश्यक है कि वे अनधिकृत निर्माणों को रोकने के लिए बनाये गये कानूनों को लागू करने में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

आपने कानून को कठोर और कारगर बनाने के लिये चार विधान प्रस्तुत किए हैं। परन्तु जब तक यह देखने के लिए कड़े कदम नहीं उठाये जाते कि इन कानूनों का कठोरता से पालन हो, तब तक कोई भी आर्थिक प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकेगा।

अनधिकृत निर्माण संबंधी बहुत से मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं। न्यायालय स्थगनादेश दे देते हैं। इस बीच अनधिकृत निर्माण कार्य चलता रहता है और 2 वर्ष में अनधिकृत निर्माण को मान्यता दे दी जाती है।

हाल ही में शहर के बीच बने गंगाराम भवन के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा जिसमें छः मंजिलें इमारत बनाने की मंजूरी दी गई थी। लेकिन इसमें नौ मंजिलें बनाई गईं और परिणाम-स्वरूप भवन गिर गया तथा इससे लगभग 100 व्यक्ति मारे गये। इस अनधिकृत निर्माण को निगम के प्राधिकारियों ने नियमित कर दिया था।

इसलिए हमें देखना चाहिए कि नियमों का कड़ाई से पालन किये जाने के लिए कुछ उपाय किए जाएं वरना नियोजित विकास करना किसी भी प्राधिकारी के लिए बहुत कठिन कार्य होगा।

इसके अतिरिक्त यह बहुत आवश्यक है कि आप पटरी-विक्रेताओं को नियमित करार दें। उन्हें कोई वैकल्पिक स्थान दें या यदि संभव हो तो उन्हें रोकें।

आप मंडी में जाइए या पहाड़गंज जैसे किसी स्थान पर जाकर देखिए। कोई स्थान खाली नहीं मिलेगा। सब जगह विक्रेताओं ने घेर रखी हैं। वहां जाकर आराम से ख़रीदारी नहीं की जा सकती है।

इसलिए, यह निश्चित है कि जब तक अधिकारी सख्ती नहीं करते तब तक इस संबंध में कुछ नहीं किया जा सकता।

इसलिए मैं सरकार, सांसदों, राजनीतिज्ञों तथा अधिकारियों से अपील करता हूं कि कानून बनाने के मार्ग में अड़चन न डाली जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो दिल्ली के विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा इसका सुव्यवस्थित ढंग से विकास न हो सकेगा और दिल्ली एक सुन्दर शहर के स्थान पर एक असुन्दर शहर बन कर रह जाएगा।

यही वक्त है कि इस ओर समुचित ध्यान दिया जाए। नई दिल्ली के लिए कुछ नियम और विनियम हैं इसीलिए यह शहर का सुन्दर हिस्सा है। आप पुरानी दिल्ली में जाइए। कितना अन्तर है दोनों में ! वहां आपको अनधिकृत निर्माण तथा अनधिकृत कब्जा दिखाई देंगे। यदि आप शहर के बाहरी इलाकों की ओर जायें तो आपको वहां अनेक अनधिकृत बस्तियां बनी हुई दिखाई देंगी।

इन्हीं समस्याओं के समाधान हेतु तथा शहर का सुन्दर ढंग से विकास करने के लिए ये उपाय किए गए हैं। लेकिन कानून बनाने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि उन्हें सख्ती से तथा तरीके से लागू न किया जाए।

इसलिए, श्रीमान्, जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है और जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है उसे दण्ड देने के लिए कोई पैनल्टी लगाई जाए, तभी कुछ किया जा सकता है अन्यथा कुछ नहीं किया जा सकता।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, एनक्रोचमेंट की वजह से जो दिक्कतें पैदा हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए बिलों में प्रावधान किए गए हैं। मैं समझता हूं कि दिल्ली की ही यह समस्या हो, ऐसी बात नहीं है। देश में जितने भी कास्मोपालिटन सिटीज हैं या राज्यों की राजधानियां हैं, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर हैं, देहात के लोग आकर वहां पर बड़े पैमाने पर बस रहे हैं, चूंकि दिल्ली देश की राजधानी हैं, इसलिए और जगहों के मुकाबले में यहां ज्यादा तादात में लोग आकर बसने का प्रयास कर रहे हैं।

लोग कई कारणों से शहरों में आते हैं। एक तो गरीब लोग आते हैं रोजगार पाने के लिए, क्योंकि जहां वे रहते हैं, वहां उनको रोजगार नहीं मिलता, नौकरी और व्यापार के अलावा यहां पर लोग अच्छी सुविधाएं शिक्षा और मैडिकल फैसिलिटीज आदि के लिए आते हैं। यहां पर जो एनक्रोचमेंट्स हो रहे हैं, उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर एकांगी तरीके से, केवल इसी पक्ष को सामने रख कर अतिक्रमण को रोकना चाहेंगे, तो शायद यह सम्भव नहीं हो सकेगा। इससे सम्बन्धित जो दूसरे सवाल हैं, उनका समाधान भी निकालना होगा। लोगों को शहरों की ओर आने से रोकने के लिए सब इलाकों का विकास करने और वहां पर सब सुविधाएं पहुंचाने की जरूरत होगी, जिसमें सरकार सफल नहीं हो रही है।

आवास की समस्या बहुत गम्भीर समस्या है और उसको हल करते के लिए सुनियोजित तरीके से पूरे देश के पैमाने पर काम करने की जरूरत है, मगर सरकारी नितियों में उसका घोर अभाव पाता हूं। इसी वजह से हर जगह ये सवाल पैदा हो रहे हैं और उसके शिकार आम तौर पर गरीब लोग होते हैं। दिल्ली में भी हमला उन्हीं लोगों पर होता है, जो गरीब हैं और अनएथाराइजड तरीके से बसे हैं। दूसरी जगह में भी जब एनक्रोचमेंट के विरुद्ध ड्राइव चलता है तो उसके शिकार वही लोग होते हैं, जो हैल्पलेस, मजबूर और गरीब हैं, जिनकी कोई पैरवी और

4.00 म० प०

मदद नहीं है। इसलिए दिल्ली में जिस तरह से लोगों का आना-जाना शुरू हो रहा है वह सिलसिला चला तो मैं नहीं समझता इस तरह का कानून बनाने से इस समस्या का समाधान सम्भव हो सकेगा। दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से यहां पर जो कई प्रकार की सहूलियतें मिलती हैं उनकी वजह से बिभिन्न राज्यों के लोग यहां पर आते रहते हैं। मेरा राज्य बिहार, जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है और बहां पर उद्योग पनप नहीं रहे हैं और वहां पर समान सहूलियतें का अभाव रहता है, वहां के लोग जब दिल्ली की सहूलियतों की तरफ देखते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे बिहार से भी बड़ी तादात में लोग यहां पर आए हैं। इसी प्रकार से यू० पी० तथा इन प्रदेश के लोग भी यहां पर आ रहे हैं उनको आप कैसे रोकेंगे। वास्तव में जो चीज इसकी बुनियाद में हैं जिसकी वजह से दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है या कुछ आस-पास जगहों पर बढ़ती जा रही है मूलभूत कारणों को पकड़ने की आवश्यकता है तथा एक समयबद्ध प्रोग्राम बनाकर उनको हल किया जाना चाहिए।

जहां तक इस कानून का सम्बन्ध है, स्वभाविक है कि हर आदमी चाहेगा कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण न हो लेकिन पब्लिक लैंड एक बड़ा वेग शब्द है; कहीं पर सड़क का अतिक्रमण होता हो या सार्वजनिक दृष्टिकोण से किसी महत्वपूर्ण स्थान का अतिक्रमण होता हो तो जाहिर है ऐसी जगहों का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए लेकिन अगर कोई भरती लैंड है सरकार की और वहां गरीब बसते हैं तो जब तक उनके लिए कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था न कर दी जाए तब तक उनको वहां से न हटाया जाए। यहां पार्लियामेंट में कई बार चर्चायें चली हैं, बहुत सारी अन-अथराइज्ड कालोनीज को रेगुलराइज भी किया गया है लेकिन बहुत कालोनीज को रेगुलराइज नहीं किया गया है। उन कालोनिज को भी रेगुलराइज किया जाना चाहिए। जहां पर सरकार समझती है कि उनको रेगुलराइज नहीं किया जाना चाहिए या जिनको हटाना सरकार उचित समझती हो तो जब तक उनके लिए कोई आल्टरनेटिव व्यवस्था न कर दी जाए तब तक उनको नहीं हटाना चाहिए। इस बिल में आप पावर ले रहे हैं, ठीक है, पनिशमेंट बढ़ना चाहिए और कार्यवाही होनी चाहिए लेकिन जो गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रह रहा है उसको आप वहां से बिना आल्टरनेटिव अरेन्जमेंट के हटा देंगे तो उससे सरकार की नीतियों का उल्लंघन भी होगा। उसके लिए आवास की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार यदि कहीं पर किसी को हटाना आवश्यक भी समझती हो तो उसके लिए पहले दूसरी व्यवस्था कर दी जाए फिर उसको हटाया जाए। दिल्ली में आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं और कई माननीय सदस्यों ने उस बात की ओर इशारा भी किया है कि जो ऐंटी एन्क्रोचमेंट ड्राइव चलाए जाते हैं उसमें आम तौर पर बड़े लोगों को नहीं चुना जाता है। इमरजेन्सी के टाइम में भी हमने देखा था कि ऐंटी एन्क्रोचमेंन्ट ड्राइव्ज चलाए गए, उनमें गरीब लोगों की झोपड़ियां जरूर तोड़ी गईं लेकिन सिनेमा के मालिक रोड पर सिनेमा बनाए रहे और बड़े-बड़े मकान भी बने रहें या जो इंडस्ट्रियल इस्टैबलिशमेन्ट्स हैं उनको टच नहीं किया गया। एमरजेन्सी के टाइम में भी उनको नहीं छुआ गया। उस समय यह रिजेन्टमेंट था कि गरीब लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और अमीरों को बख्शा जा रहा है। मैं तो समझता हूं कि इस सिलसिले में इस बात का जरूर प्रयास होना चाहिए कि ऐसे लोग जो कि इम्पोर्टेन्ट जगहों पर बसे हुए हैं और वे लोग सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से बैठे हुए हैं, ऐसी जगहों पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए और ऐसे लोगों को इन कानूनों के अन्तर्गत न छोड़ा जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी मेरी ओर देख रहे हैं कि शायद मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, मैं इस पर और ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस पर बोलने को और कुछ है भी नहीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्रीमान् सभा में प्रस्तुत विधेयक में सामान्यतः अनधिकृत वास तथा कब्जे का जिक्र किया गया है। लेकिन इस समस्या के साथ न्याय तभी हो सकता है जब इसे व्यापक रूप से देखा जाए।

यह समस्या राजधानी में बढ़ती हुई जनसंख्या की बढ़ती हुई आवश्यकता है। सभा भली-

भांति जानती है कि दिल्ली के देश की राजधानी होने के कारण यह स्वीकार किया गया था कि इसके विकास के लिए उचित योजना होनी चाहिए। दिल्ली मास्टर प्लान 1961 में ही बन गया था। मैं इसका जिक्र इसलिए करना चाहता हूं ताकि इस समस्या की उत्पत्ति के बारे में पता चल सके। इस मास्टर प्लान में दिल्ली में तथा दिल्ली के आस-पास की 30,000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण तथा विकास की योजना बनाई गई थी। यह लक्ष्य बीस वर्ष में अर्थात् 1981 तक पूरा किया जाना था। लेकिन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मास्टर प्लान के अंतर्गत अब केवल 9,800 लगभग 10,000 एकड़ भूमि विकसित की गई है। मुझे पता नहीं कि 30,000 एकड़ के लक्ष्य में से भूमि अधिग्रहण का लक्ष्य कितना पूरा किया गया है। जब जमीन का अधिग्रहण किया गया था तब अधिकतर भूमि का विकास नहीं किया गया और सरकार द्वारा या उसकी किसी एजेंसी द्वारा कोई निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया गया। यह स्वाभाविक है कि भूमि खाली पड़ी है। लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए। आप इस बात को समझेंगे कि इंसान की न्यूनतम आवश्यकता मकान है। इंसान की यह न्यूनतम आवश्यकता है जिसे और कम नहीं किया जा सकता है। इसलिए इन परिस्थितियों में सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ है और अनधिकृत बस्तियों का निर्माण हुआ है।

मैं आपको प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में से कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। प्रतिवेदन में कहा गया है कि 611 से भी अधिक अनधिकृत बस्तियां हैं और आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि अब तक निर्मित ऐसे मकानों के बारे में क्या किया गया है। बहरहाल, सरकार द्वारा 1974-75 में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार 1,42,030 मकान थे जिनमें से 1,21,168 रिहायशी और 3,258 वाणिज्यिक थे तथा लगभग 9,000 मकान रिहायशी व वाणिज्यिक आदि थे। मैं यह आंकड़े इस बात पर जोर देने के लिए दे रहा हूं कि लोगों को विवश होकर अनधिकृत मकान बनाने पड़े। क्योंकि उन्हें अपनी नैसर्गिक आवश्यकता की पूर्ति करनी थी। अत: यह बात आवास समस्या से जुड़ी हुई है। यदि आप इसे इस दृष्टि से नहीं देखते तो इस विधेयक का प्रयोजन ही सिद्ध नहीं होगा।

मेरे कुछ मित्रों ने उल्लेख किया है कि 1975 में मकानों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में प्रतिवर्ष 48,000 मकानों की आवश्यकता है। 1975 के बाद से काफी संख्या में लोगों के दिल्ली आने के कारण यह संख्या बहुत बढ़ गई हैं। इसलिए मकानों की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए यहां जो आंकड़े दिए गए हैं उससे अनुमान अधिक होने चाहिए, लेकिन आवासीय मांग की पूर्ति हेतु सरकार ने क्या किया है? प्रति वर्ष 15,000 से अधिक मकान नहीं बन पाए। जबकि आवश्यकता प्रतिवर्ष 90,000 मकानों की है। अत: मांग का 1/6 हिस्सा ही पूरा किया गया है। मूल समस्या यह है और जब तक यह हल नहीं हो जाती तब तक कानून बनाने से कोई लाभ नहीं होगा।

अब मेरे बिचार में दिल्ली विकास प्राधिकरण पंगु हो गया है और ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। वहां कई स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई बार माननीय सदस्यों ने वहां

व्याप्त भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है। मैं यह नहीं चाहता कि यह प्राधिकरण समाप्त कर दिया जाए। लेकिन दिल्ली के विकास का कार्य शुरू किया जा सकता है। इस अवसर पर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के माध्यम से एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर दिल्ली तथा इसके आस-पास के स्थानों पर मकान बनाने में तेजी लाए। अन्यथा समस्या हल होने के बजाय बढ़ती ही जाएगी।

अब प्रश्न यह है कि दिल्ली में एक लाख से भी अधिक मकान अनधिकृत ढंग से क्यों बनाए गए हैं? यह काम प्राधिकारियों की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता था। लेकिन इसमें राजनीतिक दलों का भी हाथ है। अनधिकृत बस्तियां बसाने में कई लोगों का स्वार्थ निहित है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब हम उनसे वोट मांगने जाते हैं तो यदि वे अधिकृत बस्ती में रहते हों या अनधिकृत बस्तियों में हम उन्हें आश्वासन देते हैं ताकि उनके वोट प्राप्त कर सकें। श्री वेंकटसुब्बय्या भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा कर सकते हैं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्री चित्त बसु भी अपने निर्वाचन क्षेत्र में ऐसा ही करेंगे।

श्री चित्त बसु : इसलिए, श्रीमान, इसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठ-गांठ है—गरीब जनता के साथ नहीं बल्कि प्राधिकारियों के साथ। इसमें गरीब जनता का कोई दोष नहीं है, क्यों इन लोगों को तो तथाकथित एसोसिएशन में संगठित किया जाता है जिसका मुखिया कोई प्रभावशाली व्यक्ति ही होता है। वे प्राधिकारियों से मिलकर संस्था के नाम कुछ भूमि घेर लेते हैं। यह बहुत लाभप्रद धंधा है जिसकी जानकारी सरकार को है। विभाग भी जानता है, प्राक्कलन समिति को यह जानकारी दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने अपने साक्ष्य के दौरान दी थी। उन्होंने कहा था; "दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिकारियों को जिम्मेदारी बहुत ही कम या बिल्कुल ही नहीं दे रखी है।" किसी भी अधिकारी को ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं सौंपा गया है कि वह अनधिकृत कब्जों को रोके। यह बात दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने स्वीकार की थी।

क्या यह नहीं समझा जा सकता कि इस मामले में कोई सांठ-गांठ है। मंत्रालय ने भी यह बात स्वीकार की है। लेकिन वे समस्या को बनाये रखना चाहते हैं। यह संशोधन कारी विधेयक भी इस समस्या का हल नहीं है। वे करना क्या चाहते हैं। वे अनधिकृत निर्माण को रोकने का प्राधिकार चाहते हैं। संशोधन में कहा गया है कि एक ट्रिब्यूनल या कई ट्रिब्यूनल होंगे। किसी अवस्था में अवैध निर्माण को रोकने की शक्ति मिल जाने से आवास की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती। ट्रिब्यूनल बनाने से आवास-समस्या हल नहीं हो सकती क्योंकि अवैध निर्माण की समस्या आवास की मांग से जुड़ी हुई है। जब तक आवास की मांग की पूर्ति नहीं होती, अवैध निर्माण की समस्या यूं ही बनी रहेगी।

ट्रिब्यूनल बनाने का प्रावधान तो किया जा रहा है लेकिन जहां तक मैं समझता हूं,

ट्रिब्यूनल के सामने रखे जाने वाले मामलों की सुनवाई के बारे में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं दिये गए हैं। क्या उचित ढंग से निर्धारित दिशा-निर्देशों के न होने से कोई ट्रिब्यूनल या अपीलीय प्राधिकरण पूर्वाग्रह या अन्य किसी आधार पर अपना निर्णय कर सकता है ? महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ट्रिब्यूनलों के लिए सुगठित तथा उचित ढंग से तैयार किये गए दिशा निर्देश हों ताकि वे अपने सामने आने वाले मामलों को समान रूप से निबटा सकें। मुख्य समस्या यह है और मैं समझता हूं कि सरकार मेरे सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करेगी।

अंत में रेलवे की भूमि के बारे में कहना चाहूंगा। यद्यपि वह वर्तमान विधेयक से संबंधित नहीं है। इस बारे में सभा में कई बार कहा जा चुका है। मेरे क्षेत्र में, सीमा के पार से आए हुए तथा असहाय लोग रेलवे की भूमि पर आ बसे हैं। उन्हें वहां अपनी छोटी-छोटी झोपड़ियां बना लेनी पड़ीं। उस भूमि का रेलवे को कुछ नहीं करना है। मैंने रेलवे से पूछताछ की थी कि उनकी उस भूमि पर किसी कार्य का विस्तार करने या विकास करने की योजना तो नहीं है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : रेल प्रशासन, यदि मेरी जानकारी सही है, ने यह निर्णय लिया है कि उनकी फालतू जमीन को या तो पट्टे पर दे दिया जाए अथवा बेच दिया जाए। रेल मन्त्री महोदय ने इस बात की घोषणा सदन में भी की थी।

श्री चित्त बसु : इसे स्वीकार कर लिया गया है तो मैं बहुत खुश हूं और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। यदि इन जमीनों की रेलवे के विकास अथवा विस्तार कार्यक्रम के लिए आवश्यकता नहीं है तो उस जमीन को पट्टे पर क्यों नहीं दे दिया जाना चाहिए अथवा बेच दिया जाना चाहिए ? यदि यह काम कर दिया जाता है तो मैं उस नीति के लिए सरकार को धन्यवाद दूंगा।

मेरा अंतिम मुद्दा यह है : जैसा कि मेरे मित्र श्री यादव ने बताया, यदि इस कानून को 611 अनधिकृत कालोनियों, जिनमें से अब तक कुछ अधिकृत अथवा नियमित हो जानी चाहिए, में कार्यान्वित हो जाता है, तो वहां कुछ कालोनियां बनने की प्रत्येक संभावना है जिन्हें गिरा दिए जाने की आवश्यकता है। यदि इन कालोनियों को गिरा दिया जाता है तो ये गरीब लोग कहां जाएंगे। इसलिए. पुनर्वास का प्रश्न सामने आता है। अतएव, इन विधेयकों में न केवल आवास की बढ़ती हुई मांग को पूरी करने के बारे में ही विचार किया जाना चाहिए बल्कि उन लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करने की आवश्यकता को पूरी करने के लिए भी विचार किया जाना चाहिए जो सरकारी कार्यवाही के फलस्वरूप उजड़ जायेंगे।

दिल्ली विकास प्राधिकरण मकान गिराने वाला प्राधिकरण नहीं होना चाहिए, बल्कि यह कार्य ऐसे प्राधिकरण को सौंपा जाना चाहिए जिसके अन्दर मानवतावादी दृष्टिकोण हो, जिसके अन्दर उचित-अनुचित की जांच करने का दृष्टिकोण हो। इसे यह देखना चाहिए कि

लोगों को बे घर नहीं छोड़ दिया जाता है, बल्कि उन्हें आवास प्रदान किया जाता है ।

धन्यवाद ।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दिल्ली नगर विकास संशोधन बिल मन्त्री जी लाए हैं, इस पर पहले भी कई बार संशोधन हुआ है । आज, दिल्ली अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की एक महानगरी है । दुनिया की भाग-दौड़ के अनुसार इसको बनाने का काम सरकार का है । इसके लिए सरकार ने कई एजेंसियां बना रखी हैं । यह कहा गया है कि योजनाबद्ध तरीके से इसका डवलपमेंट होगा । अभी बसु साहब ने भी कहा और मैं भी कहना चाहूंगा कि 22-23 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्लान्ड-वे में दिल्ली को नियंत्रित नहीं किया जा सका है । मैं समझता हूं पांच-सात लाख ऐसे व्यक्ति हैं जो गैर-कानूनी ढंग से दिल्ली में बसे हुए हैं और रोजी-रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं । यह बात सही है कि रोटी, कपड़ा और मकान जो कि बुनियादी आवश्यकताएं हैं, सारे हिन्दुस्तान के लोग दिल्ली की ओर भाग-दौड़ कर रहे हैं । इसलिए, आवासीय व्यवस्था के भयंकर अभाव में वे कानून को तोड़कर अवैध कालोनियों में झोपड़ियां डाल कर बस रहे हैं । आपने 147 कालोनियों को नियमित करने का प्रयास किया है । लेकिन, अभी-भी हजारों कालोनियां हैं, जिनको नियमित करना पड़ेगा । पचासों किलोमीटर के क्षेत्र में कालोनियां बनती जा रही हैं । ज्यादातर गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले लोग हैं । एक तरफ तो बड़ी-बड़ी अट्टालिकाएं और भवन बन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी देश के नागरिक झोपड़ियों में जानवरों की तरह रह रहे हैं । इसी प्रकार रेलवे जमीन पर भी कब्जा किया हुआ है । यहां का प्रशासन इतना निकम्मा हो गया है कि गरीबी की रेखा से जो नीचे जी रहे हैं, उनको बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाता है । आपके बीस सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत भी लोगों को आवास देने की व्यवस्था है, लेकिन आप वह भी नहीं दे पाये हैं । यदि आपकी कोई प्लानिंग होती तो जिस तरह से दिल्ली बढ़ती जा रही है, जमुना के उस पार और पुरानी दिल्ली में बहुत से गांवों में, जहां मास्टर प्लान के अंतर्गत जमीन प्राप्त की गई है, पहले 30 हजार एकड़ से भी अधिक भूमि अर्जित करने की योजना थी, लेकिन अभी तक एक तिहाई जमीन पर भी बिल्डिंग नहीं बन पाई हैं । इसलिए डी० डी० ए० ने अभी उतनी सफलता प्राप्त नहीं की है, जितनी उससे अपेक्षा की गई थी । यदि योजना के अनुसार कालबद्ध तरीके से काम होता तो निश्चित रूप से इस सुरसा की तरह से बढ़ती जा रही आवासीय समस्या को हल किया जा सकता था । लेकिन डी० डी० ए० की जो मंथर गति है, हुडको के जिस तरह से कार्यक्रम चल रहे , वह सब कागजों में महज दिखावा है, जिसमें बयानबाजी ज्यादा होती है लेकिन जमीन के ऊपर कहीं कुछ दिखाई नहीं देता । फिर जो भी भवन हमारे डी० डी०. ए० के द्वारा बनाए जा रहे हैं, सब धंसते जा रहे हैं, बनते-बनते कौलेप्स हो रहे हैं । विकासपुरी और कई दूसरी कालोनियों के बारे में अभी हमें पढ़ने को मिला । कहीं पानी की टंकियां बन रही थीं बनते-बनते कोलैप्स हो जाती हैं, लेकिन उनको जिन इंजीनियर्स ने बनाया था, उनकी प्रोमोशन कर दी जाती है, बजाए उनको सजा देने के, जो सब-स्टैन्डर्ड माल प्रयोग में लाते हैं, सीमेंट, लोहा, बालू में इतनी गड़बड़ करते हैं, जिसके कारण भवन टूट कर गिर जाते हैं, पता नहीं हम

इस देश में किस तरह से काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने आज से 300 साल पहले जो निर्माण किया था, यदि उसको देखा जाए तो उसकी एक ईंट भी अभी तक नहीं हिली है, जबकि हमारी आज की बनी बिल्डिंग एक या दो साल में कोलैप्स होकर गिर जाती हैं। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए रेलवे स्टेशन आज भी बरकरार हैं, उनकी एक ईंट भी नहीं हिलती। हमारे द्वारा बनी बिल्डिंगों में कहीं बालू झड़ रहा है कहीं कुछ टूट रहा है और कई भवन तो उद्घाटन के पहले ही कोलैप्स हो जाते हैं। हमारी जिस तरीके से बेईमानी चलती है, यदि उसको पार्टीबाजी कहा जाए, दलगत आधार पर चलती है। यदि शिकायत की जाती है तो कहा जाता है कि अपोजीशन का मेम्बर बोल रहा है, इसलिए उस इंजीनियर को प्रोमोशन दे दो। यदि हम इसी तरीके से चले तो क्या देश का विकास सम्भव है, ईमानदारी से कोई काम यहां हो सकता है। ऐसे ही यदि कोई कानून इस देश में बनाया जाता है, आयुक्त को पावर दी जाती हैं, अपीलीय अधिकरण बनाया जाता है तो अच्छी बात है लेकिन उसमें सारे काम ईमानदारी से चलेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इस तरह के सारे कामों में फिर वही नीति चलेगी कि चूंकि यह सत्ता पक्ष से सम्बन्धित है, इसलिए वह काम ठीक है, भले ही कोई कितना इल्लीगल बनाये, गैर-कानूनी ढंग से निर्माण करे, उसको पूरी छूट मिलेगी। यदि सही मायनों में देखा जाए कि इसके साथ हजारों वर्षों का प्रश्न जुड़ा है, दिल्ली को साफ सुथरा रखने का प्रश्न जुड़ा है, दिल्ली को सुन्दर बनाने का प्रश्न जुड़ा है, भले ही किसी पार्टी की सरकार आये, वह पहले इस देश की सरकार होगी, इसलिए सबके साथ इम्पार्शयल निष्पक्ष होकर काम हो, तभी हम सच्चे तरीके से विकास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आज भी अवैध कन्सट्रक्शन जारी हैं, झुग्गी-झोपड़ियां बनती जा रही हैं, क्योंकि वे आपके वोटर हैं। जब भी वोट का समय आयेगा, वहां पर रात में मुर्गा और शराब के दौर देखने को मिलेंगे और वे स्थान होटलों में बदल जाते हैं। भले ही उसके बाद उनको कुछ न मिले, राशन न मिले, अथवा पानी की व्यवस्था न हो, लेकिन इलेक्शन के दिनों में सारी सुविधाएं शराब, मुर्गा, सब कुछ पानी की तरह उपलब्ध करवा दी जाती हैं। यदि उनको हम ठीक तरीके से बसाने का काम करें तो हमारा वोट लेने का मकसद पूरा नहीं होगा। मेरा मतलब सत्तारूढ़ दल से है क्योंकि हम सब एक ही पौलिसी पर चलते हैं, चाहे कांग्रेस आई हो या जनता पार्टी हो, जबकि हमें निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। लेकिन होता यह है कि यदि वह हमको वोट देगा तो भारत के किसी भी कोने में कहीं पर अवैध निर्माण क्यों न कर ले, उसको बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि हमें उससे काम लेना है। कहीं इस तरह से कानून लागू होगा? हरगिज नहीं। आपका संशोधन स्वागत योग्य है, मैं समर्थन करता हूं। लेकिन देश की आदर्श महानगरी के रूप में दिल्ली बनाने के लिये ईमानदारी होनी चाहिये। और यदि कानून लागू करते समय भेदभाव बरता तो अच्छा नहीं होगा। कानून के अन्दर क्या प्रौवीजन होगा यह स्पष्ट नहीं है। फिर से इसके लिये नियम बनायेंगे, और जो चमचागीरी करने वाले अधिकारी हैं वह अगर बनायेंगे नियम तो उनमें निश्चित लूपहोल्स होंगे। इसलिये आपको एक कांप्रीहेंसिव बिल लाना चाहिये था।

दिल्ली में प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक छोटे या बड़े वीकर सैक्शन्स के लिए प्लान्ड वे में मकान बनने चाहिए। आप देखें जमुना पार 10,15 किलो मीटर तक अनऔथराइज्ड मकान बन रहे

हैं जहां पानी बिजली की कोई व्यवस्था नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसी बस्तियां आप बनने देते हैं। डी० डी० ए० या म्युनिसिपल कारपोरेशन के अधिकारी कहां गये थे जब इस तरह के गलत मकान बनते हैं? बाद में आप उनको तोड़ते हैं। पहले ही क्यों नहीं रोकते जो तोड़ते की नौबत ही न आये? आखिर विभागीय अधिकारी क्या पशुपालन विभाग की तरह हैं कि चारा मिल रहा है और खा रहे हैं? क्यों नहीं इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होने वाले क्षेत्रीय अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती? ऐसा इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। होना यह चाहिए कि जिन अधिकारियों के रहते इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। इसमें कई कमियां रह गई हैं, जिन पर विचार करना चाहिए।

डी० डी० ए० के वाइस चेयरमैन सबसे बड़े करोड़पति हैं। हम चिट्ठी लिखते हैं बात करने के लिए समय मांगते हैं उनका कोई जवाब नहीं आता। उनको हम लोगों से बात करने की फुरसत नहीं है। साधारण जनता का क्या हाल होता होगा, आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं। भयंकर गलतियां होती हैं, इंटरेस्ट गलत लगाते हैं, जब से फ्लैट अलाट होता है उससे एक साल पहले से इंटरेस्ट लगा दिया जाता है। आप बतायें कैसे काम चलेगा? मिलने का समय नहीं मिलता है इसलिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को बाहर करना चाहिए जो हमारी बात भी नहीं सुन सकते। जो भी संसोधन यहां होता है उससे और भ्रष्टानार करने का अवसर अधिकारियों को मिलता है। ऐसी स्थिति में कैसे आप दिल्ली को साफ सुथरा बनायेंगे? वैसे तो रेलवे का मास्टर प्लान बना था। रेलवे में 1981 में मल्लिकार्जुन साहब थे उन्होंने बताया था कि रेलवे में मास्टर प्लान बनाया है जिस-जिस स्टेशन पर बहुत ज्यादा जमीन है वहां डिपार्टमेंटल फ्लैट्स बनाकर गरीबों को देंगे लेकिन यह फ्लैट्स अभी तक नहीं बन पाये हैं। कानून कागज पर ही रह जाता है, जमीन पर नहीं आता, इसीलिए समस्याएं बढ़ती जाती हैं। सरकार को इसमें स्पष्ट प्रावधान करना चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस दिशा में विचार करेंगे।

श्री टी० एस० नेगी (टिहरी गढ़वाल) उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली के संबंध में ये विधेयक लाये गये हैं। वैसे तो दिल्ली बहुत बड़ी बन रही है, जाने कितने हजारों लाखों लोग यहां बसने के लिए आते हैं, इसका कोई अंदाजा नहीं है।

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और आउटर दिल्ली में जो कालोनीज बस रही हैं, उनमें अन-अथोराइज्ड ढंग से जमीन पर जिनका कब्जा है, उनको निकालने के लिए सारी साजिश है। अलग-अलग प्रदेशों में जब लैंड रिफार्म्स हुए तब भी बड़े-बड़े लोगों ने बहुत जमीनें अपने पास रख लीं। जमीन की सीलिंग फिक्स की गई थी लेकिन किसी न किसी तरह उन लोगों ने हजारों एकड़ जमीन अपने पास रख ली। दिल्ली में जो पोलीटीशियन्ज हैं, बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने भी कितनी ही जमीन ग्रेव कर रखी है, इसका अन्दाजा नहीं है। यहां लोग लखपति और करोड़पति बन गए हैं, उन्होंने कालोनीज बनानि का व्यापार कर रखा है। कुछ लोग आर्गेनाइजर बन गये हैं जो किसानों से सस्ते दामों पर जमीन खरीदते हैं और ऊंचे दामों पर लोगों को बेच देते हैं। डी० डी० ए० ने भी किसानों से सस्ते दामों पर जमीन ली है और बहुत ऊंचे दामों पर बेच दी है।

यहां नियम और कानून बनाये जाते हैं, लेकिन उनका पालन नहीं होता है। जितने सरकारी क्वार्टर्स हैं, मैं समझता हूं कि उनमें में हजारों लोगों ने सबलैट कर रखे हैं। जितनी नई बिल्डिंगें, एम० आई० जी० और एल० आई० जी० फ्लेट्स लोगों को एलाट हुए हैं, उनमें से बहुत से 30, 40, 60 हजार तक ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। कुछ लोगों ने यह धन्धा बना रखा है, ज्यादा से ज्यादा फ्लैट्स एलाट करवा लेले हैं और उसके बाद बेच देते हैं, इस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

आउटर दिल्ली में अलग-अलग कालोनीज के नागरिकों को सुविधाए प्राप्त नहीं हैं। नई दिल्ली के नागरिकों पर सुविधा की दृष्टि से अगर 80 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च किया जाता है तो आउटर दिल्ली के नागरिकों पर 10 रुपये प्रति व्यक्ति भी खर्च नहीं हो रहा है। वहां न बिजली है और न पानी है। उन लोगों को वहां से भी निकाला जा रहा है। जो लोग नौकरी करने और अपनी रोजी-रोटी कमाने के लिए आते हैं, उनको वहां से अलग किया जा रहा है, लेकिन जो बड़े-बड़े सरगना हैं जिन्होने सैंकड़ों एकड़ जमीन अपने कब्जे में कर रखी है, उनके ऊपर सरकार कार्यवाही नहीं करती है। जिन लोगों के लिए कालोनीज की व्यवस्था आप कर रहे हैं, उनके रहने के लिए मकान बनने चाहिए। कालोनीज में मल्टीस्टोरी बिल्डिगें बनें और उनके रहने के लिए जगह हो। मेरा अनुरोध है कि जो अन-अथौराइज्ड कालोनीज हैं, उन सबको रैगुलराइज किया जाए, उनकी सुख-सुविधाएं बढ़ें।

जो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, अगर सारे कानून उनके लिए ही बनने हैं तो ठीक है, लेकिन सरकार दावा करती है कि वह लोग उसके वोटर हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था कम से कम पहले होनी चाहिए। जो लोग यहां अपने खाने के लिए रोजगार धन्धा करने आते हैं, उनके रहने के लिए मकान तो चाहिए। मेरा कहना यही है कि इस कानून को पास करने से पहले जिनको आप निकालना चाहते हैं, उनकी उचित व्यवस्था करें।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, असल में झगड़ा इस बात का है कि दिल्ली दिल वालों की रहे या दलालों की। दिल्ली पर कब्जे के लिए दिल वाले हमेशा दलालों से लड़ते रहे, मगर दलाल लोग हमेशा कामयाब रहे और इस पर काबिज रहे। दिल वालों ने अपनी जिन्दगी देकर जो जमीन रखी हुई है, दलाली दिमाग उसको भी छीनने की साजिश कर रहे हैं। जमीन की कोई कीमत नहीं है। जब जमीन ले ली जाती है और उसकी कीमत का कोई अन्दाजा नहीं हो सकता। दीन-बन्धु चौधरी छोटू राम ने जमीन के बिकने पर पाबन्दी लगा दी थी, इसलिए सारी जमीन सरमायादारों के हाथों में जाने से बच गई। अगर वह एक लाख एकड़ जमीन बिक जाती तो आज उसकी कीमत बहुत कम होती।

दिल्ली के इर्द-गिर्द सारी जमीन मुनाफाखोरी के लिए खरीदी जाती है, चाहे वह डी० डी० ए० खरीदे सरकारी विभाग खरीदे या गैरसरकारी आदमी, किसान को अपने खेत से कितना प्यार होता है। इसलिए कम से कम इस शोषण को रोका जाना चाहिए।

हजारों लोग एक महल को बनाते हैं, लेकिन महल बन जाने पर वे झुग्गी झोंपडी में रहते हैं या खाना-बदोश बन जाते हैं। दिल्ली के आस-पास बीस, तीस, पचास मील के रकबे में जिन लोगों के पास जमीन थी, आज उनमें से किसी के पास भी जमीन नहीं है, आज जमीन उनके पास है, जिनके पास पहले जमीन नहीं थी और जो शोषण करते हैं। कानून उसके लिए बनता है, जो कमजोर और गरीब है। अगर कोई अपने मकान में रह रहा है, उसकी खुद की जमीन है, अगर वह अपने चार लड़कों को बसाने के लिए जमीन लेना चाहे, तो नहीं ले सकता।

मैं समझता हूं कि पचास मील के एरिया में काश्त के काबिल एक इंच भी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। किसी भी कीमत पर नहीं ली जानी चाहिए। जापान में टोकियो के पास सरकार ने अमरीकी हवाई अड्डे के लिए पांच एकड़ काश्त वाली जमीन लेनी चाही, तो वहां की सारी जनता ने आन्दोलन किया कि जो जमीन एक दाना भी पैदा करती हो, उसको जाया नहीं करना चाहिए। यहां पर ओबराय वगैरह उद्योगपतियों और मंत्रियों के फार्म हैं। उनको एक्वायर करना चाहिए, लेकिन उनको कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन गरीब आदमी, किसान या दुकानदार की छोटी-सी झोंपड़ी को उजाड़ दिया जाता है।

सरकार किसान को उसकी जमीन की ठीक कीमत देने के बारे में जो कानून ला रही है, इसके लिए मैं उसको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार और आपोजीशन को मिलकर इस कोशिश को कामयाब बनाना चाहिए। यह बिल पास हो जाए किसी तरह से तो अच्छा होगा लेकिन एक निश्चित नियम बनाया जाना चाहिए। पुराने जमाने का जो नियम था कि उत्तम आदमी गांव के बीच में रहेगा और जो कनिष्ठ है, शूद्र है, अति शूद्र है, बैकवर्ड है, पिछड़ा है, वह गांव से बाहर जाएगा, वही नीति दिल्ली में भी चल रही है। दिल्ली के दिल में तो रहते हैं राजा-रानी जो कि दलाली करते हैं और दिल्ली से बाहर उन लोगों को फेंक दिया जाता है जो कि दिल्ली बनाते हैं बस इतना ही मैं कहूंगा। धन्यवाद।

4.46 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, जिन चार विधेयकों पर यहां बहस चल रही है वह दिल्ली के विकास से सम्बन्धित हैं। मेरे खयाल से सचमुच में जिनका विकास होना चाहिए, गरीब श्रेणी के लोगों का, उनके विकास पर विशेष ध्यान की आवश्यकता है। दिल्ली में सारे लोग बाहर से आ रहे हैं। दिल्ली बहुत आकर्षक बनती जा रही है तो स्वाभाविक है बाहर से लोग यहां पर आयेंगे—कुछ तो रोजी की तलाश में और कुछ दूसरे कामों से। यदि आप ऐसे लोगों को देहातों में ही रोजी दे सकें और वे वहीं रहने के योग्य अपने को महसूस कर सकें तो जाहिर है वे दिल्ली नहीं आयेंगे। और यह बात केवल दिल्ली के लिए ही नहीं है, जितनी भी प्रदेशों की राजधानियां हैं सभी में लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और बसते जा रहे हैं। मुख्य रूप से लोग

वहां रोजी की तलाश में ही आते हैं। यहां पर आकर जब उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलती है तो जो भी परती जमीन हो चाहे सरकारी या मजरूआ आम या खास— उस पर रहने लगते हैं। बाद में सरकार उनको वहां से उजाड़ती है, तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि लोग यहां पर आते क्यों हैं ? क्या लोग शहरों की चकाचौंध से आकर्षित होकर आते हैं या मजबूरी में आते हैं ? मेरी समझ में तो ऐसे गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं है और रोजी-रोटी का साधन नहीं है वे सोचते हैं कि शहर में चलेंगे तो लाभ होगा। तो इस तरफ भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इससे एक तो बेकारी कम होगी और शहरों पर दबाव भी कम होगा। देहातों में रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह बात भी ठीक ही कही गई कि बड़े-बड़े लोग तो शहर के अन्दर रहेंगे और गरीब यमुना के पार रहेंगे। मैं समझता हूं नयी दिल्ली और पुरानी दिल्ली—दोनों के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। दोनों जगह के नागरिकों को एक नजर से देखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि यहां पर बड़े-बड़े लोगों ने अनधिकृत रूप से कितनी जमीनों पर कब्जा कर रखा है, गरीबों को तो आप तुरन्त पकड़ लेते हैं लेकिन आपको यह भी पता नहीं होगा कि जो आपके अधिकारी इन कायदे-कानूनों को लागू करेंगे उन्होंने तो अनधिकृत रूप से जमीनों और मकानों पर कब्जा नहीं बना रखा है। इसलिए इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए ताकि जो रक्षक होते हैं वह भक्षक न बन जायें।

ये बिल दिल्ली से सम्बन्धित हैं। मैं दूसरे शहरों की बात कहूंगा तो आप कहेंगे उनसे इसका सम्बन्ध नहीं है। लेकिन यदि दिल्ली को ही आप स्वर्ग बना दें और विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों को नरक बना कर रखें तो आपकी जितनी प्रशंसा होनी चाहिए वह नहीं होगी। आप कहेंगे कि वह तो राज्य सरकारें करेंगी लेकिन मेरा निवेदन यह है कि राज्यों की राजधानियों की तरफ भी आपका ध्यान जाए। मैं मंत्री जी को वहां आने के लिए दावत देता हूं। वे कभी पटना नहीं गये हैं। केवल एक रात वहां बिना मच्छरदानी के रहें, तो अन्दाजा लग जाएगा। पटना क्या है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : पाटलिपुत्र।

श्री रामावतार शास्त्री : पाटलिपुत्र क्या है ? आप वहां सो नहीं सकते।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह मौर्य सम्राटों की भूमि है।

श्री रामावतार शास्त्री : वहां आपको दुर्गन्ध मिलेगी। सेक्रेटेरियेट वाले इलाके में ऐसा नहीं है। श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, तो मंत्री वहां पर रह चुकी हैं, वे जानती होंगी कि जो सेक्रेटेरियेट का इलाका है, वह ठीक है और साफ-सुथरा इलाका है और अधिकारियों के रहने के जो इलाके हैं, वे भी साफ-सुथरे हैं लेकिन बाकी जो इलाके हैं, उनमें दुर्गन्ध रहती है और गन्दगी रास्ते

में फैली हुई रहती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरे शहरों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। आप वहां की सरकारों के साथ विचार करके इसको कीजिए। आप उनको पैसा देते हैं और शहरों में गन्दी बस्तियों के नाम पर करोड़ों रुपया वहां की सरकारों को देते हैं। यह आप ठीक करते हैं और मेरा कहना तो यह है कि इसमें वृद्धि होनी चाहिए लेकिन वह पैसा जो देते हैं, वह उसी काम में इस्तेमाल होना चाहिए। ब्लाक ग्रान्ट के नाम पर आप पैसा दे देते हैं और वह दूसरे कामों पर इसको खर्च कर देते हैं। न नालियों की सफाई होती है और न अन्डरग्राउन्ड नाले बनते हैं और इस तरह से समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। आप कारपोरेशन को पैसा दीजिए, नगरपालिकाओं को पैसा दीजिए ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने शहरों के विकास में कुछ सहायक बन सकें। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक ही आथेरिटी रखिये। हमारे पटना में तो चार-चार आथेरिटीज हैं, एक हाऊसिंग बोर्ड है, पी० एच० ई० डी० अलग है, कारपोरेशन अलग है और पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, जिसका अब नाम बदल गया है, वह अलग है। इन सबमें कोई कोआर्डीनेशन नहीं है। मेरा कहना है कि इन सबमें कोआर्डीनेशन होना चाहिए ताकि काम ठीक ढंग से हो सके। दिल्ली में एक जगह काम होता है और एक एजेन्सी काम करती है। कारपोरेशन सफाई का काम देखता है और बाकी डी० डी० ए० डेवलपमेंट का काम देखता है।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह बिहार सरकार का मामला है।

श्री रामावतार शास्त्री : जी, हां, यह बिहार सरकार का मामला है।

सभापति महोदय : आप अपने आपको दिल्ली तक सीमित रखें।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं आपका ध्यान ऐसी समस्याओं की ओर आकर्षित कर रहा हूं जो राजधानी वाले नगर तथा अन्य छोटे नगरों में विद्यमान हैं। अतएव, आपको ऐसे मंत्रियों की एक बैठक बुलानी चाहिए जो वहां उन पदों पर आसीन हों और उनसे यह करनी चाहिए कि न केवल दिल्ली का ही सुधार किया जाए बल्कि अन्य शहरों का किस तरह सुधार किया जाए।

मैं आपके जरिये यह कहना चाहता हूं कि इस तरफ भी आपका ध्यान जाए और मैं आपका ध्यान इस तरफ खींच रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली में भी आप लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान देंगे और खास तौर से जो गरीब लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान देंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : सभापति महोदय, जैसा कि इस सदन को जानकारी है, इस मेरे मन्त्रालय तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय से सम्बन्धित चार मदों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं निर्माण और आवास मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में अनधिकार प्रवेश नहीं करना चाहता। अतएव मैं अपने आपको केवल अपने मन्त्रालय से सम्बन्धित मामलों तक ही सीमित रखूंगा।

कई सदस्यों, विशेष रूप से भट्टाचार्य जी तथा श्री चित्त बसु और अन्य लोगों, ने न्यायाधि-

करणों के गठन तथा कार्यकरण के बारे में कतिपय विषय उठाए हैं। जैसा कि मैंने अपने भाषणों में पहले बताया है कि ये दो विधेयक दिल्ली और नई दिल्ली में सरकारी जमीन पर अनधिकार प्रवेश तथा अप्राधिकृत निर्माण के बारे में निवारक सजा देने के लिए अभिप्रेत है। महोदय, मैं कह सकता हूं कि ये अप्राधिकृत निर्माण तथा अनधिकार प्रवेश कई कारकों, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का वहां से निकल कर दिल्ली शहर में आने तथा कई अन्य समस्याओं, जो इसके फलस्वरूप सहसा प्रकट हुई हैं, के फलस्वरूप हुए हैं। इन सब बातों के बावजूद, हमारे देश की अन्य राजधानियों की तुलना में दिल्ली एक सुन्दर शहर रहा है। सरकार जनता के उन गरीब से गरीब वर्गों, जो दिल्ली में आकर बसे हैं, पर उपयुक्त विचार तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार भी कर रही है। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि 1977 तक दिल्ली में 607 अप्राधिकृत कालोनियां थीं। सरकार ने इन लोगों के अधिकार वाली कालोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया है।

श्री विजय कुमार यादव : सभी कालोनियों को ?

श्री पी॰ वेंकटसुब्बय्या : 607 में से 309 नगर पालिका, दिल्ली तथा 130 दिल्ली विकास प्राधिकरण।

अस्वीकृत—नगर पालिका, दिल्ली 49, दिल्ली विकास प्राधिकरण 10, अभी विचार किया जाना है—नगर पालिका दिल्ली—4, दिल्ल्ली विकास प्राधिकरण 15, कुल 19।

दिल्ली शहर की कुल अप्राधिकृत 607 कालोनियों में से हमने उन आंकड़ों के बारे कार्यवाही की है जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इस बात से दिल्ली में आकर बसे जनता के ऐसे गरीब से गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकार के इरादे का स्पष्ट पता चल जाता है।

मैं अपने को जैसा कि मैंने कहा है, केवल ट्रिब्यूनलों के गठन तथा उनके क्षेत्राधिकार के बारे में उठाए गए मामलों तक ही सीमित रखूंगा।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान धारा 347-क की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। स्पष्ट रूप से यह बताया गया है :

> "कि पुनर्विचार न्यायाधिकरण में एक व्यक्ति शामिल होगा जो केन्द्र सरकार द्वारा सेवा की ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जाना होगा जो नियमों के द्वारा निर्धारित की जाती हैं।"

ट्रिब्यूनल का सदस्य बनने के लिए अर्हता को इस विधेयक में स्पष्ट रूप से बताया गया है :

> "एक व्यक्ति को तब तक न्यायाधिकरण में निर्वाचन अधिकारी पद पर नियुक्ति के लिए सही नहीं समझा जाएगा जब तक वह या तो जिले में न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश हो अथवा रहा हो अथवा भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो।"

श्री भट्टाचार्य ने कहा कि इस ट्रिब्यूनल में एक की बजाए अधिक व्यक्ति शामिल होने चाहिए। ऐसे कई ट्रिब्यूनल हैं जो इन्हीं लाइनों पर गठित किए गए हैं। इस देश में केवल एक ही व्यक्ति वाला ट्रिब्यूनल कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति वाला ट्रिब्यूनल होने के बाद भी सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है। यदि आप 347-क, धारा (4) को पढ़ें, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इसका उल्लेख करता हूं—

> "केन्द्र सरकार, यदि यह ऐसा करना उपयुक्त समझती है, ऐसे एक व्यक्ति अथवा अधिक व्यक्तियों, जो ऐसी अपीलों में अन्तर्विष्ट मामलों में या तो विशेष ज्ञान अथवा अनुभव रखता या रखते हों, को पुनर्विचार न्यायाधिकरण को इसके समक्ष होने वाली कार्यवाहियों में सलाह देने के लिए निर्धारितियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकती है, लेकिन निर्धारितियों की कोई भी सलाह पुनर्विचार न्यायाधिकरण के लिए बाध्य नहीं होगी।"

सरकार इस अधिनियम पर पर्याप्त निगरानी रख रही कि है। ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति पर्याप्त न्यायिक ज्ञान तथा अनुभव रखने वाला हो। उसकी सहायता के लिए, यदि सरकार आवश्यक समझेगी तो निर्धारकों की भी नियुक्ति की जाएगी।

5.00 म० प०

सम्बन्धित ट्रिब्यूनलों के क्षेत्राधिकार के बारे में मैं माननीय सदन को यह सूचित करता हूं कि इन ट्रिब्यूनलों का केवल तीन अधिनियमों, अर्थात, नगर निगम अधिनियम, दिल्ली विकास अधिनियम तथा पंजाब म्युनिसिपल अधिनियम, जो दिल्ली में भी लागू होता है, के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर कार्यवाही करने का बहुत ही सीमित क्षेत्राधिकार होगा। प्रशासक को अपील करने का भी एक प्रावधान है। केवल इतनी बात ही नहीं है। इस मामले में प्रशासक उप-राज्यपाल अथवा सम्बन्धित अधिकारी है और उसका निर्णय अंतिम है। हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जो लोग सरकारी जमीनों पर तथा सड़कों पर भी अनधिकार कब्जा कर रहे हैं वे न्यायालयों में जाने तथा स्थगन आदेश लेने का सहारा ले रहे हैं और वे कानून की प्रवंचना कर रहे हैं और वे सड़कों पर इन अप्राधिकृत जगहों पर निर्माण कर रहे हैं। इसलिए इससे भारी समस्या पैदा हो गई है। इसलिए हमने इस विधेयक में निवारक दण्ड की व्यवस्था की है और इस बात के लिए पर्याप्त उपबन्ध किया है कि जहां तक व्यावहारिक होगा, इन अतिक्रमणों पर नियन्त्रण किया जाएगा।

माननीय सदस्यों ने कहा है कि जब आपके लिए इन अतिक्रमणों पर नियन्त्रण करना संभव नहीं है तो निवारक दण्ड की व्यवस्था करने का क्या लाभ है? यह प्रश्न किया गया है। चूंकि इस देश में काफी अधिक अपराध किए जा रहे हैं, अतः हम न्यायिक प्रक्रिया संहिता अथवा भारतीय दंड संहिता को समाप्त नहीं कर सकते हैं। जहां तक संभव है, हमें यह देखना चाहिए कि इन अधिनियमों को कार्यान्वित किया जाये। केवल यही बात नहीं है। इन आदेशों के कार्यान्वियन में हमने इस बात के लिए पर्याप्त निगरानी बरती है कि इन लोगों को अनुचित रूप से परेशान नहीं किया जाये

इसलिए, कतिपय अपराधों के बारे में संशोधन में दण्ड में वृद्धि करने की मांग कीगई है । तंग किए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए ऐसे मामलों में अभियोग चलाने की शक्ति का प्रयोग कम से कम उपायुक्त के पद के व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

माननीय सदस्यों द्वारा बताए गए अन्य मामले ये हैं :—समन्वय के बारे में कि क्या इस कार्य में कोई उपयुक्त समन्वय रखा जाएगा । संगठनों की संख्या में वृद्धि हो गई है । क्या इनमें कोई समन्वय होगा ? जहां तक समन्वय का सम्बन्ध है, ऐसे कानूनी संगठन विद्यमान हैं और प्रत्येक को स्वतन्त्र कार्य सौंपे गए हैं । उनमें अतिव्याप्ति हो सकती है लेकिन समन्वय केन्द्र शासित प्रदेश के स्तर पर मुख्य सचिव अथवा उपराज्यपाल द्वारा प्रभावित होता है । इसलिए, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए उपयुक्त समन्वय रखने हेतु पर्याप्त ध्यान रखा गया है ।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य मामलों के बारे में, मैं समझता हूं, निर्माण और आवास मंत्रालय के प्रभारी मेरे साथी द्वारा पर्याप्त रूप से जवाब दिया जाएगा । इसलिए, महोदय, इन शब्दों के साथ मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्य इन दो विधेयकों को अपनी स्वीकृति देंगे । मैं एक बार फिर कहता हूं कि सरकार समाज के गरीब वर्गों की उन्हें स्थापित कराने में सहायता करने के मामले में पूर्णतया विचार करेगी । दिल्ली में मैंने कहा है कि कई अप्राधिकृत कालोनियों को भी नियमित किया गया है, और मुझे आशा है कि निर्माण और आवास मंत्रालय माननीय सदस्यों द्वारा सदन में उठाई गई समस्याओं की जांच करेगा ।

17.04 म० प०

श्री मल्लिकार्जुन : सभापतिम होदय, सरकार की यह पक्की धारणा है कि जहां तक अप्राधिकृत निर्माण तथा अप्राधिकृत कालोनियां स्थापित करने का सम्बन्ध है एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी के बीच कोई अन्तर नहीं है ।

इस समस्या पर कार्यवाही करने के लिए सरकार एक लम्बे अरसे से यह देखने के सम्बन्ध में सोचती रही है कि यह कार्यवाही सर्वोत्तम कैसे हो सकती है ।

जैसाकि पहले ही उल्लेख किया गया है, 529 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है । वस्तुतः इस प्रकार की 59 कालोनियां हैं, जिन्हें दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित नहीं किया है । छोड़ी गयी शेष 19 कालोनियों को नियमित करने की कार्यवाही चल रही है ।

माननीय सदस्य श्री चित्त बसु ने बोलते हुए उस मास्टर प्लान के बारे में कहा था जिसका मूल्यांकन 1961 में किया गया था और उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि 10,000 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण करके विकास किया गया है जबकि मास्टर योजना में 30,000 हैक्टर भूमि का विकास किया जाना था । यह सच नहीं है । लगभग 47,000 हैक्टर भूमि का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 42,000 हेक्टेयर भूमि का विकास किया गया है ।

20 लाख आने वाले व्यक्तियों, जिनमें अधिकांश लोग गरीब हैं, को बसाने के सम्बध में माननीय सदस्य की चिन्ता के बारे में सरकार तथा विशेष रूप दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह देखने की जिम्मेदारी ली है कि भूमि का ठीक प्रकार से विकास किया गया है। और उन्होंने आवास समस्या को भी अपनी क्षमता के अनुसार सुलझाने की जिम्मेदारी ली है। माननीय सदस्य का विचार ठीक नहीं है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक बहुत बड़ा विकास कार्य कर रहा है। यह केवल दिल्ली के राजधानी शहर को सुन्दर बनाने के लिए ही नहीं है। लेकिन लोगों के पुनर्वास के मामले में भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। 2,25,000 भू खण्डों से अन्यून दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिये गये हैं। रोहिणी योजना जिसे दि० वि० प्रा० ने शुरू किया है उसमें लगभग 10 लाख लोगों को बसाया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न श्रेणियां हैं, जनता फ्लैट, निम्न आय वर्ग फ्लैट, मध्य आय वर्ग फ्लैट्स और उच्च आय वर्ग निःसंदेह किसी भी विकास में यह समय लगाता है। दिल्ली में आबादी में वृद्धि के इस विचार से एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सिद्धांत बनाया गया है और यह बनाये जाने की प्रक्रिया में है।

यह देखने के लिए एक प्राधिकरण का गटन किया जायेगा कि हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ दिल्ली की सीमा के बाहरी भाग में बढ़ती हुई आबादी को कैसे बसाया जाये। यह विचार है।

तथापि वर्ष 1981 से 2001 तक 20 वर्षों की संदर्शी योजना में बहुत-सी बातों की व्यवस्था की गई है।

जहां तक दि० वि० प्रा० का सम्बन्ध है उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने उनके बारे में कहा है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि दि० वि० प्रा० के कार्य-निष्पादन में भ्रष्टाचार है या अकुशलता है। यह बिलकुल गलत है। विशेष रूप से मेरे माननीय मित्र श्री आर० एल० वर्मा ने यह आरोप लगाया है कि दि० वि० प्रा० के उपाध्यक्ष उन्हें उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वह उन्हें उत्तर नहीं दे रहे हैं। उन्हें केवल यह आरोप ही नहीं लगाना चाहिए कि वह भ्रष्ट है। वह एक उत्तरदायी वरिष्ठ अधिकारी हैं।

श्री रामावतार शास्त्री : कृपया यह पता लगाइये कि क्या यह सच है या नहीं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : आपको यह पता लगाने का प्रयास करना चाहिए कि क्या आरोप सही है या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : वह भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के एक उत्तरदायी वरिष्ठ अधिकारी हैं। इस प्रकार के आरोपों से समस्या का हल नहीं होगा। गरीब व्यक्तियों या समाज के अन्य दबे वर्ग के व्यक्तियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने की माननीय सदस्यों की सहानुभूति से मैं सहमत हूं। यह एक अलग मामला है। जहां तक रिहायसी भूखण्डों का सम्बन्ध है,

दि० वि० प्रा० ने लगभग 1,07,000 भूखण्डों का आबंटन किया है और लगभग 1,10,000 आवास हैं तथा ग्रुप आवास समितियों की लगभग 60,000 रिहायसी एकक हैं। यदि जनता सहयोग दे और परिस्थितियां ठीक रहें तो दि० वि० प्रा० निश्चय ही दिल्ली के विकास में बहुत अच्छा कार्य कर सकता है।

मैं अभी श्री जगपाल सिंह, जिन्होंने यह पूछा है कि हम उस समस्त भूमि का क्या कर रहे हैं जिसे हमने किसानों से अधिग्रहण किया है, उनको जवाब दूंगा। पुनर्वास कालोनियों के दो लाख से अधिक भूखण्डों को सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं और इसके साथ-साथ लगभग 2 लाख निवासियों को यह सुविधाएं उपलब्ध कर दी गई हैं।

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक और सरकारी स्थान बेदखली विधेयक, इन दो विधेयकों को लाने का उद्देश्य यह है जिसके बारे में मेरे वरिष्ठ साथी ने पहले ही बता दिया है कि इस प्रकार का निर्माण या अनधिकृत बस्तियों के निर्माण को भविष्य में रोका जाना चाहिए।

वर्तमान कानून इसको ठीक प्रकार से रोकने के स्थिति में नहीं है। वर्तमान संशोधनों से वे अपराध संज्ञेय अपराध के अन्तर्गत आते हैं और साथ ही साथ इस विधेयक से भी अनधिकृत स्थानों तथा सामग्री का अधिग्रहण करने तथा इस प्रकार के अन्य कार्य करने की शक्ति तथा प्राधिकार प्राधिकारियों को प्राप्त होगा।

अन्य विधेयक सरकारी स्थान (अवैध कब्जे की बेदखली) संशोधन विधेयक लगभग समान है। इस विधेयक में न्यायाधिकरण का कोई विधान नहीं है और यह सम्पूर्ण भारत पर लागू होता है जबकि दिल्ली विकास अधिनियम केवल इस संघ राज्य क्षेत्र पर ही लागू होता है।

विपक्ष के माननीय सदस्य भी इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के अवैध कब्जों तथा निर्माण पर अवश्य ही रोक लगनी चाहिए।

जहां तक माननीय सदस्यों की आशंका का सम्बन्ध है, अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में मैं सदन को यह आश्वासन देता हूं कि अधिनियम को पूरी तरह से लागू किया जाये और यदि अधिनियम को कार्यान्वयन प्राधिकारियों के पक्षपात करने तथा अन्य कारणों से ठीक प्रकार से कार्यान्वित नहीं किया जाता है, तो सरकार इसे गम्भीर समझेगी और यह देखेगी कि इस प्रकार के अवैध निर्माण न हों।

अब मैं निवेदन करता हूं कि दोनों विधेयकों पर साथ-साथ विचार किया जाये।

5.14 म० प०

दिल्ली नगर निगम (दूसरा संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब मैं दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 पर विचार करने के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। खण्ड 2 से 6 के संबंध में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 2 से 6 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 7

सभापति महोदय : खण्ड 7 के लिए संशोधन रखे जाने हैं।

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 7, पंक्ति 13 और 14,—

"इस अधिनियम के अधीन किसी अपील प्राधिकारी का" **के स्थान पर** "उस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट" **प्रतिस्थापित किया जाए**। (3)

पृष्ठ 7, पंक्ति 15,—

"(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983" **के स्थान पर** "(संशोधन) अधिनियम, 1984" **प्रतिस्थापित किया जाए**। (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 23,—

"(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983" **के स्थान पर** "(संशोधन) अधिनियम, 1984" **प्रतिस्थापित किया जाए**। (5)

सभापति महोदय (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 7 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 7, पंक्ति 17 से 19

(क) उपधारा (1) में, "किसी उपबंध का अनुपालन" करना शब्दों से शुरू होने वाले भाग के लिए तथा "इस प्रकार निवेदन किया जाता है" शब्दों से अन्त होने वाले भाग के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये। अर्थात् :

"(क) धारा 317, धारा 325, धारा 343, धारा 344, धारा 345 या धारा 347 या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के या ऐसे किसी उपबंध के अधीन जारी की गई किसी सूचना या आदेश का अनुपालन करने से उसके अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है, तो वह अपनी अधिकरण को आवेदन कर सकता है; और

(ख) किसी अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाई गई किसी उपविधि के या ऐसे उपबंध के अधीन जारी की गई किसी सूचना, आदेश या अध्यपेक्षा का अनुपालन करने से उसे अधिभोगी द्वारा निवारित किया जाता है, तो वह जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय को आवेदन कर सकता है।" (9)

(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 10 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1 पंक्ति 3 और 4

(दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1983 के स्थान पर
(संशोधन) अधिनियम, 1984 प्रतिस्थापित किया जाये ।" (2)

(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1 पंक्ति 1

"चौतीसवें" के स्थान पर पैंतीसवें **प्रतिस्थापित किया जाये ।"** (1)

(श्री पी० वेंकटसुब्बय्या)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि विधेयक संसोधित रूप में पारित किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

कि विधेयक संसोधित रूप में पारित किया जाए ।

श्री हरिकेश बहादुर क्या आप बोलना चाहते हैं ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : हां श्रीमन्, मैं केवल कुछ ही प्रश्न रखूंगा। गंदी बस्तियों को नियमित किया जाए। सरकार केवल यह कहकर ही कि वह गरीबों की मदद कर रही है और गरीबी दूर हो जाएगी और उनकी इस प्रकार कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि आपको यह करना चाहिए।

गंदी बस्तियों में रहने वालों को जब तक नहीं उठाना चाहिए तब तक कि उन्हें आवास उपलब्ध नहीं कर दिए जाये। यह बहुत आवश्यक है। सरकार उन्हें पहले हटा रही है। यह एक बहुत ही खराब तरीका है। वर्ष 1980 के पश्चात मेरा विचार है कि सरकार ने पिछले अनुभव से यह महसूस किया है और इसलिए सरकार ने बुलडोजरों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन मेरा सरकार यह सुझाव है कि जब तक सरकार गरीब लोगों को आवास उपलब्ध न करे सरकार उन्हें हटाये नहीं। उन्हें वहीं रहने दिया जाये जहां वे रह रहें हैं। यहां धनिक वर्ग के बड़ी आसानी से पांच सितारा होटलों के निर्माण के लिए प्राप्त कर लेता है और वे भूमि प्राप्त करने में समर्थ हैं। यदि गरीब व्यक्तियों को हटाया जाता है तो सरकार की सारी कार्य प्रणाली का गलत अर्थ लगाया जाएगा तथा गलत समझा जाएगा। अतः मेरा यह प्रश्न है यदि आप गरीबी दूर करने की बात कर रहे हैं तो गरीब व्यक्तियों की सहायता करने का प्रयास कीजिए। गरीब लोगों को ही हटाने का प्रयास न करें।

सभापति महोदय : क्या मंत्री महोदय को कुछ कहना है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मुझे कुछ नहीं कहना है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

5.19½ म० प०

पंजाब नगरपालिका (नई दिल्ली) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : प्रश्न है :

"कि पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1971 में, जैसा कि वह नई दिल्ली में प्रवृत्त है, और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम पंजाब नगर पालिका (नई दिल्ली संशोधन) विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 11 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 12

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 6, पंक्ति 41 और पृष्ठ 7, पंक्ति 1,—

"इस अधिनियम के अधीन अपीलीय समिति का" **के स्थान पर** " उस धारा की उपधारा (1) में निदिष्ट" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

पृष्ठ 7, पंक्ति 4—

"1983" **के स्थान पर** "1984" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 12—

"1983" **के स्थान पर** "1984" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (5)

(श्री पी० वेंकटसुबय्या)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 से 15 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री पी० वेंकटसुब्बया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत्त हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"चौंतीसवें" के स्थान पर "पैंतीसवें" **प्रतिस्थापित किया जाए। (1)**

(श्री पी० वेंकसुब्बय्या)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप, में विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री ((श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3.23½ म० प०

दिल्ली विकास (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 6

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए—

"(ग) धारा 22 के अधीन प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई किसी नजूल भूमि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने के अनुक्रम में प्राधिकरण का कोई आदेश;"। (3)

पृष्ठ 4, पंक्ति 3,—

"(ग)" के स्थान पर "(घ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

पृष्ठ 4, पंक्ति 6,—

"(घ)" के स्थान पर "(ङ)" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 4, पंक्ति 9,—

"(ङ)" के स्थान पर "(च)" प्रतिस्थापित किया जाए। (6)

पृष्ठ 4, पंक्ति 34,—

"इस अधिनियम के अधीन अपीलीय" के स्थान पर "इस धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

पृष्ठ 5, पंक्ति 1,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाए। (8)

पृष्ठ 5, पंक्ति 8,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाए। (9)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 7 से 11 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1983" के स्थान पर "1984" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"चौंतीसवें" के स्थान पर "पैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिया गया ।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय ।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

15.25½ म० प०

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे :

प्रश्न यह है :

"कि सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 10

सभापति महोदय : अब हम खंडवार विचार करेंगे ।

खंड 2 से 10 के लिए कोई संशोधन नहीं है । मैं उन्हें एक साथ प्रस्तुत करूंगा :

प्रश्न यह है :

"खंड 2 से 10 तक विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 10 तक विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1

सभापति महोदय : इसमें सरकारी संशोधन सं० 2 है ।

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1983" **के स्थान पर** "1984" **प्रतिस्थापित किया जाए।"** (2)

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

सभापति महोदय : अधिनियमन सूत्र के लिए एक संशोधन है ।

संशोधन किया गया :

"पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"चौंतीसवां" **के स्थान पर** "पैंतीसवां" **प्रतिस्थापित किया जाए।**

(श्री मल्लिकार्जुन)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

— — —

5.29 म० प०

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगली मद अर्थात राज्य सभा द्वारा पारित रूप में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक को लेंगे । श्री वीरेन्द्र पाटिल ।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं ।

"कि कर्मकार प्रति कर अधिनियम, 1923 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए ।"

माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है कि याद रोजगार के दौरान किसी कर्मचारी को चोट लगती है (किसी व्यवसायगत बीमारी सहित) और वह इस कारण से विकलांग हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत उस कर्मकार और उसके परिवार के सदस्यों को मुआवजा देने की व्यवस्था है । इस सयम, यह अधिनियम, कुछ विशेष श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों तथा 100 रु० प्रति मास से कम मजूरी लेने वाले उन व्यक्तियों पर, जो कि इस अधिनियम की अनुसूची-दो में विहित किसी भी जोखिमपूर्ण रोजगार में लगे हैं, पर लागू होता है । अनुसूची-दो में वे व्यक्ति शामिल हैं जो फैक्ट्री, खान बागान, यंत्र चालित वाहन और निर्माण कार्य के रोजगार में लगे हैं । राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी व्यवसाय में, जिसको वह जोखिम भरा समझती है, लगे किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को इस अनुसूची में शामिल कर सकती है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के विस्तार को क्रमशः बढ़ाये जाने से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कार्य कुछ सीमा तक कम हुआ है । तथापि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 का विस्तार फैक्ट्रियों एवं कुछेक विनिर्दिष्ट श्रेणी के कामों पर ही लागू होता है तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम अन्य क्षेत्रों में लागू है ।

अधिनियम में पिछली बार 1976 में संशोधन किया गया था । हमने राष्ट्रीय श्रम आयोग,

भारतीय विधि आयोग, गुजरात सरकार की श्रम कानून पुनरीक्षा समिति, राज्य सरकारों एवं अन्य हितबद्ध पार्टियों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम में व्यापक संशोधन करने के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया है। तथापि इस संबंध में व्यापक संशोधनकारी विधेयक का प्रारूप तैयार करने में कुछ समय लगेगा। इस बीच मैं आपके समक्ष कानून बनाए जाने के लिए कुछेक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आवश्यक हैं।

राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि इस अधिनियम के अन्तर्गत लाये जाने के लिए निर्धारित मजूरी सीमा को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना चाहिए। भारतीय विधि आयोग द्वारा भी इसी प्रकार की सिफारिश की गई है। इसलिए, अब यह प्रस्ताव किया गया है कि इस अधिनियम में शामिल किए जाने के लिए विहित वेतन-सीमा को समाप्त कर दिया जाए। इससे इस प्रकार के बहुत से कर्मकारों को लाभ होने की आशा है जो इस समय 1000 रु० प्रति मास से अधिक वेतन ले रहे हैं तथा जो इस अधिनियम को अन्तर्गत नहीं आते।

इस अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अधिनियम की अनुसूची चार में विनिर्दिष्ट दरों पर प्रतिकर का भुगतान करने की व्यवस्था है। प्रतिकर की यह दरें सबसे अन्त में 1976 में संशोधित की गई थीं। इस राशि को और अधिक बढ़ाये जाने की मांग है। इसके अलावा, इस समय प्रतिकर की राशि का निर्धारण कर्मकार की आयु को देखते हुए नहीं किया जाता। ऐसा उन लोगों के मामले में सही प्रतीत नहीं होता जो बहुत कम उम्र में ही विकलांग हो जाते हैं अथवा जिनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए, अब यह प्रस्ताव रखा गया है कि प्रतिकर का भुगतान, कर्मकार के विकलांग होने अथवा उसकी मृत्यु होने के समय वह जिस उम्र का हो तथा जितना मासिक वेतन ले रहा हो, उसका प्रतिशत निकाल कर किया जाए। प्रतिकर की न्यूनतम दर पूरी तरह विकलांग होने पर पहले के 10,080 रु० की तुलना में 24,000 रु० होगी। इसी प्रकार, मृत्यु होने पर प्रतिकर की न्यूनतम दर इस समय 7,200 रु० की तुलना में 20,000 रु० होगी।

प्रतिकर की राशि की प्रस्तावित संशोधित दरें, आई० एल० ओ० कनवेंशन में विनिर्दिष्ट दरों पर आधारित हैं जो सामाजिक सुरक्षा के न्यूनतम मानकों से सम्बन्धित हैं, लेकिन, जो लोग 1000 रु० प्रति मास से अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें देय प्रतिकर की राशि, 1000 रु० प्रतिमास के वेतन से कम पर दी जाने वाली प्रतिकर राशि तक सीमित करने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित सीमा, मुख्यतया इस कारण से लगाए जाने का प्रस्ताव है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस अधिनियम के तहत दी जाने वाली राशि बहुत अधिक न हो जाए क्योंकि नियोजकों के लिए (विशेषतया छोटे) उसका भुगतान करना कठिन हो जाएगा। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस प्रकार, स्थायी रूप से अक्षम होने पर प्रतिकर भुगतान की अधिकतम राशि 42,000 रु० के स्थान पर 1 लाख रु० से कुछ अधिक हो

जाएगी तथा मृत्यु होने पर देय प्रतिकर की राशि 30,000 रु० के स्थान पर 90,000 रु० हो जाएगी। यह अपने आप में खासी वृद्धि है। इसके अलावा, आई० एल० ओ० कनवेंशन में इस प्रकार की सीमा लगाए जाने की भी व्यवस्था है। इसलिए, मैं यह आशा करता हूं कि माननीय सदस्य प्रस्तावित सीमा लगाए जाने का विरोध नहीं करेंगे।

इस विधेयक में, अधिनियम की अनुसूची तीन में विनिर्दिष्ट व्यवसायगत बीमारियों के स्थान पर बीमारियों की संशोधित सूची लगाए जाने का भी प्रस्ताव है, इसे आई० एल० ओ० द्वारा 1980 में स्वीकार की गई व्यवसायगत बीमारियों की संशोधित सूची को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

इस प्रकार यह संक्षेप में कुछेक महत्वपूर्ण संशोधन हैं, जिन्हें इस विधेयक के द्वारा लाए जाने का प्रस्ताव है। मुझे आशा है कि सदस्य लोग इन प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं इस सभा के विचारार्थ यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

***श्री अजित बाग** (सीरमपुर) : महोदय, ऐसे महत्वपूर्ण एवं गम्भीर विषय पर, जिस प्रकार से यह संशोधनकारी विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह अत्यन्त आपत्तिजनक है। इस बिधेयक में जल्दबाजी में एक प्रकार से खण्डशः संशोधन किये गये हैं। वर्तमान परिवर्तित परिवेश में, एक विस्तृत एवं स्वतःपूर्ण अधिनियमन इस सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। स्वयं माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है। फिर भी यह अधूरा अधिनियमन जल्दबाजी में प्रस्तुत किया गया है। हमें आशा थी कि इस प्रकार का विधेयक लाने से पूर्व, माननीय मंत्री जी विभिन्न केन्द्रीय मजदूर संघों के साथ परामर्श करेंगे और केवल उस अपरिहार्य शर्त को स्वीकार करने के बाद ही इस विधेयक को अंतिम रूप दिया जायेगा। यदि उन्होंनें मजदूर संघों के साथ परामर्श कर लिया होता तो कई समस्याओं का समाधान हो गया होता और श्रमिकों को समुचित मुआवजे का भुगतान करने का सरकार का प्रयास सफल हो जाता। मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वे इस सिलसिलें में एक विस्तृत विधेयक लायेंगे। मुझे आशा है कि वह इस कार्य को यथाशीघ्र सम्पन्न करने का प्रयास करेंगे और विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले केन्द्रीय मजदूर संघों से परामर्श करेंगे ताकि श्रमिकों को मुआवजा देने की सरकार की मंशा सफल एवं लाभप्रद हो।

महोदय, इस विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में यह बताया गया है कि "इस समय यह अधिनिमय केवल रेलवे कर्मचारियों और अधिनियम की सूची दो में विनिर्दिष्ट कतिपय जोखिमपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर ही लागू होता है।"

परन्तु विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में बताया गया है कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, रेलवे और विभिन्न विभागों जैसे डाक-तार, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, आयुद्ध कारखानों

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

आदि, में केन्द्र सरकार द्वारा नियोजित व्यक्तियों पर लागू होता है। महोदय, अब एक शंका पैदा होती है कि इस विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत वास्तव में आने वाले कर्मकारों की कौन-सी श्रेणियां हैं। क्या गैर-सरकारी कारखानों के श्रमिक एवं कर्मचारी इसके बिस्तार-क्षेत्र में आयेंगे या नहीं ? इस विधेयक की अनुसूची दो में कतिपय कार्यों को "जोखिमपूर्ण रोजगार" के रूप में परिभाषित किया गया है। लेकिन इनके अलावा अन्य स्थानों में काम करते समय मरने वाले या विकलांग होने वाले व्यक्तियों का क्या होगा ?

यदि किसी इंजीनियरी उद्योग अथवा किसी कारखाने में काम करने वाले किसी व्यक्ति की टांग या बाजू चले जाते हैं और वह पूर्णतया अथवा अंशतः विकलांग हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायेगी और उसे मुआवजा कौन देगा ? विधेयक में इन बातों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था। इसीलिये, मेरा कहना है कि एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया चाहिए था। पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है, फिर भी, बार-बार और संशोधन पेश करने की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए शीघ्र ही एक विस्तृत विधेयक का प्रस्तुत किया जाना बेहतर होता।

महोदय, धारा 4(1)(क) और (ख) में मृत्यु और पूर्णतया विकलांग होने के मामलों में उपबंधित मुआवजे की राशि असंगत और अनुचित है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के मामले में न्यूनतम मुआवजा 20,000 रुपये दिया जायेगा और पूर्णतया विकलांग होने पर न्यूनतम 24,000 रुपये की राशि दी जायेगी।

धारा 4(1) यह है :

(क) जब मृत्यु चोट लगने से हुई हो	दिवंगत कर्मकार के मासिक वेतन को संगत कारक से गुणा करके आने वाली राशि के चालीस प्रतिशत के बराबर राशि : अथवा बीस हजार रुपये जो भी अधिक हो :
(ख) जब चोट से कर्मकार पूर्णतया विकलांग हो जाये :	दिवंगत कर्मकार के मासिक वेतन को संगत कारक से गुणा करके आने वाली राशि के पचास प्रतिशत के बराबर राशि; अथवा 24,000 रुपये की राशि जो भी अधिक हो;

अब मैं यह दर्शाने के लिये एक उदाहरण दूंगा कि मुआवजे की ये दरें संगत नहीं हैं। मान लो किसी रेल दुर्घटना में एक साधारण यात्री और एक रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की मृत्यु उसी दुर्घटना में होती है।

रेल दुर्घटना में मरने वाले यात्री को दिये जाने वाले मुआवजे की राशि अब बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। अतः रेल दुर्घटना में मरे साधारण यात्री के परिवार को एक लाख रुपये मिल जाते हैं जबकि उसी दुर्घटना में मरे रेलवे कर्मचारी के परिवार को केवल 20,000 रु० या इस उपबन्ध के शब्दों में 'संगत कारक' द्वारा निर्धारित राशि ही दी जायेगी। यह भेदभाव अनुचित है। इसे हटाया जाना चाहिए तथा मृत्यु अथवा स्थायी रूप से पूर्णतः विकलांग होने के मामलों में मुआवजे की न्यूनतम राशि 1 लाख निश्चित की जानी चाहिए।

विधेयक में उल्लिखित "संगत कारक" को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान है कि मुआवजे की देय राशि अनुमानतः अधिक से अधिक 70,000 रु० या 80,000 रु० हो सकती है। यह उन मामलों में लागू होगा जिनमें बहुत ही कम आयु में मृत्यु हो जाये। लेकिन अधिक आयु वाले कर्म-कारों के मामले में यह राशि 40,000 रु० या 50,000 रु० से अधिक होने की सम्भावना नहीं है। अतः "संगत कारक" संबंधी उपबन्धों में संशोधन किया जाना चाहिए ताकि मुआवजे की राशि कम से कम लगभग एक लाख रुपये हो जाये। इन मुद्दों पर विचार करते समय, कर्मकारों के हितों का ध्यान रखने वाले विभिन्न मजदूर संघों के साथ परामर्श किया जाना चाहिए ताकि विधेयक की कमियों को प्रारम्भिक चरण में ही दूर किया जा सके।

महोदय, सरकारी उपक्रमों में जब कोई श्रमिक मर जाता है अथवा स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो उसके परिवार के एक सदस्य को उसी संगठन में नौकरी दे दी जाती है। गैर सरकारी उपक्रमों एवं कारखानों में भी यह प्रणाली लागू की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे और गैर सरकारी कारखानों के श्रमिकों को भी यह लाभ देने के लिए इस विधेयक में आवश्यक उपबन्ध करेंगे।

महोदय, धारा 4.1(ख) में स्पष्टीकरण दो में यह बताया गया है कि अब मुआवजे की पात्रता के लिए 1000 प्रति मास की आय सीमा को हटाया जा रहा है ताकि 1000 रुपये से अधिक आय वाले श्रमिकों को भी यह लाभ दिया जा सके। यह उपहासास्पद लगता है, क्योंकि 1,000 रुपये से अधिक पाने वाले श्रमिकों को दिया जाने वाला लाभ उक्त स्पष्टीकरण दो द्वारा रोका जा रहा है, जो इस प्रकार है : "जिन मामलों में श्रमिक की आय एक हजार रुपए से अधिक है उनमें खण्ड (क) और खण्ड (ख) के प्रयोजनार्थ उनकी आय केवल एक हजार रुपए ही मानी जाएगी।" अर्थात् मृत्यु या विकलांग होने के मामलों में मुआवजे के भुगतान के बारे में विचार करते समय और 'संगत कारकों' के परिप्रेक्ष्य में राशि की गणना करते समय वेतन सीमा 1,000 रुपए रहेगी। इसका यह अभिप्राय हुआ कि ऊंची कीमतों के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब गैर सरकारी अथवा सरकारी कारखानों में काम करने वाले बहुत से श्रमिकों/कर्मचारियों का 1,000 रुपए

या इससे अधिक वेतन मिलता है तो मुआवजे का लाभ एक हाथ से दिया जा रहा है और धारा 4(1)(ख) के स्पष्टीकरण दो द्वारा दूसरे हाथ से छीन लिया जाता है ताकि लाभान्वित इससे वंचित ही रहे। अतः मैं सरकार से इस विधेयक के इस भाग को हटाने का अनुरोध करता हूं ताकि सभी कर्मकारों को उनके वेतन के अनुपात में मुआवजा मिल जाए।

महोदय, अब मैं आपका ध्यान अप्रवासी मजदूरों की समस्याओं की ओर दिलाऊंगा। अन्य राज्यों से काम करने आने वाले मजदूर अपने पीछे अपने परिवारों को छोड़ कर आते हैं। जब दुर्घटनाओं में ऐसे मजदूरों की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को मुआवजा प्राप्त करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसका यह कारण है, कि परिवार दूर-दराज के इलाकों में रहते हैं, अधिकांशतः लोग अशिक्षित हैं। उन्हें विभिन्न दस्तावेज भेजने होते हैं ताकि देय मुआवजे का दावा कर सकें। इन बाधाओं के कारण वे आवश्यक दस्तावेज नहीं भेज पाते हैं। परिणामस्वरूप, नियोक्ता कई मामलों में परिवारों को मुआवजा नहीं देते हैं। इसलिए, महोदय, इस विधेयक में ऐसे उपबन्ध किए जाने चाहिए जिससे सुदूर क्षेत्रों के आप्रवासी मजदूरों के निर्धन, अशिक्षित परिवार सदस्यों को मुआवजे का भुगतान करने की जिम्मेदारी नियोक्ताओं पर भी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, मुआवजा देने संबंधी पद्धति के भुगतान में बहुत समय लग जाता है और बहुत विलम्ब हो जाता है। कभी-कभी तो भुगतान में 4 से 5 वर्ष का समय लग जाता है। इससे मुआवजा देने का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है। कई मामलों में तो ऐसे आप्रवासी मजदूरों के आश्रित मुआवजा मिलने से पहले ही भूखों मर जाते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि इस विधेयक में उपबन्ध किया जाए कि मुआवजे की राशि के बारे में अन्तिम निर्णय होने तक संबंधित कर्मकार के पद, आयु, वेतन आदि को दृष्टिगत रखते हुए मृत्यु अथवा विकलांग होने के तुरन्त बाद नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को कुछ अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे।

महोदय, मैं ठेकेदारों के श्रमिकों के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। व्यवहार में ठेकेदारों के श्रमिकों के लिए कोई कानून नहीं है। उनके मामलों में प्रमुख जिम्मेदारी मुख्य नियोक्ता की होनी चाहिए, जिनका कार्य ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है। ये श्रमिक ठेकेदार का काम नहीं करते हैं। वे मालिक का कार्य करते हैं। मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बड़े कारखाने का मालिक इस बहाने से मुआवजा देने की जिम्मेदारी से बच जाता है कि इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पर है, यह सही नहीं है। इस आशय का एक उपबन्ध इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए था जिससे मुख्य नियोक्ता को मुआवजे के भुगतान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके। महोदय, दुर्घटनाओं के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने की व्यवस्था है, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। सुरक्षा उपायों के बारे में कई कानून हैं। लेकिन आमतौर पर इन सुरक्षा उपायों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। सुरक्षा उपाय केवल कागजों पर ही रह जाते हैं। नियोक्ता सरकारी अधिकारियों, निरीक्षकों से उलझते रहते हैं और सुरक्षा उपायों संबंधी कानूनी उपबन्धों की अवज्ञा करते हैं। बेचारे श्रमिकों को अपनी आजीविका कमाने के लिए जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है।

इसके परिणामस्वरूप वे दुर्घटना का शिकार होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वे विकलांग हो जाते हैं। तब नियोक्ता अपनी जिम्मेदारी से बचने की चाल चलते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिएं कि सुरक्षा उपायों का सही ढंग से पालन हो और नियोक्ता अपनी जिम्मेदारी से न बच पायें। यदि कोई दोषी नियोक्ता पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए और उन्हें मुआवजे का भुगतान करने पर बाध्य किया जाना चाहिए। यदि कभी यह पाया जाए कि दुर्घटनाओं के मामले में किसी अधिकारी की नियोक्ताओं के साथ मिलीभगत है; तो उसे भी कठोर दण्ड दिया जाए।

महोदय, यह कहते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा कि मुआवजे के भुगतान में भ्रष्ट अफसरशाही सबसे अधिक बाधक है। गरीब श्रमिक के बच्चे या पत्नी मुख्यतः अशिक्षित होते हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों से उनका कोई सम्पर्क नहीं होता जो उनकी सहायता कर सकें। शोकग्रस्त परिवार को मुआवजे का भुगतान प्रायः भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा उस समय तक रोक लिया जाता है जब तक उन्हें काफी रिश्वत न मिल जाए। जैसा मैं पहले कह चुका हूं, कई मामलों में परिवार के सदस्य मुआवजा मिलने से पहले ही भूख से मर जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस बारे में ध्यान देंगे। उन्हें मृतक या विकलांग श्रमिकों के निर्धन परिवार को मुआवजा देने में विलम्ब करने वाले भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दण्ड देने का उपबन्ध करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुआवजे का शीघ्र भुगतान हो जाए। मैं आशा करता हूं कि वह मेरे पिछले सुझाव पर भी विचार करेंगे कि प्राइवेट उपक्रमों में मृतक या विकलांग श्रमिक के परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जानी चाहिए जैसा कि सरकारी उपक्रमों में किया जाता है। महोदय, इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : मैं श्रम मन्त्री द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारे देश में दो श्रम आयोग गठित किये जा चुके हैं। एक ब्रिटिश शासन के दिनों में गठित किया गया था और दूसरा स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद। आजादी के बाद भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश अध्यक्षता गठित आयोग ने, 1969 में इस कल्याणकारी विधेयक का सुझाव दिया था। वस्तुतः यह संशोधन काफी पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, किन्तु अब भी कोई बात नहीं है, कमी न आने से देर में आना बेहतर है। इसलिये मैं खासकर धारा 2 में संशोधन करके मजदूरी की सीमा को हटाये जाने और नई धारा 4 को अन्तर्विष्ट करके अस्थायी विकलांगता लाभों में वृद्धि किये जाने के कारण प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करता हूं।

महोदय, रेलवे कर्मचारियों को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया है। साथ भी दुर्घटना की संभावना होती है और इसलिये मेरा माननीय श्रम मन्त्री से अनुरोध है कि वह रेलवे में काम कर रहे श्रमिकों को भी इसमें शामिल करने की कृपा करें।

इसमें कुछ प्रतिबन्ध भी हैं, जैसे कि मजदूरी के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह की देय राशि सम्बन्धी प्रतिबन्ध। इस प्रतिबन्ध को विधेयक से हटाया जाना चाहिए। दूसरा प्रतिबन्ध

अस्थायी विकलांगता के लिये दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि से सम्बन्धित है। अस्थायी विकलांगता के मामले में केवल तीन दिनों के बाद ही क्षतिपूर्ति की 25 प्रतिशत राशि प्राप्त करने का हकदार होता है। इस पर भी मन्त्री महोदय को विचार करना चाहिये और यह देखना चाहिये कि क्या इसमें कोई अन्य ऐसा संशोधन किया जाना आवश्यक है जिससे कि कर्मचारियों को और राहत मिल सके क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। वे देश के विकास में योगदान करते आ रहे हैं। कामगार विभिन्न परियोजनाओं और क्षेत्रों में देश के विकास में योगदान कर रहे हैं, अतः जब तक वे स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं करते, वे पूरी तरह देश के विकास में योगदान नहीं कर सकते।

महोदय, खण्ड 18 में सुरक्षा विनियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना करने का उपबन्ध किया गया है। मेरा दृढ़ विचार है कि इसके स्थान पर इससे अधिक जुर्माने अथवा कैद का प्रावधान किया जाना चाहिये। नियोक्ताओं की लापरवाही और नियोक्ताओं द्वारा नियमों तथा विनियमों का उल्लंघन किये जाने के कारण फैक्टरियों में दुर्घटनायें होती हैं। इसलिये जब तक भारी जुर्माना नहीं किया जाता, अथवा अपेक्षाकृत भारी कानूनी दण्ड नहीं दिया जाता, नियोक्ता कर्मचारियों के लिये सुरक्षा उपाय करने की ओर समुचित ध्यान नहीं देंगे।

यह अधिनियम 1923 में, ब्रिटिश राज के दौरान पारित किया गया था। इसलिये मेरी दृढ़ धारणा है कि इस अधिनियम को अधिक सार्थक बनाने के लिये इसमें कुछ और कल्याणकारी उपाय, कुछ और प्रावधान होने चाहिये। मेरे विचार से क्षतिपूर्ति की जितनी राशि का प्रावधान किया गया है, वह बहुत कम है। मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता के मामले में क्षतिपूर्ति की वह राशि 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। यह एक प्रशंसनीय कदम है किन्तु प्राइवेट फैक्टरियों अथवा छोटी फैक्टरियों में क्षतिपूर्ति की यह राशि नहीं दी जाती क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत उनके लिये इसकी अलग सीमा है। इस अधिनियम में ही यह उल्लेख किया गया है कि फैक्टरी में कम से कम 20 कर्मचारी होने चाहिये। ऐसी फैक्टरी में, जहां कर्मचारी 20 से कम हैं, कर्मचारी कोई सहायता प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। ऐसे मामलों में राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया है कि एक केन्द्रीय निधि होनी चाहिये और कर्मचारियों को उसमें अंशदान करना चाहिये तथा ऐसे कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय निधि से क्षतिपूर्ति की राशि दी जा सकती है। किन्तु इस विधेयक के यह बात नहीं लाई गई है। अतः राष्ट्रीय श्रम आयोग की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुये मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह इसमें कोई ऐसा संशोधन प्रस्तुत करें जिससे कर्मचारियों के इस वर्ग को सहायता दी जा सके।

वस्तुतः राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया है कि :

"नियोक्ताओं और कर्मचारियों को आदतन सुरक्षा सम्बन्धी उपायों को अपनाना चाहिये। आजकल सुरक्षा व्यवस्था औपचारिकता मात्र बनकर रह गई है। नियोक्ता सुरक्षा

उपाय केवल तभी प्रदान करते हैं जबकि उनके लिये यह आवश्यक होता है, कर्मचारी सुरक्षा उपस्करों का यदि उपयोग करते भी हैं, तो सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिये। विशेषकर छोटी संस्थापनाओं और असंगठित कर्मचारियों के मामले में यही स्थिति है।"

यह एक गंभीर तथ्य है, जो कि राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा बहुत पहले 1969 में बताया गया था। विशेषकर छोटी प्राइवेट फैक्टरियों तथा संस्थापनाओं में यही स्थिति है अतः सम्बन्धित विभाग का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चत करे कि जो कर्मचारी ऐसी फैक्टरियों में काम कर रहे हैं, उनके लिये सुरक्षा के आवश्यक उपाय किये जायें ताकि वे सुरक्षापूर्वक कार्य कर सकें और देश के विकास में योगदान कर सकें। इसलिये जिस बात की आवश्यकता है और राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा जो सुझाव दिया गया है, वह यह है कि :

> "इसे कारगर ढंग से लागू किये जाने की तत्कालिक आवश्यकता है। जो नये प्रकार के उद्योग पनप रहे हैं, और प्रौद्योगिकी में निरन्तर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन्हें देखते हुये, कानून में नये खतरों के अनुरूप अतिरिक्त सुरक्षापायों और सुरक्षा सम्बन्धी पूर्वोपायों की व्यवस्था करनी आवश्यक होगी।"

अतः मन्त्री महोदय से मेरा यह अनुरोध है कि वे यह देखें कि कर्मचारियों को और राहत देने के लिये सभा में एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि आज के हालात को देखते हुए एक संपूर्ण बिल लाना चाहिए, था। अगर संपूर्ण बिल लाया जाता तो बहुत-सी बातें सामने नहीं आतीं। इन कम्पनियों को पूरा करने के लिए पुनः बिल लाने की आवश्यकता पड़ेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें 20,000 रुपए कंपंसेशन के बारे में कहा गया है। आज के जमाने में यदि किसी की मृत्यु हो जाए और उसको 20 हजार रुपया देकर संतुष्ट कर दिया जाए तो यह संभव नहीं है। अभी माननीय सदस्य बता रहे थे, उसी संदर्भ में मैं आगे चर्चा करूंगा कि बहुत सी जगह देखा गया है कि उनकी तरफ से काफी नेग्लीजेंसी होती है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए।

कंपंसेशन के बारे में भी आपने कुछ ढिलाई दे दी है।

सभापति महोदय : मेरे विचार से आप कल अपनी बात जारी रख सकते हैं।

6.00 म० प०

आधे घन्टे की चर्चा

भारतीय निर्माण कम्पनियों को वित्तीय सहायता

श्री धर्म दास शास्त्री (करोलबाग) : आदरणीय सभापति जी, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आपने देश के लाखों-करोड़ों लोगों के आंसुओं को पोंछने के लिये आधे घण्टे की बहस करने का मौका दिया। यह आधे घण्टे की बहस का प्रश्न इसलिए आया कि दुनिया के कोटि-कोटि लोगों ने कल मई दिवस मनाया और प्रजातंत्र का मन्दिर भारत के मजदूरों को अपनी श्रद्धांजलि और श्रद्धा के फूल चढ़ाने के लिए कल बंद रहा। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत की प्रधान मन्त्री, मन्त्रीगण और संसद दुनिया के मजदूरों के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मैं, मुबारकवाद देता हूं दुनिया और भारत के मजदूरों को क्योंकि उनका भारत में एक गरिमापूर्ण स्थान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत की राष्ट्र माता इंदिरा जी ने देश के बंधुआ मजदूरों को मुक्त कर दिया। **(व्यवधान)** अंग्रेजों ने इमीग्रेशन एक्ट 1922 में इसलिए बनाया कि यहां से घरों में काम करने वाले मजदूरों को ले जाए ताकि हिन्दुस्तान गुलामी की गंगा में बहता रहे। राष्ट्रपिता बापू ने इस गुलामी को गंगा को हटाने के लिए, भारत की भूमि पर जो लंगोटी में रहने वाले लोग हैं, जिनकी हड्डियों के ढांचे के अंदर भारत का नक्शा नजर आता है, उन लोगों की आवाज बनकर उनको एक नयी शक्ति और नयी प्रेरणा दी थी। इमीग्रेशन एक्ट के तहत भारत से करोड़ों मजदूर ले जाए जाते थे और उनके बच्चों के लिए रोटी-पानी का खर्चा भेज दिया जाता था। अरब कन्ट्रीज में 1962 में जब तेल की दुनिया में रुपया पैदा होने लगा तो उन्होंने विकास की तरफ सोचना शुरू किया। उन्होंने दुनिया की सब कम्पनियों और मजदूरों को आमंत्रित किया कि हमारे विकास में योगदान दें क्योंकि उनके पास धन की कमी नहीं थी। इसलिए, आपको मालूम है कि यहां से मैन-पावर सप्लाई करने वाली कम्पनियों ने मजदूर भेजने और कांट्रेक्ट लेने शुरू कर दिए। बड़ी गरिमा के साथ सन् 77 तक यह इस तरह से जाते रहे। जब मजदूरों का शोषण होता रहा तो उसको देखकर कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाली कम्पनियां सुप्रीम कोर्ट में गईं। वह भारत सरकार के कन्ट्रोल को हटाना चाहती थीं और मजदूरों के हितों पर आघात करना चाहती थीं। लेकिन इन मजदूरों को मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक इंकलाबी काम किया और 1983 में एक नया कानून बनाया गया। उस नये कानून के लिए मैं मुक्त कंठ से लेबर मिनिस्टर साहब की प्रशंसा करना चाहता हूं, और भूरि-भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं कि आपने मजदूरों की गरिमा को बनाए रखने के लिए कदम उठाया। सभापति महोदय, यह प्रश्न बड़ा भावुक प्रश्न है। एक तरफ हमारे सामने मजदूरों का सम्मान है, देश का सम्मान है और राष्ट्र की गरिमा है तथा दूसरी तरफ मजदूरों का शोषण है। इसमें कई चीजें इन्वाल्व्ड हैं—सबसे पहले तो लेबर मंत्रालय इन्वाल्व्ड है, वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री इन्वाल्व्ड है, विदेश मन्त्रालय इन्वाल्व्ड है और चौथे फाइनैंस मिनिस्ट्री भी इन्वाल्व्ड है। इसमें चार-पांच मन्त्रालयों का पूरा चक्रजाल है। इस चक्रजाल से कैसे छुटकारा मिले, यह बड़ा

गम्भीर प्रश्न हमारे सामने है। मैं कहना चाहता हूं कि 1983 में 30 दिसम्बर को जब यह एक्ट पास हुआ तो उस समय बाजार में इनके पास लेबर ला की किताबें भी मौजूद नहीं थीं कि कैसे एप्लीकेशन दी जाए। इन्होंने एप्लीकेशन्स मांगनी शुरू कर दीं, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं था। फिर समाचार पत्रों में दिन-प्रति-दिन विदेशी कम्पनियों द्वारा मजदूरों के शोषण के समाचार सुनने में आते रहे। आपको मालूम है कि विदेशों में हमारी 17 कम्पनियां ऐसी हैं जो काम करती हैं—इनमें प्रमुख कम्पनियों में से उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी है, डी० एस० कम्पनी है, कान्टीनैन्टल कंसट्रक्शन कम्पनी है, भण्डारी बिल्डर्स है, दलाल कन्सट्रक्शन कम्पनी है हिन्दुस्तान कन्सट्रक्शन कम्पनी है, जे० बी० एसोशियेटस है, पुंजसन्स है। इसी तरह इन भारतीय कम्पनियों के साथ कुछ कम्पनियां भारत सरकार की भी हैं—जैसे ई० पी० आई० है, बी० एच० ई० एल० है, इंटरनेशनल एअरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया है, एन० पी० सी० सी० है, रेलवेज है जो विदेशों में काम करती हैं और वहां से मजदूरों को ले जाती हैं। सबसे पहले हमारे सामने बुनियादी प्रश्न वह उत्पन्न होता है कि जब ये कम्पनियां यहां से मजदूरों को 15-15 या 20-20 या 25-25 हजार रुपया लेकर विदेशों में भेजती हैं तो उन कन्ट्रीज में स्थित हमारे एम्पलायर की उनको टिकटों की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये हिन्दुस्तान के मजदूरों के पैसों से टिकटें खरीदकर बेच देते हैं। इसके जरिए जो फारेन एक्सचेंज हिन्दुस्तान में आना चाहिए, क्योंकि जितनी लेबर यहां से जानी हैं, उनकी टिकटें फौरेन एक्सचेंज में खरीदी जानी चाहिएं। मैं जानना चाहता हूं कि उस फारेन एक्सचेंज को चैक करने के लिए सरकार के पास क्या व्यवस्था है, जिसके जरिए वह कन्ट्रोल करती है। दूसरा प्रश्न यह है कि जब ये कम्पनियां मजदूरों को लेकर विदेश जाती हैं तो उनसे बंधुआ मज़दूरों की तरह काम लिया जाता है और उनको बहुत कम पैसा दिया जाता है। जब चाहें वापस भेज देती हैं। पिछले दिनों इराक से एक हजार लोगों को इसी तरह फटाफट वापस भिजवा दिया गया और उनके पासपोर्ट अपने कन्ट्रोल में कर लिए गए, उनको रोटी नहीं दी जाती। इसके अलावा, सभापति महोदय, यह भी ज्ञात हुआ है कि जो रुपया वे लोग विदेशों में कमाते हैं, उसको वहीं पर छोड़ कर आते हैं, उस पैसे को वे कम्पनियां अपने पास जमा कर लेती हैं तथा यहां आने पर उनको हिन्दुस्तानी रुपये में अदायगी कर दी जाती है। इस तरह से करोड़ों रुपये के फारेन एक्सचेंज का घोटाला होता रहता है क्योंकि वे लोग यहां आने पर उनको हिन्दुस्तान की करेंसी में रुपया देते हैं और विदेशी रुपया सारा वे वहीं छोड़कर आ जाते हैं। और उसके साथ-साथ यह जो लोग जाते हैं उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है, मजदूर आदमी हैं। वहां पर जब रेडियो, टी० वी० आदि चीजें देखते हैं तो खरीद कर लाते हैं। एक पर्सेंटेज तय होना चाहिये कि यह जब स्वदेश लौटें तो कितने रुपये का मनोरंजन और अन्य घरेलू वस्तुएं लेकर आयें और बाकी रुपया रिजर्व बैंक में जमा होता है कि नहीं यह भी देखा जाय। यह एक बुनियादी प्रश्न है।

आपको मालूम है कि लेबर मिनिस्ट्री की गलती की वजह से, क्योंकि मैन पावर सप्लाई करने वाली कम्पनियों को लाइसेंस 1 अप्रैल से शुरू किये, तो इन बीच के 4, 5 महीनों में जो विदेश से फारेन एक्सचैंज आना था मैन पावर के बदले में वह जो घाटा हुआ क्योंकि 4 महीने

तक एप्लीकेशन्स का घपला समझ में नहीं आया, तो 4 महीनों के इस घाटे के लिये किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? कंट्रोल करना, मजदूरों के हित के लिये सरकार जो कड़े कदम उठाती है, उसके लिये हमें कोई एतराज नहीं है और हम स्वागत करते हैं। लेकिन आज कई मुल्कों से हमारा मुकाबला है क्योंकि खाली भारत ही लेबर सप्लाई नहीं करता है, पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, थाईलैंड, चीन और फिलिपीन भी करता है। पहले भारत से 20, 30 परसेंट लेबर जाता था, जो अब घट कर 10, 15 परसेंट हो गया है। क्यों घटा? दूसरे मुल्कों का मुकाबला कर पा रहे हैं कि नहीं यह देखने की चीजें है। जब कामर्स मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग प्रोमोशन काउंन्सिल ग्लोबल टेंडर लेने के लिये विदेश में कौन-कौन-सी भारतीय कम्पनियां जा सकती हैं इसके लिये सार्टिफिकेट इशू करती है, और यदि क्राइसिस नहीं थी, बाहर की कम्पनियों के मजदूर देखे नहीं थे, तो 200 करोड़ रु० देने के लिये कामर्स मिनिस्ट्री ने क्यों फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिकमन्ड किया? वहां की टीम मजदूरों के दुःख को देखने के लिये क्यों गई? तो उस कन्ट्रोल को देखने और जांच करने के लिये भारत सरकार जो कदम उठा रही है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिये, और जो 5 कम्पनियां ब्लैक लिस्टेड हैं उनके नाम हमें बताये जाने चाहिये। आप नाम क्यों छिपाते हैं? आप जानते हैं संसार में प्रजातन्त्र का सबसे बड़ा शस्त्र है हमको सूचना मिलनी चाहिये। नहीं तो हमारे पास हथियार हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज उन कम्पनियों पर कोई कंट्रोल नहीं, यह कम्पनियां कितना रुपया कमाकर लायीं, उनका परफारमेंस, एफीशियेंसी क्या है और मजदूरों के प्रति उनका कैसा व्यवहार रहा, इसका कोई सर्वे तो होना चाहिये, और उसका मापदंड भी देखना बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। मजदूरों की रक्षा के लिये भारत सरकार एक सेनानायक की तरह खड़ी है भारत की नेता प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में, इसका हम स्वागत करते हैं।

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, माननीय सदस्य ने संक्षेप में उत्प्रवासियों अथवा विदेशों में काम कर रहे लोगों की दुर्दशा का ठीक ही वर्णन किया है।

महोदय, माननीय सदस्य को ज्ञात है कि नियोक्ता दो प्रकार के हैं। एक तो विदेशी नियोक्ता हैं। विदेशी नियोक्ता या तो स्वयं ही आप्रवासियों या कर्मचारियों की सीधी भर्ती करते हैं, या वे स्थानीय भर्तीकर्ता एजेण्टों को अपनी ओर से भर्ती करने के लिये कह देते हैं।

नियोक्ताओं की दूसरी श्रेणी में भारतीय नियोक्ता आते हैं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री धर्म दास शास्त्री जी ने अभी कहा, गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र की ऐसी कई कम्पनियां हैं जिन्होंने विदेशों में, विशेषकर खाड़ी देशों में, भारी संख्या में निर्माण कार्य लिये हुए है और वे उन निर्माण कार्यों को कर रहे हैं। इन कार्यों के निष्पादन के लिये जितनी भी जन शक्ति आवश्यक है, उसे वह अपने देश से ले रहे हैं। विदेशी नियोक्ता के मामले में नियोक्ता को आप्रवासन अधिनियम के अधीन आप्रवासन संरक्षालय से आप्रवासन की स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती

है। जहां तक भारतीय नियोक्ता का प्रश्न है, उसे केवल परमिट लेना होता है और अधिनियम में भी मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, इसकी क्रिया विधि स्पष्ट रूप से बताई गई है। नियोक्ता को उपयुक्त प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करने से पहले सभी औपचारिकतायें पूरी करनी होती हैं।

जहां तक भारतीय नियोक्ता का सम्बन्ध है, जैसा कि मैं अभी कह चुका हूं, उसे आप्रवासन महासंरक्षक से सम्पर्क करना होता है। उसे इसके लिये अनुमति प्राप्त करनी होती है और अनुमति अथवा परमिट प्राप्त करने से पहले उसे अधिकारी को कर्मचारी के वेतन और सेवा शर्तों आदि की जानकारी देकर सन्तुष्ट करना होता है। अनुमति मिल जाने के बाद वह यहां से कर्मचारी ले सकता है।

माननीय सदस्य श्री धर्म दास शास्त्री ने यह टिप्पणी थी कि ये कम्पनियां विदेशों के लिये गये। अपने इन निर्माण कार्यों को निष्पादित करने के लिये कर्मचारियों को लेते समय उनसे भारी धनराशि वसूल करते हैं। अधिनियम के अधीन उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे कोई धनराशि वसूल करें क्योंकि वे केवल परमिट लेते हैं और परमिट के साथ वे कर्मचारियों को वहां ले जाते हैं। इसलिये उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे कुछ भी धनराशि लें। इसलिये यदि कोई भारतीय नियोक्ता इसके लिये धन वसूल करता है अथवा अत्यधिक धनराशि ले रहा हैं, तो निस्सन्देह यह अपराध है और सरकार इसे अपराध मानेगी तथा अधिनियम के अधीन उन्हें दण्ड दिया जायेगा।

सभापति महोदय : क्या सरकार ने अब तक इस अपराध को संज्ञेय माना है ?

श्री धर्म दास शास्त्री यह जानना चाहते थे कि क्या सरकार इस बात से पूर्णतः अवगत है और क्या सरकार ने ऐसे मामले में कोई कार्रवाई की है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस विषय में कहने जा रहा हूं।

भारतीय नियोक्ता से यह आशा नहीं की जाती कि वह आप्रवासी अथवा कर्मचारी से कोई धनराशि ऐंठें अथवा वसूल करें। ऐसा नियोक्ता अधिनियम के अधीन दण्ड का भागी है।

प्रश्न यह है कि क्या किसी भारतीय नियोक्ता ने उनसे धनराशि वसूल की है ? मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : हम खासकर यही जानकारी चाहते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य इस विशेष जानकारी को प्राप्त करना ही है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या सरकार को ऐसे किसी अपराध की सूचना दी गई है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमें इस बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है। वह गुरुदीप सिंह एशोसियेट्स के बारे में है। वे ईरान में लिये गये ठेकों में से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के उप ठेकेदार हैं। कुछ कर्मचारियों ने शिकायत की है कि उन्होंने इस कम्पनी को सेवा प्रभार के रूप में 5,500 रुपये दिये हैं और उन्हें वेतन भी समय पर नहीं दिया जाता है। कम्पनी ने इन आरोपों का खण्डन किया है और इस मामले की जांच के लिये पुलिस को सौंप दिया गया है। मैं समझता हूं कि अब तक हमें यही एक शिकायत मिली है।

श्री धर्मदास शास्त्री : अगर डी० एस० कंस्ट्रक्शन कम्पनी के दफ्तर पर छापा मारा जाये, तो पता चलेगा कि 500 मजदूर आज भी वहां बैठे रो रहे हैं, वे भारत की भूमि पर बैठे हैं।

सभापति महोदय : वे उत्तर दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि वहां तक कर्मचारियों से धनराशि एेंठने का मामला है, हमें केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है। उस शिकायत पर हम कार्रवाई कर चुके हैं और हमने पुलिस अधिकारियों को इसकी जांच करने को कहा है। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है, तो मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे कृपया हमें यह जानकारी दें। मैं उस पर तत्काल कार्रवाई करने को तैयार हूं।

महोदय, यह सही है कि विदेशों में भारतीय नियोक्ताओं के अधीन काम कर रहे भारतीय कर्मचारियों और भारतीय नियोक्ताओं के बीच आम तौर से वेतन न दिये जाने के मामले को लेकर कुछ विवाद हुये थे। ऐसा विदेशी मुद्रा की भारी कमी होने के कारण हुआ है जिसके फलस्वरूप इराकी ग्राहक तत्परतापूर्वक भुगतान नहीं कर सके हैं। जब वे उन्होंने भारतीय कर्मचारियें को ठीक समय पर भुगतान नहीं किया, तो जिन भारतीय ठेकेदारों ने वहां काम लिये हुए थे, वे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे सके। उत्तम सिंह दुग्गल, भण्डारी बिल्डर्स, पंजाब केमिप्लाण्ट और मैसर्स जे० पी० एसोशियेट्स के मामले में यही स्थिति है। इसलिए, क्योंकि विदेशी नियोक्ता अथवा विदेशी ग्राहक ठीक समय पर भुगतान करने में असमर्थ थे, 1983 में एक समझौता किया गया था यह समझौता आस्थगित भुगतानों के सम्बन्ध में भारत सरकार और इराकी सरकार के बीच हुआ था और इसमें यह स्वीकार किया गया था कि भारतीय आयात निर्यात बैंक (एक्सिम बैंक) भारतीय निर्माण कम्पनियों को उनकी न्यूनतम आवश्यकतायें पूरी करने के लिए ऋण देगा। एक्सिम बैंक इराकी सरकार को ऋण दे रहा है और इराकी ग्राहक भारतीय कर्मचारियों को भुगतान कर रहे हैं। इस समझौते के हो जाने के बाद नियमित रूप से भुगतान किये जाने लगे हैं।

अब, मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि मैं इन भारतीय नियोजकों के बारे में बारी-बारी कहूंगा। मेरा विचार है कि इस व्यवस्था के बाद मजूरी का भुगतान न करने अथवा मजूरी भुगतान में विलम्ब सम्बन्धी अधिकांश समस्याओं का समाधान हो गया है। श्रम मन्त्रालय इस बात का आग्रह करता रहा है कि आयात तथा निर्यात बैंक द्वारा दिये गए ऋणों का उपयोग कम्पनियों

द्वारा सबसे पहले मजदूरी के भुगतान के लिये किया जाये। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतर कम्पनियां 1983 की मजदूरी का भुगतान कर पाई हैं। इसलिये, वर्ष, 1984 के लिए भी इसी तरह की व्यवस्था की जा रही है। जहां तक उत्तम सिंह दुग्गल कर्मचारियों का संबंध है, वेतन न मिलने के कारण उन्होंने जनवरी, 1983 में हड़ताल कर दी थी। जब उन्होंने हड़ताल की तो, इराक सरकार ने इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप किया। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, विशेषरूप से खाड़ी के देशों में हड़ताल पर पूर्णतः रोक है तथा किसी व्यक्ति के हड़ताल नहीं करने की अनुमति नहीं है। क्योंकि उन्होंने हड़ताल की थी इसलिए इराक सरकार ने हस्तक्षेप किया और फरवरी, 1983 में लगभग 836 श्रमिकों को वापस स्वदेश भेज दिया। ये सभी 836 श्रमिक, जिन्होंने हड़ताल की थी, वापस आ गये। जब वे वापस आये और उनकी शिकायतें हमारे मन्त्रालय के ध्यान में लायी गयीं तो हमारे मन्त्री महोदय ने इस मामले को ठेकेदार, अर्थात् उत्तम सिंह दुग्गल, के साथ उठाया और निम्नलिखित समझौता किया गया।

श्रमिकों तथा उत्तम सिंह दुग्गल के बीच यह समझौता हुआ है कि जहां तक वेतन की बकाया राशियों का भुगतान है कम्पनी करार के अनुबंध को पूरा करेगी। जब भी कम्पनी के ध्यान में यह बात लाई गई थी कि मजूरी को कम्पनी द्वारा प्रारम्भ में किए गए करार में निर्धारित मजूरी कम कर दिया गया है, उन्हें कम्पनी के करार के अनुसार भुगतान करने और पी० ओ० ई०, दिल्ली के पास दायर किये गए करार की प्रति भेजने तथा उस करार के अनुसार भुगतान करने को कहा गया। कम्पनी उस करार के अनुसार भुगतान करने के लिए राजी हो गई है।

ऐसे मामले, जिनमें 8 घण्टे प्रतिदिन काम करने के लिये विशेषरूप से करार-उपबन्ध था, कम्पनी उन श्रमिकों को समयोपरिभत्ता देगी जो आमतौर पर 9 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। उन्होंने प्रतिदिन 9 घंटे काम किया था। लेकिन करार में यह शर्त रखी गई है कि वे केवल 8 घंटे काम करेंगे। जहां भी उन्होंने 9 घंटे काम किया, यह तय किया गया कि उन्हें समयोपरि भत्ता मिलेगा। श्रमिकों की बकाया राशियों में से वापसी विमान किराया नहीं काटा जायेगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उनकी मजूरी का क्या रहा ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जितनी मजूरी देना तय हुआ था, उन्होंने उतनी राशि का भुगतान कर दिया है। क्योंकि श्रमिकों ने हड़ताल की थी इसलिए इराक सरकार ने उन्हें वापस स्वदेश भेज दिया था। जब वे वापस आये और जब उनकी शिकायतें श्रम मन्त्रालय के ध्यान में लाई गई तो श्रम मंत्रालय कम्पनी के साथ यह मामला उठाया।

श्री धर्मदास शास्त्री : वह रुपया जो इन लोगों को मिला वह फोरेन एक्सचेंज में मिला या इंडियन करेंसी में मिला ? यहां तो वह फारेन एक्सचेंज में आया तो वह फोरेन एक्सचेंज में जमा किया गया या नहीं ?

श्री वीरेन्द पाटिल : वापस आने के बाद इन लोगों को पैसा दिया गया है। मुझे अभी

जानकारी तो नहीं है लेकिन मैं समझता हूं कि जब वापस आने के बाद इंडिया में इनको पैसा दिया गया है तो फोरेन एक्सचेंज के रूप में नहीं हो सकता, इंडियन रूपी में ही पेमेंट हुआ होगा।

महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि ये ठेकेदार बहुत धन कमा रहे हैं और यह विदेशी मुद्रा के रूप में जो धन कमा रही हैं उसका हिसाब-किताब नहीं रख रही हैं। कम्पनियां पंजीकृत कम्पनियां हैं। जब वे पंजीकृत कम्पनियां हैं, पब्लिक लि० कम्पनियां है, उनकी जो भी आय हो, जो भी उनका लेन-देन हो, हर कम्पनी को अपने हिसाब-किताब की जानकारी आय कर विभाग को देना जरूरी है। इसलिए उनके लिए भी सभी प्रकार के लेखाओं की जानकारी आयकर विभाग को देना जरूरी है। यदि मान लो कुछ कम्पनियां सूचना छिपाती हैं, तो यह संबद्ध मंत्रालय का काम है कि वह आवश्यक कार्यवाही करे। यदि माननीय सदस्य के पास इस आशय का कोई तथ्य है कि कोई कम्पनी विदेशी मुद्रा के रूप में काफी पैसा कमा रही है तो वे वह सूचना संबद्ध मंत्रालय को दे सकते हैं तथा संबद्ध मंत्रालय उस कम्पनी के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगा।

जहां तक उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड क० का संबंध है, इस समझौते के बाद, इसके बारे में एक अन्य अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, जिस पर किसी श्रमिक के हस्ताक्षर नहीं थे। इसमें कम्पनी द्वारा बकाया राशि का निर्धारण क्या समयोपरि के भुगतान के लिए दी गई विनिमय दर के बारे में विवाद उठाया गया था। चूंकि श्रमिकों के करार में विशेषरूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि श्रमिक 8 घंटे काम करेंगे न कि 8 से 10 घंटे काम करेंगे जैसा कि कुछ करारों में दिया गया है। बाद में, श्री बालकिशन कछवाहा ने भारत के उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी जिसमें मैसर्ज उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड क० तथा भारत सरकार दोनों को प्रतिवादी बनाया है। उस याचिका में उन्होंने कुछ मुख्य मुद्दे उठाये हैं। यह याचिका अभी विचाराधीन है। जहां तक उच्चतम न्यायालय के पास विचाराधीन रिट याचिका का संबंध है, प्रार्थना में याचिकादाता ने मैसर्ज उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कं० के खिलाफ उत्प्रवास अधिनियम, 1922 के अन्तर्गत भी कार्रवाई करने को कहा है। इस याचिका की कानूनी रूप से जांच की जा रही है।

जहां तक डी० एस० कंस्ट्रक्शन कम्पनी का संबंध है, हमें इस कंपनी के विरुद्ध भी कुछ शिकायतें मिली हैं। वे लीबिया में अपनी परियोजना का काम कर रहे थे। इसके बारे में वेतन का कम भुगतान तथा विलम्ब से भुगतान करने की शिकायत मिली है। शिकायत की गम्भीरता को देखते हुये; मंत्रालय ने इस कम्पनी को अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर लगाने की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है। कम्पनी ने सरकार की इस कार्यवाही के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सिविल रिट याचिका दायर कर दी है तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के डिवीजन बैंच द्वारा कम्पनी को यह आदेश दिये गये हैं कि वह निम्न तीन शर्तों के अनुपालन की पुष्टि संबंधी एक शपथपत्र दायर करे :

(एक) कम्पनी अपने कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान चालू विनिमय दर पर करेगी।

(दो) कम्पनी अपने सभी कर्मचारियों को पासपोर्ट वापस करेगी तथा उन्हें पहचानपत्र जारी करने की व्यवस्था करेगी।

(तीन) कम्पनी भूतपूर्व कर्मचारी सहित अपने कर्मचारियों के सभी विचाराधीन दावों का निपटान करेगी।

सरकार को यह शपथपत्र देने पर ही सरकार ने मैसर्स डी० एस० कंस्ट्रक्शन कम्पनी को लीबिया में अपनी परियोजना पर अतिरिक्त श्रमिक लगाने की अनुमति दी। तब से इस कंस्ट्रक्शन कम्पनी के खिलाफ कोई नये दावे प्राप्त नहीं हुये हैं।

मैसर्ज सोमदत्त बिल्डर्ज के खिलाफ श्री सत्यम की एक शिकायत आई है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस शिकायत के बारे में मुझे लिखा है। शिकायत यह है कि श्री सत्यम, जिन्होंने मैसर्ज सोमदत्त बिल्डर्ज के साथ ईरान में ग्रेजुएट इंजीनियर के रूप में काम किया था, ने यह शिकायत भी है कि कम्पनी की ओर उनके वेतन तथा उपदान, समयोपरि भत्ते तथा भोजन भत्ते की राशि बकाया है। मंत्रालय ने इस मामले को मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स के साथ उठाया जो वेतन की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो गई लेकिन उसने बताया कि श्री सत्यम एक ग्रेजुएट इंजीनियर होने के कारण समयोपरि तथा उपदान का हकदार नहीं है, इसके बाद यह पता चला कि श्री सत्यम को कुछ भिन्न शर्तों पर नियुक्ति पत्र तथा नियोजन अनुबंध दिया गया था। मैसर्स सोमनाथ बिल्डर्स अब नियुक्ति पत्र अथवा नियोजन अनुबंध की शर्तों को मानने के लिए राजी हो गये हैं जैसाकि श्री सत्यम द्वारा अपेक्षित है। यह श्री सत्यम द्वारा मैसर्ज सोमनाथ बिल्डर्ज के खिलाफ की गई शिकायत के बारे में है।

फिर हमारे पास मैसर्स एन० एस० चौधरी एण्ड क० के खिलाफ भी शिकायत हैं। मैसर्स एन० एस० चौधरी एण्ड क० को मैसर्स एन० पी० सी० सी०, भारत सरकार का उपक्रम, की परियोजना का ईरान में उप-ठेकेदार नियुक्त किया गया था। तदनुसार, मैसर्स एन० एस० चौधरी ने 72 श्रमिकों को काम पर लगाया लेकिन वेतन देने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद एन० पी० सी० सी० ने 17.3.83 को मैसर्स एन० एम० चौधरी के साथ उप-ठेका समाप्त कर दिया तथा 18-4-83 को 72 श्रमिकों को स्वदेश भेजने की व्यवस्था की। तब श्रमिकों की शिकायतें श्रम मंत्रालय के साथ उठाई गईं और मंत्रालय के कहने पर, यह निर्णय किया गया कि एन० पी० सी० सी० मुख्य ठेकेदार होने के कारण उनकी श्रमिकों के प्रति नैतिक जिम्मेदारी है और मैसर्स एन० एस० चौधरी इस राशि की वसूली होने तक वेतन का भुगतान करेंगे। एन० पी० सी० सी० द्वारा यह भुगतान कर दिया गया है।

सभापति महोदय : क्या आपके पास बहुत-सी शिकायतें हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मेरे पास बहुत-सी शिकायतें हैं। क्योंकि मेरे लिए उस सभी मामलों को याद रखना बहुत कठिन है इसलिए मैं पढ़ कर बता रहा हूं क्योंकि माननीय सदस्य की यह

धारणा है कि ये ठेकेदार बहुत पैसा कमा रहे हैं, शोषण कर रहे हैं तथा कर्मचारियों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं। श्रमिक बाहर चले गये हैं और उनके अधीन कामचलाऊ मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। जब भी कुछ शिकायतें मिली हैं और जब कभी भी उन्हें हमारे ध्यान में लाया गया है, तत्काल कार्रवाई की गई है।

गुरदीप सिंह एसोसिएट्स के बारे में, जैसा कि मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूं, हमें एक शिकायत मिली है और हमने इसकी और जांच करने के लिए इसे पुलिस प्राधिकारियों के पास भेज दिया है।

भसीन एसोसिएट्स के खिलाफ श्री साबरवाल की शिकायत के संबंध में, श्री साबरवाल के साथ कार दुर्घटना हो गई थी और उसने मुआवजे के लिए आवेदन पत्र दिया था। इसके फलस्वरूप, कम्पनी ने उसकी सेवाएं समाप्त कर दीं और उसे वापस भारत भेज दिया। श्री साबरवाल ने मुआवजे का दावा दायर किया है। यह मामला कम्पनी के साथ उठाया गया और कंपनी ने यह बताया कि जब यह दुर्घटना हुई उस समय श्री साबरवाल अपने कुछ साथियों के साथ निजी तौर पर यात्रा कर रहे थे, इस प्रकार, कम्पनी किसी प्रकार के मुआवजे देने के लिए उत्तरदायी नहीं है। कम्पनी का यह उत्तर श्री साबरवाल को भेज दिया गया है।

मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स के विरुद्ध एक शिकायत आई थी; यह शिकायत श्रीमती राजामल के पति श्री नातेसन, जिनकी ईरान में काम करते हुये मृत्यु हो गई थी, के मुआवजे के भुगतान से संबंधित थी···

सभापति महोदय : यदि आप इस तरह इन मामलों को उद्धृत करते गए तो···

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं अलग-अलग मामलों को उद्धृत नहीं करूंगा। मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स ने श्री नातेसन के कानूनी वारिशों को हस्तांतरित करने हेतु 1 लाख रुपये की बीमा राशि श्रम न्यायालय में जमा कराई है। मैं संक्षेप में यह स्पष्ट करना चाहता था कि ऐसे मामलों की संख्या अधिक नहीं है।

यदि माननीय सदस्यों की यह धारणा है कि भारतीय नियोक्ता हमारे श्रमिकों को भारत से बाहर ले जा रहे हैं तथा उनका शोषण कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं। उत्प्रवास अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम, विदेशों में कार्यरत उत्प्रवासी लोगों के हितों की सुरक्षा करने के लिए ही है, तथा हम अपने मिशनों से पहले ही यह सुनिश्चित करने का अनुरोध कर चुके हैं कि भारतीय श्रमिकों से दुर्व्यवहार न हो तथा उनके हितों की समुचित सुरक्षा हो। अतः यह कहना सही नहीं है कि हमारे भारतीय श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

मुझे केवल एक ही जानकारी देनी है क्योंकि माननीय मन्त्री की यह धारणा है कि खाड़ी के देशों को जाने वाले भारतीय उत्प्रवासियों की संख्या घट रही है ऐसी बात नहीं है। मैं आंकड़े दे

सकता हूं । कुल मिलाकर उनकी संख्या स्थिर है । यद्यपि ऐसी धारण बनी हुई है कि तेल की कीमतों में कमी से खासतौर पर अरब देशों के विकास कार्य कम हो गए है तथा इसलिए, हमारे देशों तथा अन्य देशों से वहां जाने वाले श्रमिकों की संख्या अब बहुत कम हो गई है किन्तु जहां तक हमारे देश का ताल्लुक है यह सही नहीं है ।

हमारे श्रमिकों की विदेशों में मांग है तथा पिछले वर्ष तथा दो वर्ष पूर्व कुल मिलाकर बराबर ही संख्या में श्रमिक विदेश गए । इस सम्बन्ध में आंकड़े इस प्रकार हैं : 1979 में 1,71,800 उत्प्रवासी गए; 1980 में 2,36,200; 1981 में 2,76,000; 1982 में 2,39,545; 1983 में 2,24,995 लोग गये । इससे स्पष्ट है···

प्रो० एन० जी० रंगा : इनमें से कितने स्वदेश वापस आ रहे हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हमारे पास इसका रिकार्ड नहीं है । परन्तु वह वापस आ रहे हैं क्योंकि वे जब भी जाते हैं; किसी निश्चित अवधि के लिए जाते हैं; यह अवधि दो वर्ष या तीन वर्ष हो सकती है तथा अनुबंध की अवधि के पश्चात वे वापस आते हैं । परन्तु हमारे पास उनके रिकार्ड मौजूद नहीं हैं जो वापस आते हैं । हमारे पास उनके रिकार्ड हैं जो कि विदेश जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उत्प्रवास स्वीकृति के लिए हमसे संपर्क करना पड़ता है; अतः इस उनका रिकार्ड रखते हैं तथा मैं ये आंकड़े इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि माननीय सदस्य इस बात से अवगत हो जायें कि यह संख्या कम नहीं हुई है, वह स्थिर है ।

श्री धर्मदास शास्त्री : सभापति महोदय, 1984 में कितने गये, इसके आंकड़े नहीं मिले हैं ।

सभापति महोदय : उन्होंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बतलाना चाहता हूं—प्रश्न के जवाब से हमें ऐसा लगता है कि इस संसार को चलाने के लिए रूस और अमरीका में तालमेल हो सकता है, अमरीका और चीन में तालमेल हो सकता है, लेकिन इस राष्ट्र को चलाने के लिए वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, निर्माण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में तालमेल नहीं हो सकता है । जिस प्रश्न पर इस समय चर्चा हो रही है उसके (बी) पार्ट में पूछा गया है :—

> "क्या प्रश्नाधीन निर्माण कंपनियों ने अपनी अनुबंधित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था ।"

उत्तर था :

> "जी नहीं ।"

अभी मन्त्री जी ने बतलाया कि मजदूरों के पेमेंट के लिए इन निजी कम्पनियां ने सरकार के पास एप्रोच किया और सरकार ने इराक से डेफर्ड पेमेंट···

सभापति महोदय : वह प्रश्न अलग है। वह मजूरी के संबंध में है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : परन्तु मजूरी तो कार्य पूरा होने के लिए अदा की गई थी। कुल मिलाकर मजूरी केवल उस कार्य हेतु होती है। वह उस परियोजना में पूरा करने के लिए एक अंशदान या सहायता के रूप में होता है। उस समय ही और इसको सीधा-सीधा कह दिया जाता, तो शायद यह चर्चा उठाने की नौबत न आती ।

आखीर में मैं एक चीज की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपने प्रश्न के जवाब में कहा है :

> "केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र की निम्नलिखित निर्माण कंपनिओं की कुछ परियोजनाओं में उनके विदेशों के ग्राहकों से अपेक्षित धनराशि की अदायगी न होने के कारण हुई अड़चनो की वजह से विलम्ब हुआ।"

इस संदर्भ में यह निश्चित हो गया है कि सरकारी उपक्रमों में भी धन की कमी है, जिसके कारण परियोजनाएं अधूरी पड़ी हुई हैं। ऐसी स्थिति में क्या यह सही नहीं है कि एन० बी० बी० सी० के चेयरमैन और अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों में बेतहाशा विदेश की यात्राएं कीं और उन पर लाखों रुपया खर्च हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने कितनी यात्राएं कीं और क्या यह सही नहीं है कि चेयरमैन के सम्बन्धी, उनके घर के लोगों ने भी यात्राएं कीं ?

प्रो० एन० जी० रंगा : इसका यहां क्या संबंध है ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्यों नहीं महोदय ? यह उससे संबंधित है। यह धनराशि की कमी के बारे में है। इसलिए मैं यह पूछा रहा हूं। जब कंपनियों द्वारा धनराशियों की इतनी कमी अनुभव की गई है और धनराशि की कमी को देखते हुए···

सभापति महोदय : इसका इससे कोई संबंध नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्यों नहीं ? आप मूल प्रश्न को पढ़े। मेरा प्रश्न मूल प्रश्न के आधार पर है।

सभापति महोदय : यह इस विषय पर केवल आधे घंटे की चर्चा है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : परन्तु यह मूल प्रश्न पर आधारित है। आप मूल प्रश्न को देखें। मैं मूल प्रश्न से हट नहीं रहा हूं ।

सभापति महोदय : ठीक है। अब आप कृपया अपना प्रश्न पूछें तथा अपनी बात पूरी करें।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। मैं पूछ रहा था कि चेयरमैन या उनके रिश्तेदारों ने कर्मचारियों के नाम पर विदेश की यात्राएं कीं ?

दूसरा सवाल इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहूंगा कि मजदूरों के साथ जो इतनी ज्यादती विदेशों में होती हैं, क्या इस सम्बन्ध में यह सोचा गया है कि मजदूर जब विदेश भेजे जाएं कम्पनियों द्वारा, तो उसके पहले यहां भारतवर्ष में उनका अनिवार्य इन्श्योरेंस करवा दिया जाए, जिससे अगर कोई दुर्घटना या कोई और बात हो जाए, तो उसका मुआवजा उनको मिल सके।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : मैं प्रश्न ही पूछूंगा। प्राइवेट कम्पनीज के बारे में मंत्री जी ने बड़े विस्तार से जवाब दिया है। मैं वर्क्स एण्ड हाऊसिंग के बारे में सवाल पूछूंगा क्योंकि यह प्रश्न उससे भी संबंधित है।

राष्ट्रीय भवन-निर्माण निगम, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, भारत सड़क निर्माण निगम, इनका जो कार्य है, वह लीबिया और इराक में चल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि लीबिया और इराक में जो नई कम्पनीज द्वारा काम चल रहा है तो वहां पर लेबरर्स की किस प्रकार की स्थिति है। और उन्हें पूरे वेजिज बराबर मिल रहे हैं या नहीं ? जो कार्य आपने हाथ में लिये हैं क्या उनके बारे में आपने जानकारी की है कि वे कार्य जो इन्कम्पलीट हैं क्या वे पब्लिक एन्टरप्राइजिज की फाइनेंशयल स्ट्रिंजेन्सी के कारण हैं या इस कारण से हैं कि जो लोग लीबिया में कार्य कराते हैं, वे पेमेंट लेबरर्स को समय पर नहीं देते हैं ? वहां पर लेबरर्स को पेमेंट समय पर मिलता है या नहीं, वहां क्या स्थिति है ? क्या आप इसके सम्बन्ध में प्रकाश डालेंगे ?

सभापति महोदय : श्री जैन, आपने संक्षेप में अपनी बात कही, इसके लिए आपका धन्यवाद। श्री लकप्पा।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : सभापति महोदय, यह आधे घंटे की चर्चा मेरे तथा श्री धर्म दास शास्त्री द्वारा उठाये गए प्रश्नों के फलस्वरूप हो रही है। माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरों के बावजूद अभी मेरी कई शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि जनशक्ति परियोजनाओं में कई निजी कंपनियां लगी हुई हैं। वह न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी कर्मचारियों को झांसा देती हैं। माननीय मंत्री ने इन तथ्यों को प्रकट किया है। मेरी सूचना के अनुसार, जिन श्रमिकों को वह काम में लेती हैं उनसे न केवल इस देश में बल्कि विदेशों में भी धोखा किया जाता है। ऐसा एक उदाहरण है।

सभापति महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री के० लकप्पा : मैं उदाहरण दे रहा हूं। कोई सज्जन डी० ए० एण्ड कम्पनी नामक कम्पनी चलाते हैं। हम आज भी उनके दफ्तर में वह पैसा वापस मांगने वाले सैकड़ों लोगों की भीड़ देख सकते हैं, जो कि गैर-कानूनी तरीके से इकट्ठा किया गया है। ये साधारण समस्याएं नहीं हैं। देश से लाखों लोग विदेश भेजे जाते हैं। यह श्रम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय तथा बैंकिंग विभाग (वित्त मंत्रालय) से संबंधित है। अतः ये गंभीर मामले हैं। वे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी धोखाधड़ी करते हैं। उन्होंने विदेशों में कई परियोजनाओं को अभी तक पूरा नहीं किया है चाहे वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र की। मैं यह जानना चाहता हूं कि गैर-सरकारी एजेंसियों की इस आकस्मिक बाढ़ को किस तरह पंजीकृत किया जा रहा है? इनमें से कितनी एजेंसियों को पंजीकृत किया गया है? उक्त बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न उठता है। धनराशि बैंकों द्वारा लगाई गई है। गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में कितनी धनराशि लगी हुई है? ऐसी कई वित्तीय संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से इन्हें पैसा मिलता है। इसमें से कितना धन वापस किया गया है तथा कितना अभी वापस करना शेष है। विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के कितने मामले सामने आए हैं? मैं इन कंपनियों की गतिविधियों के बारे में जानना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि इन कंपनियों की गतिविधियों की गहराई से जांच तथा निगरानी की जाए। इनकी गतिविधियों की निगरानी करने तथा खामियों को दूर करने का कोई समन्वय-तंत्र नहीं है। नीति-विरुद्ध तथा गैर-कानूनी गतिविधियों में लगी हुई हैं। अतः मैं चाहता हूं कि एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करके सभा में प्रस्तुत किया जाए। क्या माननीय मंत्री इन जन शक्ति निर्यातक निगमों की गतिविधियों की जांच तथा निगरानी के प्रस्ताव से सहमत होंगे। चूंकि यह बैंक के धन से संबंधित है, अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री ब्यौरेवार उत्तर दें कि क्या वह मन्त्रालय के कार्यकरण की समूची प्रणाली को समुचित ढंग से कारगर बनाएंगे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा दिए गए उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ कंपनियां श्रमिकों को समुचित ढंग से मजूरी अदा नहीं कर रही हैं तथा वे पूर्णतः श्रमिकों का शोषण करने में लगी हुई हैं। ऐसी कई कंपनियां हैं जो कि श्रमिकों को विदेश भेजते समय उनसे पैसा ले रही हैं। यह स्पष्ट है तथा कई आरोप लगाए गए हैं। माननीय मन्त्री इससे अवगत हैं। जहां तक मुझे पता है, देश से बाहर भेजे जाने वाले हर श्रमिक से कम से कम 10,000 रुपया मांगा जाता है तथा यह राशि उसे देनी पड़ती है। अन्यथा उसे विदेश नहीं भेजा जाएगा। संभवतः वे कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं और यह एक अलग बात है। इस मामले पर सभा में कई बार चर्चा हो चुकी है परन्तु हम देख रहे हैं कि इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं माननीय मन्त्री का बड़ा आदर करता हूं क्योंकि वह बहुत योग्य व्यक्ति हैं तथा शिकायतों की जांच करते हैं। परन्तु ये आरोप बड़े गंभीर किस्म के हैं। अतः सरकार को हस्तक्षेप करके उनकी शीघ्र जांच करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री मेरे प्रश्नों का उत्तर दें।

मैं सर्व प्रथम उन आरोपों के बारे में जानना चाहता हूं जो कि विभिन्न कंपनियों यथा डी०

एस० कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिनका उन्होंने पहले हवाला दिया है, के विरुद्ध पहले ही लगाए जा चुके हैं। ये कंपनियां समुचित ढंग से काम नहीं कर रही हैं और ऐसी ही कई अन्य कंपनियां भी हैं। मैं उन कंपनियों के नाम जानना चाहता हूं जो कि श्रमिकों के शोषण में लगी हुई हैं। क्या माननीय मन्त्री इस मामले की जांच करेंगे तथा इन कंपनियों के परमिट रद्द करने पर विचार करेंगे? साथ ही, क्या वह उन कंपनियों के अनुचित कार्यचालन तथा श्रमिकों के शोषण के विरुद्ध उन पर जुर्माना लगाने पर विचार करेंगे? क्या वह उन्हें दी जाने वाली किसी वित्तीय सहायता को बंद करने का निर्णय करेंगे? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वह इन कंपनियों का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। अंत में, क्या माननीय मन्त्री हमें यह बताएंगे कि इन कंपनियों के कार्यचालन की जांच करने के लिए क्या वह कोई संसदीय समिति गठित करने जा रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र पाटिल: महोदय, मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है व गैर-सरकारी भारतीय नियोक्ताओं के अधीन कर्मचारियों से प्राप्त शिकायतों के बारे में, मैं विवरण प्रस्तुत कर चुका हूं। मैं पहले कही गई बातों को दोहराना नहीं चाहता। परन्तु मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें सरकारी क्षेत्र की निर्माण कंपनियों के अधीन कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों से अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। सरकारी क्षेत्र निर्माण कंपनियों यथा एन० बी० सी० सी०, एन० आर० सी० सी०, आई० आर० सी० सी० आदि देश से बाहर कार्य कर रही हैं तथा विदेशों में कार्य निष्पादित करने के लिए उन्होंने देश से बड़ी संख्या में श्रमिक नियुक्त किए हैं। परन्तु मन्त्रालय को इन श्रमिकों से इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि ये सरकारी क्षेत्र कंपनियां उनका शोषण कर रही हैं। माननीय सदस्य प्रो० अजित मेहता ने एन० बी० सी० सी० अधिकारियों द्वारा की जाने वाली 'यात्रा' के संबंध में जानना चाहा था। महोदय, जब उन्होंने निष्पादनार्थ बहुत बड़ा कार्य हाथ में लिया है, तो यह स्वाभाविक है कि परियोजनाओं की प्राप्ति की जांच हेतु उन अधिकारियों को विदेशों में काम पर जाना पड़ता है तथा मैं नहीं समझता कि वे अनावश्यक यात्राएं कर रहे हैं तथा यह मामला यहां उठाने लायक नहीं है तथा जब संगठन विदेशों में कोई कार्य निष्पादित करते हैं तथा यदि वे इस बात की जांच करना चाहते हैं कि नाम समुचित ढंग से निष्पादित हो रहा है अथवा नहीं तो यह स्वाभाविक है कि वे अपने अधिकारियों को विदेश भेजें।

प्रो० अजित कुमार मेहता: चेयरमैन तथा उनके परिवार के सदस्यों ने कंपनियों के नाम पर यात्राएं की हैं।

खेल विभाग में, निर्माण तथा आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): इस संबंध में माननीय सदस्य को अपना भ्रम दूर करना चाहिए तथा मैं यह स्पष्ट रूप से बता दूं कि एन० बी० सी० सी० के अध्यक्ष के परिवार का कोई भी सदस्य कंपनी के नाम पर विदेश नहीं गया तथा केवल अध्यक्ष ही विदेशों में कार्य के निष्पादन को देखने जाते रहे हैं। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मजूरी का सवाल है, श्रमिकों को विधिवत उनकी मजूरी दी जाती है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अब, मुख्य शिकायत, पैसा अदा न करने तथा पैसा अदा करने में देरी करने के बारे में है। इस सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि इराक सरकार तथा लीबिया सरकार विदेशी मुद्रा की भारी कमी का सामना कर रहे थे तथा इस कारण इन इराकी ग्राहकों द्वारा हमारी भारतीय निर्माण कंपनियों को धनराशि की पर्याप्त अदायगी नहीं की गई। जब वे अपने ग्राहकों से पर्याप्त धनराशि नहीं प्राप्त कर सके तो यह स्वाभाविक है कि वे मजूरी बांटने की स्थिति में नहीं थे। अतः निर्यात-आयात बैंक भारतीय निर्माण कंपनियों को अग्रिम ऋण देने पर सहमत हो गया है। निर्यात-आयात बैंक से भारतीय निर्माण कंपनियां ऋण प्राप्त करते ही, ये कंपनियां इन श्रमिकों की शीघ्र धनराशि अदा कर देंगी। मैं समझता हूं कि वह निर्यात-आयात बैंक से ऋण प्राप्त कर रही हैं तथा श्रमिकों को धन की अदायगी कर रही हैं।

माननीय श्री लकप्पा ने कहा कि डी० एस० कंस्ट्रक्शन कंपनी श्रमिकों को धोखा दे रही हैं। मैंने श्री धर्मदास शास्त्री से इस संबंध में अनुरोध किया है तथा अब फिर लकप्पा से भी यह अनुरोध करता हूं कि वे मुझे यह बताएं कि वे शिकायतें कौन-सी हैं और इनके शिकायतकर्ता कौन हैं। यदि हमें इसकी जानकारी प्रदान की जाती है तो हम श्रमिकों को धोखा देने वाली डी० एस० कंस्ट्रक्शन कंपनी या किसी अन्य कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे तथा अधिनियम के अधीन संभव कार्रवाई करेंगे ताकि श्रमिकों के हितों की सुरक्षा हो सके।

माननीय सदस्य, श्री हरिकेश बहादुर की यह धारणा है कि ये श्रमिक भारतीय *नियोक्ताओं* को भारी रकम दे रहे हैं। यह सच है कि श्रमिक पैसा दे रहे हैं परन्तु भारतीय *नियोक्ताओं* को नहीं। मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि भारतीय नियोक्ता द्वारा श्रमिक से कोई भी रकम वसूल करने की अपेक्षा नहीं की गई है। केवल भर्ती करने वाले एजेन्ट ही भारी रकम वसूल कर रहे हैं तथा हमें इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। परन्तु ऐसा तब था जबकि उत्प्रवास अधिनियम प्रवर्तित नहीं था, विचाराधीन था और पारित नहीं हुआ था। वह भारी रकम वसूल कर रहे थे और यह एक अपराध था। अब अधिनियम पारित होने और नियम बन जाने से कोई भी भर्ती करने वाली एजेन्सी, जो कि विदेशी नियोक्ता के लिए श्रमिक भर्ती करती है उससे, श्रमिक से 1500 रुपये से अधिक राशि लेने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यदि प्रति उत्प्रवासी इससे अधिक रकम ली जाती है तो भर्ती एजेन्ट दण्ड का भागी है क्योंकि अब यह एक अपराध घोषित किया जा चुका है।

माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि इसके लिए कितना दंड निश्चित है। अब, भर्ती एजेन्टों तथा नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों के शोषण के मामले पर विभिन्न मंचों में व्यक्त की गई चिंता को ध्यान में रखते हुए इस तरह के अपराधों के लिए उपबन्ध किए गए हैं तथा अधिनियम में दो वर्ष तक की अवधि के कारावास तथा दो हजार रुपये तक जुर्माने तथा एकाधिक बार

अपराध करने पर हर बार जुर्माने की राशि दो गुना करने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में पर्याप्त उपबंध किए गए हैं।

6.58 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 3 मई, 1984/13 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-153